चतुर्दश माला, खंड 15, अंक 11

बुधवार, 7 दिसम्बर, 2005
16 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 59
Dated 30 Oct 2007

(खंड 15 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी.के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 11, बुधवार, 7 दिसम्बर, 2005/16 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 202 से 205	3–32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 206 से 221	32–64
अतारांकित प्रश्न संख्या 2070 से 2283	65–314
सभा पटल पर रखे गए पत्र	315–319
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
पंद्रहवां प्रतिवेदन	319–320
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	320
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) उन परिस्थितियों जिनके कारण श्री के. नटवर सिंह, केन्द्रीय मंत्री (निर्विभाग) को वोल्कर समिति रिपोर्ट और उसके बाद के खुलासे के पश्चात् मंत्रिपरिषद् में त्यागपत्र देना पड़ा के बारे में	320–334, 335–351
(दो) महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में किसानों द्वारा कथित आत्महत्या के बारे में	352–356
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ से हुई हानि से उत्पन्न स्थिति	356–389, 437–449
डा. चिन्ता मोहन	357, 360–363
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	357–360, 382–386, 437–438
श्री ए. कृष्णास्वामी	364–366, 438–439

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

श्री पी. मोहन 366–367

श्री के. सुब्बारायण 367–368

श्री ई. पोन्नुस्वामी 368–370

श्री अनंत कुमार 370–375, 441

श्री एम. शिवन्ना 375–376

डा. सी. कृष्णन 377–378

श्री एन.एस.वी. चित्तन 378–379, 420

श्री के.वी. तंगबालु 379–381, 419–420

श्री एस.के. खारवेनथन 381–382

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम 386–387

श्री शिवराज वि. पाटील 442–449

भाण्डागारण (विकास और विनियमन) विधेयक, 2005 389–390

नियम 377 के अधीन मामले 390–402

(एक) तमिलनाडु में डिंडीगुल, कोयम्बटूर खंड पर आमान परिवर्तन तथा मदुरै, तिरुनेलवेली और डिंडीगुल रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं का उन्नयन किये जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 390–391

(दो) गुजरात के जूनागढ़ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजकोट और पोरबंदर जाने वाली गाड़ियों को वेरावल तक चलाए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ 391

(तीन) देश में आंगनवाड़ी कर्मकारों को समूह "ग" सरकारी कर्मचारियों का दर्जा प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा तीरथ 391–392

(चार) गुजरात में महुआ, धोला और अहमदाबाद को जोड़ने वाली सीधी गाड़ी आरंभ किये जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर 392

(पांच) गुजरात में खनिज संपदा पर रायल्टी का व्यय गवेषणा जोन में कल्याण और विकास के कार्यकलापों के लिए सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल 393

(छह) पर्यटन क्षेत्र में नियुक्त लोगों के हित की रक्षा की दृष्टि से डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को डाबोलिम से गोवा के मोपा में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को वापस लिये जाने की आवश्यकता

श्री अलीमाऊ चर्चील 393–394

(सात) कर्नाटक में 298 कि.मी. लम्बे शोलापुर-मंगलोर खंड पर कनावी वीरभद्र मंदिर के नजदीक रेलवे क्रासिंग पर एक सड़क अंडरब्रिज का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री जी. करुणाकर रेड्डी 394–395

(आठ) उड़ीसा में कानपुर बहुदेशीय परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि आबंटित किये जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक 395

विषय | कॉलम

(नौ) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोंच नगर स्थित मुख्य डाकघर के जीर्ण-शीर्ण भवन के पुनर्निर्माण के लिए उपयुक्त उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 395–396

(दस) देश में पंचायतों और नगरपालिकाओं के पदाधिकारियों को कार्यालय का स्थान और यात्रा सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री रामस्वरूप कोली 396

(ग्यारह) अरुणाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री कीरेन रिजीजू 396–397

(बारह) पश्चिम बंगाल के फुलिया में हथकरघा उत्पादन-सह-डिजाइन विकास केन्द्र तथा एक निर्यात बाजार की स्थापना की मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

श्री अलकेष दास 397

(तेरह) पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पर्यटन के विकास के लिए निधि आबंटित किये जाने की आवश्यकता

श्री हन्नान मोल्लाह 397–398

(चौदह) मुरादाबाद और मुंबई के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी आरंभ किये जाने की आवश्यकता

डा. शफीकुर्रहमान बर्क 398

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के पुनरुद्धार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 399

(सोलह) झारखंड के पलामू क्षेत्र में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री मनोज कुमार 399

(सत्रह) तमिलनाडु में सुनामी पीड़ितों के लिए किये जा रहे पुनर्वास उपायों को सुव्यवस्थित किये जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 399–400

(अठारह) महाराष्ट्र के बुलढाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोनर क्रेटर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल 400–401

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश राज्य में उर्वरक की कमी को दूर करने के लिए उर्वरक का अतिरिक्त स्टॉक जारी किये जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ 401–402

(बीस) केरल के उन लगभग 500 मलयाली मुसलमानों, जिनके समक्ष पाकिस्तान निर्वासित किये जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है, को भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 402

नियम 193 के अधीन चर्चा 403–437, 449–478

(एक) हांगकांग में विश्व व्यापार संगठन के आगामी छठे मंत्रालीय सम्मेलन के विशेष संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन में भारत की भूमिका 403

श्री प्रबोध पाण्डा 404–409

श्री अजीत कुमार सिंह 409–411

विषय	कॉलम
श्री खारबेल स्वाईं	411–416
श्री मधुसूदन मिस्त्री	416–418
श्री रूपचंद पाल	418–422
श्री मोहन सिंह	422–425
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	426–430
श्री सी. कुप्पुसामी	430–431
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील	431–434
श्री के.एस. राव	434–437
श्री भर्तृहरि महताब	449–453
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा	453–455
प्रो. एम. रामदास	455–458
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	458–461
श्री हरिभाऊ राठौड़	461–462
डा. चिन्ता मोहन	462–463
श्री हितेन बर्मन	463–464
श्री पी.सी. थामस	464–465
श्री राम कृपाल यादव	465–466
श्री किन्जरपु येरननायडु	466
श्री कमलनाथ	466–476
(दो) (एक) 29.10.2005 को दिल्ली में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट;	
(दो) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा;	
(तीन) 13.11.2005 को जहानाबाद, बिहार में हुए नक्सलवादी हमले; और	
(चार) 11.11.2005 को होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर, गिरीडीह, झारखंड में हुआ नक्सलवादी हमला	
श्री निखिल कुमार	477–478
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	479
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	480–486
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	487–478
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	487–490

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 7 दिसम्बर, 2005/16 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों श्री कामोदी लाल जाटव तथा श्री एस.टी. कादरी के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री कामोदी लाल जाटव 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने मध्य प्रदेश के मुरैना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके पूर्व श्री जाटव 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।

श्री जाटव 1985 से 1987 तक सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति तथा 1989 में विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे।

श्री जाटव ने 1982 से 1984 तक मध्य प्रदेश के राज्य भांडागार निगम के चेयरमैन के रूप में भी कार्य किया।

श्री जाटव एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्त्ता थे तथा उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप में भाग लिया।

श्री कमोदी लाल जाटव का निधन 7 सितम्बर, 2005 को 76 वर्ष की आयु में मुरैना, मध्य प्रदेश में हुआ।

श्री एस.टी. कादरी 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने कर्नाटक के शिमोगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री कादरी ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

व्यवसाय से एक अभियंता तथा इस्पात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ रहे, श्री कादरी ने विस्वेश्वरैया लौह तथा इस्पात लिमिटेड, भद्रावती में विभिन्न पदों पर कार्य किया। भारत सरकार द्वारा 1976 में उन्हें तमिलनाडु के सेलम इस्पात संयंत्र के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया था। कर्नाटक के विश्वेश्वरैया लौह तथा इस्पात लिमिटेड, भद्रावती की विकास गतिविधियों हेतु तकनीकी चर्चा के लिए उन्होंने विश्व के अनेक देशों की यात्रा की। एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्त्ता, श्री कादरी शिक्षा के प्रसार तथा जरूरतमंद एवं गरीब लोगों के उत्थान के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहे। वह भद्रावती के ताज-उल-उलम की शिक्षा सोसायटी के संस्थापक प्रेजीडेंट तथा शिमोगा की मिल्लथ शिक्षा सोसायटी के आजीवन सदस्य रहने के साथ-साथ शिमोगा के आजाद गर्ल्स उच्च विद्यालय के संरक्षक भी थे। श्री कादरी अन्य विभिन्न संगठनों जैसे कर्नाटक राज्य हज समिति तथा रोटेरी और सेंचुरी क्लब, बंगलौर से भी संबद्ध थे।

श्री एस.टी. कादरी का निधन 15 नवम्बर, 2005 को 73 वर्ष की आयु में एक संक्षिप्त बीमारी के पश्चात् मैसूर, कर्नाटक में हुआ।

हम अपने मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, हमने भी बोलने के लिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। कृपया मेरे साथ सहयोग करें। आप इसे सही तरीके से उठा सकते हैं। मैं आपके मामले की महत्ता को कमतर करके नहीं आंक रहा हूं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.03 बजे

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 202

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवाएं

***202. श्री+ वी.के. ठुम्मर:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रौद्योगिकीय प्रगति के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में संतोषप्रद मोबाइल टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध नहीं कर सकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के विस्तार के संदर्भ में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मोबाइल टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन नेटवर्क (मोबाइल सेवाओं संबंधी नेटवर्क सहित) प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

(ग) और (घ) हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के विस्तार के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं, फिर भी आशा है कि 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले अधिकतर गांवों को वर्ष 2007 के अंत तक मोबाइल नेटवर्क की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

(ङ) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सामान्य "रॉल आऊट" योजना हेतु प्रदत्त सहायता के अलावा, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं हेतु अवसंरचना तैयार करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से सहायता प्रदान करने संबंधी व्यवहार्यता की भी पड़ताल कर रही है।

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। मैंने आपके माध्यम से सरकार से पूछा था कि गांवों में जो मोबाइल फैसिलिटी चल रही है, वह संतोषप्रद है या नहीं? इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मोबाइल टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उसके बारे में भी कुछ जवाब नहीं दिया गया है। सरकार ने जवाब दिया है कि वर्ष 2007 तक 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में यह फैसिलिटी दिये जाने की आशा है। अध्यक्ष महोदय, क्या आशा से सरकार चलती है? एनडीए की सरकार गांवों को भूल गई थी, इसलिए आज उनकी जगह कहां पर हो गई है, यह आप देख सकते हैं। यूपीए सरकार से गांव वालों ने बहुत उम्मीद लगा रखी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गांवों में मोबाइल फैसिलिटी देने के लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कभी कभी मौन भी गुण होता है।

श्री दयानिधि मारन: महोदय, आपके जरिये मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि यह एक सतत प्रक्रिया है। वस्तुतः हम आरम्भिक चरण में हैं। पूरे देश में हमारा दूरभाष घनत्व या उसका प्रसार केवल 10.4 है। यह एक तथ्य है कि शहरी क्षेत्रों में इसके प्रसार का स्तर उच्च है। यह 50% तक है। यह एक निराशाजनक तथ्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों को अभी भी टेलीफोन से जोड़े जाने का कार्य जारी है। देश में 600 जिला मुख्यालयों में से 589 से अधिक जिलों को शामिल किया गया है। लेकिन संतोषजनक स्तरों तक अभी पहुंचा जाना है। यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रक्रिया जारी है। सरकार सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया पर कार्यवाही कर रही है। सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस संबंध में योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां भी ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही हैं।

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर: अध्यक्ष महोदय, तहसील के जो आंकड़े दिये गये हैं, उनके अनुसार रूरल एरियाज में 1.74 प्रतिशत मोबाइल फैसीलिटी मिल रही है, अर्बन एरियाज में 28.25 प्रतिशत फैसीलिटी मिल रही है जबकि प्राइवेट कम्पनियां गांवों में बढ़िया मोबाइल फैसीलिटी दे रही हैं। 'हच' कम्पनी की गांवों में 22 प्रतिशत सेवा

चल रही है, रिलायंस की 32 प्रतिशत है, तो बीएसएनएल के पास इतनी सुविधा, मिल्कियत, मानव शक्ति और सब कुछ होने के बावजूद वह अच्छी सेवा क्यों नहीं दे पा रही है? ऐसा लगता है कि प्राइवेट कम्पनियों के साथ मिलीभगत चल रही है। ...*(व्यवधान)* मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्राइवेट कम्पनियों की जगह बीएसएनएल द्वारा फैसीलिटी अच्छे मिले, इसके लिए वे क्या करने जा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आइये, अब हम मंत्रीजी की बात सुनें।

श्री दयानिधि मारन: महोदय, आपके जरिये मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि बीएसएनएल प्रदत्त सेवाएं काफी अच्छी हैं और प्रयोक्ता इसकी मांग कर रहे हैं। यही कारण है कि इसकी मोबाइल सेवाओं हेतु प्रतीक्षा सूची काफी लंबी है। इसकी उत्कृष्ट सेवाओं के कारण लोग बीएसएनएल के कनेक्शन मांग रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा: अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन का काफी विस्तार हुआ है, परन्तु कुछ एसडीएम मुख्यालय ऐसे हैं जहां आज भी मोबाइल फैसीलिटी नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के एसडीएम हैडक्वार्टर्स में मोबाइल सेवा उपलब्ध करवाएगी?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदय, मैं बीएसएनएल के संबंध में बात कर सकता हूं। हमने 'रॉल आउट' योजना दायित्व आरंभ कर दिए हैं। इस वर्ष के अंत तक हम अपनी रॉल आउट योजना पूरी कर लेंगे। अधिकांश जिला मुख्यालयों को शामिल किया गया है। जैसाकि मैंने कहा, यह एक सतत प्रक्रिया है। जब हम अधिक क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं तो ऐसा लगता है कि बीएसएनएल और अन्य सेवा प्रदाताओं के पास नए ग्राहक आ रहे हैं। हम निश्चित रूप से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। हमने वर्ष 2007 तक 250 मिलियन फोन प्रदान करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसलिए, संभवत: अगले वर्ष में कार्यान्वयन होने वाला है। मैं कह सकता हूं कि बीएसएनएल की सेवाओं में सुधार हो रहा है। ''रॉल आउट'' योजना पहले ही आरंभ हो चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में बीएसएनएल लगभग 14.2 मिलियन नई मोबाइल सेवाएं देगा।

[हिन्दी]

श्री राजनारायण बुधौलिया: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा प्रदान की जा रही है, वहां मशीनों की कैपेसिटी से ज्यादा कनैक्शन दे दिये गए हैं जिसके कारण लाइनें लगातार व्यस्त रहती हैं तथा सही नम्बर लगाने के बावजूद वह सही जगह नहीं लगता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कारणों को रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि प्राइवेट कम्पनियों से मिलीभगत है, यह बिल्कुल सत्य है क्योंकि प्राइवेट कम्पनियां अच्छी सुविधा दे रही हैं। हमारे यहां भी एयरटेल और रिलायंस के जो नेटवर्क लगाए गए हैं, उनकी सुविधा बीएसएनएल से बहुत अच्छी जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदय, आपके जरिये मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि वास्तव में मैं यही बात कह रहा था। बीएसएनएल की सेवाओं की बहुत अधिक मांग है। कभी-कभी अधिक क्षमता से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। क्षमता से अधिक कार्य करने या अतिभार से बचने हेतु बीएसएनएल ने इस मुद्दे से निपटने हेतु नए बीटीएस स्थापित करने शुरू किये हैं। यह एक प्रक्रिया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि जनवरी के अंत तक कॉल व्यस्तता (ट्रेफिक) में निश्चित रूप से सुधार होगा और यह सेवा एक बेहतर सेवा होगी।

अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा बेहतर सेवा प्रदान करने का कारण यह है कि उनकी कॉल व्यस्तता दर उतनी अधिक नहीं है और उनके ग्राहक बहुत कम हैं जबकि बीएसएनएल के बहुत अधिक ग्राहक हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी। उन्होंने अपना हाथ उठाया था और अब चले गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अपना प्रश्न कीजिए।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, बीएसएनएल कर रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुखदेव पासवान।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान: अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में सन् 2007 तक नये कनैक्शन देने की बात चल रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दिये जायेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां बीएसएनएल का टॉवर लगा हुआ है लेकिन वहां उससे काम नहीं हो रहा है और न उसकी स्वीकृति दी गई है लेकिन रिलायंस महीनों से फॉरबिसगंज में अपनी सेवाएं दे रहा है। वहां बीएसएनएल टॉवर खड़ा है लेकिन उसे स्वीकृति नहीं दी गई है। हम लोगों का इलाका सीमावर्ती है और वहां से दस-बारह कि.मी. दूर नेपाल का बॉर्डर है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रिलायंस को कैसे अनुमति दी गई और वहां बीएसएनएल अभी तक क्यों नहीं शुरू किया गया है?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: इस विशेष प्रश्न के लिए मैं सदस्य के पास वापस जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने खेद व्यक्त किया है?

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: जी हां।

हमारे ग्राहक प्रीपेड कनेक्शनों की कमी, नेटवर्क अवरोधित होने जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और अवसंरचना की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। मंत्री महोदय, हम इस समस्या का कैसे समाधान करेंगे?

महोदय, नॉर्टेल टेलिकॉम जैसी कम्पनियां जिन्हें दक्षिण केरल में दूरसंचार का सुधार करने का कार्य सौंपा गया है, निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। इस बहुराष्ट्रीय कंपनी के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं।

श्री दयानिधि मारन: महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं।

किसी विशेष कंपनी के 'रॉल आउट' के कारण हमें कुछ विलंब हो रहा है। उन्होने कार्य आरंभ कर दिया है। हमारी उनके साथ एक समीक्षा बैठक हुई है और उन्होंने यह वायदा किया है कि आगामी वर्ष मार्च तक वे अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लेंगे और उन्हें पूरा करेंगे।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास 27 सदस्यों की सूची है। मुझे खेद है कि मैं सभी को अवसर नहीं दे सकता।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय बीएसएनएल ने विशेषरूप से महाराष्ट्र परिमंडल में हाल में घोषणा की कि ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप एक नेता हैं। आप प्रश्न नहीं कर सकते।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, लगभग छह महीने पहले बीएसएनएल महाराष्ट्र सर्किल ने यह घोषणा की थी कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र पुणे ग्रामीण में लगभग 20 बीटीस टावर्स लगायेंगे। जैसे ही उन्होंने पुणे जिले में मोबाइल टावर्स लगाने के लिए स्थानों की सूची की घोषणा की इसके तत्काल बाद रिलायंस और अन्य निजी कंपनियों ने अपनी सेवाएं पहले ही शुरू कर दी हैं जबकि बीएसएनएल के अधिकारी अभी भी मुझे यह बता रहे हैं कि वे उपकरण का क्रयादेश दे रहे हैं और इसमें अभी छह महीने का और समय लगेगा। बीएसएनएल के अधिकारी हमें यह बता रहे हैं कि इसका मुख्य कारण बीएसएनएल में आईटीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की समस्या है जिसने समस्या पैदा की है और सरकार ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अपना प्रश्न संक्षेप में प्रस्तुत करें।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: बीएसएनएल को विशेष रूप से इस मामले पर 600 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की हानि हो रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की इस वर्ष उन टावरों को लगाने की योजना है जिनकी घोषणा की गई थी और जिन्हें बीएसएनएल टावर सूची में दिया गया है।

श्री दयानिधि मारन: जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का संबंध है, मेरे पास स्पष्ट ब्यौरा नहीं है। यदि माननीय सदस्य ब्यौरा दें तो मैं कुछ कर सकता हूं। न केवल इनके निर्वाचन क्षेत्र में अपितु बीएसएनएल पूरे देश में विद्यमान है। हम लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बिना आधारभूत संरचना के उसकी लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है।

डा. आर. सेनथिल: धन्यवाद, महोदय अनेक माननीय सदस्यों ने क्षमता और उपभोक्ता संख्या के बीच अंतर के संबंध में पहले ही प्रश्न उठाया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें वास्तविक क्षमता और वास्तविक उपभोक्ता संख्या के साथ-साथ इन दोनों के बीच अंतर के संबंध में आंकड़े प्राप्त हुए हैं। क्या सरकार के पास इस अंतर को पाटने के लिए कोई समयबद्ध योजना है?

श्री दयानिधि मारन: मैं सदस्य को उपलब्ध वास्तविक क्षमता के बारे में इसी समय बता सकता हूं परन्तु इससे कोई फायदा नहीं होगा, यह सीधा उत्तर नहीं होगा। मैं माननीय सदस्य को बाद में ब्यौरा दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आपका कार्य ऐसा है जिसकी कोई कदर नहीं है क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति मोबाइल चाहता है। यह ठीक है। आप ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, मोबाइल टेलीफोनी ने देश में टेलीफोन घनत्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दुर्भाग्यवश, मैं यह मानता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व अभी भी लगभग 1.8 से कम है। निश्चित रूप से, मोबाइल टेलीफोन सबसे अच्छा उपाय है। मैं यह समझता हूं कि इसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि यह विगत में 1980 में सरकार की दूर दृष्टि का ही परिणाम था कि हमारी दूरसंचार सेवाओं में जबरदस्त वृद्धि और सुधार हुआ है। माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से हमें यह पता चला है कि सरकार यूएसओ निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के लिए आधारभूत संरचना सृजित करने हेतु सहायता प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है। इसलिए, इसे किये जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। इस संबंध में क्या प्रगति हुई है? वस्तुत:, वे कौन सी बाधाएं हैं जिनके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन का विस्तार नहीं हो पा रहा है अथवा जो उसके विस्तार के लिए यूएसओ के अधीन करार में आड़े आ रही है।

श्री दयानिधि मारन: मैं यह समझता हूं कि अधिकांश माननीय सदस्यों के प्रश्न ग्रामीण कनेक्टिविटी के बारे में हैं। मैं इन प्रश्नों का उत्तर और अधिक व्यापक रूप से देना चाहता हूं।

मैं माननीय सदस्यों को इसके बारे में बताता हूं। आरंभ में, अधिकांश आपरेटर, निजी आपटेर शहरों में आ रहे थे। अब, शहर संतृप्त हो रहे हैं। आपरेटरों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर बाजार है। 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। अब सभी आपरेटर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। बीएसएनएल को फायदा है क्योंकि बीएसएनएल ने पहले ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआत की है। अब वह, वहां कार्य कर रहा है। इसके पास क्षमता तो है परन्तु अनेक बाधाएं भी*हैं। सरकार ने यह महसूस किया है कि मोबाइल ग्राहक तक पहुंचने का सबसे तीव्र तरीका है। इसलिए, यह फिक्स्ड लाइन कनैक्शन से बेहतर है। अब सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु नीति बना रही है कि यूएसओ निधि के माध्यम से हम टावर और शेल्टर जैसी कुछ 'पैसिव' आधारभूत संरचना रख सकते हैं जिसे अनेक आपरेटर शेयर कर सकते हैं ताकि इसका ग्रामीण क्षेत्रों, लाभप्रद क्षेत्रों में तेजी से विस्तार किया जा सके। सरकार इस प्रक्रिया में लगी है। हम यह कर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि अगले वर्ष हम इसे शुरू करेंगे।

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर

***203. श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) लक्ष्य प्राप्ति के लिए कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता होगी;

(घ) क्या इन सभी क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) दसवीं योजना के लिए लक्षित वृद्धि दर (बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में मापित) 8.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों की वृद्धि दर 6.5% होने का अनुमान लगाया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रक में क्रमश: 4.0%, 8.9%

और 9.3% की वृद्धि दर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के पहले तीन वर्षों की इन तीन क्षेत्रकों की उपलब्धि क्रमशः 1%, 7% और 8.6% प्रतिवर्ष बैठती है। इसका निहितार्थ है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के मूल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना के अंतिम दो वर्षों में कृषि, उद्योग, और सेवा क्षेत्रकों में क्रमशः 8.5%, 11.7% और 10.3% की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी।

(घ) और (ङ) अर्थव्यवस्था और विस्तृत क्षेत्रकों की वृद्धि दरें एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं। ऐसी कोई स्कीम अथवा कार्यक्रम बनाना संभव नहीं है जो अनिवार्यत परिकल्पित वृद्धि दरों की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके। दसवीं योजना (2002-07) में अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के प्रयोजन से कुछेक स्कीमें और कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। इनमें से कुछ स्कीमें और कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हैं लेकिन विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्रक में बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि दर नहीं बढ़ सकती है लेकिन मानव कल्याण और विकास प्रक्रिया की संधारणीयता पर उनका प्रभाव पड़ता है। वृद्धि और विकास की दर को बढ़ाने के लिए तैयार की गई स्कीमों और कार्यक्रमों को दसवीं योजना दस्तावेज और दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के मध्यावधि मूल्यांकन में सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें संसद के ग्रन्थागार में रखा गया है। इन स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए निधि अपेक्षाओं की वार्षिक योजनाओं और केन्द्रीय बजट में परिलक्षित किया गया है। कार्यान्वयन की स्थिति और गति के आधार पर इनमें समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे कार्यबल का 70 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में कार्यरत है जबकि सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान 20 से 25 प्रतिशत है। किसान की क्रय शक्ति में एक रुपये की वृद्धि होने से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तीन रुपये की वृद्धि हो जाती है। अतः यदि भारत को प्रगति करनी है तो ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन की इस लहर की अगुवाई सहकारिता आंदोलन करेगा।

एल.आई.सी., आई.सी.आई.सी.आई, आई.एफ.सी.आई. और आई.डी.बी.आई. की कुल परिसंपत्तियां 4,70,027 करोड़ रु. की है। इनकी इन परिसंपत्तियों में से शेयर बाजार से संबंधित प्रतिभूतियों में कितना धन लगा है? सहकारिता क्षेत्र में इन्होंने कितने धन का निवेश किया है? यह सूचना मिली है कि एल.आई.सी. ने अपनी परिसंपत्तियों का एक प्रतिशत सहकारिता क्षेत्र में निवेश किया है जबकि शेयर बाजार से संबंधित प्रतिभूतियों में 90 प्रतिशत का निवेश किया है। क्या यह सत्य है? यदि हां, तो सरकार सहकारिता क्षेत्र में एल.आई.सी. के निवेश में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठा रही है फिर चाहे वह स्थानीय सहकारिता विद्युत स्टेशन हो या कृषि उत्पादों का भंडारण करने हेतु सहकारिता ग्रामीण भंडारण सुविधाओं का निर्माण? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर देने दीजिए। आपका प्रश्न सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के बारे में है। अब आप निवेश के बारे में जानकारी मांग रही हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: यह सकल घरेलू उत्पाद के बारे में है। यह इस बारे में है कि हम ग्रामीण भारत में कितना निवेश करते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे यह जानना चाहती हैं कि ग्रामीण भारत में कितना निवेश किया जाता है।

श्री एम.वी. राजशेखरन: मैं माननीय सदस्य की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जहां तक कृषि का संबंध है तो इसमें विकास दर कम है। अब, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक कृषि क्षेत्र में विकास दर का संबंध है तो हमारी वर्तमान सं.प्र.ग. सरकार ने इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बहुत से कदम उठाये हैं। इसलिए, महोदय, कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान परिव्यय में वृद्धि की गई है और कृषि और सहकारिता विभाग के योजनागत परिव्यय को वर्ष 2004-05 के 2650 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान बढ़ाकर 4,179.32 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पशु पालन और इसके अनुषंगी क्षेत्रों के मामले में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है। महोदय, जहां तक प्रश्न ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट रुकिए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपका प्रश्न दूसरा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? क्या आप मंत्री जी को उत्तर नहीं देने देंगे?

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, जहां तक एल.आई.सी. के अंतर्गत किये गये निवेश से संबंधित प्रश्न का मामला है, तो मुझे इसके लिए अलग से सूचना की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: हां। यह इससे संबंधित नहीं है। हां, दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न भी एक भिन्न विषय पर ही है जो है-यदि हम कृषि क्षेत्र में दिन में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति कर दें तो सरकार ने इसके फलस्वरूप भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि होने का अनुमान लगाया है?

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने इसका आंकलन किया है कि क्या इतनी विद्युत उपलब्ध होगी?

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, अब, चूंकि सं.प्र.ग. सरकार ने इस पर समय-समय पर ध्यान दिया है तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति किये जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और इसीलिए 'भारत निर्माण' के अंतर्गत लगभग 1,25,000 गांवों जहां की अब तक विद्युत उपलब्ध नहीं थी, को इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत प्रदान की गई है जैसाकि माननीय सदस्या जानती हैं कि अच्छी तरह से ध्यान दिया जा रहा है और ब्यौरे तैयार किये गये है।

प्रो. बसुदेव बर्मन: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि सकल घरेलू उत्पाद से देश की समग्र रूप से औसत वृद्धि का ही पता लगता है अतः क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार लक्षित वृद्धि दर से भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के आर्थिक उत्थान का पता लग पाएगा? यदि हां, तो मंत्री जी कृपया यह ब्यौरा दें कि दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के आर्थिक विकास के रूप में वृद्धि दर कितनी रही है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, क्या ब्यौरा दें? ऐसा इसलिए क्योंकि अनुपूरक प्रश्न ब्यौरे के लिए नहीं हैं।

प्रो. बसुदेव बर्मन: यदि नहीं, तो वह कृपया यह बताएं कि भारत सरकार ने दसवीं योजना के दौरान ऐसे लोगों की मुसीबत को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

अध्यक्ष महोदय: यह केवल वृद्धि दर के संबंध में है।

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, जहां तक निर्धनतम लोगों को उनका जीवन स्तर उन्नत करने में मदद करने का संबंध है, इसके लिए अनेक योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। जहां तक निर्धनतम लोगों की समस्याओं का समाधान करने का संबंध है मैं अब माननीय सदस्य को किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराना चाहता हूं। महोदय, पुनः 'भारत निर्माण' योजना के तहत सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, अन्य कार्यक्रम भी हैं जिनमें निर्धनतम लोगों की समस्याओं का प्रत्यक्ष तौर पर समाधान किया जाता है। एक मुख्य कार्यक्रम जिसे शुरू किया गया है वह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका उद्देश्य मदद किये गये गरीब परिवारों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। माननीय सदस्य को पता होगा कि पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री ने विशेष रूप से स्व-सहायता समूहों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं हेतु आवंटन बढ़ाने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1,20,000 स्व-सहायता समूहों को लाभान्वित किया जा रहा है।

श्री के.एस. राव: अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि दियेगये उत्तर में, यह आप भी सुनें।

अध्यक्ष महोदय: बहुत बहुत धन्यवाद। सलाह देने से पहले प्रश्न पर स्वयं ध्यान देना बेहतर होगा।

श्री के.एस. राव: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है:

> ''ऐसी कोई स्कीम अथवा कार्यक्रम बनाना संभव नहीं है जो अनिवार्यतः परिकल्पित वृद्धि दरों की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके।''

यदि माननीय प्रधानमंत्री को स्वयं यह कहना पड़े कि अपेक्षित वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए कोई स्कीम अथवा कार्यक्रम बनाना संभव नहीं है तो मुझे खेद है कि देश सही रास्ते पर नहीं जा सकता है। महोदय, नदियों को आपस में जोड़ने की योजना एक ऐसी योजना है। जिससे हमारे देश के उत्पादन में करोड़ों रूपए की वृद्धि हो सकती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आगामी चार अथवा पांच वर्षों में 65 एकड़ भूमि को खेती के लिए शामिल करने की संकल्पना की है जिससे करोड़ों रुपये तक उत्पादन बढ़ सकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें सुझाव दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार आंध्र प्रदेश सरकार को विदेशी ऋण अथवा केन्द्रीय सहायता सुनिश्चित करने की गारंटी देकर पर्याप्त धनराशि देने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: यह परेशानी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी एक मिनट रुकिए। इससे पहले कि आप टिप्पणी करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सुनिए। कृपया बैठ जाइए। आपने लिखित उत्तर नहीं पढ़ा है। इसमें यह लिखा है "एक स्कीम का पता नहीं लगाया जा सका है। सकल घरेलू उत्पाद दर में वृद्धि करने हेतु अनेक योजनाओं को एक साथ लेकर चलना होगा। इसलिए, मुझे इस मामले की जांच करने के लिए कहने के बजाय आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए था।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री एम.वी. राजशेखरन: जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, मुझ विशेष नोटिस की जरूरत है। इस संबंध में जो भी जानकारी अपेक्षित होगी मैं उसे बांटकर बहुत प्रसन्न होऊंगा। महोदय, माननीय सदस्य ने सिंचाई का उल्लेख किया है। महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के लिए बजटीय आवंटन के तहत, हमारी वर्तमान सरकार ने वर्ष 2004-05 में किये गये 2,800 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर 4,500 करोड़ रुपये कर दिया है। इसलिए, इससे यह संकेत मिलता है कि हमारी वर्तमान सरकार वास्तव में कितनी चिंतित है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह नदियों को आपस में जोड़ने, विदेशी आवंटन और अन्य चीजों के बारे में पूछ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी. राजशेखरन: इन सभी चीजों के लिए मुझे जवाब देने में काफी खुशी होगी, बशर्ते आप एक पृथक प्रश्न पूछें।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: महोदय, धन्यवाद, वर्ष 1952 में, कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की दर 69 प्रतिशत थी। अब, यह घटकर 22 प्रतिशत रह गई। इसका मतलब है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के प्रति सरकार का शुरुआत से पूरी तरह से उपेक्षित रवैया रहा है। मैंने उत्तर में पाया कि मंत्री ने कहा है कि लक्षित विकास दर 8.1 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार पहले तीन वर्षों की विकास दर 6.5 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार प्रतिशत की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। योजना कार्य के पहले तीन वर्षों में एक प्रतिशत की विकास दर हासिल की गयी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: इसलिए, मैं जानना चाहूंगा– ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए—कि क्या सरकार अथवा प्रधानमंत्री 'रेलवे' की तरह 'कृषि' के लिए एक पृथक् बजट लाने के बारे में सोचेंगे। ऐसा इसलिए कि मंत्री ने पहले ही जवाब दिया है कि पूर्व के बजट के अलावा सिर्फ 2000 करोड़ रुपये ही प्रदान किये गये हैं।

श्री एम.पी. राजशेखरन: महोदय, माननीय सदस्य को यह अच्छी तरह से मालूम है कि कृषि क्षेत्र में विकास दर में कमी आई है। कृषि क्षेत्र में विकास दर अनियमित मानसून स्थिति और अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश के कारण प्रभावित हुई है। अब, इस विशिष्ट मुद्दे पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार द्वारा विचार किया गया है। इसलिए, पहले ही कई योजनाएं शुरू की जाने वाली है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या एक पृथक बजट लाया जाएगा–'हां' या 'नहीं'?

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, हम उस मामले पर निश्चय ही विचार करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक क्रांतिकारी कदम होगा।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर में और उसके बाद पूरक प्रश्न के उत्तर में भी बताया गया और हम सब मान भी रहे हैं कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जीडीपी का कंट्रीब्यूशन घट रहा है और सरकार अपना टार्गेट भी अचीव नहीं कर पा रही है। किसानों की आत्महत्या के साथ भी, जो कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, उसका लिंक है। माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन नैसेसर्ली बढ़ सके, ऐसी कोई स्कीम सरकार नहीं ला सकी है, लेकिन वह इस दिशा में कोशिश कर रही है। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो अर्बन बायस्ड है, चाहे टेक्नॉलाजी के बारे में, चाहे इन्वेस्टमेंट के बारे में, चाहे प्राइवेट या पब्लिक सैक्टर के लिए हो, उससे यह निष्कर्ष निकल

रहा है, आज की स्थिति में कृषि क्षेत्र से जो सकल घरेलू उत्पाद में कंट्रीब्यूशन है, उसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम यूपीए सरकार कर रही है? जब दसवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तब अलग बात थी, लेकिन आज की स्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में क्या आप कोई टार्गेटिड प्रोग्राम ले रहे हैं? जीडीपी की कंट्रीब्यूशन में खासकर इंडस्ट्रियल सैक्टर का हिस्सा बढ़ाने के लिए बाकी समय में, जो बैकलॉग है, उसे मेकअप करने के लिए, क्या आपने प्रॉयरिटी देकर कोई टार्गेटिड प्रोग्राम बनाया है?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, हाल ही में प्रधान मंत्री ने ग्रामीण लोगों की सहायता हेतु एक नयी और बहुत बड़ी पहल करने के बारे में घोषणा की है जिसे ''भारत निर्माण'' के नाम से जाना जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान कमियों को दूर करने की ओर ध्यान देगी। इसके अलावा, प्रधान मंत्री ने ग्रामीण अवसंरचना ढांचे का ध्यान रखने हेतु अपनी अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की पहल की है।

ये कुछ चीजें हैं जिन पर यह देखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है कि ग्रामीण भारत, विशेष रूप से गरीब से गरीब और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं। इसलिए हमारी सरकार ऐसे सभी प्रयास कर रही है, जिसमें यह देखने की आवश्यकता है कि ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान दिया जाए और सकल घरेलू उत्पाद की दर, जहां तक ग्रामीण भारत का संबंध है, में वृद्धि हो।

निजी मेडिकल कालेजों का शैक्षणिक स्तर

***204. श्री गुरूदास दासगुप्त:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के कुछ निजी मेडिकल कालेजों में शिक्षा के घटिया स्तर और सुविधाओं के अभाव के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे कालेजों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, (जो इस प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया सिफारिशी निकाय है), के माध्यम से संकायों और बुनियादी सुविधाओं दोनों की उपलब्धता का पता लगाने के पश्चात ही केन्द्र सरकार अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत किसी नए चिकित्सा महाविद्यालय को स्थापित करने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने अथवा अध्ययन के नये पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद किसी नए महाविद्यालय को स्थापित करने की अनुमति देने अथवा जहां कहीं भी निर्धारित किया गया हो, वहां वार्षिक नवीकरण की अनुमति प्रदान करने से पहले अपेक्षित मानदंडों के अनुसार उपलब्ध सुविधाओं की पुष्टि करने के लिए इन महाविद्यालयों का आवश्यक निरीक्षण करती है। इन महाविद्यालयों में डिग्री को मान्यता प्रदान करने के बाद भी मानकों के रखरखाव के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद समय-समय पर इन महाविद्यालयों का निरीक्षण भी करती है।

तद्नुसार, सरकार सुविधाओं के अभाव के बारे में प्राप्त शिकायतों को समुचित कार्रवाई करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भेज देती है। अब सरकार ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए अपना दल भी भेजती है। चूंकि चिकित्सा महाविद्यालयों में मानकों को बनाए रखने के लिए सुविधाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शुरू किये गये निरीक्षण पर निर्भर है। इसलिए सरकार इसे और अधिक पारदर्शी और कारगर बनाने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति सहित निरीक्षण की सम्पूर्ण क्रियाविधि की समीक्षा कर रही है और इसे कारगर बना रही है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री रामदास, सचमुच शब्दों से खिलवाड़ कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा है। अपने लंबे उत्तर में, उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की अनुमति देती है। तब उन्होंने कहा कि शिकायतें प्राप्त होने के कारण, वे अपने निरीक्षक भेज रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ भारतीय चिकित्सा परिषद पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय: वह ऐसा कह रहे हैं क्योंकि यही हमारे देश का कानून है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: वही उलझन है और मंत्री जी उलझन में हैं। खैर, महोदय, यही मेरा आमुख है।

बात यह है कि देश भर में निजी चिकित्सा महाविद्यालय कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं क्योंकि कोई उद्योग शुरू करने की बजाय शिक्षा में धन लगाना ज्यादा लाभकारी है। कार्पोरेट्स भी इसी ओर जा रहे हैं। मैं इस बारे में शिकायत नहीं करता, चिकित्सा

शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र आगे आएं लेकिन प्रश्न यह है कि यदि चिकित्सा शिक्षा स्तरीय नहीं है, यदि सुविधाएं अच्छी नहीं हैं तो हम स्तरीय डाक्टर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि कुछ माता-पिता के पास अपने बच्चों को निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में भेजने के लिए काफी पैसा है। यदि हम घटिया डाक्टर बना रहे हैं तो चिकित्सा देखभाल को हम संकट में डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह तो स्पष्ट है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: हां, यह तो स्पष्ट है, परंतु माननीय मंत्री को भी यह जानना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा न सोचें कि वे नहीं जानते हैं। वह बिल्कुल सक्षम है। यदि आप वहां बैठेंगे तो आप भी वही उत्तर देंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय संसद में लंबे समय तक रहने के बाद, यदि आप इस ख्याल में रहते हैं कि सरकार नहीं बदलेगी, तो संसद में बने रहने के लिए हमारे लिए क्या प्रेरणा है?

अध्यक्ष महोदय: सरकार बदलेगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मेरा ठोस प्रश्न यही है। मैं हाल ही में हैदराबाद गया था। निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के सैकड़ों छात्र और डाक्टर मेरे पास आए। उन्होंने शिकायत की कि निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के पास अपने अस्पताल नहीं हैं, उनके यहां आवश्यक उत्कृष्ट शिक्षक नहीं हैं और न ही उनके यहां प्रयोगशालाएं हैं। प्रयोगशालाओं का काम आउटसोर्सिंग से होता है, तथा शिक्षकों की भर्ती भी आउटसोर्सिंग से होती है और उनके पास सिर्फ अपने भवन हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या किया जाना चाहिए?

श्री गुरुदास दासगुप्त: निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा दी जा रही घटिया स्तर की चिकित्सा शिक्षा के संबंध में गंभीर शिकायतों के मद्देनजर यह सुनिश्चित करने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री का क्या करने का प्रस्ताव है ताकि देश में घटिया स्तर के डाक्टर न बनें, जो चिकित्सा देखभाल को खतरे में डाल देते हैं?

मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। उनका क्या काम है?

अध्यक्ष महोदय: उनकी बराबरी न करें।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, आपने भी यह सही कहा है कि वस्तुत: हम अपनी सीट की अदला-बदली कर लें। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: हम वहां जाना चाहते हैं और अपनी सीटें बदल लें।

डा. अंबुमणि रामदास: नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से वे और माननीय सदस्य नहीं ...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरे अच्छे मित्र, श्री गुरुदास दासगुप्त ने कहा है कि मैं अच्छा बोल लेता हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं शब्दों में घालमेल नहीं करता और स्पष्ट बोलता हूं जहां तक सरकारी अथवा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को अनुमति देने का प्रश्न है, चाहे इसकी एक प्रक्रिया है, जैसाकि आपने बिल्कुल सही कहा कि राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है, विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त होने के बाद ही यह केन्द्र सरकार के पास आता है। हम इसे भारतीय चिकित्सा परिषद के पास निरीक्षण के लिए भेज देते हैं और वह हमें एक सिफारिशी अनुरोध पत्र देता है। सिफारिश के बाद, हमें एलओआई और एलओपी देते हैं, तब जाकर अंतिम अनुमति दी जाती है। यही प्रक्रिया है जिसका हम भी अनुपालन करते हैं।

आज, हम इन महाविद्यालयों के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद पर निरीक्षण करने और चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक रिपोर्ट देने के लिए निर्भर हैं, और उस पर निर्णय लेते हैं तब हम इस मुद्दे पर विचार करते हैं कि अनुमति देनी है या नहीं। यदि इस दौरान हमें कोई शिकायतें मिलती हैं तो हम उस मुद्दे को उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का निर्णय ही अंतिम होगा। यदि हमारा कोई मामला या समस्या बीच में है तो कानूनन हमें एक निरीक्षण टीम या कोई अन्य साधन भेजने और इन पहलुओं का सत्यापन करके तदनुसार एक अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है।

अब मैं हैदराबाद के मुद्दे पर आता हूं। महोदय मैं भी हैदराबाद गया हूं, बहुत से लोग मुझसे मिले, न केवल हैदराबाद बल्कि दिल्ली में भी अनेक माननीय सदस्य छात्रों के साथ मुझसे मिले। उन्होंने मुझे कुछ निजी महाविद्यालयों, जिनमें कई सुविधाएं भी नहीं हैं में किये गये तथाकथित निरीक्षणों से संबंधित सीडी दिये छात्रों और माननीय सदस्यों द्वारा किये गये इन अनुरोधों एवं शिकायतों में से कुछ शिकायतें मैंने सीबीआई को भी भेजी हैं।

दूसरे, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में यह मामला उठाया गया और न्यायालय ने कहा कि करीब चार महाविद्यालयों, यदि आप चाहेंगे मैं नाम बता सकता हूं, कुछ समस्याएं थीं और उन्होंने सरकार से इस मुद्दे को अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया। फिर पुन: इन चार महाविद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए एमसीआई भेजा गया और एमसीआई ने बेदाग रिपोर्ट देते हुए बताया कि इन महाविद्यालयों में अपेक्षित सुविधाएं और अवसंरचना हैं। पर फिर

पुनः जब इतनी शिकायतें आने लगी तो हमने एक बार फिर राज्य विश्वविद्यालय की सहमति से केन्द्र सरकार से एक टीम भेजी जहां दोबारा इन लोगों ने इन तथाकथित महाविद्यालयों का निरीक्षण किया और पाया कि उसमें कुछ विसंगतियां थीं।

इस प्रकार ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं और इनका मेरे स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। फिर भी हम इन्हें सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनकी चिंता को समझता हूं और स्वयं भी चिंतित हूं। मैं उनके पक्ष में हूं। हम देश में और गुणवत्तापरक मैडिकल शिक्षा चाहते हैं।

माननीय सदस्य ने बहुत से निजी मैडिकल कॉलेजों के खुल जाने का भी उल्लेख किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में लगभग 242 मैडिकल कालेज है जिनमें से 127 सरकारी क्षेत्र के तथा 115 निजी क्षेत्र के हैं। वास्तव में 242 मेडिकल कालेजों में से 152 कॉलेज मात्र 6 दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है अर्थात मात्र 90 के लगभग कालेज 24 राज्यों में हैं। अतएव हमारे लिए यह जरूरी है कि राज्य सरकारें मैडिकल कालेजों में निवेश करे और हमें उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर में और अधिक डाक्टरों की आवश्यकता है। हम इस प्रयास में लगे हुए हैं और हम इन सरकारी कॉलेजों की सहायता करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हम प्रणाली को भी विनियमित करने का प्रयास कर रहे हैं।

एनओसी तो राज्य सरकार द्वारा ही दिया जाता है। हम इसके विरुद्ध नहीं है जब राज्य सरकार को लगता है कि उन्हें कालेज की आवश्यकता है तो वे एनओसी देते हैं। अतः राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार यह सब किया जाता है। मैं तो मैडिकल शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति बहुत चिंतित हूं। हम ऐसे कालेजों को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं जो मैडिकल शिक्षा देने में किसी भी तरह से सक्षम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, ठीक है, इस उत्तर के पश्चात कोई और प्रश्न।

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपना विचार प्रकट किया। वह मेरे पक्ष में है, मैं मानता हूं कि वह इस समस्या के प्रति चिंतित है। लेकिन यहां अभिकरणों की बहुलता है, नामतः राज्य सरकार, मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और केन्द्र सरकार। मैं इससे भी सहमत हूं। लेकिन, मानदंड सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्यतः केन्द्र सरकार पर है। यदि कुछ भी गलत होता है तो देश में प्रत्येक व्यक्ति केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराएगा। यह सच्चाई है, हमें इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। अतएव इन गंभीर शिकायतों के मद्देनजर कि अनेक निजी मैडिकल कालेजों में भ्रष्टाचार और सुविधाओं की कमी है, केन्द्र सरकार, इस दायित्व को राज्य सरकारों या मैडिकल काउंसिल पर न डालें, क्या सरकार विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय निजी मैडिकल कॉलेजों के अक्षम पाए जाने और उनके विवरण गलत पाए जाने पर उनका सर्वेक्षण कराएगा, उनके लाइसेंस रद्द करेगा? *...(व्यवधान)* यदि इन मैडिकल कालेजों में अस्पताल नहीं है तो यह शर्म की बात है। दक्षिणी भाग में एक मैडिकल कालेज है और आप स्वयं निजी मैडिकल कालेजों से जुड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदयः मुझे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इसकी एक प्रक्रिया है, और इसके लिए वहां राज्य सरकार है।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्तः जिस प्रकार की शिकायतें हमें मिल रही हैं उनके मद्देनजर क्या सरकार विशेष सर्वेक्षण करवाने के बाद मैडिकल कालेजों का लाइसेंस रद्द करेगी? *...(व्यवधान)* निजी मैडिकल कॉलेजों पर पूर्णतया शिक्षा माफिया का कब्जा हो गया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः उन्हें उत्तर देने दीजिए।

डा. अंबुमणि रामदासः मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ूंगा और मैं देश में चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी लूंगा। यद्यपि राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा परिषद् और भारत सरकार के विभिन्न मानदंड है फिर भी हम देश में चिकित्सा शिक्षा का पुनर्निर्धारण करने की पुनः कोशिश कर रहे हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में है। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः मैं विशेष सर्वेक्षण के लिए कह रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सर्वेक्षण किया जाएगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदासः मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। वास्तव में मैने छः से आठ माह पूर्व सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की थी और इन मुद्दों का हल निकला। मैने यह मुद्दा प्रस्तुत किया कि मुझे गुणवत्तापरक शिक्षा चाहिए। एक और मुद्दा यह है कि मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक सिफारिशी निकाय है। मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के विरुद्ध उसके कार्यकरण, निहित स्वार्थों का उस पर कब्जा और अन्य संबंधित सभी मामलों के लिए बहुत सी शिकायतें थी। हम उन्हें भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण निकाय है जो

सरकार को इन कॉलेजों के लिए अनुमति देने में सहायता देता है। हम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक ला रहे हैं जिसे राज्य सभा में पहले ही पुरः स्थापित किया जा चुका है और जो संसद की स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष है। यह उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि अब हम उन मुद्दों की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसे कैसे विनियमित किया जाए। उदाहरण के लिए आज देश में 242 मैडिकल कालेज हैं पर दुर्भाग्य से देश में शरीर विज्ञान (एनाकॉमी) के 242 प्रोफेसर्स भी नहीं हैं। कोई भी 'शरीर विज्ञान' को विषय के रूप में नहीं लेता। यह प्री-क्लिनिकल विषय है। कोई भी शरीर विज्ञान नहीं लेता, कोई भी फार्माकालोजी या जैव रसायन नहीं लेता क्योंकि सब मेडिसिन या सर्जरी इत्यादि लेना चाहते हैं जिससे कुछ अधिक धन लाभ होगा। अतः हम इन मामलों पर ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

एक और मुद्दा यह है कि कुछ राज्यों जैसे पूर्वोत्तर में आप बड़े अस्पताल नहीं बना सकते क्योंकि वहां अधिक मरीज ही नहीं होते। वहां डाक्टरों की संख्या अधिक नहीं है न ही अधिक विशेषज्ञ हैं ...*(व्यवधान)* मैं आपके प्रश्न पर और इन्हीं सब मुद्दों पर आ रहा हूं। यह पूर्णतापरक दृष्टिकोण है। हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में इन सब बातों को विनियमित करने के लिए हम सतत मैडिकल शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें यह अनिवार्य हो कि उन्हें हर पांच वर्ष में मैडिकल शिक्षा के कम से कम 60 घंटे हासिल हों।

मैं माननीय सदस्य के विशिष्ट प्रश्न पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः वह सर्वेक्षण चाहते हैं।

डा. अंबुमणि रामदासः मेरा ख्याल है कि विशिष्ट सर्वेक्षण पर आते हुए हम देश में निजी मैडिकल कॉलेजों की अवसंरचना या गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना करने पर गौर कर लें। मैं सोचता हूं कि हम उस पर गौर कर सकते हैं और सभी निजी मैडिकल कॉलेजों का सर्वेक्षण करा सकते हैं।

मोहम्मद सलीमः इस बात की जांच करें कि एक क्षेत्र विशेष में ही इनकी बहुलता कैसे है।

डा. अंबुमणि रामदासः जहां तक निजी कालेजों की बहुलता का संबंध है, मेरे विचार से यह राज्य सरकार का विशेषाधिकार है कि वह अनुमति दे या नहीं। यदि राज्य को यह लगता है कि उन्हें अधिक कॉलेजों की आवश्यकता है, उन्हें और डॉक्टरों की आवश्यकता है और वही अनापत्ति प्रमाणपत्र उसके पश्चात अवसंरचना की गुणवत्ता पर आते हैं और जब हम मेडिकल शिक्षा के लिए आयुर्विज्ञान परिषद और अन्य संबंधित सभी क्षेत्रों पर निर्भर है तो निश्चय ही हमें गुणवत्ता की आवश्यकता होती हैं। मैं यह दलील देने वाला पहला व्यक्ति हूं कि हमें और अधिक गुणवत्ता चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप उस पर एक आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव कर रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदासः हां श्रीमानजी, हम इस मुद्दे की जांच करेंगे। उन्होंने एक बहुत ही वैद्य प्रश्न उठाया है। जैसाकि मैने कहा, मैं हमेशा उनके पक्ष में रहा हूं। मैं इसमें गुणवत्ता चाहता हूं। हम निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः आयोग की नियुक्ति जितनी शीघ्र की जाए उतना ही बेहतर होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आयोग की नियुक्ति अवश्य होगी। आपको विदित है कि कोलकाता के एक सरकारी कॉलेज को एम.सी.आई. ने पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान नहीं की थी। सरकारी कॉलेजों को भी चलाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। यह भी है कि जो उचित शिक्षा प्राप्त हैं वे गांवों में नहीं जाते।

डा. चिन्ता मोहनः महोदय, हम सभी को अच्छे डॉक्टरों की जरूरत होती है। अच्छे डॉक्टरों के लिए हमें अच्छी चिकित्सीय शिक्षा की जरूरत होती है। इस समय चीन की तुलना में हमारी चिकित्सीय शिक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। रूस से तुलना करें तो भी हमारी मेडिकल शिक्षा भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अमेरिका से छात्र हमारे चिकित्सा-महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। भारत में मेडिकल शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर छात्रों के स्थानांतरण जैसी कुछ बाधाएं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में मौजूद हैं। नये चिकित्सा महाविद्यालय खोलने में बाधाएं आती हैं कुछ समय पहले नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने पर किसी मुख्य मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था। इन बाधाओं को हटाया जाए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में मौजूद इन कठिनाइयों को हटाने और नए मेडिकल कालेज शुरू करने की भी कोई योजना बना रही है ...

अध्यक्ष महोदयः सरकारी क्षेत्र में।

डा. अंबुमणि रामदासः मेरे सहयोगी, डॉ. चिन्तामोहन जी ने ठीक ही कहा है कि कुछ मुद्दे थे। वास्तव में, वे इन मुद्दों को मंचों पर विशेषकर इस माननीय सदन में उठा रहे हैं। उन्होंने मेडिकल काउंसिल की गुणवत्ता और उस काउंसिल के कुछ विशिष्ट मुद्दों के विषय में चिन्ता व्यक्त की है। इसलिए हम एक पारदर्शी

काउंसिल चाहते हैं। हम एक ऐसी काउंसिल चाहते हैं जो संसद, सरकार और जनता के प्रति जवाबदेह हो।

मैं कहता रहा हूं कि मौजूदा व्यवस्था में हमें प्रभावी कामकाज के लिए बहुत सी व्यवस्थाओं पर निर्भर हैं। इस समय, यद्यपि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार का एक अंग है, और इसे इसके कामकाज में सहायता करनी पड़ती है। यह महसूस करती है कि यह एक निकाय के रूप में है और यह भी कि यह मंत्रालय मेडिकल काउंसिल का अंग है। लेकिन है इसका उलटा। इसलिए आज इनके बीच कोई समन्वयन नहीं है। यही कारण है कि हम काउंसिल में और अधिक पारदर्शिता लाना चाहते हैं और इसलिए हम यह संशोधन लेकर आए हैं। मैं सदन से हार्दिक अनुरोध करता हूं कि वे इस संशोधन को इसके सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। यह संशोधन व्यापक संशोधन नहीं है और यह प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कुछ विशिष्ट मुद्दों से संबंधित है। ये हो जाने के बाद, मुझे विश्वास है कि हम देश के सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में निश्चित रूप से बहुत स्वस्थ और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण उपयोगी मेडकिल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस समय मैं इन मुद्दों को उठाने के लिए डा. चिन्ता मोहन का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं।

डा. पी.पी. कोया: एक देश के रूप में भारत मेडिकल शिक्षा पर गर्व कर सकता है क्योंकि भारत ने ऐसे डॉक्टर उत्पन्न किये हैं जिन्होंने इस देश की बहुत अच्छी तरह सेवा की है।

अध्यक्ष महोदय: वे बाहर भी अपनी सेवाएं दे रहे है। भारतीय मेडिकल डॉक्टर वहां काम कर रहे हैं। वे सर्वाधिक विकसित देशों जैसे अमरीका और ब्रिटेन में गए हैं और वहां चिकित्सा सुविधाएं कर रहे हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूं।

डा. पी.पी. कोया: अब, आज की चर्चा मेडिकल शिक्षा का गिरता स्तर है। यह केवल इस देश के मरीजों के इलाज का ही प्रश्न नहीं है अपितु हमारी रोजगार क्षमता का भी है। विश्व परिदृश्य में हमारी ख्याति भारतीय प्रणाली में मेडिकल शिक्षा के चरमराने या पतन होने के कारण कम हुई है। हमारे माननीय मंत्रीजी ने सहमति व्यक्त की है कि ऐसा निजी क्षेत्र में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए निजी क्षेत्र के कालेजों जिनकी संख्या बढ़कर 115 हो गई है के कारण हुई है। राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, भारतीय चिकित्सा परिषद और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी अनेक एजेंसियां हैं। सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर भी हमारी चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में इस गिरावट को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो क्या हमारे पास चिकित्सा स्तर में आई गिरावट को नियंत्रित करने हेतु कोई व्यापक योजना है?

डा. अंबुमणि रामदास: मैं अपने सहयोगी डा. कोया का कुछ मुद्दों को प्रकाश में लाने हेतु धन्यवाद करना चाहता हूं। महोदय, जैसाकि आपने सही कहा है, मुझे यह स्वीकार करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि विशेषकर भारतीय डाक्टरों की विश्व में अच्छे डाक्टरों में गिनती होती है। वे विकसित देशों में कार्य कर रहे हैं। यदि आप अमरीका अथवा ब्रिटेन में सर्वोत्तम चिकित्सा केन्द्रों को देखें तो आप पाएंगे वहां प्रमुख डाक्टर भारतीय है। ब्रिटेन में लगभग 40% राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा भारतीय डाक्टरों द्वारा चलायी जा रही है। इस प्रकार हमारे देश में सक्षम डाक्टर पैदा हो रहे हैं। परन्तु अब हम पाते हैं पिछले कुछ वर्षों से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं रही है। अतः, हम इसका संपूर्ण रूप से पुनरुद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इसे विश्व स्तर की गुणवत्तापरक शिक्षा बनाना चाहते हैं।

आज, यदि एक भारतीय अपनी एम.बी.बी.एस. अथवा अपनी स्नातोकत्तर शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात दूसरे देश में जाता है तो उसे देश में एक अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। इसे योग्यता परीक्षा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि वे लोग इन पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता की कमी के कारण इन्हें वहां मान्यता नहीं देते हैं। अतः, हम इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।

जैसाकि मैंने कहा हम स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि हम इस संबंध में व्यापक स्तर पर परामर्श कर रहे हैं कि इसे किस प्रकार किया जाये। यह पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का पाठ्यक्रम होगा। यह बहुत व्यावहारिक पाठ्यक्रम होगा। यह अपेक्षाकृत ग्रामीणोन्मुखी पाठ्यक्रम अधिक होगा। यह और ज्यादा समाजोन्मुखी पाठ्यक्रम होगा। हम देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार करने के सर्वांगीण कार्यक्रम के बारे में सोच रहे हैं। मुझे निश्चित तौर पर बहुत चिंता है और एक डाक्टर होने के नाते मैं निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानता हूं। हम निश्चित रूप से अनेक कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश कुरूप, यदि आपके पास कोई नई बात है तो आप प्रश्न पूछिए।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, निजी चिकित्सा कालेजों में अवसंरचना का अभाव कहानी का केवल एक पक्ष है। यह सर्वविदित है कि जहां तक चिकित्सा शिक्षा का संबंध है इस देश में इन निजी चिकित्सा कालेजों को स्वतंत्रता दी गई है। वे अपनी परीक्षा स्वयं ही आयोजित करते हैं। वे इस बात को देखते हैं कि उन विद्यार्थियों को, जिन्होंने उन्हें धन दिया है, इन चिकित्सा कालेजों में दाखिला दिया जाये। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या

सरकार, जहां तक इन निजी चिकित्सा कालेजों को नियंत्रित करने का संबंध है, कोई व्यापक विधान लायेगी। क्या वे चिकित्सा शिक्षा को भी सुव्यवस्थित बनाएंगे।

डा. अंबुमणि रामदासः उनके प्रश्न के परीक्षा संबंधी भाग पर आते हुए मैं यह देखता हूं यहां पर दो मुद्दे हैं। एक तथाकथित मानक चिकित्सा विश्वविद्यालय है। उनका अपना परीक्षा स्वरूप है। उनके अपने प्रश्न पत्र होते हैं। उनका अपना फीस ढांचा है क्योंकि वे सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। यही मंत्रालय इन मानद विश्वविद्यालयों को मंजूरी देता है।

जहां तक इस मुद्दे के दूसरे भाग का संबंध है इन कालेजों की परीक्षा आयोजित कराने, इन्हें मान्यता देना और इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारतीय चिकित्सा परिषद की है। परिषद् के निरीक्षक होते हैं। वे वहां पर जाते हैं और इन परीक्षाओं को करवाने में उनकी मदद करते हैं। माननीय सदस्य की इस बात पर ध्यान दिया गया है। हम चिकित्सा परीक्षा के ढांचे का भी पुनर्गठन करने का प्रयास करेंगे। मैं अभी आपको आश्वासन नहीं दे सकता हूं परन्तु हम इस मुद्दे को हाथ में लेने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह संपूर्ण देश से संबंधित है। हम इस पर गौर करेंगे जिसे उन्होंने उठाया है।

श्री पी.सी. थामसः महोदय, अनेक डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जा रहे है. इसकी बजाए अनेक डाक्टर संसद में आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः आपकी क्या टिप्पणी थी?

श्री पी.सी. थामसः अनेक अच्छे डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने की बजाए संसद में आना पसंद करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः वे राष्ट्र के स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री पी.सी. थामसः मेरा प्रश्न कुछ ऐसे छात्रों के संबंध में जो इस विवाद में फंस गए है। उनके माता-पिता भारी धनराशि देते हैं और वे किसी भी महाविद्यालय में दाखिला ले लेते हैं। दाखिला लेने के बाद वे पाते हैं कि वहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यही स्थिति परिचर्चा (नर्सिंग) जैसे अर्ध-चिकित्सीय सेवाओं के मामले में भी है।

महोदय, मेरी जानकारी में ऐसे अनेक मामले आए हैं जहां छात्र जब ऐसे कालेज को छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें डोनेशन की धनराशि ही नहीं लौटाई जाती बल्कि उन्हें उनके प्रमाण पत्र भी वापिस नहीं दिये जाते। वे यह कहते हुए प्रमाण-पत्र रखते हैं कि आपको दाखिला मिल गया और अब आप सीट छोड़ रहे हैं। इसलिए वे उनसे कहते हैं कि पूरे पाठ्यक्रम की धनराशि का भुगतान करें उसके पश्चात चले जाओ। वास्तविक स्थिति बताने के बजाए उनको अधिकांश यह कहते हैं कि जलवायु माफिक न आने अथवा अन्य समस्याओं के कारण छात्र अपने पाठ्यक्रम में जारी रखने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार यह एक गंभीर मामला है?

अध्यक्ष महोदयः क्या आप केपिटेशन फीस की बात कर रहे हैं?

श्री पी.सी. थामसः यह सिर्फ कैपिटेशन फीस की बात नहीं है। कैपिटेशन फीस का कोई रिकार्ड नहीं होता है। इसे वे वापस नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, आप जारी रखें।

श्री पी.सी. थामसः वे इस बात पर जोर देते हैं कि पूरी फीस का भुगतान करें। क्या मंत्रीजी इस मामले पर कम से कम ऐसे छात्रों के हितों में जिन्होंने इन कालेजों में दाखिला लिया है, गौर करेंगे जिससे वे छात्र इन कालेजों से मुक्ति पाने की स्थिति में आ जाए? क्या ऐसे कालेजों को ऐसी स्थिति के लिए दंडित किया जायेगा?

अध्यक्ष महोदयः यह एक ऐसी समस्या है जिस पर आपको ध्यान देना है।

मैं तीन प्रश्नों से अधिक की अनुमति नहीं दे सकता।

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, उन्होंने यह गलत कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के बजाए चिकित्सक संसद आ रहे हैं। संसद में सभी चिकित्सकों की ओर से मैं उन्हें यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी ने ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया है और उसके पश्चात ही इस संसद आए हैं।

अध्यक्ष महोदयः हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं।

डा. अंबुमणि रामदासः फीस के मामले पर पूछे गये प्रश्न के संबंध में उन्होंने यह कहा है कि छात्रों ने अपनी फीस का भुगतान कर लिया है और इसके बाद जब वे दूसरे कालेज अथवा भिन्न पेशे में जाना चाहते हैं तो वे फीस वापस नहीं कर रहे हैं। यह मामला किसी विशेष संस्थान से संबधित होता है क्योंकि कभी-कभी संस्थान यह महसूस करता है कि इससे उनकी सीट कम हो जाएगी। वे महसूस करते हैं कि वे छात्रों को दाखिला देने के बाद यदि उनकी फीस वापिस की जाती है तो इससे उनकी सीट कम हो जाएगी। मुझे भी कुछ शिकायतें मिली हैं। यह ऐसा मामला है जिसे संस्थान स्तर और राज्य स्तर पर उठाया जाना है।

फीस के समग्र विनियमन और प्रवेश ढांचा सहित अन्य मामलों के संबंध में हम जल्द ही एक विधेयक लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक विधेयक जल्द ही आ रहा है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी सरकारी कालेजों में आसानी से एडमिशन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मंत्री जी ने जो कालेजों की संख्या बताई है, उसके अनुसार लगभग 50 परसेंट प्राइवेट मेडकिल कालेज हैं, जिनमें फीस ज्यादा होने के कारण और डोनेशन के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी एडमिशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी पालिसी बनाई जाएगी कि प्राइवेट कालेज के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी निश्चित फीस दे कर एडमीशन प्राप्त कर सकें और वह भी अपने आपको समाज के प्रवाह में जोड़ सकें।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया यह एक अच्छा प्रश्न है। पुन: ये ऐसे मामले हैं जहां माननीय सदस्य सही हैं। कुछ राज्यों में वंचित वर्ग के उम्मीदवार निजी क्षेत्र में मनमानी फीस का भुगतान नहीं कर सकते हैं। निजी क्षेत्र में जब सरकारी कोटा होता है तो वे फीस का भुगतान नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर इस मामले पर ध्यान देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पांडिचेरी में उन्होंने अ.जा., अ. जनजाति और अ.पि.व. श्रेणी के छात्रों के लिए फीस का भुगतान किया है। उन्होने छात्रों की सहायता की। अनेक प्रायोजक हैं। इस तरह के अन्य मुद्दे हैं। वे छात्रों की सहायता करने का प्रयास करते हैं।

लेकिन एक बार फिर जैसाकि मैंने पहले कहा कि इस पूरे देश में फीस ढांचे को सरल बनाने और विनियमित करने हेतु एक व्यापक विधेयक लाने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

3-जी प्रौद्योगिकी को शुरु करना

***205. श्री राकेश सिंह:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मोबाइल उपभोक्ताओं को 3-जी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(ग) वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड सिम-कार्ड हेतु प्रतीक्षा-सूची में कितने लोग सूचीबद्ध हैं;

(घ) बी.एस.एन.एल. द्वारा उक्त प्रतीक्षा सूची को निपटाए जाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार ने सिम-कार्ड की उपलब्धता में विलम्ब के कारणों का पता लगाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि हां, तो 3-जी प्रौद्योगिकी की शुरुआत से प्रतीक्षा-सूची कितनी कम हो जाएगी?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) यद्यपि 3जी प्रौद्योगिकी आरंभ करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि, यह आशा की जाती है कि 3जी सेवाओं से संबधित कार्य अगले वित्त वर्ष में शुरू किया जा सकता है।

(ग) 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार, भारत संचार निगम लि. की सेल्यूलर मोबाइल कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची में लगभग 13.2 लाख आवेदक दर्ज हैं।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान भारत संचार निगम लि. की अपनी सेल्यूलर नेटवर्क की क्षमता में 14 मिलियन लाइनें और बढ़ाने की योजना है ताकि वर्तमान तथा भावी मांग को पूरा किया जा सके।

(ङ) और (च) भारत संचार निगम लि. में सिम कार्डों की कोई कमी नहीं है। तथापि, क्षमता संबंधी बाध्यताओं के कारण, बीएसएनएल द्वारा अपनी क्षमता के अनुरूप तथा सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरोत्तर रूप से सिम कार्ड जारी किये जा रहे हैं। भारत संचार निगम लि. अपने नेटवर्क में लगातार वृद्धि कर रहा है ताकि पूरे देश में सेल्यूलर मोबाइल कनैक्शनों से संबंधित उनकी मांग को पूरा किया जा सके।

(छ) 3जी प्रौद्योगिकियों की शुरुआत होने से यह आशा की जाती है कि 3जी सेवा का विकल्प चुनने वाले कुछ मौजूदा मोबाइल उपभोक्ता 3जी नेटवर्क में चले जाएंगे, जिससे नए उपभोक्ताओं के लिए 2जी नेटवर्क में अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न हो जाएगी।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। पूरा विश्व टेक्नालोजी के मामले में आज बहुत आगे जा रहा है और यहां जो सूचना दी गई है, उसके अनुसार थर्ड जनरेशन टैक्नालोजी को स्वीकार करने में अभी तक कोई समय-सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सका है। इसमें मूल बात फ्रीक्वैंसी स्पैक्ट्रम की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या फ्रीक्वैंसी स्पैक्ट्रम तय नहीं होने के कारण ही थर्ड जनरैशन टेक्नालोजी प्रारम्भ नहीं हो सकी है। यदि स्पैक्ट्रम तय हो गया है तो इसे मोबाइल सर्विस ऑपरेटर्स को उपलब्ध कराने के लिए क्या मापदंड होगा?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को उत्तर देना चाहता हूं। सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि 3जी प्रौद्योगिकी को बंद किया जा रहा है। महोदय, 3जी प्रौद्योगिकी प्रायोजित स्तर पर चल रहा है और यह प्रयोग यूरोप में चल रहा है।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: मैंने कहा है कि प्रारंभ नहीं किया है। उसे बंद कर दिया है, ऐसा नहीं कहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा कि आपने इसे शुरू नहीं किया है।

श्री दयानिधि मारन: सदस्य का यह कहना गलत है कि हमने शुरू नहीं किया है। हमने पहल की है। इस प्रकार वास्तव में हमने वर्ष 2003 में 'ट्राई' की राय, सुझाव अथवा सिफारिश के लिए कहा है। लेकिन 'ट्राई' ने दो वर्षों का समय लिया और तब इसने अपनी सिफारिश की।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: महोदय, यह गलत उत्तर दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि इसे प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: क्या गलत उत्तर देने का कोई प्रावधान है?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन हम अभी भी चर्चा कर रहे हैं। हमें यह भी चाहिए कि स्पेक्ट्रम बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। महोदय, चूंकि यूरोप में 3जी की अभी शुरूआत होनी है और वहां इसका प्रयोग चल रहा है। इसलिए इसे इंतजार करना है और यह देखना है कि वहां क्या हो रहा है, उसके पश्चात् ही हम संशोधन करे और अपने स्पेक्ट्रम का उचित वितरण का तरीका निकालें और एक नीति की घोषणा करे।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब भी तय होगा, तब डब्ल्यू.सी.डी.एम.ए. और यू.एम.पी.एस., दोनों में से भारत संचार निगम किसे प्राथमिकता देगा और क्या यह सोची समझी नीति के अंतर्गत है कि थ्री-जी टैक्नोलोजी प्रारम्भ होने तक, प्रतीक्षा सूची को कम न किया जाए।

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: इस संबंध में आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक दूरसंचार विभाग का संबंध है, इस सीडीएमए और जीएसएम प्रौद्योगिकियों के प्रति तटस्थ है। बीएसएनएल के मामले में बाजारी ताकतें प्रौद्योगिकी का निर्णय करती है। चाहे जीएसएम अथवा सीडीएमए हो—बाजार जो भी तय करता है-हम दोनों प्रौद्योगिकियों में मौजूद है। जिसकी अधिक मांग होगी, हम उसे लाएंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पोस्टल सेविंग इंस्ट्रूमेंट

*206. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा लघु बचतों के माध्यम से वर्षवार और राज्यवार कुल कितनी धनराशि जुटाई गई है;

(ख) क्या डाक विभाग ने पोस्टल सेविंग इन्स्ट्रूमेंट को डिमैट्रीलाइज करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान लघु बचतों के माध्यम से जुटाई गई कुल रकम की वर्षवार और राज्यवार सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) बचत पत्रों अर्थात् राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र को डिमैटिरियलाइज करने की एक प्रायोगिक योजना मुंबई में शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य जमा भागीदार प्रणाली में विभाग के प्रवेश करने की व्यवहार्यता का आकलन करना है। यह योजना राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा लिमिटेड (एनएसडीएल) के सहयोग से लागू की जा रही है।

16 अक्तूबर, 2003 को मुंबई के 10 डाकघरों में बचत पत्रों को डिमैटिरियालाइज करने की शुरुआत हुई और 12 फरवरी, 2004 को इसका विस्तार 25 और डाकघरों में कर दिया गया।

डीमैट खातों का ब्यौरा (16.10.2003 से 30.11.2005)

प्रकार	बचत पत्रों की संख्या	जमा राशि (करोड़ में)
राष्ट्रीय बचत पत्र	13,032	116.96
किसान विकास पत्र	3,817	672.15
कुल	16,849	789.11

एड्स जागरूकता अभियान

***207. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एड्स जागरूकता अभियान के लिए कितनी धनराशि मंजूर और खर्च की गई है;

(ख) क्या एड्स जागरूकता अभियान में तेजी लाने से संबंधित कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अमरीका जैसे बाहर के देशों में लोगों के पास ''घर में ही एड्स के विषाणु का पता लगाने वाली'' किट उपलब्ध है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत में ऐसी किट उपलब्ध किये जाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इन किटों को देश में कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए 209.59 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। इसमें से 132.69 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। यद्यपि अब तक किये गये प्रयास से हम अनुमानत: 85 प्रतिशत लोगों तक जागरूकता अभियान पहुंचा चुके हैं तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जागरूकता की कमी है जो 20 से 25 प्रतिशत के बीच है। इसलिए अब नए दृष्टिकोणों की रूपरेखा तैयार की जा रही है जिसमें एचआईवी/एड्स और अवांछित गर्भधारण के लिए कंडोम के उपयोग, स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच को बढ़ावा देने के वास्ते अभियानों तथा जिला स्तर से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों तक जागरूकता बढ़ाने संबंधी पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इन अभियानों में युवाओं को जागरूक बनाया जा रहा है तथा इन्हें ख्याति प्राप्त लोगों की सहायता लेकर एवं पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए तैयार किया जा रहा है।

एचआईवी संक्रमण पैदा करने वाले विषाणु की जांच करने के लिए विकसित देशों में होम किट्स उपलब्ध हैं। इस समय देश में ऐसी होम किटें बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय

***208. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्वास्थ्य देखभाल पर जीडीपी का केवल 0.4 प्रतिशत ही खर्च किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य देखभाल पर जीडीपी के प्रतिशत को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं। इस समय देश में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत है जो लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

(ख) से (ग) भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जिसमें देश भर के ग्रामीण लोगों को

प्रभावकारी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की अपेक्षा की गई है। इसमें खराब स्वास्थ्य सूचकों और स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधा की कमी वाले 18 राज्यों पर विशेष जोर दिया गया है।

इसका मुख्य उद्देश्य विशेषकर निर्धन और जरूरतमंद लोगों (वनरेबल सेक्शन) को सुगम, वहनीय जवाबदेह, प्रभावी और भरोसेमंद स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है। इसलिए यह प्रस्ताव है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के अंशदान को बढ़ाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाले व्यय में वृद्धि करके इसे सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 3 प्रतिशत किया जाए।

सॉफ्टनेट का विकास

*209. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) ने सॉफ्टनेट का डिजाइन और विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो सॉफ्टनेट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) एसटीपीआई के अंतर्गत अभी तक पंजीकृत की गई यूनिटों का ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा आज की तारीख तक ऐसी सदस्य यूनिटों द्वारा निर्यात किए गए सॉफ्टवेयर का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी, हां।

(ख) सॉफ्टनेट की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) सॉफ्टवेयर निर्यात समुदाय को मांग किये जाने पर इन्टरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) तथा अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टाकृत परिपथ (आईपीएलसी) उपलब्ध कराता है।

(ङ) 31 अक्तूबर, 2005 की स्थिति के अनुसार एसटीपी योजना के अंतर्गत 6417 इकाइयां पंजीकृत हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान एसटीपी सदस्य इकाइयों द्वारा किये गये सॉफ्टवेयर का निर्यात नीचे दिये अनुसार हैं:

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये में)
2004-05	74,019
2003-04	51,458
2002-03	37,176

विवरण

सॉफ्टनेट की मुख्य विशेषताएं

सॉफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र के लिए एसटीपीआई का एक उल्लेखनीय योगदान उच्चगति की आंकड़ा संचार (एचएसडीसी) सेवाओं का प्रावधान है। एसटीपीआई द्वारा डिजाइन किया गया तथा विकसित सॉफ्टनेट नामक अद्यतन तकनीकी जानकारी का एचएसडीसी नेटवर्क सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग के लिए उपलब्ध है। अपनी शुरुआत के समय से एसटीपीआई ने सॉफ्टवेयर उद्योग को एचएसडीसी सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए 46 स्थानों पर स्वयं अपने अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित किये हैं।

सॉफ्टनेट सेवाएं में दो किस्म की सेवाएं शामिल हैं।

क. सॉफ्टपाइंट: सॉफ्टपाइंट को आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टाकृत परिपथ (आईपीएलसी) के रूप में जाना जाता है, जो दो वैश्विक स्थानों के बीच विश्वसनीय सम्पर्क उपलब्ध कराता है। सॉफ्टपाइंट सेवाओं का इस्तेमाल सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा विदेशों में उनके ग्राहकों तथा भारत में उनके कार्यालयों के बीच विश्वसनीय डेटा सम्पर्क सॉफ्टवेयर भेजने के लिए किया जाता है।

(ख) सॉफ्टलिंक: सॉफ्टलिंक सेवा इन्टरनेट पट्टाकृत लाइन सेवा (एन × 64 केबीपीएस) है (यह सेवा बेहतर गुणवत्तापूर्ण तथा प्रतिबद्ध सेवाएं प्रदान करने की उद्योग की बढ़ती हुई मांग पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। आज सॉफ्टलिंक सेवाओं का एसटीपीआई डेटाकॉम सेवाओं में एक बृहत् ग्राहक आधार है।

अभिगम नेटवर्क/अंतिम मील सम्पर्क (स्थानीय लूप)

नौवें दशक के आरम्भ में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास से अधिक बैण्डविड्थ की मांग में वृद्धि हो गई। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ उपलब्ध थी, अंतिम मील सम्पर्क में कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए एसटीपीआई ने पाइंट-से-पाइंट तथा पाइंट-से-बहु पाइंट सूक्ष्म तरंग नेटवर्कों का इस्तेमाल करते हुए स्वयं अपना अंकीय सूक्ष्मतरंग नेटवर्क स्थापित किया है जो ग्राहकों की

प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी करता है। पाइंट-से-पाइंट रेडियो नेटवर्क के शामिल होने से नेटवर्क और अधिक सुदृढ़ हो गया जिससे एसटीपीआई के कुल नियंत्रण के अंतर्गत अंतिम मील में 2 मेगाबाइट प्रति सेकण्ड, एनएक्सईआई सम्पर्क की डिलीवरी हो पाई। रेडियो पर अंतिम मील सम्पर्क के अलावा एसटीपीआई यथासंभव तंतु पर भी अंतिम मील सम्पर्क उपलब्ध कराता है।

दक्षेस शिखर सम्मेलन

***210. श्री एन.एस.वी. चित्तन:**
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ढाका में दक्षेस शिखर सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो चर्चा में उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त शिखर सम्मेलन में जिन भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सदस्य देशों के साथ सीमापार आतंकवाद, व्यापार और वाणिज्य आदि से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है;

(च) क्या दोहरे कराधान से बचने, सीमाशुल्क को सुविधाजनक बनाने और माध्यस्थम् परिषद की स्थापना के संबंध में दक्षेस देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समझौतों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ज) इसके परिणामस्वरूप भारत को होने वाले संभावित लाभ का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ज) तेरहवां सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में 12-13 नवंबर, 2005 तक हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में श्री ई. अहमद विदेश राज्य मंत्री, श्री एम.के. नारायणन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री श्याम सरन, विदेश सचिव तथा भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

शिखर सम्मेलन की कार्यसूची विस्तृत थी। शिखर सम्मेलन में बहुत से मसलों पर चर्चा हुई जिनमें व्यापार, वाणिज्य, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक चुनौतियां, राष्ट्रीय आपदाएं, लोगों से लोगों के बीच संपर्क एवं सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग शामिल था। शिखर सम्मेलन में जिन अन्य मसलों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें सार्क के बाह्य संबंध, संस्थागत तंत्रों का सुदृढ़ीकरण और विभिन्न प्रस्तावों को क्रियान्वित करने हेतु तंत्रों का वित्तपोषण शामिल था।

शिखर सम्मेलन में आतंकवाद का प्रतिकार करने में सहयोग पर भी चर्चा की गई। शिखर सम्मेलन की घोषणा में आतंकवाद की कड़ी निंदा और इस घोर संकट को दूर करने के लिए एक नई प्रतिबद्धता परिलक्षित थी। पहली बार, इस चुनौती का मुकाबला करने में दोहरे मानदण्डों का परिहार करने के लिए स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया।

शिखर सम्मेलन में तीन महत्वपूर्ण व्यापार सरलीकरण करार संपन्न किये गये जो इस प्रकार हैं:

- दोहरे कराधान का परिहार तथा कर संबंधी मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता पर सीमित करार।
- सीमा शुल्क संबंधी मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता पर करार।
- सार्क पंचाट परिषद की स्थापना पर करार।

दोहरे कराधान के परिहार से संबंधित करार, सभी औपचारिकताओं, जिनमें 30 जून, 2006 तक सार्क के सभी सदस्य राज्यों द्वारा अनुसमर्थन शामिल है, के पूर्ण हो जाने के संबंध में सार्क सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के 30 दिन बाद से प्रभावी होगा। सीमाशुल्क सरलीकरण पर करार, सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन सहित औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने पर सार्क सचिवालय द्वारा अधिसूचित जारी करने के बाद 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी होगा। सार्क पंचाट के गठन पर करार सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन कर दिये जाने पर सार्क सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के बाद प्रभावी होगा।

शिखर सम्मेलन के परिणाम भारत के उद्देश्यों के अनुरूप हैं और ये क्षेत्रीय आर्थिक एकता तथा दक्षिण एशिया में सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसर उपलब्ध कराते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन-घनत्व

***211. श्री गिरिधारी यादव:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में फोन-कनेक्शन बढ़ाने के लिए वर्तमान नीति की दिशा में परिवर्तन का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वर्ष 2007 तक ग्रामीण टेलीफोन-घनत्व के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) 30.9.2005 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 1.77 है।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अक्तूबर, 2005 में "भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार" के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख बातें शामिल हैं:

* सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए अवसंरचना में साझेदारी करना।
* सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के माध्यम से आधार अवसंरचना हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
* ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित वार्षिक लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों में छूट प्रदान करना
* उपयुक्त अनुप्रयोगों का विकास करना
* ग्रामीण वी-सैट लाइसेंस शुल्कों और स्पेक्ट्रम प्रभारों में कमी करना और वहनीय दरों पर ट्रान्सपोंडर उपलब्ध कराना
* ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्कों के लिए राइट ऑफ वे प्रभारों को समाप्त करना
* विशिष्ट (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले), प्रचालकों को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना और स्पेक्ट्रम प्रभारों से छुटकारा प्रदान करना
* ग्रामीण क्षेत्रों में कॉर-डेक्ट और ऐसी ही प्रौद्योगिकियों के प्रयोग और 450 मेगाहर्ट्ज के प्रयोग के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क समाप्त करना।
* ग्रामीण क्षेत्रों में 40 मीटर तक ऊंचे टावरों को लगाने के लिए एसएसीएफए से पहले अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता न हो।
* सार्वभौमिक अभिगम लेवी के रूप में उगाही गई राशि सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में जमा करा दी जाए।

सरकार द्वारा इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(घ) सरकार देश के सभी गांवों को दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है ताकि नियोजित विकास के लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में संयोजकता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किये गये कुछ उपाय निम्नवत हैं:

(1) 100 से कम आबादी वाले, घने वन क्षेत्रों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों आदि में अवस्थित गांवों को छोड़कर दूरसंचार सुविधा रहित शेष 66,822 गांवों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की सहायता से नवंबर, 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराना। 30.9.2005 की स्थिति के अनुसार 13,078 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध करा दिये गये हैं।

(2) 2000 से अधिक की आबादी वाले जिन गांवों में कोई भी सार्वजनिक कॉल केन्द्र (पीसीओ) नहीं है उनमें सितंबर, 2007 तक ग्रामीण सामुदायिक फोन के रूप में दूसरा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराना। 30.9.2005 की स्थिति के अनुसार 15,946 ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान किये गये हैं।

(3) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के प्रशासक ने मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (टीटीएल) और टीटीएल महाराष्ट्र के साथ करार किया है ताकि उनके आवंटित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 1685 वाणिज्यिक दृष्टि से अलाभकारी अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में वर्ष 2006 की पहली तिमाही तक मांग पर ग्रामीण फोन संयोजकता उपलब्ध कराई जा सके।

पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं

***212. श्री सुरेश चन्देल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अद्यतन आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि देश के आठ राज्य ऐसे हैं जहां ग्रामीण जनसंख्या के एक-तिहाई से अधिक लोगों को प्रतिदिन 1800 कैलोरी भी नहीं मिलती;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या देश की लगभग तीन-चौथाई ग्रामीण जनसंख्या अर्थात् लगभग आधी जनसंख्या की न्यूनतम पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं तो क्या गरीबी की सीमा रेखा के निर्धारण के लिए 2400 केलोरिज प्रतिदिन से कम प्राप्ति को सही मानक के रूप में नहीं अपनाया जाना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 में 15 राज्यों में कराए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 55वें दौर के अनुसार, ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत कैलोरी सेवन 2149 है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) और (घ) 30 दिन के प्रत्याह्वान आधार पर 55वें दौर के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों पर आधारित योजना आयोग के अनुमान में वर्ष 1999-2000 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 27.09% का निर्धनता अनुपात बतलाया गया। सरकार गरीबी-रोधी कार्यक्रमों के अलावा, लोगों की पौषणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम करती आ रही है। योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) शुरू किया है जिसमें घटिया स्वास्थ्य सूचकांकों तथा दुर्बल अवसंरचना वाले 18 (अठारह) राज्यों पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। इस मिशन में पोषण से संबंधित कार्यक्रमों सहित अन्य कार्यक्रम निर्धारकों के साथ समाभिरूपता लाने की परिकल्पना की गई है। सरकार ने 1.88 लाख अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों को शामिल करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है।

(ङ) योजना आयोग के अनुसार, निर्धनता अनुपात वर्ष 1973-74 में 56% की तुलना में वर्ष 1999-2000 में बहुत कम होकर 27% हो गया है। इसके अलावा, प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण (क्वाशियोरकर तथा मेरास्मस), विटामिन सी की न्यूनता (स्कर्वी) तथा थाइमिन की न्यूनता (बेरी बेरी) के गंभीर रूपों में देश में व्यापक कमी देखी गई है। बहुत ही कम क्षेत्रों में विटामिन ए की कमी (केराटोमलासिया) के गंभीर रूप देखे जाते हैं और देश में आयोडीन अल्पता विकारों में व्यापक कमी आई है।

विवरण I

वर्ष 1999-2000 में कराए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संबंधी डाटा के अनुसार राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या में कैलोरी की प्रति व्यक्ति और प्रति उपभोक्ता इकाई सेवन

क्र.सं.	राज्य	कैलोरी सेवन
1.	आंध्र प्रदेश	2021
2.	असम	1915
3.	बिहार	2121
4.	गुजरात	1986
5.	हरियाणा	2455
6.	कर्नाटक	2028
7.	केरल	1982
8.	मध्य प्रदेश	2062
9.	महाराष्ट्र	2012
10.	उड़ीसा	2119
11.	पंजाब	2381
12.	राजस्थान	2425
13.	तमिलनाडु	1826
14.	उत्तर प्रदेश	2327
15.	पश्चिम बंगाल	2095
	अखिल भारत	2149

विवरण II

लोगों की पौषणिक तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने संबंधी उपाय

1. आय सृजित करने वाली स्कीमों के माध्यम से लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करना।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दर पर आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता।

(क) स्तनपान और आहार विविधता को प्रोत्साहन देने सहित जागरूकता पैदा करने तथा आहार संबंधी आदतों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए आहार संबंधी शिक्षा।

(ख) वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति को अंगीकार किया गया है और सरकार के विभिन्न विभागों के जरिये राष्ट्रीय पोषण संबधी कार्य योजना (1995) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया गया है।

3. अनुपूरक पोषण संबंधी कार्यक्रम

(1) समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)

(2) राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम (मिड-डे मील कार्यक्रम)।

4. विशेष सूक्ष्म पोषक तत्व अल्पता विकार रोकथाम कार्यक्रम

(1) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को प्रोफाइलैक्सिस तथा एनीमिया के उपचार के लिए आयरन तथा फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं।

(2) विटामिन ए की कमी के कारण पोषणिक दृष्टिहीनता की रोकथाम हेतु प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम। यह आर सी एच कार्यक्रम के अंतर्गत भी है।

(3) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी)।

(4) सूक्ष्म पोषक तत्वों संबंधी विकारों की रोकथाम हेतु प्रायोगिक परियोजना।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष

*213. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री रामजीलाल सुमनः

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास तथा विस्तार हेतु टेलीफोन कंपनियां सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष का उपयोग करती हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियां कौन-कौन सी हैं तथा वर्ष 2004-05 तथा चालू वर्ष 2005-06 के दौरान आज की तारीख तक उक्त कोष से इन कंपनियों द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) देश के उन ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां उक्तकोष का उपयोग किया गया है; और

(घ) उक्त कोष से दूरसंचार क्षेत्र में किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) (क) जी, हां।

(ख) कंपनियों के नाम और साथ ही उनको वर्ष 2004-05 और चालू वर्ष 2005-06 के दौरान 30.9.2005 तक संवितरित इमदाद की राशि इस प्रकार है:

क्र.सं.	सेवा प्रदाता का नाम	संवितरित इमदाद की राशि (करोड़ रुपए में)	
		2004-05	2005-06 (30.9.2005 तक)
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	1,311.42	762.99
2.	रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड	0.90	3.71
3.	टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड	1.12	0.19
4.	टाटा टेली सर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	0.95	0.70
5.	भारती इन्फोटेल लिमिटेड	0.10	0
6.	श्याम टेलीलिंक लिमिटेड	0.10	0
	जोड़	1,314.59	767.59

(ग) और (घ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा देश में सभी राज्यों के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है:

(1) देश के 90% से अधिक ग्रामों को कवर करने वाले लगभग 5.20 लाख ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) का प्रचालन और रख-रखाव।

(2) टेलीफोन सुविधा द्वारा कवर नहीं किये गये शेष 66822 ग्रामों में से उन ग्रामों में वीपीटी प्रदान करना जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक है और जो घने वन क्षेत्रों/नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों आदि में स्थित नहीं हैं।

(3) मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी वाले 1.86 लाख वीपीटी को बदलना।

(4) 46,253 ग्रामों में से जिन ग्रामों की जनसंख्या 2000 से अधिक है और वहां कोई पीसीओ भी नहीं है उनमें ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) प्रदान करना।

(5) जो ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें 1.4.2002 से पहले संस्थापित की गई थीं उनके लिए 1.4.2002 से 31.1.2004 तक की सीमित अवधि के लिए ट्राई द्वारा निर्धारित किराये और सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित किराए के बीच के अंतर हेतु सहायता प्रदान करना।

(6) 1.4.2002 के बाद संस्थापित ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए सहायता प्रदान करना।

(7) जनवरी, 2006 की प्रथम तिमाही से वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में मांग पर ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करना।

[अनुवाद]

परमाणु प्रतिष्ठानों का दौरा

***214. श्री सुब्रत बोस:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 2005 में अमरीका की ऑटोमिक पावर रेग्यूलेटरी अथॉरिटी के सदस्यों का भारत के परमाणु प्रतिष्ठापनाओं का दौरा आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दौरे का प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या अन्य देशों के अधिकारियों को भी इससे पहले कभी हमारी परमाणु प्रतिष्ठापनाओं का दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था;

(घ) यदि हां, तो इन दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये दौरे पारस्परिक आधार पर किये जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय परमाणु स्थापनाओं के अधिकारियों द्वारा अमरीका तथा अन्य देशों के परमाणु प्रतिष्ठापनाओं के दौरों का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) 7 से 11 फरवरी, 2005 के दौरान मुंबई में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के कार्यालय में भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) और यूनाइटेड स्टेट्स रेग्यूलेटरी कमीशन (यूएसएनआरसी) के बीच परमाणु सुरक्षा सहकार कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत हुई पांचवीं विचार-विमर्श बैठक के एक भाग के रूप में, यूएसएनआरसी के शिष्टमंडल ने 7 फरवरी, 2005 को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) का और 8 फरवरी, 2005 को तारापुर स्थल का दौरा किया था। शिष्टमंडल के लीडर, यूएसएनआरसी कमीश्नर श्री जेफ्फरी एस. मेरीफील्ड और अमरीकी दूतावास के दो कर्मचारियों ने 9-10 फरवरी, 2005 को रावतभाटा स्थल का दौरा किया था।

(ग) जी, हां।

(घ) इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वैज्ञानिक विचारों के आदान-प्रदान के एक भाग के रूप में उन विदेशी अधिकारियों का ब्यौरा जिन्होंने विगत में भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों का दौरा किया

क्रमांक	दौरा करने की तारीख	आगन्तुकों का ब्यौरा
1	2	3
1.	18.4.2002	वियतनाम के निम्नलिखित नागरिकों ने विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट), मुंबई का दौरा किया था: (1) डा. होआंग वान हुये, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण उप मंत्री, वियतनाम।

1	2	3
		(2) डा. व्योंग हू टान, अध्यक्ष, वियतनाम एटॉमिक एनर्जी कमीशन (वीएईसी) वियतनाम।
		(3) डा. हुइन वान त्रुंग, निदेशक, इंस्टिट्यूट ऑफ रेडियोएक्टिव एंड रेअर एलीमेंट्स, वीएईसी, वियतनाम, और
		(4) श्री होआंग वान सिन, सचिव, वियतनाम।
2.	23.9.2002	निम्नलिखित विदेशी नागरिकों ने एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए ब्रिट का दौरा किया:
		(1) डा. मिलन हर्बोवस्कि, चेक गणतंत्र।
		(2) डा. टी.ई. बरन्स, ब्रिटेन।
		(3) श्री फारमर डी.ई., ब्रिटेन।
		(4) डा. एंथनी बी. मर्फी, आस्ट्रेलिया।
		(5) प्रो. पैट्रिक आर. टेलर, संयुक्त राज्य अमरीका।
		(6) डा. ब्रायन स्टीवर्ट, इटली।
		(7) डा. चेन जि, चीन।
3.	10.12.2002	डा. गेरॉल्ड डब्ल्यू. ग्रेन्डे, प्रेजिडेंट, वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन (डब्ल्यूएनए) ने तकनीकी विचार-विमर्श के लिए परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) का दौरा किया।
4.	16.1.2003	श्री यूरी जी. विश्नेवस्की, अध्यक्ष, फेडनरल न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी एथॉरिटी ऑफ रशिया के नेतृत्व में रशियन न्यूक्लियर रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (जीएएन) के एक उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) का दौरा किया।
5.	10.11.2004	श्री एलेन बुगट, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग, फ्रांस के नेतृत्व में फ्रांस के एक उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल ने बीएआरसी का दौरा किया।
6.	14.12.2004	प्रो. डा. हर्टमट माइकल, वर्ष 1988 में रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार विजेता, निदेशक मैक्स-प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायो फिजिक्स, जर्मनी ने बीएआरसी का दौरा किया।
7.	11.1.2005	प्रो. के. वुथरिच, नोबल पुरस्कार विजेता, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ज्यूरिक, स्विटजरलैंड ने बीएआरसी का दौरा किया।
8.	23.02.2005	डा. गेरॉल्ड हेनरिच्स, भारत-जर्मन समन्वयक, जर्मनी दूतावास, नई दिल्ली के नेतृत्व में जर्मनी के एक शिष्टमंडल ने बीएआरसी का दौरा किया।
9.	23.3.2005	प्रो. जी.आर. चोपिन, आर.ओ. लॉटन, रसायन विज्ञान के लब्धप्रतिष्ठ प्रोफेसर, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमरीका ने बीएआरसी का दौरा किया।
10.	5.4.2005	लेफ्टीनेंट जर्नल जेवियर डे जुचोविट्ज, महानिदेशक, फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ हायर नेशनल डिफेंस स्टडीज के नेतृत्व में 5 सदस्यों वाले एक शिष्टमंडल ने बीएआरसी का दौरा किया।
11.	20.4.2005 और 21.4.2005	वियतनाम के 4 सदस्यों वाले एक शिष्टमंडल ने जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे, बीएआरसी का दौरा किया:
		(1) श्री न्गुयेन थान बिन, उप निदेशक, डीएनआरआई,

1	2	3
		(2) श्री वू डांग निन, निदेशक, वियतनाम परमाणु ऊर्जा आयोग (वीएईसी) के प्रशासनिक विभाग,
		(3) श्री त्रिंग डांग हयू, उप निदेशक, वीएईसी के प्रशासनिक विभाग, और
		(4) डा. होआंग अन तुआन, उप निदेशक, वीएईसी के योजना तथा अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन विभाग।
12.	6.5.2005	वियतनाम परमाणु ऊर्जा आयोग (वीएईसी), सेंटर फॉर ओर प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी, इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नालॉजी ऑफ रेडियोएक्टिव एंड रेअर एलिमेंट्स, वियतनाम के श्री न्युयेन दुओ फेप ने द्विपक्षीय सहकार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु एएमडी का दौरा किया।
13.	6.5.2005	श्री फेम हुंग बूंग और श्री त्रान वान सन, सेंटर फॉर ओर प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी, इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नालॉजी ऑफ रेडियोएक्विटव एंड रेअर एलिमेंट्स, वीएईसी ने द्विपक्षीय सहकार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु एएमडी का दौरा किया।
14.	7.9.2005	फ्रांस के निम्नलिखित अधिकारियों ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर), कलपाक्कम का दौरा किया:
		(1) श्री पेट्रिक लेडरमान, उप निदेशक, न्यूक्लियर एनर्जी डिविजन, सीईए,
		(2) श्री एरिक प्रोस्ट, प्रधान, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स मॉडलिंग विभाग,
		(3) श्री क्रिश्चियन चौलियक, सिमुलेशन प्रोग्राम मैनेजर,
		(4) श्री फिलिप डिलॅनि, उप निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सीईए, और
		(5) श्री डेनिस एकर, निदेशक, डायरेक्टोरेट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, सीईए।
15.	सितम्बर, 2005	कोरिया के निम्नलिखित नागरिकों ने भारी पानी संयंत्र (एचडब्ल्यूपी), मनुगुरु का दौरा किया:
		(1) श्री किम येओंग गुग
		(2) श्री कांग यंग बॉक
		(3) श्री जंग वॉन II, और
		(4) श्री यूऑन साम चोइ
16.	26.10.2005	फ्रांस के निम्नलिखित अधिकारियों ने दिनांक 26.10.2005 को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र का दौरा किया:
		(1) श्री आंद्रे-क्लॉडे लेकोस्टे
		(2) श्री आलिवर गुप्ता
		(3) श्री जीन पियरे मर्सियर
		(4) श्री फिलिप डेलूने, और
		(5) श्री अब्दल्लाह अमरी।

1	2	3
17.	12.11.2005	निम्नलिखित विदेशी नागरिकों ने हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के एक भाग के रूप में नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र का दौरा किया: (1) श्री गणपत मणि, संयुक्त राज्य अमरीका. (2) श्री स्टीव पोलेक, कनाडा (3) श्री पाबलो स्क्रोएडर, अर्जेंटीना (4) श्री चेंग यंग जंग, कोरिया (5) श्री पीटर बेकजर, कनाडा (6) श्री हंसू किम, कोरिया (7) श्री ते क्या किम, कोरिया (8) श्री ल्यूक वाल्श, संयुक्त राज्य अमरीका

विवरण II

भारत की परमाणु संस्थापनाओं के उन अधिकारियों की संख्या जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अमरीका के और अन्य देशों के परमाणु प्रतिष्ठानों का दौरा किया

यूनिट का नाम	भारत के उन अधिकारियों, जिन्होंने अमरीका के और अन्य देशों के विभिन्न परमाणु प्रतिष्ठानों का दौरा किया, की वर्ष-वार संख्या								
	2002-03			2003-04			2004-05		
	अमरीका	अन्य देश	कुल	अमरीका	अन्य देश	कुल	अमरीका	अन्य देश	कुल
भौतिकी संस्थान	6	11	17	4	11	15	4	9	13
परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय	-	2	2	-	5	5	-	5	5
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र	10	19	29	18	21	39	13	20	33
भारी पानी बोर्ड	-	3	3	-	6	6	-	5	5
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र	5	27	32	23	41	64	2	16	18
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	-	-	-	0	4	4	1	7	8
विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	-	3	3	1	2	3	-	4	4
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड	-	13	13	2	6	8	3	3	6

खतरनाक दवाओं पर प्रतिबंध

*215. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार कतिपय दवाएं न केवल गैर जरूरी हैं बल्कि खतरनाक भी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इनके उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) राष्ट्रीय वृहत् अर्थशास्त्र और जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठभूमि पेपरों (लेख) में श्री एस. सक्थीवल, इंस्टीट्यूट आफ इकोनामिक ग्रोथ, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा "अनिवार्य औषधों और दवाओं की सुलभता" पर एक पेपर शामिल है। इस पेपर में औषध उद्योग की उत्पादन प्राथमिकता के परिप्रेक्ष्य में 10 ब्रांडों वाले उत्पादों की असंगतता के संबंध में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। पेपर में यह पाया गया है कि "1999 में भारत में बेचे गए उत्कृष्ट 25 उत्पादों में से दस इन श्रेणियों, ब्लड टॉनिक, खांसी एक्सपेक्टोरेंट, गैर औषध, पीड़ाहारी पोषक, जिगर की औषध आदि में से किसी एक के थे जो या तो खतरनाक, गैर-अनिवार्य अथवा असंगत हैं।" ये विकोसूल, कोरेक्स, लिव-52, डेक्सोरगेंग, डाइजीन, कम्बीफ्लाम, पोलिबियन, ग्लुकोन-डी, एवियन और रिवाइटल हैं।

विकोसूल, पोलिवियन और एवियन जैसे विटामिन फामूलेशनों का विपणन अन्य विटामिन सम्मिश्रणों की तरह औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है और इन्हें असंगत नहीं समझा जाता है। कोरेक्स सिरप का इस्तेमाल खांसी सिरप के रूप में और डाइजीन का इस्तेमाल एंटिएसिड के रूप में लाक्षणिक राहत के लिए किया जाता है। डेक्सोगेंग लौह घटक से युक्त एक हेमेटाइनिक प्रिपरेशन है और यह रक्ताल्पता के लिए निर्दिष्ट किया जाता है जो देश में व्याप्त है। कम्बीफ्लाम प्रदाह और दर्द के लिए अल्पकालिक इस्तेमाल हेतु निर्दिष्ट की जाने वाली एक पीड़ाहारी औषध है। इन उत्पादों में से किसी भी उत्पाद को उनके अभिप्रेत इस्तेमाल में असंगत अथवा हानिकारक के रूप में नहीं समझा जाता है, क्योंकि उनका इस्तेमाल मुख्यतया लाक्षणिक राहत के लिए किया जाता है।

इस समय इन उत्पादों के विनिर्माण और वितरण पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा

*216. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हेल्थ टूरिज्म में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु एक वेबसाइट शुरू करने और डाटाबेस बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बेहतरीन स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों को प्रत्यायित करने हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन स्वास्थ्य बोर्ड स्थापित करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) भारत की स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में लागत, गुणवत्ता और सेवाओं की अपेक्षाकृत मजबूत अनुकूल स्थिति होने के कारण भारत में चिकित्सीय पर्यटन की अत्यधिक संभावना है। इससे स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की मांग में वृद्धि होने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त अवसंरचना, का सृजन होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और चिकित्सीय कार्मिकशक्ति का विकास होगा। चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने से हमारी विदेशी मुद्रा के अर्जन में भी वृद्धि होगी।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय ने पहले ही अपनी वेबसाइट पर खुशहाल पर्यटन (वेलनेस टूरिज्म) के संबंध में ब्यौरे दे दिये हैं जो चिकित्सीय पर्यटन का एक पहलू है। इस वेबसाइट में उपचार कार्यक्रम का ब्यौरा सुविधाओं की लागत और चुनिंदा अस्पतालों की सूची देते हुए आयुर्वेद, हाइटेक हीलिंग, योग आदि के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट है। गृह मंत्रालय द्वारा एक नई वीजा श्रेणी अर्थात् विदेशी नागरिकों जो भारत में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं, को मदद पहुंचाने हेतु चिकित्सीय वीजा शुरू किया गया है। इससे चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए विदेशी पर्यटकों के प्रवाह के संबंध में आंकड़े एकत्र करने में मदद मिलेगी।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार अस्पतालों, उपचर्या गृहों और अन्य प्रतिष्ठानों के विनियमन की संभावना की जांच करेगी जिससे ऐसे क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के मूल्यांकन, प्रत्यायन, निरीक्षण, प्रमाणन, विनियमन के मानदंडों तथा रिकार्डों के अनुरक्षण सहित गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम

***217. श्री कैलाश बैठा:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1970-71 में आरंभ किये गये ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम ने अपने वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की उदीयमान खेलकूद प्रतिभाओं का उपयोग करने में सफल नहीं हो पाई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देशभर, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में, खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभाओं को खोज निकालने के उद्देश्य से 1970-71 में ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम आरंभ किये गये थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार ग्रामीण जनता में खेलों के प्रति जागरूकता तथा रुचि में वृद्धि करने के कार्य में सफल रही है। यह बात राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में भाग लेने वालों की संख्या में वृद्धि होने से सिद्ध होती है। 1970-71 में 5 विधाओं के 239 भागीदारों से प्रारंभ करते हुए 2004-05 में हमारे पास अब 10 विधाओं के 3099 भागीदार हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभा को पहचानने के कार्य में भी मदद मिली है। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी खेल की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं और अब खेल संघों/परिसंघों द्वारा आयोजित की जा रही खुली स्पर्धाओं में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं।

(ग) और (घ) संविधान के अंतर्गत, "खेल" राज्य का विषय है और राज्य स्तर पर इसके संवर्धन का दायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों तथा संबंधित परिसंघों का है। तथापि, भारत सरकार अपनी स्वयं की योजनाओं तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं के माध्यम से खेलों के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों और परिसंघों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार की योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं के उपयोग करने के कार्य के प्रति निश्चित रूप से योगदान दिया है।

(ङ) भारत सरकार की "खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन" की प्रमुख योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम का कार्यान्वयन देशभर में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धाओं के आयोजन के लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण देश में निम्नलिखित खेल संवर्धन योजनाओं का भी कार्यान्वयन कर रहा है:

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)
2. सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी)
3. भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)
4. विशेष क्षेत्र खेल योजना (एसएजी)
5. उत्कृष्टता केन्द्र (सीओएक्स)

उपर्युक्त योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के उदीयमान खिलाड़ियों के लिए भी लाभदायक हैं।

इसके अलावा, खेल अवस्थापना योजना के निम्नलिखित घटकों के माध्यम से जिसके तहत दिनांक 1.4.2005 तक अनुदान प्रदान किये गये, भारत सरकार ने अवस्थापना के सृजन के लिए सहायता प्रदान की है:

(1) खेल अवस्थापना सृजन के लिए अनुदान।

(2) खेल उपस्करों की खरीद और खेल के मैदानों को तैयार करने के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान।

(3) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में खेलों के विकास के लिए अनुदान।

(4) सिंथेटिक खेल सतह बिछाना।

हेपेटाइटिस बी

*218. श्री राजेन गोहेन:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में हेपेटाइटिस बी एड्स से भी बड़ी समस्या के रूप में उभरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस घातक रोग का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितने मामले पाए गए हैं; और

(घ) देश में तेजी से बढ़ते हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार हेपेटाइटिस बी एड्स से कई गुणा अधिक संक्रामक है। भारत में विश्व में (चीन के बाद) दूसरा सबसे बड़ा हेपेटाइटिस बी विषाणु वाहकों का पुल है और यह विश्व में एचबीवी वाहकों के समग्र पूल के लगभग 15 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है।

जबकि हेपेटाइटिस बी के रोगियों का डाटा अलग से केन्द्रीय आधार पर नहीं रखा जाता है, 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004 वर्षों के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा यथासूचित हेपेटाइटिस बी सहित वायरल हेपेटाइटिस के रोगियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

हेपेटाइटिस बी असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित रक्ताधान, असुरक्षित इंजेक्शन आदि के जरिये और मां बच्चे में भी फैलता है। हेपेटाइटिस बी एहतियाती उपाय सुनिश्चित करके रोका जा सकता है। सरकार ने केवल एक वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ही निःशुल्क हेपेटाइटिस बीके प्रतिरक्षण की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण शुरू हो गया है और 2002-03 से 15 शहरों में तथा 2003-04 से 32 जिलों और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में दिया जा रहा है।

जबकि देश में सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी पद्धति विभिन्न रोगों से निपटने के लिए उपकरणों से सुसज्जित है, हेपेटाइटिस बी का सामना टीकाकरण सहित निवारक उपायों से प्रभावकारी ढंग से किया जाता है। हेपेटाइटिस बी के संक्रमण की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

* केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के अत्यधिक जोखिम वाले कार्मिकों को हेपेटाइटिस बी से प्रतिरक्षित किया जा रहा है। राज्य सरकारों को भी ऐसे ही उपाय करने की सलाह दी गई है।

* रक्त बैंकों में रक्त की आवश्यक जांच के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सुरक्षित यौन संबंध को बढ़ावा देने का समर्थन किया जाता है।

* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन गैर-विसंक्रमित सिरिंजों और सुइयों के इस्तेमाल के खतरों के संबंध में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित किये जाते हैं।

* राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को प्रत्येक इंजेक्शन के लिए अलग विसंक्रमित सिरिंजों और सुइयों का इस्तेमाल करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

देश में हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध है।

विवरण

2000-2004 के दौरान वाइरल हेपेटाइटिस के कारण सूचित किये गये राज्यवार रोगी और मौतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000		2001		2002		2003		2004	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	27595	114	24530	38	16224	19	23094	110	28222	72
2.	अरुणाचल प्रदेश	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	621	2	299	7	एनआर	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
4.	बिहार	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
5.	छत्तीसगढ़	*	*	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
6.	गोवा	229	0	124	0	71	0	190	0	94	0
7.	गुजरात	3982	30	3891	21	2365	22	2752	15	5860	26
8.	हरियाणा	1086	6	2731	10	1085	9	1645	9	1978	136
9.	हिमाचल प्रदेश	1464	1	1275	0	1648	1	1924	1	2359	0
10.	जम्मू-कश्मीर	6171	0	4226	0	6245	0	8432	0	8398	0
11.	झारखंड	*	*	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
12.	कर्नाटक	24571	91	26256	189	32215	161	24954	108	46659	228
13.	केरल	5521	8	4532	6	5323	7	7433	9	5405	2
14.	मध्य प्रदेश	6620	11	3267	10	6112	32	9599	25	15859	28
15.	महाराष्ट्र	40962	244	39911	234	29525	101	33515	118	48789	150
16.	मणिपुर	728	7	1558	0	426	0	310	0	310	1
17.	मेघालय	301	1	500	0	472	1	419	1	764	1
18.	मिजोरम	943	2	1183	11	1164	9	744	8	717	2
19.	नागालैण्ड	408	0	144	0	157	0	127	0	27	0
20.	उड़ीसा	14011	107	7334	38	715	48	2500	39	2446	40
21.	पंजाब	1796	1	4881	19	6652	26	5169	22	1536	6
22.	राजस्थान	1601	39	2955	89	1758	36	2076	39	2272	53
23.	सिक्किम	594	5	409	1	322	2	414	2	372	5
24.	तमिलनाडु	1740	4	1632	1	3177	2	6476	2	11261	7
25.	त्रिपुरा	113	8	1784	9	105	2	242	3	1187	0
26.	उत्तर प्रदेश	988	24	1885	14	एनआर	एनआर	2964	1	2	1
27.	उत्तरांचल	*	*	एनआर	एनआर	5431	13	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
28.	पश्चिम बंगाल	5831	157	6303	265	7032	264	6527	198	6771	212
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	252	8	536	2	698	8	467	12	258	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	चंडीगढ़	219	3	310	8	451	5	398	11	300	1
31.	दादरा और नगर हवेली	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	232	0	227	0	675	3
32.	दमन और दीव	41	0	6	0	24	0	23	1	6	0
33.	दिल्ली	4077	162	6374	164	5053	139	7476	262	10656	143
34.	लक्षद्वीप	258	0	71	1	22	0	19	0	20	1
35.	पांडिचेरी	932	5	654	9	534	5	872	3	736	2
	कुल	153034	1038	149262	1147	135859	914	151287	1006	203939	1122

स्रोतः सीबीएचआई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नोटः 1. *वर्ष 2000 के लिए नए बनाए गए तीन राज्यों के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल के रोगियों और मौतों, यदि कोई हों, को क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया है।

2. एनआर का अर्थ है, 'प्राप्त नहीं हुए'

भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक

***219. श्री प्रबोध पाण्डाः**
श्री ई. पोन्नुस्वामीः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत-यूरोपीय संघ की छठी शिखर बैठक हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिखर बैठक का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवसर पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या शिखर बैठक के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने की घोषणा भी की गई;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) परमाणु सहयोग पर भारत-अमरीका समझौते के संबंध में यूरोपीय संघ का क्या दृष्टिकोण रहा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) और (ख) जी हां। छठा भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक 7 सितम्बर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यूरोपीय संघ के मंत्रियों की परिषद के पदेन अध्यक्ष की हैसियत से यू.के. प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर ने यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। भारत-यूरोपीय संघ सामरिक भागीदारी को क्रियान्वित करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा एक व्यापक संयुक्त कार्य योजना को स्वीकार किया गया। इस अवसर पर एक राजनैतिक घोषणा पत्र भी जारी किया गया।

(ग) और (घ) 7 सितम्बर को भारत और यूरोपीय संघ ने गैलीलियो परियोजना में सहयोग से संबद्ध करार की रूपरेखा की पहल की। गैलीलियो यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाली एक सैटेलाइट नैविगेशन परियोजना है जिसका उद्देश्य नैविगेशन से संबंधित बढ़ती वैश्विक आवश्यकताओं के लिए सटीक और विश्वसनीय सेवा प्रदान करना है।

(ङ) और (च) जी नहीं। हालांकि, अन्य बातों के साथ-साथ शिखर सम्मेलन में जारी राजनैतिक घोषणा-पत्र में दोनों पक्षों द्वारा आतंकवाद, चाहे इसका उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों को आपराधिक तथा अनौचित्यपूर्ण बताते हुए इसकी भर्त्सना की गयी है। दोनों पक्ष आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर भी सहमत हुए। इस संबंध में भारत और यूरोपीय संघ अपने-अपने आतंकवाद विरोधी समन्वयकों के बीच संपर्क स्थापित करने और आतंकवादियों के वित्त-पोषण और धन के गैर-कानूनी लेन-देन पर रोक लगाने में सहयोग करने पर सहमत हुए।

(छ) इस विषय पर यूरोपीय संघ का साझा दृष्टिकोण नहीं है।

वार्षिक योजनाओं का विकेन्द्रीकरण

*220. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री मोहन सिंह:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने सभी राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर और जिला स्तर पर वार्षिक योजनाएं तैयार करने के लिए अनुदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों की संख्या कितनी है जिन्होंने अनुदेशों का पालन किया है;

(ग) क्या योजना आयोग कोई प्रणाली विकसित कर रहा है, जिसके अनुसार सभी योजनाएं जिलों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाएगी और केवल उसी के आधार पर धनराशि आवंटित की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या योजना आयोग ने देश में सभी जिलों का आर्थिक सर्वेक्षण किया है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के आधार पर अति पिछड़े जिलों को क्या विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां। ये अनुदेश वर्ष 2006-07 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाएं तैयार करने से संबंधित हैं।

(ख) योजना आयोग द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष 2006-07 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया इस चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक ही पूरी होगी।

(ग) से (ङ) प्रथम उपाय के रूप में योजना आयोग द्वारा समस्त राज्यों को जिलों की कम से कम न्यूनतम आवश्यकताओं की मदों के लिए संसाधनों की आवश्यकता के आधार पर अपने-अपने वार्षिक योजना प्रस्तावों को तैयार करने के लिए विस्तृत अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। तथापि, राज्य सरकारों को यह भी सूचित किया गया है कि योजना के एक भाग के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से/द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले संपूर्ण मदों के संबंध में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए।

(च) और (छ) योजना आयोग द्वारा देश के सभी जिलों का कोई भी आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, दसवीं योजना के दौरान शुरू की गई राष्ट्रीय सम विकास योजना के पिछड़े जिले पहल के तहत 147 जिलों (115 पिछड़े जिलों और 32 वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों) की पहचान की गई थी। पिछले जिलों की पहचान पिछड़ेपन के एक सूचकांक के आधार पर की गई थी, जिसमें प्रत्येक समान भारांक वाले तीन पैरामीटर शामिल हैं अर्थात् प्रति कृषि कामगार के उत्पादन का मूल्य, कृषि मजदूरी दर और जिले की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता।

इंटरनेट के माध्यम से पासपोर्ट जारी करना

*221. श्री एम. शिवन्ना:
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में किन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट जारी करने के काम को आउटसोर्सिंग एजेन्सी को सौंपने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) जी नहीं। आवेदनपत्र जमा करने के लिए काउंटर पर प्रतीक्षा की अवधि को कम करने की दृष्टि से सरकार ने प्रारंभिक तौर पर बंगलौर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचिन, लखनऊ, मुंबई और त्रिवेन्द्रम जैसे चुनिंदा पासपोर्ट कार्यालयों में आवेदकों द्वारा इंटरनेट के जरिये वैयक्तिक विवरण के पंजीकरण की सुविधा मुहैया कराई है। ऑन-लाइन पंजीकरण के बाद पासपोर्ट कार्यालय में एक निर्दिष्ट काउंटर पर आवेदनपत्र जमा करने के लिए आवेदक को तारीख और समय का स्लाट दिया जाता है। यदि आवेदक उल्लिखित तारीख को आवेदनपत्र जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसके पास किसी परवर्ती तारीख को किसी सामान्य काउंटर पर आवेदनपत्र जमा करने का विकल्प भी रहेगा।

(घ) और (ङ) इस समय पासपोर्ट जारी करने के कार्य को आउटसोर्स से कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

2070. श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं;

(ख) इन टेक्नोलॉजी पार्कों के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में और टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में 46 (छियालीस) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) स्थापित किये गये हैं। केन्द्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने देश में सॉफ्टवेयर निर्यात के संवर्धन के मुख्य उद्देश्य से स्वायत्त संस्था के रूप में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) की स्थापना की। एसटीपीआई द्वारा सॉफ्टवेयर निर्यात समुदाय को प्रदान की गई सेवाएं हैं सांविधिक सेवाएं, आंकड़ा संचार सेवाएं तथा निर्माण की सुविधाएं। एसटीपीआई ने सॉफ्टवेयर निर्यात के संवर्धन में विकासात्मक भूमिका भी निभाई है तथा लघु एवं मझौले उद्यमों तथा आरम्भिक इकाइयों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। डेटाकॉम सम्पर्क सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है तथा एसटीपीआई आरम्भ से ही यह सेवा प्रदान कर रहा है।

(ग) और (घ) भोपाल, ग्वालियर, पटना, सिलीगुड़ी, हल्दिया, बरहामपुर, काकीनाड़ा, आगरा, गोवा, शिलौंग, अगरतला तथा गुलबर्ग में नए एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	एसटीपीआई केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		तिरूपति
3.		विजयवाड़ा
4.		वाइज़ाग
5.		वारंगल
6.	असम	गुवाहाटी
7.	छत्तीसगढ़	भिलाई
8.	गुजरात	गांधीनगर
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
10.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
11.		जम्मू
12.	झारखंड	रांची
13.	कर्नाटक	बंगलौर
14.		हुबली
15.		मंगलौर
16.		मणिपाल
17.		मैसूर
18.	केरल	तिरूवनन्तपुरम
19.	मध्य प्रदेश	इंदौर
20.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
21.		नागपुर
22.		नासिक
23.		नवी मुम्बई
24.		कोल्हापुर
25.		पुणे
26.	मणिपुर	इम्फाल

1	2	3
27.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
28.		राउरकेला
29.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
30.	पंजाब	मोहाली
31.	राजस्थान	जयपुर
32.		जोधपुर
33.	सिक्किम	गंगटोक
34.	तमिलनाडु	चेन्नै
35.		कोयम्बतूर
36.		मदुरई
37.		तिरुनावल्ली
38.		त्रिचि
39.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
40.		लखनऊ
41.		नोएडा
42.		इलाहाबाद
43.	उत्तरांचल	देहरादून
44.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
45.		दुर्गापुर
46.		खड़गपुर

[हिन्दी]

उड़ीसा में तीर्थ पर्यटन स्थानों/मंदिरों का संरक्षण

2071. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में तीर्थ पर्यटन स्थानों और मंदिरों के संरक्षण हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थलों के संरक्षण, विकास और आधुनिकीकरण हेतु कौन-कौन से कार्य निष्पादित किये गए हैं और इस पर गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना व्यय किया गया है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों का नियमित रखरखाव एवं संरक्षण करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भुवनेश्वर मंडल, उड़ीसा में जिन स्मारकों तथा स्थलों पर प्रमुख संरक्षण कार्य शुरू किये गये और उन पर हुए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भुवनेश्वर मंडल के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची जहां मुख्य संरक्षण/ विकास तथा आधुनिकीकरण कार्य किये गये तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर किया गया व्यय

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	स्थल/स्मारक का नाम	वर्ष/व्यय		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	जगन्नाथ मंदिर, पुरी, जिला पुरी	23.54	22.30	24.23
2.	भृंगेश्वरा महादेव मंदिर, बाजराकोट, धेनकनाल	-	02.12	00.76
3.	बारावती किला, कटक	-	12.05	15.80

1	2	3	4	5
4.	रसिक राय मंदिर, हरिपुरगढ़, कटक	-	-	02.09
5.	केदारेश्वरा मंदिर, चौदवार, कटक	-	-	05.15
6.	त्रिलोचनेश्वरा मंदिर, जाजपुर	-	-	05.33
7.	उत्खनित स्थल, रत्नागिरि, जाजपुर	-	03.07	08.50
8.	महाकाल मंदिर का प्रतिरोपण तथा जीर्णोद्धार, रत्नागिरी, जाजपुर	-	14.73	05.48
9.	उत्खनित स्थल चरण-II, उदयगिरि, जाजपुर	02.49	02.33	18.36
10.	उत्खनित स्थल, ललितगिरि, कटक	01.50	02.35	11.24
11.	महिमामणि मंदिर, रांगड़ी, कटक	01.00	01.05	-
12.	भगवान लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, खुर्दा	08.42	04.02	05.72
13.	राजरानी मंदिर, भुवनेश्वर, खुर्दा	00.72	-	08.44
14.	भास्करेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर, खुर्दा	-	-	06.32
15.	मेघेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर, खुर्दा	-	-	01.40
16.	खण्डागिरि तथा उदयगिरि, भुवनेश्वर, खुर्दा	01.48	01.40	08.72
17.	बहूदीश्वर मंदिर, भुवनेश्वर, खुर्दा	07.00	03.87	-
18.	गंगाधरस्वामी मंदिर, कोटाकोला, गंजाम	-	-	03.90
19.	सूर्य मंदिर, कोणार्क, पुरी	21.92	26.53	64.05
20.	वराही मंदिर, चौरासी, पुरी	01.37	01.84	05.24
	योग	65.84	97.66	200.73

[अनुवाद]

ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच आय में अन्तर

2072. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच आय में अन्तर धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अन्तर को कम करने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (राष्ट्रीय लेखा प्रभाग) से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रचलित मूल्यों पर निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) के संबंध में मापित प्रति व्यक्ति आय 1980-81 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 1245 रु. और 2888 रु. थी। वर्ष 1993-94 के संबंध में प्रचलित मूल्यों पर समनुरूप प्रति व्यक्ति आय 5783 रु. और 13525 रु. थी। आय स्तर में ग्रामीण-शहरी अंतर को सूचित करने वाली कोई सूचना 1993-94 के बाद उपलब्ध नहीं है।

शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति एनडीपी के संबंध में मापित प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1980-81 में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 2.32 गुना अधिक थी। वर्ष 1993-94 के लिए समनुरूप अनुपात वस्तुतः 2.34 गुना ही था।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में यथासूचित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति एनडीपी के अनुपात में नगण्य अंतर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन तथा स्थिर मूल्यों पर अर्थव्यवस्था में विकास दर को तीव्र करने को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है।

पेयजल परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता

2073. श्री हितेन बर्मन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड और मध्य प्रदेश में पेयजल परियोजनाओं हेतु सहायता के लिए विश्व बैंक से सम्पर्क करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। नौ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के लिए 5300 करोड़ रुपये (1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की राशि के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगने हेतु पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता एवं सुव्यवस्था कार्यक्रम संबंधी एक प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक कार्य विभाग ने इस प्रस्ताव को विश्व बैंक को भेज दिया है।

इसके अलावा, उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय सफाई परियोजना नामक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सफाई संबंधी एक अन्य प्रस्ताव संभव वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के पास विचाराधीन है। प्रस्तावित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सफाई परियोजना में लगभग 1000 ग्राम पंचायतों में 1.5 मिलियन ग्रामीण आबादी को लाभान्वित करने के लिए राज्य में सभी जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। विश्व बैंक ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसकी तैयारी चल रही है, की तैयारी करने के लिए उत्तरांचल सरकार को 898.500 अमेरिकी डॉलर का पीएचआरडी अनुदान दिया है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा की वित्तीय स्थिति

2074. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सरकार द्वारा इस इस्टीट्यूट को वर्षवार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या इंस्टीट्यूट में हाल में कोई नई अनुसंधान योजना आरंभ की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग)	2002-03	4.00 करोड़ रु.
	2003-04	10.00 करोड़ रु.
	2004-05	4.75 करोड़ रु.
	2005-06 (बजट अनुमान)	5.00 करोड़ रु.

(घ) और (ङ) जी, हां। शिक्षण संस्थान होने के कारण शोध प्रबंध के लिए, अनुसंधान परक विषय सभी छह शाखाओं में द्वितीय वर्ष के 27 स्नातकोत्तर छात्रों को आबंटित किये जा रहे हैं। शोध हेतु लिए गए विषयों के नाम (1) अविनिर्दिष्ट श्वेत प्रदर (2) अस्थि संधिशोध (3) हानिकर रक्ताल्पता, और (4) सर्वाइकल स्पांडिलोसिस आदि हैं।

असम में योजनाओं/परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2075. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में शहरी विकास संबंधी स्थानवार कितनी योजनाओं/परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) क्या असम में गत पांच वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) असम में नेशनल कॉपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ङ) असम को समेकित कम लागत स्वच्छता कार्यक्रम (आई.एल.सी.एस.) के अंतर्गत स्थानवार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(च) असम में आरंभ की गई योजनाओं/परियोजनाओं की निगरानी हेतु कौन सा तंत्र तैयार किया गया है;

(छ) क्या योजनाओं/परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो ऐसे गैर सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ज) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

एम.बी.बी.एस. की सीटों को बढ़ाया जाना

2076. श्री तथागत सत्पथी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य में सरकार द्वारा चलाये जा रहे तीन मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. की सीटों को बढ़ाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के उपबंधों और इसके तहत बने विनियमों के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सीटें बढ़ाने की अनुमति दे रही है। उपरोक्त उपबंधों के अंतर्गत, कटक स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कालेज में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए अगस्त, 2002 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था. भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसाओं के आधार पर कटक के मेडिकल कालेज में सीटें बढ़ाकर 107 से 150 करने की अनुमति वर्ष 2003 में दी गई। तथापि, बाद में वर्ष 2004-05 और 2005-06 में इस कालेज ने भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदंडों के अनुरूप पर्याप्त सुविधाएं मुहैया नहीं कराई। इसलिए इन वर्षों में बढ़ाई गई प्रवेश क्षमता के लिए छात्रों के नए बैच के नामांकन की अनुमति दोबारा नहीं दी जा सकी। बुरला और बेहरामपुर स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कालेज में एमबीबीएस सीटें बढ़ाकर 107 से 150 करने से संबंधित प्रस्ताव अगस्त, 2003 में प्राप्त हुए थे। इन मेडिकल कालेजों का निरीक्षण करने के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद ने विभिन्न कमियों को ध्यान में रखते हुए सीटें बढ़ाने की सिफारिश नहीं की। इसलिए इन मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया। उसके बाद इन कालेजों से नए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

मेडिकल शिक्षा और चिकित्सालय सुविधाओं का स्तर

2077. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि कुछ राज्य देश में मेडिकल शिक्षा और चिकित्सालय सुविधाओं के उच्च स्तर को कम करने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद के मान्यता, सीटों की संख्या बढ़ाने तथा मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सालयों में नए पाठ्यक्रम आरंभ करने संबधी निर्णयों को चुनौती देने वाले कितने मुकदमे आज की तिथि के अनुसार लंबित हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा मेडिकल शिक्षा में भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20.11.2002 के अपने आदेश के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सहायता के लिए विशेषज्ञों की एक तदर्थ समिति को नियुक्त किया। इस समिति ने न्यायालय को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में इस परिषद के कार्यकरण के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की गई है कि विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को इस परिषद द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम प्रतिमान और मानक को लागू करने के मामले पर सुग्राहित/परिचित किये जाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को इस मामले में अपना उत्तर फाइल करने का निर्देश दिया था। अत: यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार भारत के विभिन्न न्यायालयों में 265 मुकदमें लम्बित हैं जिसमें प्रेयर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विरुद्ध है।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद निरीक्षण के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं और संकाय की उपलब्धता की जांच करने के पश्चात् ही किसी नए महाविद्यालय को स्थापित करने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने अथवा अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद मानकों को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण भी करती है तथा उन महाविद्यालयों, जो न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

महिलाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देना

2078. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1975 में ''नेशनल स्पोर्टस चैम्पियनशिप फॉर वूमैन'' योजना शुरू की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर गुजरात राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) ''महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप'' की योजना 1975 में आरंभ हुई थी जिसका उद्देश्य महिलाओं के बीच खेलों का संवर्धन करना है। इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से पूर्व ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर निचले स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिसके लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए इस समय निम्नलिखित पैटर्न अपनाया जा रहा है:

1. ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता प्रति ब्लॉक 1000 रु.
2. जिला स्तरीय प्रतियोगिता प्रति जिला 3000 रु.
3. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता प्रति राज्य 10,000 रु.
4. छोटे राज्य और संघ शासित क्षेत्र प्रति राज्य/संघ शासित क्षेत्र 5000 रु.

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय को धनराशि जारी करने के संबंध में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल उत्सव

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2002-03 से 2004-05 के दौरान निचले स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि/वित्तीय सहायता के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	असम	-	2,09,000 (2001-02)	2,09,000 (2003-04) 2,09,000
2.	बिहार	4,40,800 (2001-2002)	4,46,000	4,46,000
3.	छत्तीसगढ़	1,45,600	-	-

1	2	3	4	5
4.	गोवा	-	22,600	-
5.	हिमाचल प्रदेश	91,000	91,000	91,000
6.	हरियाणा	-	1,33,600	-
7.	जम्मू-कश्मीर	-	-	74,800
8.	राजस्थान	2,48,200 (2000-2001)	2,48,200	-
9.	केरल	-	-	1,43,200 (2003-04)
10.	उड़ीसा	1,00,000	-	1,93,600 (2003-04)
11.	पंजाब	1,43,200	-	10,000 (केवल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए)
12.	त्रिपुरा	45,000	45,000	46,000
13.	कर्नाटक	1,96,000	-	-
14.	मणिपुर	-	-	49,000
	कुल	14,09,800	11,95,400	14,71,600

[हिन्दी]

त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना

2079. श्री काशीराम राणा:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में किन-किन शहरों में त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) क्या इन शहरों में उक्त योजना से संबंधित कार्य की प्रगति काफी धीमी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजना के कार्य की गति बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं; और

(घ) उक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) गुजरात में जिन कस्बों में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समय अनुसूची संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में दी गई है। परियोजनाओं के आकार और प्रकार के आधार पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आमतौर पर दो से तीन वर्ष का समय लगता है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2001-02 तक स्वीकृत सभी त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। वर्ष 2002-03 में स्वीकृत 22 में से 13 पूरी हो चुकी हैं और 9 परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है। वर्ष 2003-04 में 4 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 3 कार्यान्वयन की अग्रिम अवस्था में है। वर्ष 2004-05 में 19 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 6 स्कीमों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और 13 स्कीमों में टेंडर प्रक्रिया अग्रिम अवस्था में है। स्कीम के कार्यान्वयन कार्य की समग्र प्रगति संतोषजनक है।

(ग) स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी समीक्षा बैठकों और फील्ड दौरों के मार्फत की जाती है। परियोजनाओं और कार्यान्वयन की गति की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सचिव (यूडी) द्वारा दिनांक 20.10.2005 को अंतिम समीक्षा बैठक ली गई थी।

(घ) दिनांक 31.3.2004 तक स्वीकृत 51 परियोजनाओं में से 39 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं (76% पूरी)। दिनांक 31.3.2004 तक स्वीकृत शेष 12 स्कीमों में औसत कार्य प्रगति दर 73% है।

विवरण

राज्य: गुजरात

गुजरात में जिन कस्बों में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला
1	2	3
1.	धरमपुर	वलसाड
2.	बंटवा	जूनागढ़
3.	मेंदारदा	जूनागढ़
4.	ध्रोल	जामनगर
5.	ओखला पोट	जामनगर
6.	जोडिया	जामनगर
7.	बरवाला	अहमदाबाद
8.	सूरजकराडी	जामनगर
9.	खेरालू	मेहसाना
10.	खेतब्रह्मा	साबरकंठा
11.	विश्वदार	जूनागढ़
12.	आदित्याना	जूनागढ़
13.	चिखली	नावासरी
14.	वनथाली	जूनागढ़
15.	सलाया	जामनगर
16.	देवगढ़ बरिया	दहोड
17.	रानाबौ	पोरबंदर
18.	कुतियाना	पोरबंदर
19.	दामनगर	अमरेली
20.	लाठी	अमरेली
21.	वैंत	जामनगर
22.	बाबरा	अमरेली
23.	संतरामपुर	पंचमहल
24.	पलियार	भावनगर
25.	लालपुर	जामनगर
26.	पाडाधारी	राजकोट
27.	चोटिला	सुरेन्द्रनगर
28.	रेनपुर	अहमदाबाद
29.	मंडल	अहमदाबाद
30.	वधाई	डांग्स
31.	बोडेली	वडोदरा
32.	हरीज	पाटन
33.	चनस्मा	पाटन
34.	कनोदर	बनासकांठा
35.	छापी	बनासकांठा
36.	विंचछिया	राजकोट
37.	जेटलसर	राजकोट
38.	शिवराजपुर	पंचमहल
39.	वरतेज	भावनगर

आई.एफ.एस. अधिकारियों द्वारा विदेशी भाषाओं को सीखने हेतु नियम

2080. श्री बीर सिंह महतो: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों हेतु भाषाओं को सीखने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं;

(ख) भाषाओं के चयन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) क्या वर्ष 2001 और 2002 में भाषाओं के चयन से संबधित नियमों का उल्लंघन किया गया था अथवा उन्हें बदल दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) भारतीय विदेश सेवा के प्रत्येक अधिकारी को सामान्यत: उन्हें अनिवार्य अध्ययन के लिए निर्दिष्ट एक विदेशी भाषा में परीक्षा पास करने के बाद ही स्थायी किया जाता है। इस कार्य के लिए सरकार एक तृतीय सचिव (भाषा प्रशिक्षु) के रूप में उनकी प्रथम तैनाती के दौरान ही विदेश के एक संस्थान में विशेष भाषा के पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए उनके खर्च की मंजूरी देती है। अनिवार्य विदेशी भाषा अध्ययन के लिए कोई पारितोषिक/भत्ता देय नहीं है। अधिकारियों को सामान्यत: एक निश्चित अवधि के अन्दर अनिवार्य विदेशी भाषा में निर्धारित परीक्षा पास करनी होती है। अतिरिक्त विदेशी भाषाओं का अध्ययन और निर्धारित परीक्षाओं को पास करने वाले अधिकारियों को सरकार प्रोत्साहन भी देती है।

(ख) अनिवार्य अध्ययन के लिए भाषाओं का चयन, उभरते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुरूप समय-समय पर निर्धारित महत्व के क्षेत्रों में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की भाषा प्रवीणता की आवश्यकता के आकलन पर आधारित होता है।

(ग) वर्ष 2001 या 2002 में भाषाओं के चयन से संबधित नियमों में कोई उल्लंघन/परिवर्तन नहीं हुआ था।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी युद्ध पीड़ितों को मुआवजा

2081. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने खाड़ी युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को हुई क्षति का पूरा मुआवजा दिया है;

(ख) यदि हां, तो लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में मुआवजे के रूप में प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं। मुआवजा आवेदन की जांच करना, उनका मूल्यांकन करना और भुगतान की मात्रा तय करना अथवा किसी दावे को पूर्ण रूप से अस्वीकृत करना संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग का अनन्य उत्तरदायित्व है।

दावों की प्रक्रिया के लिए अस्थायी नियमों के अनुच्छेद 40 के उपखण्ड 4 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के निर्णय अंतिम होते हैं और प्रक्रियात्मकता, वास्तविकता अथवा अन्य आधार पर उनकी पुनरीक्षा अथवा उन पर अपील नहीं की जा सकती है।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुमोदित दावों की पृथक सूची गोपनीय है और केवल संबंधित दावेदारों को ही दिखायी जा सकती है। दाखिल, अनुमोदित कुल दावों और संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से प्राप्त की गई तथा दावेदारों को भुगतान की गई राशि का कुल विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(1.12.2005 की स्थिति के अनुसार)

	विशेष कुवैत सैल, मंत्रालय में पंजीकृत दावों की कुल संख्या	दावों की कुल राशि (अमरीकी डालर में)
श्रेणी क	110,511	$424,237,500
श्रेणी ख	386	$867,500
श्रेणी ग	39,955	$771,964,457
श्रेणी घ	999	$315,125,486
कुल	1,51,851	$1,512,394,943
अनुमोदित दावों की श्रेणीवार कुल संख्या		
श्रेणी क	–	104,980
श्रेणी ख	–	183
श्रेणी ग	–	40,486
श्रेणी घ	–	841
कुल	–	146,490
दावेदारों को भुगतान की गई कुल राशि (सभी श्रेणियों के लिए)	–	922,503,053.57
संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से प्राप्त कुल राशि (सभी श्रेणियों के लिए)	–	949,317,809.52

[अनुवाद]

भारत को नाभिकीय निर्यात

2082. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा उन देशों की बढ़ती संख्या के साथ जुड़ गया है जिन्होंने भारत को नाभिकीय निर्यात करना पुन: आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत को नाभिकीय निर्यात शुरू करने के लिए सहमत देश कौन-कौन से हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) से (ग) 25-27 सितम्बर, 2005 तक कनाडा की अपनी यात्रा के दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री ने असैनिक नाभिकीय सहयोग के मुद्दे पर कनाडा के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की थी। दोनों देश, नाभिकीय सुरक्षा सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय रूपरेखा बनाने पर सहमत हुए हैं। सरकार प्रतिबंधों को उठाने की आवश्यकता के संबंध में अनेक देशों के साथ बातचीत कर रही है ताकि भारत के साथ पूर्ण असैनिक नाभिकीय सहयोग किया जा सके।

लेम्फोडेमा के मामले

2083. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास लेम्फोडेमा मामलों पर नियंत्रण हेतु डाइइथालय-कारबामेजिन (डी.ई.सी.) की एकल खुराक को व्यापक स्तर पर घर-घर जाकर देने हेतु कार्यक्रम चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने पहले ही लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया है जिसकी कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:

* इस रोग के संचरण की रोकथाम करने के लिए पांच अथवा इससे अधिक वर्षों के लिए पात्र जनसंख्या को डी.ई.सी. (डाइइथाइल कार्बेमेजाइन साइट्रेट) की एकल खुराक की वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 11 नवम्बर, 2005 को डी.ई.सी. (डाइइथाइल कार्बेमेजाइन साइट्रेट) की एकल खुराक की वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया गया।
* पता लगाए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालयों में लिम्फिडेमा रोगियों के घर के नुस्खों पर आधारित उपचार और हाइड्रोसील आपरेशन बढ़ाना।
* लिम्फेटिक फाइलेरिया रोगियों का घर के नुस्खों पर आधारित उपचार के लिए स्वास्थ्य परिचर्या के कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण।

वर्ष 2004 के दौरान 18 जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार हाइड्रोसेलेक्टामी शिविरों का आयोजन किया गया और 2072 हाइड्रोसील आपरेशन किये गये।

वर्ष 2005 के दौरान जिला स्तर के प्रशिक्षकों को प्राथमिक प्रशिक्षकों के प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के माध्यम से लिम्फोडेमा के रोगियों के उपचार सहित वेक्टर जन्य रोगों के उपचार में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 69 चिकित्सा महाविद्यालयों में 444, संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

कोलकाता में सब-मैरीन स्टेशन की स्थापना

2084. श्री समिक लाहिरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इंटरनेट तक बेहतर पहुंच हेतु कोलकाता के निकट सब-मैरीन स्टेशन स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशन को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सभी अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर सबमैरीन स्टेशन के स्थान का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी तक सरकार को किसी प्रचालक से कोलकाता के निकट सबमैरीन केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) उपरोक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोयला क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञ समिति

2085. श्री सनत कुमार मंडल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोयला क्षेत्र की एक निरन्तर तथा व्यापक समीक्षा करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और समिति के विचारार्थ विषय क्या-क्या होंगे;

(ग) अब तक समिति द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो कोयला क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने देश में कोयला क्षेत्र के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए श्री टी.एल. शंकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(1) लघु, मध्यम तथा दीर्घावधि में कोयले की मांग-आपूर्ति में अंतर को दूर करने के उपाय।

(2) भारतीय कोयला क्षेत्र में विशेष रूप से कोल इंडिया में हाथ और मशीन की उत्पादकता में सुधार करने के उपाय।

(3) कटिंग एंज प्रौद्योगिकी को लागू करना।

(4) कोयला क्षेत्र की सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लि. (सी.एम.पी.डी.आई.) को सेन्टर आफ एक्सीलैंस फॉर प्लानिंग एंड रिसर्च के रूप में परिवर्तित करने के उपाय।

(5) सी.आई.एल. को विश्व श्रेणी की कंपनी बनाने हेतु उसका पुनर्गठन करना।

(6) अन्य मामले, जिन्हें समिति कोयला क्षेत्र के कार्यकरण में सामान्य सुधार हेतु महत्वपूर्ण समझे।

(7) कोयले का व्यापार शुरू करने के गुण-दोष की जांच करना।

(8) गृहीत कोयला खनन की वर्तमान नीति की जांच करना और उन सिफारिशों पर विचार करना जो मांग-आपूर्ति के अंतर को दूर कर सकें।

(9) मेसर्स के.पी.एम.जी. कन्सलटेन्सी प्रा.लि. द्वारा सुझाई गई प्रमुख सिफारिशो की जांच करना।

समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार है:

(1) डा. जे.जे. ईरानी, निदेशक टाटा।

(2) श्री पी.के. सेनगुप्ता, पूर्व अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड।

(3) श्री पी.वी. श्रीधरन, सीनियर विजिटिंग फेलो, दि एनर्जी एंड रिसोर्सिज इंस्टीट्यूट (टेरी)

(4) श्री एस.के. महाजन, पूर्व सलाहकार, योजना आयोग।

(5) श्री एस.पी. सेठी, सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग।

(6) श्री प्रदीप कुमार, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय।

(7) समिति के सदस्य सचिव।

(ग) और (घ) समिति विभिन्न पणधारियों से मिली है और उनके साथ चर्चा की है। समिति ने इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा इच्छुक तथा संबंधित लोगों के सुझाव आमंत्रित किये हैं। समिति द्वारा अपनी पहली रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किये जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय खेल नीति

2086. श्री सुनील खां: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राष्ट्रीय खेल नीति घोषित की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय खेल नीति 2001 घोषित कर दी है। नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

1. खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना;
2. अवस्थापना का उन्नयन और विकास तथा उच्च गुणवत्ता के खेल उपस्करों की पहुंच को सुनिश्चित करना;
3. राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता;

4. वैज्ञानिक समर्थन को मजबूत बनाना तथा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सहायता;

5. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन;

6. महिलाओं, जनजातीय लोगों तथा ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना;

7. खेलों के संवर्धन में निगमित क्षेत्र को शामिल करना; और

8. प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, जजों, रैफ्रियों तथा अम्पायरों का प्रशिक्षण और विकास;

9. खेलों के माध्यम से पर्यटन का संवर्धन; तथा

10. खेलों के जरिए विश्वव्यापीकरण का संवर्धन।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहायता

2087. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में राजस्थान के विद्यालयों को कोई सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) से (घ) 31.3.2005 तक मंत्रालय इस दिशा में विभिन्न खेल सुविधाओं के सृजन के लिए राजस्थान सहित राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल अवस्थापना योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न खेल सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा था। 1.4.2005 से खेल अवस्थापना योजनाओं को राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है और तदनुसार सभी राज्यों को फरवरी, 2005 में सूचित कर दिया गया है। खेल अवस्थापना के लिए 2005-06 के बजट में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। अतः खेल अवस्थापना के परियोजनाओं के लिए नये प्रस्ताव राज्य सरकारों को अपने स्वयं के संसाधनों में से वित्त पोषित करने होंगे। पिछले पांच वर्षों के दौरान स्कूलों को सहायता सहित राजस्थान में खेलों के संवर्धन के लिए उपलब्ध कराए गए केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

क्र.सं.	परिसंघों का नाम	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपयों में)				
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1.	खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान	774.98	872.50	1057.99	2906.98	1787.99
2.	ग्रामीण स्कूलों को अनुदान	242.68	343.87	310.99	399.63	482.45
3.	विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में खेल संवर्धन के लिए अनुदान	454.4	669.04	665.98	1080.25	1472.00
4.	सिंथेटिक सतह बिछाने के लिए अनुदान	200.00	385.00	120.67	200.00	150.00

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण राजस्थान में खेलों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाता है:

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना

(क) गुरु नानक खालसा स्कूल, श्री गंगानगर

(ख) भूपाल नोवेल्स हाई स्कूल, उदयपुर

2. देशज खेलों और मार्शल आर्टस के लिए अपनाए गए स्कूल

(क) माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर नागवास बांदीकुई, दौसा

(ख) पद्मा बनानी डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, बनानी ग्राम पिंडवारा, सिरोही

3. अपनाए गए नवोदय विद्यालय

(क) नवोदय विद्यलाय, तैलवांसी, पो. ऑफिस, भावी, जोधपुर

4. अपनाए गए अखाड़ा

(क) लव कुश अखाड़ा भीलवाड़ा

5. अखाड़ा जिन्हें उपस्कर सहायता प्रदान की गई

(क) गुरु हनुमान व्यायामशाला, पटेल मैदान, अजमेर

6. भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र

(क) खेल प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर

(ख) खेल प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मोबाइल एम्बुलैंस

2088. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुसज्जित मोबाइल एम्बुलैंस की आपूर्ति करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन राज्यों के नाम क्या है जहां ऐसी एम्बुलैंस उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) ऐसी व्यवस्था के लिए अनुमानित कुल लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में विशेषकर अल्पसेवित क्षेत्रों में लोगों को उनके घर के आसपास स्वास्थ्य परिचर्या मुहैया करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक मोबाइल मेडिकल यूनिट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

इस स्कीम से संबंधित दिशानिर्देशों को तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विधान

2889. श्री गणेश सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नया विधान लाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। एचआईवी/एड्स से जुड़े कलंक/भेदभाव को दूर करने, उपचार एवं परामर्श की सुविधा बढ़ाने, सूचित सहमति, कार्य का सुरक्षित माहौल, जोखिम कम करने से संबंधित कार्यनीतियों को प्रोत्साहन देने, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक पहुंच बढ़ाने, उपचारी तंत्रों, पीड़ित महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी विषयों पर कार्रवाई करने के लिए एचआईवी/एड्स कानून बनाने का सरकार का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए पाकिस्तान का प्रस्ताव

2090. श्री जुएल ओराम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) कश्मीर मसले के समाधान हेतु पाकिस्तान द्वारा कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

कर्मचारियों की कमी

2091. श्री पी. करुणाकरन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक तथा तार विभाग में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भी राज्य ने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):

डाक विभाग

(क) और (ख) डाक विभाग में आमतौर पर कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है, हालांकि सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति और पदधारियों की मृत्यु के कारण सर्किलों में होने वाली रूटीन रिक्तियां हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अनुमोदित रिक्तियों को भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया सतत है और यह निरंतर चलती रहती है।

तार विभाग

(क) जी हां।

(ख) विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	समूह	कर्मचारियों की कमी
1.	समूह क	77
2.	समूह ख	177
3.	समूह ग	45
4.	समूह घ	118

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खेल स्टेडियम

2092. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) द्वारा देश में बनाए गए खेल स्टेडियमों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा ये कहां-कहां पर हैं;

(ख) देश में खेल स्टेडियम बनाए जाने के लिए प्राधिकरण द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए है;

(ग) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव उत्तरांचल में कोई स्टेडियम बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश में कोई स्टेडियम स्थापित नहीं किया है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण दिल्ली में पांच स्टेडियमों का रख-रखाव करता है जो एशियाई खेल, 1982 के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण को सौंपे गए थे। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण अपने विभिन्न खेल संवर्धनकारी योजनाओं को चलाने के लिए राज्यों द्वारा दिए गए खेल अवस्थापना का रख-रखाव करता है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण में स्टेडियम के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापे

2093. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मारे गए छापों के संबंध में सूचना लीक हो जाने के संबंध में कोई जांच करायी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें लिप्त अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 30.9.2005 को चलाए गए विशेष अभियान से संबंधित जानकारी लीक हो गई थी, केन्द्रीय अन्वेशण ब्यूरो मामले की छान-बीन कर रहा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने फील्ड फार्मेशनों को संवेदनशील बनाया है और उन्हें अनुदेश जारी किए हैं कि विशेष अभियानों के लिए जनशक्ति की आवाजाही/गतिविधियों के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरतें।

[अनुवाद]

हैदराबाद के निजाम के गहनों को जनता के लिए प्रदर्शित किया जाना

2094. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद के निजाम के गहनों को सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के स्थापना दिवस के मद्देनजर दिसम्बर, 2005 में मुम्बई से इस संग्रहालय में स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन गहनों को जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने गहनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) निजाम के आभूषणों की एक प्रदर्शनी, जनता के अवलोकनार्थ सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद में आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी की तारीखें अभी तय की जानी है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं।

प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण

2095. श्रीमती सुस्मिता बाउरी:
श्री सुनील खां:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राचीन पाडुंलिपि संग्रहालय (पुंथीशाला) जिसे 1920 में स्थापित किया गया था, वर्तमान में उसे पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के वाडुल गांव में ''सेन्टर फॉर स्टडी एंड डोक्यूमेन्टेशन ऑफ राई कल्चर'' के निजी प्रयासों से चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा विदेशों के प्रख्यात अनुसंधानकर्ता तथा विद्वान अनुसंधान एवं प्रलेखन के लिए इस संग्रहालय का दौरा करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो संस्कृत, बांग्ला तथा वैश्नव साहित्य की इन प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने स्थानीय पांडुलिपि संसाधन केन्द्र के माध्यम से संस्थान के अमूल्य पांडुलिपि संग्रह की सूची तैयार करने तथा निवारक संरक्षण उपचार के लिए सहायता प्रदान करने की पेशकेश की है। कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा संग्रहालय, जो पश्चिम बंगाल में मिशन का पांडुलिपि संसाधन केन्द्र है, के प्रतिनिधियों को 18 से 19 अप्रैल, 2005 को विष्णुपुर में आयोजित पांडुलिपि अभिविन्यास पाठ्यक्रम में आमंत्रित किया गया था।

[हिन्दी]

संस्कृत को प्राचीन भाषा का दर्जा

2096. योगी आदित्यनाथ:
श्री राम सिंह कस्वां:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी भाषा को 'प्राचीन भाषा' का दर्जा देने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने संस्कृत भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) गृह मंत्रालय भारत सरकार ने भाषाओं की एक नयी श्रेणी 'श्रेण्य भाषाएं' सृजित की है न कि 'प्राचीन भाषाएं'। श्रेण्य भाषा के रूप में किसी भाषा के वर्गीकरण का मानदंड इस प्रकार है:

(1) 1500 से 2000 वर्ष का अत्यधिक प्राचीन आद्य पाठ/लिखित इतिहास।

(2) प्राचीन साहित्य/मूल पाठों का ऐसा समूह जिसे भाषा बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक अमूल्य विरासत माना गया हो।

(3) साहित्यिक परंपरा मूल हो और अन्य भाषा समुदाय से ग्रहण न किया गया हो।

(4) श्रेण्य भाषा और साहित्य स्पष्ट रूप से आधुनिक साहित्य से भिन्न होता है। अतः श्रेण्य भाषा तथा इसके परवर्ती रूपों या इसकी शाखाओं के बीच समरूपता भी नहीं होनी चाहिए।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संस्कृत भाषा उक्त मानदंड को पूरा करती है और इसे 'श्रेण्य भाषा' के रूप में वर्गीकृत किया गया है; प्राचीन भाषा के नाम से कोई श्रेणी नहीं है।

राष्ट्र मंडल खेल

2097. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कोई राजसहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कया खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए देश के सभी खेल संगठनों को विश्वास में ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो खेलों से संबंधित अब तक किये गये निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए दावेदारी करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय सरकार ने आयोजन समिति के राजस्व और व्यय के बीच किसी भी अंतर को पूरा करने की गारंटी दी है। सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ/ओलंपिक समिति को अब तक 20.88 करोड़ रु. दिये हैं।

(ग) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की आयोजन समिति एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी स्वायत्त संगठन है जिसके अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघों के चार प्रतिनिधि ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल खेल, 2010 आयोजन के लिए ओलंपिक समिति जिम्मेदार है।

(घ) खेल प्रतियोगिताओं और खेल गांव के स्थान के बारे में अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। अवस्थापना स्थल और खेल गांव के निर्माण के लिए आज की तारीख तक कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

[अनुवाद]

उच्च अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच

2098. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता जैसी संस्थाओं के अधिकारियों सहित केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके भ्रष्ट आचरण का कोई तथ्य सामने आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार के मानदंडों और मार्गदर्शिकाओं का उल्लंघन करते हुए विभिन्न होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने में अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आपराधिक कदाचार का मामला दर्ज कर लिया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के विरुद्ध आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसंपत्ति रखने का मामला भी दर्ज किया गया है।

(ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो संबद्ध मामलों की छानबीन कर रहा है। तथापि, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के निदेशक को पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किए जाने पर सेवा से निलंबित कर दिया गया है।

ग्रामीण विद्यालयों को अनुदान

2099. डा. के.एस. मनोज: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्रामीण विद्यालयों को पहले से स्वीकृत अनुदान को जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक जारी कर दिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्यालयों को अनुदान पुनः शुरू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) से (घ) "खेल" संविधान के अंतर्गत "राज्य" का विषय है। देश भर में आधारभूत खेल अवस्थापना सृजित करने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकार की है। 31.3.2005 तक, इस दिशा में मंत्रालय अनुमोदित पैटर्न के अनुसार "खेल उपस्करों की खरीद तथा खेल मैदान के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों" को अनुदानों की योजना सहित केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देता था, बशर्ते कि राज्य सरकार से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों। 1.4.2005 से खेल अवस्थापना योजनाओं को राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है और तदनुसार सभी राज्य सरकारों को फरवरी, 2005 में सूचित कर दिया गया था। खेल उपस्करों की खरीद तथा खेल मैदान के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदानों की योजना सहित खेल अवस्थापना के लिए 2005-06 के बजट में कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। अतः खेल अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं के लिए नए प्रस्तावों का वित्त-पोषण राज्य सरकारों को अपने संसाधनों में से करना होगा। तथापि, योजना आयोग ने हाल ही में सूचित किया है कि केवल दसवीं योजना के दौरान पहले से चल रही अनुमोदित खेल अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी। अनुदानग्राही एजेंसियों से अपेक्षित दस्तावेजों जैसे उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाण-पत्र, प्राप्त होने पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहले से अनुमोदित मामलों के लिए जिसमें ग्रामीण स्कूल भी शामिल हैं, केन्द्र द्वारा स्वीकार्य सहायता जारी करने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते धन की उपलब्धता हो।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारियों द्वारा कदाचार

2100. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक संरक्षित स्मारक के प्रवेश द्वार पर संग्रहित राजस्व वास्तविक पर्यटकों की संख्या से मेल नहीं खाता है जैसा कि 26 सितम्बर, 2005 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में इन स्मारकों के प्रवेश द्वार पर तैनात भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के कर्मचारियों ने ऐसे रास्ते निकाल लिये हैं जिनसे वे पर्यटकों से एकत्रित टिकट धनराशि में से कुछ धनराशि स्वयं रख लेते हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार को वर्षवार अनुमानित कितने राजस्व की हानि हुई;

(ङ) दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) संरक्षित स्मारकों के प्रवेश द्वारों से एकत्र राजस्व से स्मारक में आए पर्यटकों की संख्या का पता चलना चाहिए। यद्यपि यह समाचार 26 सितम्बर, 2005 के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था कि वहां कर्मचारियों द्वारा कदाचार किए जाते हैं, किन्तु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ध्यान में, अब तक ऐसा कोई विशेष मामला नहीं लाया गया है।

(ङ) क्योंकि टिकट-बिक्री के संबंध में अब तक कदाचार की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है, अतः दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(च) अब लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा आदि जैसे कुछ स्मारकों में जहां पर्यटकों की संख्या अधिक है, स्वचालित प्रवेश नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह स्वचालित प्रणाली अल्प समय में ही काम करने की स्थिति में होगी।

विरासत नक्शा

2101. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विरासत स्मारकों/स्थानों और पुरावस्तुओं का एक विरासत नक्शा प्रारंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की लागत क्या है; और

(ग) इसे कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, निर्मित दाय एवं स्थलों की एक राष्ट्रीय सूची, तथा स्मारकों एवं पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन के अधीन पुरावशेषों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रस्ताव व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) के अनुमोदनार्थ भेजा गया है।

[हिन्दी]

संरक्षित स्मारकों के लिए कार्य योजना

2102. **श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश ने सरकार को संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण और संरक्षण हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश सरकार से केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण तथा संरक्षण हेतु कोई कार्य योजना प्राप्त नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मंदिर में ध्वनि व प्रकाश शो

2103. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश से वारंगल, आन्ध्र प्रदेश में स्थिति हजार खंभे वाले मन्दिर में एक ध्वनि व प्रकाश शो आयोजित करने की अनुमति मांगने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आन्ध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम को वारंगल किला में प्रस्तावित ध्वनि व प्रकाश कार्यक्रम तैयार करने तथा प्रारम्भ करने के लिए लिखा था। आन्ध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने दिनांक 14.7.2005 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि वर्ष 2005-06 के लिए 'केन्द्रीय वित्तीय सहायता' के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को भेजा गया है जो विचाराधीन है।

अजंता की गुफाओं में पेन्टिंग को नुकसान

2104. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि भारी वर्षा के कारण सीलन की वजह से अजंता की गुफाओं में पेन्टिंग और अन्य वस्तुओं का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पेन्टिंग को कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) इन पेन्टिंग तथा अन्य वस्तुओं के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) भारी वर्षा से कुछ गुफाओं में रिसाव हुआ है। तथापि, चित्रित सतहों पर इसका कोई सीधा प्रवाह नहीं हुआ।

(ग) उन स्थानों पर, जहां वर्षा के पानी का रिसाव काफी होता है, प्रच्छादित नालियों की व्यवस्था की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए भू-तकनीकी अध्ययनों के आधार पर भू-जल प्रबंधन के और उपाय किए जा रहे हैं।

शिल्पग्राम परियोजना

2105. **डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुवाहाटी में शिल्पग्राम परियोजना के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;

(ख) असम समझौता के खंड VI के तहत गुवाहाटी में श्रमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र और अन्य सांस्कृतिक केन्द्रों में कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कुल आबंटन, उपयोग की गई राशि और उपलब्धियां क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र ने दिसंबर, 2003 में 3.98 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से शिल्पग्राम की स्थापना करने का कार्य शुरू किया, जिसे भारत सरकार द्वारा 2002-2003 में मंजूर किया गया था। इसके बाद, इस वर्ष भारत सरकार द्वारा शिल्पग्राम के कार्य को पूरा करने के लिए 82.00 लाख रु. का अनुदान मंजूर किया गया है। शिल्पग्राम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और यह शीघ्र ही कार्य करना शुरु कर देगा।

(ख) 1998 में इसकी स्थापना के बाद से श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र पूर्वोत्तर के कलारूपों के विभिन्न विषयों पर अनेक उत्सव, कार्यशाला; प्रमुख कला प्रदर्शनियां, सेमिनार तथा चर्चाएं, व्याख्यान आदि आयोजित करता रहा है। कलाक्षेत्र का एक नृजातीय तथा विरासत संग्रहालय भी है। कलाक्षेत्र ने अनेक प्रकाशन भी निकाले हैं।

(ग) असम समझौते के भाग के रूप में भारत सरकार ने श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र के निर्माण के लिए 18.85 करोड़ रु. की सहायता प्रदान की थी। राज्य सरकार, सहायता अनुदान के माध्यम से श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र के दिन प्रति दिन के कार्यक्रम का वित्तपोषण करती है।

[हिन्दी]

संगीत, थियेटर तथा कला विद्यालय खोलना

2106. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में समुचित प्रशिक्षण संस्थानों की कमी के कारण संगीत, थियेटर तथा कला में रूचि रखने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को उचित अवसर नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक संगीत, थियेटर तथा कला विद्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके कब तक खुलने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) संस्कृति मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य साहित्यिक, दृश्य तथा मंच कलाओं का संवर्धन करना है। संगीत, रंगमंच और कलाओं का शिक्षण इसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता। ऐसे अनेक निजी संस्थान और व्यक्ति (गुरु) है जो संगीत, रंगमंच और कला के शिक्षण में कार्यरत हैं। मंत्रालय अपने स्वायत्त संस्थानों के माध्यम से देश के युवा तथा प्रतिभाशाली कलाकारों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इन छात्रवृत्तियों के आवेदकों की संख्या बहुत बड़ी है।

(ख) से (घ) इस समय, देश के प्रत्येक राज्य में संगीत, रंगमंच और कला विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। निम्नलिखित विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से संगीत, रंगमंच और कला के शिक्षण कार्य में सपर्पित हैं।

(1) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़

(2) भाखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(3) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली

इसके अलावा, लगभग 171 विश्वविद्यालयों में संगीत/रंगमंच तथा कला विभाग हैं और लगभग 44 महाविद्यालय संगीत, रंगमंच और कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

[अनुवाद]

विदेशों में पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार और संरक्षण

2107. **श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों से वहां स्थित पुराने ऐतिहासिक हिन्दू मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा संरक्षण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना विदेश मंत्रालय से एकत्र की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में भारत निर्माण कार्यक्रम

2108. डा. एम. जगन्नाथ: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने 21 अगस्त, 2005 को राज्य सरकार के भू-वितरण कार्यक्रम के द्वितीय चक्र को शुरू करने के लिए आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत विशेष पैकेज दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्यक्रम के तहत परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय नियत किया गया?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत निर्माण लक्ष्यों की प्राप्ति की समय सीमा 4 वर्ष (2005-2009) है।

[हिन्दी]

राजस्थान में संरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण

2109. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए कोई कार्य योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राजस्थान सरकार से केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण तथा संरक्षण हेतु कोई कार्य योजना प्राप्त नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खनन के लिए भूमि का प्रयोग

2110. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) ने खनन हेतु भूमि का प्रयोग करने के संबंध में जिला प्राधिकारियों से सम्पर्क साधा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 तथा राज्य सरकार में निहित भूमि के मामले में राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण किए जाने के माध्यम से तथा काश्तकारों से सीधे खरीदे जाने के माध्यम से भी भूमि अधिग्रहीत की जाती है। अधिग्रहण किए जा रहे मामलों की स्थिति निम्न प्रकार है:

(1) 137 हेक्टेयर काश्तकारी और पट्टा भूमि के अधिग्रहण हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन बांकोला क्षेत्र के अंतर्गत नकराकोंडा "बी" कोलियरी हेतु 16.8.2004 को अधिसूचना प्रकाशित की गई है। 6.11.2004 को भूमि अधिग्रहण समाहर्त्ता, बर्दवान को संशोधित अनुमान के अनुसार भूमि मूल्य के 189 लाख रु. जमा करा दिए गए हैं।

(2) सरकार में निहित 19 हेक्टेयर भूमि के लिए, महाप्रबंधक, बांकोला क्षेत्र ने जिला भूमि और भूमि सुधार अधिकारी, बर्दवान को 4.10.05 को लिखा है।

(3) कुनोसटोरिया क्षेत्र के अंतर्गत रनोई पैच हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन 209 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए, जिला स्तर पर स्थल चयन समिति ने 26.10.2004 को पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्ताव की सिफारिश की थी।

(4) सतग्राम क्षेत्र के अंतर्गत दमालिया पैच हेतु पट्टा भूमि के अधिग्रहण के लिए, कम्पनी ने भूमि अधिग्रहण समाहर्त्ता, बर्दवान को 7.1.2005 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस पर उप-प्रभागीय स्तर की स्थल चयन समिति में 22.11.2005 को चर्चा की गई थी।

[अनुवाद]

शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस

2111. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना को अंतिम रूप देने में देरी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की पूरे देश में नगर पालिका निकायों में ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय मिशन डिजाइन करने की भी कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त परियोजना और मिशन के कब तक शुरू होने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एक लाख और उसके अधिक आबादी वाले 423 शहरों/कस्बों को शामिल करते हुए ''नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस की राष्ट्रीय मिशन मोड परियाजना'' 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए तैयार की जा रही है। परियोजना पर व्यय वित्त समिति ज्ञापन को सभी संबंधित मंत्रालयों को उनकी टिप्पणी के लिए परिचालित कर दिया गया है। परियोजना के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। परियोजना के डिजाइन, लागत अनुमानों को तैयार करने आदि के लिए चुनिंदा शहरी स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श प्रक्रिया के कारण परियोजना को अंतिम रूप देने में विलंब है, तथापि परियोजना को इस वित्त वर्ष 2005-06 के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने और शुरू किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों का विकास

2112. श्री चन्द्र प्रताप सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के क्या नाम हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान आज तक जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यान्वित योजनाओं का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि कितनी है; और

(घ) इन योजनाओं के तहत शुरू कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में 26 प्रमुख और 5 मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपीज,) 30 एमएडीए पाकेटों और छह क्लस्टरों की पहचान की गई है। विस्तृत सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) जनजातीय पिछड़े जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में विभिन्न विभाग जनजातीय उपयोजना, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एसीए टु टीएसपी) और अनुच्छेद 275 (1) कार्यान्वित कर रहे हैं। विस्तृत सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

जनजातीय उपयोजना क्षेत्र को मध्य प्रदेश में 26 मुख्य, 5 मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपीज), 30 एमएडीए और 6 क्लस्टरों में निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है:

क्रम सं.	मण्डल/जिला	आईटीडीपी/एमएडीए/क्लस्टर का नाम		
		आई टी डी पी	एम ए डी ए	क्लस्टर
1	2	3	4	5
	इंदौर मंडल			
1.	झाबुआ	1-झाबुआ		
		2-अलीराजपुर		

1	2	3	4	5
2.	धार	3-धार	1-बडनावर	
		4-कुकशी		
3.	खरगोन	5-खरगोन		
		6-माहेश्वर		
4.	बडवानी	7-बडवानी		
		8-सेंधवा		
5.	खांडवा	9-खांडवा	2-आन्धावडी	1-पामाखेड़ी
			3-पीपलकोटा	
6.	इंदौर		4-मऊ	
	उज्जैन मंडल			
7.	देवास	10-बागली (मध्य)		
8.	रतलाम	11-सैलाना		
	जबलपुर मंडल			
9.	मांडला	12-मांडला		
		13-निवास		
10.	दिनदोरी	14-दिनदोरी		
11.	बालाघाट	15-बैहार		
12.	सिओनी	16-लखननदोंन	5-सिओनी	
		17-कुराई (मध्य)		
13.	छिंदवाड़ा	18-तामिया	6-लहगडुआ	
		19-सौनसर		
14.	जबलपुर	20-कुन्दम	7-बारगीपाटन	2-प्रतापपुर
			8-सिह्रोरा	3-हिनोतिया
15.	नरसिंगपुर		9-नरसिंगपुर	
16.	कटनी		10-मुदवारा	4-मोहारी
	रीवा मंडल			
17.	शहडौल	21-शहडौल	11-बेओहारी	
		22-जयसिंहनगर		

1	2	3	4	5
18.	अनुपपुर	23-पुष्पराजगढ़		
19.	उमरिया	24-बांधवगढ़		
20.	सिद्धि	25-देवसार		
		26-कुसमी		
21.	सतना		12-मैहार	
			13-नागौड	
			14-रघुराजनगर	
			15-अमरपाटन	
			16-पिपरही	
22.	रेवा			
	भोपाल मंडल			
23.	बेतुल	27-बेतुल	17 प्रभातपट्टन	
		28-भैंसदेही		
24.	रायसेन		18-सिलवानी, बरेली	
			19-गोहर गंज	
25.	सिहोर		20-इचावर,	
			नसरूल्लागंज, बुधानी	
26.	होशंगाबाद	29-केसला (मध्य)		
27.	हरदा	30-हरदा (मध्य)		
	सागर मंडल			
28.	सागर		21-देओरी कला	
29.	पन्ना		22-पवाई	
30.	छत्तरपुर			5-किशनगढ़
31.	गमोह		23-जबेरा	
			24-तेंदुखेड़ा	
			25-हाटा	
	ग्वालियर मंडल			
32.	गुना		26-गुना	
			27-छछोदा	
			28-पेरसोलिया	

1	2	3	4	5
33.	शिवपुरी		29-शिवपुरी 30-पोहरी	6-कोटला
34.	शुपुर	31-करहाल (मध्य)		

विवरण II

(क) जनजातीय उप-योजना-राज्य योजना (करोड़ रुपये)

वर्ष	जनजातीय उप-योजना			
	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय	% आवंटन
2001-02	623.85	620.20	505.46	81.50
2002-03	818.83	824.69	686.72	83.27
2003-04	899.41	962.73	839.00	87.15
2004-05	1409.82	1365.75	1176.57	86.15
2005-06	1544.91	1365.63	403.31	29.53

(सितम्बर 2005 तक प्रगति)

(ख) विशेष केन्द्रीय सहायता-जनजातीय उप योजना (करोड़ रु.)

वर्ष	बजट प्रावधान (अनुपूरक सहित)	भारत सरकार से जारी राशि	व्यय	जारी राशि का %
2001-02	72.02	78.33	62.25	79.47
2002-03	91.70	78.33	87.94	112.27
2003-04	80.23	74.59	70.33	94.28
2004-05	87.38	91.40	70.50	77.13
2005-06	104.44	76.61	एन.ए.	एन.ए.

(ग) अनुच्छेद-275(1) (करोड़ रु.)

वर्ष	बजट प्रावधान (अनुपूरक सहित)	भारत सरकार से जारी राशि	व्यय	जारी राशि का प्रतिशत
2001-02	58.77	43.46	43.45	99.97
2002-03	72.05	40.52	40.52	100.00
2003-04	52.87	38.22	35.36	92.52
2004-05	66.48	51.74	41.87	80.92
2005-06	50.86	48.99	एन.ए.	एन.ए.

[अनुवाद]

लीजहोल्ड परिवर्तन योजना

2113. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **शहरी विकास मंत्री** 19 अप्रैल, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3883 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने पर मूलरूप से अधिसूचित जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी सहित लीजहोल्ड कंवरजन स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उसमें बाद में क्या आशोधन किए गए?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय

2114. श्री छत्तर सिंह दरबार: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-2005 के लिए देश की राज्यवार वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कितनी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): 2004-2005 के दौरान देश में 1993-94 मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, जिसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी) के रूप में भी जाना जाता है, और प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 13,54,599 करोड़ रु. तथा 12,416 रु. है। वर्ष 2004-05 के लिए सभी राज्यों की राज्यवार प्रति व्यक्ति आय उपलब्ध नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के प्रचलित तथा स्थिर (1993-94) मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रचलित और स्थिर (1993-94) मूल्यों पर राज्यवार प्रति व्यक्ति आय

(रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (राज्य आय)			1993-94 मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (राज्य)		
		2001-2002	2002-2003	2003-2004	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	17932	18820	20757	10609	10634	11333
2.	अरुणाचल प्रदेश	15701	15589	17393	9401	9086	9678
3.	असम	11132	12074	13139	6066	6221	6520
4.	बिहार	5007	5683	5780	3342	3928	3557
5.	झारखंड	10129	11544	12509	6587	7614	8247
6.	गोवा	51076	53092	उपलब्ध नहीं	27603	28071	उपलब्ध नहीं
7.	गुजरात	19607	22838	26979	13232	14539	16779
8.	हरियाणा	24851	26974	29963	14181	14694	15721
9.	हिमाचल प्रदेश	21570	22671	24903	11326	11655	12302

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू-कश्मीर	13320	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	7541	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11.	कर्नाटक	18196	19865	21696	12029	12518	13141
12.	केरल	20287	22776	24492	10762	11605	12328
13.	मध्य प्रदेश	12125	11483	14011	7699	7015	8284
14.	छत्तीसगढ़	12032	12244	14863	7400	7250	8383
15.	महाराष्ट्र	24055	26291	29204	14642	15580	16479
16.	मणिपुर	12683	13658	14766	7445	8048	8751
17.	मेघालय	15813	16803	18135	9905	10262	10795
18.	मिजोरम	19704	22207	उपलब्ध नहीं	10505	10833	उपलब्ध नहीं
19.	नागालैंड	18911	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	11674	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
20.	उड़ीसा	9897	10208	12388	5802	5665	6487
21.	पंजाब	25625	26032	27851	15195	15264	15800
22.	राजस्थान	13621	12745	15486	8763	7917	9685
23.	सिक्किम	18822	20456	21586	11232	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
24.	तमिलनाडु	20326	21740	23358	12484	12696	12976
25.	त्रिपुरा	17383	18676	उपलब्ध नहीं	9664	9969	उपलब्ध नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	9320	9870	10817	5603	5496	5702
27.	उत्तरांचल	13260	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	7937	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	17499	18549	20896	10380	10951	11612
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	25999	28340	उपलब्ध नहीं	15679	15880	उपलब्ध नहीं
30.	चंडीगढ़	47680	51341	57621	28697	29899	31865
31.	दिल्ली	44422	47441	51664	26306	27528	29231
32.	पांडिचेरी	37926	45431	50936	22827	25740	28107

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

[अनुवाद]

किराया आधार पर कम्प्यूटरों तथा संबद्ध सामग्री की अधिप्राप्ति

2115. श्री रघुनाथ झा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) तथा इसकी सहायक कम्पनियों ने किराया आधार पर कम्प्यूटर तथा संबद्ध सामग्री की अधिप्राप्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या कम्प्यूटरों और संबद्ध सामग्री को खरीदना इन्हें किराए पर लेने से सस्ता पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

लाख रु. में

कम्पनी	व्यय
कोल इंडिया लि. (मुख्यालय)	68.47
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	288.14
भारत कोकिंग कोल लि.	366.08
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	312.59
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	176.70
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	397.47
महानदी कोलफीलड्स लि.	165.00
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	34.70
नार्थ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स	3.78
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.	154.34

(ग) और (घ) सी.आई.एल. द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास, माडलों के तेजी से पुराने होने, अनुरक्षण सपोर्ट की उपलब्धता और कोलफील्ड क्षेत्रों के दूरस्थ स्थलों पर भी मशीन के अधिक समय तक काम करने के कारण इन्हें खरीदने की अपेक्षा किराए पर लेना अधिक सस्ता पड़ता है।

प्रतिनियुक्ति प्रणाली को समाप्त करना

2116. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी विभागों/मंत्रालयों आदि से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मूलभूत सुविधाओं के संबंध में प्रति व्यक्ति व्यय

2117. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा देश की शहरी जनसंख्या को सड़कें, सफाई, पेयजल, विद्युत इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने पर वर्षवार प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान दिल्ली में प्रति व्यक्ति पर वर्षवार कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार महानगरों की तुलना में छोटे और मध्यम शहरों पर किए जाने वाले व्यय में समानता लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. की वृहद आवासीय परियोजना

2118. श्री वीरचन्द्र पासवान:
श्री हितेन बर्मन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीडीए ने बहुत ऊंची दर पर वृहद आवासीय परियोजना दी है;

(ख) यदि हां, तो वृहद आवासीय परियोजना की निर्माण और दर का ब्यौरा क्या है और इसे इतनी ऊंची दर पर दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) डीडीए को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने दो श्रेणियों नामत:

(1) टर्नकी आधार, तथा

(2) मद की दर (आईटम रेट) आधार

पर मेगा आवास परियोजनाएं दी हैं।

टर्नकी आधार पर दी गई मेगा परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं। आईटम रेट आधार पर दी गई मेगा परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मेगा आवास परियोजनाएं देते समय निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था तथा तत्कालीन बाजार दरों के आधार पर निकाली गई दरों के औचित्य को ध्यान में रखते हुए विधिवत विचार-विमर्श और चर्चाओं के पश्चात सभी परियोजनाएं दी गई थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि उसके सतर्कता सेल ने टर्नकी आधार वाली मेगा आवास वाली परियोजनाओं के संबंध में जांच शुरू की।

विवरण I

टर्नकी आधार पर दी गई मेगा परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	जोन	एजेन्सी	परियोजना दिए जाने की दर
1	2	3	4	5
1.	पाकेट ए.बी.सी.डी. ग्रुप-1 से.बी-2, नरेला में टर्नकी आधार पर 1256 एलआईजी आवास का निर्माण	उत्तर	यूनिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि.	7190 रुपये प्रति वर्ग मी. तथा 100 रुपये प्रति वर्ग मि. का अतिरिक्त भुगतान यदि पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता हो।
2.	पाकेट ई, एफ, जी, एच, ग्रुप-2, से.बी-2, नरेला में टर्नकी आधार पर 1160 एलआईजी आवास का निर्माण	उत्तर	यूनिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि.	7190 रुपये प्रति वर्ग मी. तथा 100 रुपये प्रति वर्ग मी. का अतिरिक्त भुगतान यदि पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता हो।
3.	से. 18 रोहिणी में टर्नकी आधार पर 630 एलआईजी आवास का निर्माण	रोहिणी	यूनिटेक लि.	फ्लैट के प्लिंथ एरिया के प्रति वर्ग मी. 7190 रुपये
4.	से. 14 द्वारका में टर्नकी आधार पर 760/756 एलआईजी आवास का निर्माण	द्वारका	बीआरएम (इंडिया) लि.	फ्लैट के प्लिंथ एरिया के प्रति वर्ग मी. 7190 रुपये
5.	सुल्तानगढ़ी के निकट वसंत कुंज में टर्नकी आधार पर 850(वास्तविक 795) मास हाउसिंग (170 एच आई जी/340 एम आई जी/340 एल आई जी) का निर्माण	दक्षिण-पश्चिम जोन	अहलुवालिया कांट्रेक्ट (इंडिया) लि.	फ्लैट के प्लिंथ एरिया के प्रति वर्ग मी. 7365 रुपये

1	2	3	4	5
6.	बक्करवाला में टर्नकी आधार पर 5500 एलआईजी आवास का निर्माण	पूर्वी जोन		
	(1) पाकेट-सी में 1380 एलआईजी आवास का निर्माण	पूर्वी जोन	एल एंड टी	फ्लैट के प्लिंथ एरिया के प्रति वर्ग मी. 7190 रुपये
	(2) पाकेट-बी-2 में 900 एलआईजी आवास का निर्माण	पूर्वी जोन	यूनिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट	फ्लैट के प्लिंथ एरिया के प्रति वर्ग मि. 7190 रुपये
	(3) पाकेट-बी-1 में 900 एलआईजी आवास का निर्माण	पूर्वी जोन	गेमोन इंडिया	फ्लैट के प्लिंथ एरिया के प्रति वर्ग मी. 7190 रुपये
	(4) पाकेट-डी में 1000 एलआईजी आवास का निर्माण	पूर्वी जोन	यूनिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट	फ्लैट के प्लिंथ एरिया के प्रति वर्ग मी. 7190
	(5) पाकेट-ए में 1320 एलआईजी आवास का निर्माण	पूर्वी जोन	अहलुवालिया कांट्रैक्ट (इंडिया) लि.	फ्लैट के प्लिंथ एरिया के प्रति वर्ग मि. 7190 रुपये

विवरण II

आईटम रेट आधार पर दी गई परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	जोन	एजेंसी	परियोजना दिए जाने की दर
1	2	3	4	5
1.	सुल्तानगढ़ी मकबरा के निकट महरौली-महिपालपुर रोड पर वसंतकुंज में 852 एचआईजी/एमआइजी/एलआईबी का निर्माण एसएच: 416 आवास का निर्माण आई/सी बेसमेंट का निर्माण, आंतरिक जल आपूर्ति, सेनिटरी इंस्टालेशन, इलैक्ट्रिफिकेशन, लिफ्ट, अग्निश्मन तथा बाह्य जल आपूर्ति/सीवरेज/एसडब्ल्यू ड्रेन/पंप एवं ट्यूवेल की स्थापना, सड़क एवं पथ एवं स्थल विकास आदि ग्रुप-I में पूर्णतः तैयार	दक्षिण-पश्चिम जोन	मेसर्स लार्सन एंड टाउब्रो लि.	डीएसआर 1997 के ऊपर 10.98%
2.	सुल्तानगढ़ी मकबरा के निकट महरौली-महिपालपुर रोड पर वसंतकुंज में 852 एचआईजी/एमआइजी/एलआईबी का निर्माण एसएच: 436 (311 एमआईजी तथा 125 एलआईजी) बहुमंजिले एवं 4 मंजिले आवास का निर्माण आई/सी बेसमेंट का निर्माण, आंतरिक जल आपूर्ति, सेनिटरी इंस्टालेशन, इलैक्ट्रिफिकेशन, लिफ्ट, अग्निश्मन तथा बाह्य जल आपूर्ति/सीवरेज/एसडब्ल्यू ड्रेन/पंप एवं ट्यूवेल की स्थापना, सड़क एवं पथ एवं स्थल विकास आदि ग्रुप-I में पूर्णतः तैयार	दक्षिण-पश्चिम जोन	मेसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि.	डीएसआर 1997 के ऊपर 10.13%

1	2	3	4	5
3.	वसंतकुंज में डी-6 पाकेट के पीछे मेगा हाउसिंग परियोजना (2304 एचआईजी/एमआईजी/एलआईजी आवास) का निर्माण एसएच: 240 एचआईजी, 104 एमआईजी एवं 120 एलआईजी बहुमंजिले आवास का निर्माण आई/सी बेसमेंट का निर्माण, आंतरिक जल आपूर्ति, सेनिटरी इंस्टालेशन, इलैक्ट्रिफिकेशन, लिफ्ट, अग्निश्मन तथा बाह्य जल आपूर्ति/सीवरेज/एसडब्ल्यू ड्रेन/पंप एवं ट्यूवेल की स्थापना, सड़क एवं पथ एवं भू-विन्यास आदि ग्रुप-I में पूर्णत: तैयार	दक्षिण-पश्चिम जोन	मेसर्स अहलुवालिया कांट्रैक्टस इंडिया लि.	डीएसआर 1997 के ऊपर 11.64%
4.	वसंतकुंज में डी-6 पाकेट के पीछे मेगा हाउसिंग परियोजना (2304 एचआईजी/एमआइजी/एलआईजी आवास) का निर्माण एसएच: 240 एचआईजी, 104 एमआईजी एवं 120 एलआईजी बहुमंजिले आवास का निर्माण आई/सी बेसमेंट का निर्माण, आंतरिक जल आपूर्ति, सेनिटरी इंस्टालेशन, इलैक्ट्रिफिकेशन, लिफ्ट, अग्निश्मन तथा बाह्य जल आपूर्ति/सीवरेज/एसडब्ल्यू ड्रेन/पंप एवं ट्यूवेल की स्थापना, सड़क एवं पथ एवं भू-विन्यास आदि ग्रुप-II में पूर्णत: तैयार	दक्षिण-पश्चिम जोन	मेसर्स यूनिटेक लि.	डीएसआर 1997 के ऊपर 11.76%
5.	वसंतकुंज में डी-6 पाकेट के पीछे मेगा हाउसिंग परियोजना (2304 एचआईजी/एमआइजी/एलआईजी आवास) का निर्माण एसएच: 240 एचआईजी, 104 एमआईजी एवं 120 एलआईजी बहुमंजिले आवास का निर्माण आई/सी बेसमेंट का निर्माण आंतरिक जल आपूर्ति, सेनिटरी इंस्टालेशन, इलैक्ट्रिफिकेशन, लिफ्ट, अग्निश्मन तथा बाह्य जल आपूर्ति/सीवरेज/एसडब्ल्यू ड्रेन/पंप एवं ट्यूवेल की स्थापना, सड़क एवं पथ एवं भू-विन्यास आदि ग्रुप-III में पूर्णत: तैयार	दक्षिण-पश्चिम जोन	मेसर्स विलायती राम मित्तल	डीएसआर 1997 के ऊपर 11.52%
6.	वसंतकुंज में डी-6 पाकेट के पीछे मेगा हाउसिंग परियोजना (2304 एचआईजी/एमआइजी/एलआईजी आवास) का निर्माण एसएच: 240 एचआईजी, 104 एमआईजी एवं 120 एलआईजी बहुमंजिले आवास का निर्माण आई/सी बेसमेंट का निर्माण, आंतरिक जल आपूर्ति, सेनिटरी इंस्टालेशन, इलैक्टिफिकेशन, लिफ्ट, अग्निश्मन तथा बाह्य जल आपूर्ति/सीवरेज/एसडब्ल्यू ड्रेन/पंप एवं ट्यूवेल की स्थापना, सड़क एवं पथ एवं भू-विन्यास आदि ग्रुप-IV में पूर्णत: तैयार	दक्षिण-पश्चिम जोन	मेसर्स विलायती राम मित्तल	डीएसआर 1997 के ऊपरी 11.45%

1	2	3	4	5
7.	से. 19(बी), द्वारका फेज-I में 440 एचआईजी(एमएस) आवास का निर्माण	द्वारका	मेसर्स ईपीआई लि.	डीएसआर 2002 के ऊपर 12.82%
8.	से. 18 बी, द्वारका में 266 बहुमंजिले एचआईजी आवास का निर्माण, आई/सी सेनिटरी, जल आपूर्ति एवं आंतरिक विकास, ग्रुप-I	द्वारका	मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कं. लि.	डीएसआर 2002 के ऊपर 12.82%
9.	से. 18 बी, ग्रुप-II द्वारका फेज-II में 302 बहुमंजिले एचआईजी आवास का निर्माण	द्वारका	मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन क. लि.	डीएसआर 2002 के ऊपर 12.82%
10.	से. 18बी, द्वारका फेज-II में 504 एमआईजी तथा 360 एलआईजी आवास का निर्माण	द्वारका	मेसर्स लार्सन एंड टाउब्रो लि.	डीएसआर 2002 के ऊपर 4.38%
11.	से. 18 बी, द्वारका में 490 एचआईजी (बहुमंजिले) आवास का निर्माण	द्वारका	मेसर्स विलायती राम मित्तल	डीएसआर 2002 के ऊपर 0.32%
12.	से. 18 बी, द्वारका में 457 एमआईजी (बहुमंजिले) आवास का निर्माण	द्वारका	मेसर्स विलायती राम मित्तल	डीएसआर 2002 के ऊपर 0.23%
13.	से. 12, द्वारका में 198 एचआईजी आवास का निर्माण	द्वारका	मेसर्स यूनिटेक लि.	डीएसआर 2002 के ऊपर 5.48%

शारीरिक शिक्षा को महत्व देना

2119. श्री मनोरंजन भक्त: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खेलों में छात्रों की अधिकाधिक भागीदारी के लिए विद्यालयों के ग्रेडिंग सिस्टम में शारीरिक शिक्षा को महत्व देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार युवाओं के आकर्षण को बनाए रखने के लिए खेल को कैरियर के रूप में विकसित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है, राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम का अनुपालन करता है. जहां शारीरिक शिक्षा पर पर्याप्त जोर दिया गया है।

(ख) जहां तक कक्षा 1 से 10 तक का संबंध है, शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य विषय है तथा संबंधित विद्यालयों द्वारा इसका आन्तरिक मूल्यांकन किया जाता है। वरिष्ठ स्कूल स्तर पर, शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में इसका चयन करने का प्रावधान है।

(ग) से (ङ) "खेल" राज्य का विषय है। खेलों का संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों तथा संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ, जो कि स्वायत्तशासी निकाय हैं, का दायित्व है।

चिकित्सा महाविद्यालयों को विशेष दर्जा

2120. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में किसी चिकित्सा महाविद्यालय को ''मानित विश्वविद्यालय'' जैसा विशेष दर्जा देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा-3 के अनुसार निम्नलिखित 14 चिकित्सा महाविद्यालयों को ''मान्य विश्वविद्यालय'' का स्तर प्रदान कर दिया है:

1. मनिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, मणिपाल
2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलूर
3. भारतीय विद्यापीठ, पुणे
4. पद्मश्री डा. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, नेरूल, नवी मुम्बई
5. डा. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, पिम्परी, पुणे
6. प्रवर आयुर्विज्ञान संस्थान लोनी जिला अहमदनगर
7. दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान संस्थान, कराड़, सतारा
8. डी. वाई. पाटिल चिकित्सा महाविद्यालय, कोल्हापुर
9. श्री रामचन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
10. विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान, सलेम
11. भारत उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
12. एस.आर.एम. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
13. मीनाक्षी उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी, चेन्नई
14. कृष्ण आयुर्विज्ञान संस्थान, कराड़

नौकरशाहों के लिए निश्चित कार्यकाल

2121. श्री अर्जुन सेठी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गृह सचिव, रक्षा सचिव, आसूचना ब्यूरो निदेशक, रॉ प्रमुख इत्यादि जैसे पदों पर काम करने वाले बड़े नौकरशाहों के निश्चित कार्यकाल के संबंध में विचार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) मूल नियमावली के नियम 56 (घ) में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार, यदि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक समझती है, तो वह मामले दर मामले के आधार पर उचित अवधि के लिए मंत्रिमण्डल सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, निदेशक, आसूचना ब्यूरो, सचिव, अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध और निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सेवा में विस्तार प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि उपर्युक्त पदों पर सेवा में इस प्रकार का विस्तार पाने वाले पदधारियों की कुल सेवा अवधि दो वर्ष से अधिक न हो।

दूरसंचार सेवाओं का वर्गीकरण

2122. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार सेवाओं को फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड वायरलैस फोन (एफ डब्ल्यू पी) और मोबाइल फोन के रूप में वर्गीकृत करने के क्याण मानदंड है;

(ख) क्या वायर लाइन क्षेत्र में निजी आपरेटर सफल नहीं रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) फिक्स्ड लाइन तथा फिक्स्ड वायरलेस फोनों के मामले में, उपभोक्ता कनेक्शन केवल उसी उपभोक्ता परिसर तक ही सीमित होता है जिस पर टेलीफोन कनेक्शन पंजीकृत किया गया है, जबकि मोबाइल फोनों के मामले में उपभोक्ता अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के भीतर अथवा सेवा क्षेत्र के बाहर आ जा सकता है।

(ख) और (ग) लाइसेंस, प्रौद्योगिकी तटस्थ होते हैं और निजी प्रचालक अपने उपभोक्ताओं को वायरलाइन अथवा वायरलेस प्रौद्योगिकियों पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निजी प्रचालकों ने 31.10.2005 तक 8,83,874 वायरलाइन कनेक्शन प्रदान किये हैं, जो उनके द्वारा प्रदत्त मोबाइल फोनों की तुलना में कम हैं।

(घ) चूंकि लाइसेंस प्रौद्योगिकी तटस्थ होते हैं, इसलिए इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कदम उठाना अपेक्षित नहीं होता है।

[हिन्दी]

सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन

2123. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन करने का अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए धनराशि

2124. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ मंजूर की गई धनराशि अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु अनुमोदित परिव्यय निम्नलिखित हैं:

(रुपए करोड़ में)

अवधि	अनुमोदित परिव्यय
दसवीं पंचवर्षीय योजना	26126.00
वार्षिक योजना, 2002-03	4930.00
वार्षिक योजना, 2003-04	4930.00
वार्षिक योजना, 2004-05	5780.00
वार्षिक योजना, 2005-06	6424.00

(ख) और (ग) स्वास्थ्य पर मौजूदा सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत से कम है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू का उत्पाद का कम से कम 2 से 3 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया है। इस उद्देश्य को और सुगम वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है जिसके लिए निधियों का सतत प्रवाह आवश्यक है ताकि कम सुविधा वाले राज्यों में आधारभूत सुविधा बढ़ाई जा सके और पर्याप्त स्टाफ तैयार किया जा सके और उनकी सेवा ली जा सके।

[अनुवाद]

अस्पताल में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता

2125. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली के अनेक अस्पतालों में जलने से होने वाले घावों के लिए आवश्यक दवाइयां न होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या दिल्ली के अनेक अस्पतालों में जले हुए लोगों के लिए वार्ड नहीं है अथवा जले हुए लोगों से संबंधित वार्डों को कई बार बंद कर दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली में हाल ही में हुए बम विस्फोटों से घायल हुए अनेक लोगों से बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए कहा गया था और उनमें से अधिकतर मामलों में ऐसी धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में जले हुए रोगियो का उपचार करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित सुविधाएं उपलब्ध हैं। गुरू तेग बहादुर अस्पताल और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भी सर्जिकल संकाय की देखरेख में जले हुए रोगियों का उपचार करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

जहां तक केन्द्र सरकार अस्पतालों का सबंध है, बम विस्फोट में घायल हुए लोगों को समुचित दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

कश्मीर मुद्दे को उठाना

2126. श्री एम. अप्पादुरई:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री रामदास आठवले:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और पाकिस्तान द्वारा कितनी बार और किन-किन स्थानों पर कश्मीर मुद्दे को उठाया गया है;

(ख) दोनों देशों द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तृतीय पक्ष के रूप में मध्यस्थता करने के लिए ब्रिटेन सहित अन्य देशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) पाकिस्तान ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मामलों को बार-बार उठाया है। जम्मू और कश्मीर के संबंध में सरकार का सैद्धांतिक और स्थायी दृष्टिकोण यह है कि पूरा जम्मू और कश्मीर राज्य भारतीय संघ का अभिन्न अंग है। राज्य का एक भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है।

(ग) और (घ) भारत को कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश द्वारा मध्यस्थता किये जाने को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। शिमला करार के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत के जरिए द्विपक्षीय मामलों का समाधान करने के लिए वचनबद्ध हैं। जम्मू और कश्मीर समग्र वार्ता की रूपरेखा के अंतर्गत आनेवाले अनेक विषयों में से एक है। किसी तीसरे पक्ष की भूमिका अथवा मध्यस्थता के लिए कोई स्थान नहीं है।

आसियान समूह का गठन

2127. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षेस राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की धीमी प्रगति के मद्देनजर सरकार आशियान राष्ट्रों के 10 सदस्यीय समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौते की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जैसा कि सहमति हुई थी, 1 जनवरी, 2006 से साफ्ता करार के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने से संबंधित बकाया मसलों का समाधान करने के लिए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार (साफ्ता) से संबद्ध विशेषज्ञ समिति की बैठक 29-30 नवम्बर, 2005 तक काठमाण्डू में हुई। भारत ने 8 अक्टूबर, 2003 को आसियान के साथ व्यापार आर्थिक सहयोग पर एक रूपरेखा करार संपन्न किया। सामानों के क्षेत्र में भारत-आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने के लिए आसियान देशों के साथ बातचीत चल रही है।

नई औषधि के आवेदनों को मंजूरी

2128. मो. मुकीम:
श्री मुनव्वर हसन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005 के दौरान दवाइयों के नाम, कंपनियों के नाम और आवेदनों की तिथि सहित सिंगल इंग्रेडिएंट और फिक्सड डोज कम्बिनेशन दोनों के लिए प्राप्त हुए नई औषधि के आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन आवेदनों में से प्रत्येक आवेदन को अनुमोदन दिया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो लम्बित आवेदनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) रिकार्डों के अनुसार, 2005 के दौरान एकल संघटक तथा नियत खुराक संयोजनों दोनों हेतु प्राप्त नई औषधी संबंधी आवेदन पत्रों की संख्या लगभग 1074 हैं।

नई औषधों को अनुमोदन देना एक सतत प्रक्रिया है। देश में पहली बार स्वीकृत नियत खुराक संयोजनों समेत औषधियों का ब्यौरा www.cdscp.nic.in. वेबसाइट पर उपलब्ध है और साथ ही साथ बायोइक्वीलैंस अध्ययन रिपोर्टों तथा गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्टों आदि के आधार पर उत्तरवर्ती आवेदकों को स्वीकृति दी जा रही है। शेष बचे आवेदन पत्र मूल्यांकन की विभिन्न स्थितियां अर्थात बायो इक्वेलैंस अध्ययनों, क्लिनिकल अध्ययनों, विशेषज्ञ सलाह के अधीन हैं।

स्वीकृति हेतु लिया गया समय 3 महीने से 2 वर्ष के बीच होता है जो औषध की प्रकृति तथा अपेक्षित डाटा प्राप्त करने में लिए गए समय पर निर्भर करता है।

भारतीय चिकित्सा सेवा में परिवर्तन

2129. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य क्षेत्र में पेशेवर रूख लाने के लिए भारतीय चिकित्सा सेवा में परिवर्तन किये जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों से इस संबंध में कोई सुझाव/विचार प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन परिवर्तनों के कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सरकार के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा सेवा नाम की कोई सेवा नहीं है। इसलिए भारतीय चिकित्सा सेवा में परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रशिक्षित नर्सों की कमी

2130. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रशिक्षित नर्सों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए लघु अवधि और दीर्घावधि की कौन-सी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) विदेशों में नर्सों के पलायन के रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में प्रशिक्षित नर्सों की कोई कमी नहीं है। अब तक भारत में विभिन्न राज्य नर्सिंग परिषदों में 8.65 लाख नर्सों को पंजीकृत किया गया है। एक अनुमान के अनुसार 30,000 से 35,000 नर्सें प्रत्येक वर्ष पास करती हैं। तथापि देश में प्रशिक्षित नर्सों की कोई कमी नहीं है तथापि सरकार ने प्रशिक्षित नर्सों की उपलब्धता को और अधिक बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें नर्सिंग स्कूलों और कालेजों का उन्नयन, नए नर्सिंग मेडिकल कालेजों की स्थापना, नर्सिंग स्कूलों और कालेजों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता, नर्सिंग कार्मिक के ज्ञान एवं कौशल बढ़ाने के वास्ते सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाना आदि शामिल है। उच्चाधिकार समिति की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य सरकारों से नर्सिंग कार्मिक की कार्य स्थितियां बेहतर करने का अनुरोध किया गया है।

जी.एस.एम. लाइन्स प्रोजेक्ट

2131. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जी.एस.एम. लाइन्स प्रोजेक्ट की उप-ठेकेदारी पर प्रतिबंध लगाया है, जैसाकि 7 नवम्बर, 2005 के "दी बिजनेस स्टेण्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे टेलीफोन उपकरण के व्यापार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कितना लाभ होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लि. लगभग 60 मिलियन लाइनों से अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए निविदा तैयार करने की कार्यवाही कर रहा है। 7 नवम्बर, 2005 के "बिजनेस स्टेण्डर्ड" में प्रकाशित समाचार के अनुसार, उपकरण-प्रापण पर जोर देने का आशय है कि जीएसएम 3 उपकरण के प्रतिष्ठित विक्रेताओं द्वारा देश में उत्पादन आधार की स्थापना सहित एक विशिष्ट समय अवधि में मोबाइल उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए।

(ग) भारत संचार निगम लि. की प्रापण नीति और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, दूरसंचार विभाग का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मै. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, "सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आरक्षण कोटे" के अंतर्गत कुल मात्रा में 30% तक उपकरण प्रापण संबंधी आदेश प्राप्त कर सकता है।

[हिन्दी]

मेघदूत पुरस्कार

2132. **श्री संजय धोत्रे:**
श्री बापू हरी चौरे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने डाक कर्मचारियों को मेघदूत पुरस्कार प्रदान किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान डाक कर्मचारियों को विशेषकर महाराष्ट्र के डाक कर्मचारियों को प्रदान किए गए पुरस्कारों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन डाक कर्मचारियों को मेघदूत पुरस्कार प्रदान किया गया उनकी संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	संख्या
2003	शून्य
2004	6
2005	6

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान जिन डाक कर्मचारियों को मेघदूत पुरस्कार प्रदान किया गया उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष 2003

शून्य

वर्ष 2004

श्रेणी	संख्या	स्थान	राज्य
1	2	3	4
ग्रामीण डाक सेवक	1	ओनीकेरी	कर्नाटक
पोस्टमैन/समूह 'घ'	1	नालागढ़	हिमाचल प्रदेश
डाक सहायक/छंटाई सहायक	1	बदायूं	उत्तर प्रदेश
सुपरवाइजर	1	बेंगलोर	कर्नाटक
डाक निरीक्षक/सहायक डाक अधीक्षक	1	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर
वरिष्ठ टाइम स्केल तक के समूह 'ख' और 'क' के अधिकारी	1	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
वर्ष 2005			
ग्रामीण डाक सेवक	1	दमाल	तमिलनाडु
पोस्टमैन/समूह 'घ'	1	बरेली	उत्तर प्रदेश
डाक सहायक/छंटाई सहायक	1	अहमदाबाद	गुजरात

1	2	3	4
सुपरवाइजर	1	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
डाक निरीक्षक/सहायक डाक अधीक्षक	1	मैसूर	कर्नाटक
वरिष्ठ टाइम स्केल तक के समूह 'ख' और 'क' के अधिकारी	1	मुंबई	महाराष्ट्र

संपूर्ण सफाई अभियान

2133. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री अशोक कुमार रावत:
मोहम्मद शाहिद:
श्री मुन्शी राम:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता हेतु कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान संपूर्ण सफाई अभियान (टीएससी) पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा स्वच्छ शौचालय की सुविधा के बिना जनसंख्या के प्रतिशत के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख तक कितने प्रतिशत जनसंख्या स्वच्छ शौचालय की सुविधा से वंचित है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

सियाचिन को शांति शिखर बनाने का प्रस्ताव

2134. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे प्रधानमंत्री द्वारा सियाचिन को 'शांति शिखर' बनाने की पेशकश के उत्तर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह मांग की है कि भारत सियाचिन से अपने 'कब्जे' (एग्रेशन) को खाली करे; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) प्रधानमंत्री ने जून, 2005 में सियाचिन की अपनी यात्रा में कहा था कि यह सियाचिन को शांति का प्रतीक बनाने का समय था। प्रत्युत्तर में, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि सियाचिन को शांति क्षेत्र बनाने के लिए भारत को 1983 के कब्जे के क्षेत्र को छोड़ना होगा।

(ख) भारत ने सियाचिन में भारतीय कब्जे के पाकिस्तान के आरोप का खण्डन किया है। सियाचिन का मसला संयुक्त वार्त्ता की रूपरेखा में विचार-विमर्श के विषयों में एक है। सियाचिन के मसले पर भारत का यह मानना है कि सैन्य दलों की पुन: तैनाती पर विचार करने से पूर्व प्रथम चरण वर्तमान तैनातियों का प्रमाणीकरण करना होगा।

बायो-आई टी पार्क की स्थापना

2135. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना हैदराबाद में एक बायो-आई टी पार्क स्थापित करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि नियत किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव-सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के लिए एक परियोजना निर्दिष्ट की है जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में स्थापित किया जाएगा। चुना गया निजी प्रोमोटर छह स्थानों की संक्षिप्त सूची अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बंगलौर तथ चेन्नै में से जैव-सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के स्थान का निर्णय करेगा।

तमिलनाडु में खेल छात्रावास

2136. डा. के. धनराजू: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्ष 2005-2006 के दौरान तमिलनाडु में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल छात्रावास खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

(घ) "खेल" राज्य का विषय है और खेल छात्रावासों के निर्माण सहित राज्य स्तर पर उसको बढ़ावा देने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकार की है। तथापि, सरकार भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जूनियर, सब-जूनियर और सीनियर स्तरों पर खेलों के संवर्धन में राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ाती है। वर्तमान में, भारतीय खेल प्राधिकरण तमिलनाड में दो प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है, एक चेन्नई में और दूसरा सलेम में, जहां छात्रावास की सुविधाएं है।

निजी ऑपरेटरों द्वारा टेलीफोन डायरेक्टरी न देना

2137. श्री पी. एस. गढ़वी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी ऑपरेटरों द्वारा मोबाइल और लैंड लाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेलीफोन डायरेक्टी उपलब्ध नहीं करायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में विशेषकर गुजरात के संदर्भ में निजी ऑपरेटरों के उपभोक्ताओं का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सभी निजी ऑपरेटरों के लिए लोगों के लाभ हेतु टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित करना अनिवार्य बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुनियादी और मोबाइल टेलीफोन सेवाओं हेतु "टेलीफोन निर्देशिका का मुद्रण और डायरेक्टी पूछताछ सेवाएं" के बारे में अपनी सिफारिश दे दी है। दूरसंचार विभाग द्वारा उनकी जांच की जा रही है।

31.10.2005 की स्थिति के अनुसार, देश में लैण्डलाइन, वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) के निजी प्रचालकों के उपभोक्ताओं की कुल संख्या 6,16,14,368 है और विशेष रूप से गुजरात में यह संख्या 43,24,676 है।

[हिन्दी]

भारत पाकिस्तान संयुक्त कार्यदल

2138. श्री रशीद मसूद: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने भारतीय टेलीविजन चैनलों के कार्यक्रमों के पाकिस्तान में प्रसारण करने पर से प्रतिबंध हटाने हेतु एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संयुक्त कार्यदल के एजेंडे में संवाददाताओं को एक-दूसरे देश में आने-जाने के संबंध में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का मुद्दा भी शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त दल का संपूर्ण एजेंडा क्या है; और

(ङ) एजेंडे की अन्य मदों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी नहीं, तथापि, भारत और पाकिस्तान, संयुक्त आयोग के अन्तर्गत, तकनीकी स्तर के कार्यदल, जिसमें एक कार्यदल सूचना से सम्बद्ध है, के लिए सहमत हुए हैं।

(ग) से (ङ) तकनीकी स्तर के कार्य दलों की कार्यसूची तय नहीं की गई है। तथापि, भारत एकपक्षीय रूप से संवाददाताओं को यात्रा की सुविधा दे रहा है।

सह-शिक्षा विद्यालयों/महाविद्यालयों में महिला खेल-अनुदेशक

2139. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सह-शिक्षा विद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला खेल-अनुदेशक की नियुक्ति न करने के कारण प्रतिभाशाली लड़कियां/महिलाएं खेल-कूद के अवसरों से वंचित रहती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लड़कियों/महिलाओं के बीच खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) देश में ऐसे कितने सरकारी सह-शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय है जिनमें कोई महिला खेल-अनुदेशक नहीं हैं; और

(घ) सरकारी सह-शिक्षा विद्यालयों/महाविद्यालयों विशेषकर महाराष्ट्र के विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कितनी महिलाएं खेल अनुदेशक हैं और ऐसे कितने विद्यालयों/महाविद्यालयों में महिला खेल-अनुदेशक नहीं हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क), (ग) और (घ) अधिकांश स्कूल और कालेज राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकारों के ऐसे स्कूलों और कालेजों में महिला खेल अनुदेशकों की संख्या के संबंध में कोई सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। जहां तक केन्द्र सरकार के अंतर्गत स्कूलों और कालेजों का संबंध है, अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से महिलान्मुखी खेल कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिनमें (1) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियशिप, और (2) महिलाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति शामिल है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्यक्रम भी महिलाओं में खेलों का संवर्धन करते हैं।

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता
2. विशेष क्षेत्र खेल
3. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र
4. उत्कृष्टता केन्द्र।

[अनुवाद]

ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंध

2140. श्री जोवाकिम बखला: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 25 जनवरी, 2003 को नई दिल्ली में जारी की गई भारत-इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की संयुक्त घोषणा में पारस्परिक सामाजिक-आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने हेतु अनेक द्विपक्षीय उपाय करने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे लागू करने हेतु दोनों पक्षों की ओर से उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद संयुक्त घोषणा की स्थिति का कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) भारत और ईरान ने अपेक्षाकृत अधिक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध क्षेत्र और दोनों के बीच संवर्धित क्षेत्रीय एवं सार्वभौमिक सहयोग के लिए नीतिगत भागीदारी के अपने विजन को सुस्पष्ट किया है। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी पर

सहमति हुई जिनमें व्यापार एवं वाणिज्य, ऊर्जा, पारगमन, नीतिगत वार्ता, रक्षा, संस्कृति, आतंकवाद की रोकथाम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

(ग) उच्चस्तर तथा कार्यकारी स्तर पर नियमित आदान-प्रदानों और संयुक्त आयोग, नीतिगत वार्ता तथा ईरान-पाकिस्तान-भारत और गैस पाइपलाइन पर विशेष कार्यदल जैसे संस्थागत तंत्रों की संरचना के अंतर्गत नियमित बैठकों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग का संवर्धन किया जाता है। संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान संयुक्त व्यापार परिषद की भी बैठक हुई। ईरान से प्रतिवर्ष पांच मिलियन मीट्रिक टन तरल प्राकृतिक गैस के आयात के लिए जून, 2005 में गेल/आई ओ सी/बी पी सी एल और राष्ट्रीय ईरानी गैस निर्यात कंपनी लिमिटेड के बीच एक करार संपन्न हुआ जो ईरानी पक्ष के अनुसमर्थन की शर्त पर आधारित है। भारत ईरान द्विपक्षीय व्यापार 2004-2005 में 4.132 बिलियन अमरीकी डालर था, जो विगत वर्ष के मुकाबले 43% अधिक था। दोनों देशों के बीच 2003 और 2004 में जहाजों की सद्भावना यात्राओं के आदान-प्रदान द्वारा रक्षा सहयोग को चिन्हित किया गया। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच नियमित रूप से बैठकें हुई। सांस्कृतिक क्षेत्र में दोनों देशों ने एक साझा सांस्कृतिक विरासत निधि का गठन किया जिसके तत्वाधान में 2004 में कबीर और हाफिज पर एक संयुक्त डाक टिकट जारी किया गया। दोनों देश उत्तर-दक्षिण और ईरान के रास्ते रूस और मध्य एशियाई देशों में भारत-ईरान-तुर्कमेनिस्तान त्रिपक्षीय पारगमन कॉरीडोर का प्रचालन भी प्रारंभ कर रहे हैं। ईरान ने कार्मिकों, उपस्करों के पारगमन और अफगानिस्तान में जरंज-डेलारम मार्ग, जो अफगानिस्तान को समुद्र के लिए वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराएगा, के निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण आपूर्तियों की अधिप्राप्ति को सुसाध्य बनाया है।

(घ) और (ङ) भारत-ईरान के बीच गहरे संबंध हैं और उन संबंधों को सदियों पुराने सभ्यता जन्य संबंधों द्वारा रेखांकित किया गया है। हमने ईरान के साथ उच्चतम स्तर पर संबंधों को विकसित करने की अपनी इच्छा और प्रयास को दोहराया है। ईरानी पक्ष में परामर्श करके संयुक्त आयोग की 15वीं बैठक की तारीख सरसरी तौर पर 11-12 मार्च, 2006 नियत की गई है।

उड़ीसा में नेहरू युवा केन्द्र

2141. श्री धर्मेन्द्र प्रधान: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में इस समय काम कर रहे नेहरू युवा केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रों द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) इस समय उड़ीसा में कार्यरत नेहरू युवा केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा तथा पिछले दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किए अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नेहरू युवा केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा तथा पिछले दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान का ब्यौरा

क्र.सं.	नेहरू युवा केन्द्र का स्थान	प्राप्त धनराशि (रुपयों में)	
		2003-04	2004-05
1.	बालासोर	835912	959607
2.	बोलांगिर	1466036	872798
3.	मयूरभंज (बारीपाडा)	795297	2122086
4.	गंजम (बहरामपुर)	973268	1355753
5.	कालाहांडी (भवानीपटना)	1104471	1221260
6.	धनकनाल	972228	921901
7.	क्योंझर	734431	875165
8.	कोरापुट	797530	1529999
9.	फुलबनी	817202	973174
10.	पुरी	945675	1526962
11.	संबलपुर	1038956	655534
12.	सुंदरगढ़	1087291	818430
13.	कटक	1432789	1224690
14.	नौपाडा	680373	824481
15.	कुर्द (भुवनेश्वर)	1279141	1447104

ताजमहल का अनुरक्षण

2142. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को ने आगरा स्थित ताजमहल के अनुरक्षण और इसके आस-पास के स्थानों और पर्यावरण के रख-रखाव हेतु कोई सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) यूनेस्को-इकोमोस ज्वाइंट मॉनीटरिंग मिशन से ताजमहल, आगरा किला तथा फतेहपुर सीकरी के लिए जनवरी, 2004 में आगरा का दौरा किया तथा ताजमहल के इर्द-गिर्द तथा पर्यावरण में सुधारों के सुझाव दिए। मिशन ने सुझाव दिया कि नदी तथा स्मारक से परिभाषित दूरी के भीतर आस-पास के क्षेत्र को साफ किया जाना चाहिए ताकि इसके सौन्दर्य को बढ़ाया जा सके। रिपोर्ट का सार संलग्न विवरण में है।

(ग) एक व्यापक प्रबंधन योजना जो मिशन की सिफारिशों का पता लगाएगी, तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता की पहचान की गई है।

विवरण

मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें: आगरा जिला में विश्व दाय संपत्तियों के संरक्षण की स्थिति

2.1 ताजमहल विश्व दाय संपत्ति के संरक्षण की स्थिति तथा ''ताज कॉरिडोर परियोजना'' का मूल्यांकन

मिशन ने भारतीय प्राधिकारियों के सहयोग से प्रस्तावित ''ताज कॉरिडोर परियोजना'' से संबंधित मुद्दों की जांच की तथा विश्व दाय संपत्ति पर इस परियोजना के संभावित नकारात्मक प्रभाव का मूल्यांकन किया और साथ ही तत्काल संरक्षण तथा प्रबंधन आवश्यकताओं की पहचान भी की।

(क) ''ताज कॉरिडोर परियोजना''

क्योंकि मिशन के सदस्यों ने कभी भी किसी प्रकार की परियोजना की योजनाएं या इसके विवरण प्राप्त नहीं किए, अत: अधिकांश सूचना या तो मौखिक है या जनसंचार माध्यमों से मिली है। यह स्पष्ट है कि यह काफी महत्वकांक्षी परियोजना थी और यदि यह कार्यान्वित हो जाती तो इससे ताजमहल की विश्व दाय संपत्तियों तथा आगरा किला को गम्भीर क्षति होती। सम्भव ''वास्तविक'' क्षति का मूल्यांकन करने के लिए जल विज्ञान के क्षेत्रों तथा नदी के किनारों, के साथ-साथ संदर्भाधीन विशिष्ट नदी के किनारों की मजबूती के लिए विशेषज्ञों की अतिरिक्त रिपोर्ट आवश्यक हैं।

यह परियोजना जारी नहीं है क्योंकि ऐसी परियोजना को रोक कर जिस पर लाखों अमरीकी डालर पहले ही खर्च किए जा चुके हैं संबद्ध प्राधिकारियों ने एक बहुत साहसिक निर्णय लिया है।

स्थल पर अवशेष के रूप में, यमुना नदी के तल पर स्थानीय लाल बलुई पत्थर से बनी एक सूखी दीवार है (लगभग दस मीटर चौड़ी)। इस दीवार का उद्देश्य एक विहार स्थल का निर्माण करना था जो वाणिज्यिक तथा पर्यटन गतिविधियों के लिए एक स्थान होता। यहां इसी प्रकार के लाल बलुई पत्थर से निर्मित, नदी के किनारे का ढालनुमा पलस्तर भी है।

ताजमहल तथा आगरा किला के मध्य स्थित यह परियोजना, निश्चित रूप से इन संपत्तियों के दाय मूल्यों के दृष्टिगत तथा सांस्कृतिक क्षति पहुंचाती क्योंकि ये उस नदी के सामने बनाए गए थे जो इन स्थलों के डिजाइन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस नदी के साथ-साथ वाणिज्यिक विकास सम्भवत: आगरा शहर के व्यापारिक जीवन के लिए ''मृत्यु दंड'' रहा होता। मिशन के सदस्यों ने सुझाव दिया कि पूरे क्षेत्र तथा शहर के लिए विकास योजना तैयार की जानी चाहिए। इस प्रकार की योजना ''ताज कॉरिडोर परियोजना'' जैसी घटनाओं को रोकेगी, जिनसे विश्व दाय संपत्तियों तथा स्वयं आगरा के विकास को गम्भीर हानि हो सकती थी। यह बताना भी आवश्यक है कि दूर से आकर्षक दिखने वाली यह नदी अत्यधिक प्रदूषित है। कम से कम इन दो संपत्तियों के बीच के महत्वपूर्ण भाग में नदी की सफाई तथा इसे गंदे नाले के रूप में प्रयोग करने से रोकने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ख) योजनाएं तथा ताजमहल के संरक्षण की स्थिति

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण और इतने अधिक देखे जाने वाले स्थल का संरक्षण तथा रखरखाव लगातार किया जा रहा है। चल रहा कार्य काफी प्रभावशाली है तथा पारम्परिक शिल्प का उपयोग उच्च कोटि का है।

संशोधित आगन्तुक प्रबंधन की नई योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य केवल मुख्य आकर्षण स्थलों के अलावा अन्य क्षेत्रों के प्रति आगन्तुकों को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य, इस स्थान के अत्यधिक प्रयोग को रोकना, स्मारकीय परिसर के अन्य हिस्सों को दर्शाना, स्थल पर आगन्तुकों को अधिक समय तक रोकना तथा प्रांगण के दोनों ओर बने एक समान आगन्तुक केन्द्रों का प्रयोग करते हुए बेहतर सेवाएं तथा सूचना उपलब्ध कराना है। इसके लिए मूल दीवार में दो दरवाजे शामिल करने की आवश्यकता होगी, जो किसी भी रूप में संपत्ति के सांस्कृतिक तथा दृष्टिगत पहलुओं से समझौता नहीं होगा।

प्रांगण के अत्यधिक सुंदर भीतरी क्षेत्र तथा एकदम आस-पास के क्षेत्र के बीच की विषमता आश्चर्यजनक है। साधारणतया: यह केवल वित्त पोषण का मामला नहीं है बल्कि योजना तथा प्रबंधन का मामला है। मिशन ने सिफारिश की है कि भारतीय प्राधिकरण परिभाषित सीमा के भीतर, स्मारक के इर्द-गिर्द के पूरे क्षेत्र को साफ करें तथा उसमें वृद्धि करें जैसा कि एक महत्वपूर्ण स्मारक में होना चाहिए।

[हिन्दी]

चिकित्सों की कमी

2143. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
मोहम्मद शाहिद:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चिकित्सकों की कमी का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कमी को पूरा करने हेतु कोई उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ग) इस समय भारतीय चिकित्सा परिषद में कुल कितने चिकित्सक पंजीकृत हैं;

(घ) प्रति वर्ष कितने चिकित्सकों की पंजीकृत किया जा रहा है;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान जनसंख्या के अनुपात में कुल कितने चिकित्सकों की कमी है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यवार कोई आंकलन किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (झ) देश में कुल मिलाकर डाक्टरों की संख्या में कोई कमी नहीं है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से एलोपैथिक के कुल 6,53,513 पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हर वर्ष चिकित्सा महाविद्यालयों से लगभग 25,000 एम बी बी एस डाक्टर उत्तीर्ण होकर निकलते हैं जो डाकटरों की कुल संख्या/नफरी में जुड़ जाते हैं। वर्ष 2004 और 2005 (अक्टूबर, 2005 तक) के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से क्रमश: 18541 और 9549 डाक्टर पंजीकृत थे। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार देश में डाक्टर जनसंख्या अनुपात लगभग 1:1722 है। इसके अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के लगभग 6 लाख डाक्टर उनकी संबंधित परिषदों से पंजीकृत हैं। यदि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होमियोपैथी के व्यवसायियों को ही हिसाब में लिया जाता है, जो जनसंख्या की दृष्टि से डाक्टरों की उपलब्धता का अनुपात अधिक अनुकूल बैठेगा। तथापि देश में विभिन्न क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता में असन्तुलन है। संबंधित राज्य सरकारें नए चिकित्सा महाविद्यालयों को खोलने की आवश्यकता का मूल्यांकन करती हैं और केन्द्रीय सरकार उनके द्वारा जारी किए गए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुमति प्रदान करती है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में मोबाइल कनेक्शनों की कमी

2144. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में भारत संचार निगम लिमिटेड के कनेक्शनों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) बीएसएनएल मोबाइल कनेक्शनों की कमी कब तक पूरी किए जाने की संभावना है; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में बीएसएनएल के स्थान पर कितने मोबाइल उपभोक्ता है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जीएसएम नेटवर्क क्षमता में दबाव के कारण, बीएसएनएल सेल्यूलर कनेक्शन जारी करने पर नियंत्रण है।

(ख) और (ग) बीएसएनएल कर्नाटक में अपने सेल्यूलर नेटवर्क में 8,02,354 लाइनों से वृद्धि करने की प्रक्रिया में है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उसने 5,00,000 सेल्यूलर कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा है। आशा है कि "रॉल आऊट" हेतु

योजित क्षमताओं की उपलब्धता से, मांग पर मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध हो जाएंगे।

(घ) मोबाइल प्रचालनों हेतु, सर्किल को एक स्थानीय क्षेत्र के रूप में माना जाता है तथा उपभोक्ता राज्य के भीतर निर्बाध रूप से कॉल कर सकते हैं। 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य में बीएसएनएल द्वारा प्रदत्त सेल्यूलर कनेक्शनों की संख्या 8,78,919 है।

चीन में भारतीय बौद्ध मंदिर का निर्माण

2145. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के चीन में पहले भारतीय बौद्ध मंदिर का निर्माण करने का अवसर मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप चीन में भारतीय विरासत को किस हद तक प्रोत्साहन मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) चीन के लुओयांग में भारतीय शैली के एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करने के लिए निर्णय को अप्रैल, 2005 में चीनी प्रधानमंत्री श्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान इस आशय का ज्ञापन संपन्न किये जाने के साथ अंतिम रूप दिया गया। इस ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय पक्ष चीनी पक्ष को बुद्ध की मूर्ति और अन्य संबंधित सामग्रियां उपलब्ध कराने के अतिरिक्त मंदिर निर्माण के लिए पांच करोड़ रु. उपलब्ध करायेगा। भारतीय पक्ष मंदिर परियोजना की स्थापत्य डिजाइन इसकी आयोजना, सामग्रियों के चयन और भूदृश्य आयोजन और साथ ही निर्माण कार्यों के दौरान वास्तुकलात्मक एवं विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार होगा। चीनी पक्ष भूखंड उपलब्ध करायेगा और निर्माण कार्य करायेगा। परियोजना की डिजाइन और इसके वास्तुविद का चयन प्रधान मंत्री द्वारा गठित एक परामर्शी समिति द्वारा किया गया है। चीन पक्ष द्वारा किया जाने वाला निर्माण कार्य वर्ष 2006 में आरंभ होने की आशा है।

(ग) आशा है यह मंदिर पूर्ण हो जाने पर भारत और चीन के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, बौद्ध धर्म जिसका एक महत्वपूर्ण और अभिन्न भाग है, का स्थायी प्रतीक बन जाएगा।

[हिन्दी]

पाक पर्यटकों के लिए विशेष टूर पैकेज

2146. श्री राम सिंह कस्वां:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारत आए पाक पर्यटकों को विशेष टूर पैकेज देने संबंधी एक प्रस्ताव पाकिस्तान को भेजने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) वार्ताओं के दौरान, संयुक्त वार्ता की रूपरेखा के अंतर्गत पाकिस्तान के साथ सामूहिक पर्यटन के मामले पर चर्चा हुई थी। अगस्त, 2004 में प्रथम दौर की वार्ता के दौरान, भारत ने प्रस्ताव रखा था कि दिल्ली परिवहन निगम (डी टी सी) और पाकिस्तान टूरिजम डिवलपमेन्ट कार्पोरेशन विशिष्ट पर्यटन स्थलों के लिए सामूहिक पर्यटन आरम्भ कर सकते हैं, प्रस्ताव का पाकिस्तान ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया था। जुलाई 2005 में दूसरे दौर की वात्ताओं के दौरान भारत ने एक बार पुनः चुनिंदा निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से सामूहिक पर्यटन पैकेजों के संवर्द्धन और 14 दिनों का विशेष पर्यटन वीसा आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। भारत और पाकिस्तान जनवरी से जुलाई, 2006 तक संयुक्त वार्ता के तीसरे दौर के लिए सहमत हैं।

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीयों को वोट देने का अधिकार प्रदान करना

2147. श्री पी.सी. थामस: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रवासी भारतीयों को वोट देने का अधिकार प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) से (ग) प्रवासी भारतीयों में ये शामिल हैं; भारतीय मूल के व्यक्ति, जो अन्य देशों के नागरिक हैं तथा अनिवासी भारतीय, जो अब भी भारत के नागरिक हैं। अनिवासी भारतीयों को आम चुनावों में वोट देने के लिए पात्र बनाने हेतु जन-प्रतिनिधि अधिनियम में उचित रूप से संशोधन करना होगा। इस बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

भारी पानी का उत्पादन

2148. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी पानी संयंत्रों का उत्पादन लक्ष्य से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन संयंत्रों में से प्रत्येक संयंत्र के वास्तविक उत्पादन और अधिष्ठापित क्षमता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं, वस्तुत: पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारी पानी का उत्पादन वास्तव में अपने निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कही अधिक हुआ है।

(ख) यह लागू नहीं होता।

(ग) एक सामरिक महत्व की सामग्री होने के कारण भारी पानी के वास्तविक उत्पादन से संबंधित आंकड़े बताए नहीं जाते हैं।

प्रचलित भारी पानी संयंत्रों की क्षमताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

संयंत्र	क्षमता
1	2
मनुगुरू	185 मीटरी टन
कोटा	80 मीटरी टन
हजीरा	80 मीटरी टन
थाल	78 मीटरी टन
तूतीकोरिन	49 मीटरी टन
बड़ौदा	17.7 मीटरी टन*

*भारी पानी संयंत्र, (बड़ौदा) को पुन: कमीशन किया गया है और इसमें अमोनिया वाटर फ्रंट एंड प्रणाली स्थापित करने के बाद इसे अप्रैल, 2004 में प्रचालन की अनुमति दी गई और यह संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

(घ) यह लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

कोयले पर रॉयल्टी का संशोधन

2149. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों ने समय पर कोयले पर रायल्टी में संशोधन किये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयले पर रायल्टी में संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) कोयले के विभिन्न ग्रेडों, विशेष रूप से जी ग्रेड के कोयले तथा इससे नीचे के मिडलिंग पर वसूली जाने वाली रायल्टी के संबंध में रायल्टी दर का ग्रेड-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) कोल वाशरीज के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने कोयले पर रायल्टी को संशोधित किए जाने का अनुरोध किया है।

(ग) से (च) कोयला और लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों के संशोधन पर विचार करने के लिए दिनांक 2.6.2005 को अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति ने प्रश्नावलियों के साथ-साथ औपचारिक बातचीत, दोनों के माध्यम से राज्यों के मत तथा टिप्पणियां मांगी है। टनेज आधार की तुलना में यथा मूल्य आधार पर कोयले पर रायल्टी के निर्धारण के मामले में निहित जटिलताओं को दृष्टिगत करते हुए, यह मामला प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ई.ए.सी.) को जांच हेतु संदर्भगत किया गया। परिषद की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले उन पर विचार करेगी।

(छ) दिनांक 16.8.2002 को निर्धारित कोयले पर रायल्टी की मौजूदा दरें, ग्रेड-वार, नीचे दी गई हैं:

रुपए प्रति टन

कोयला समूह	कोयला रायल्टी दरें	
	पश्चिम बंगाल के अलावा राज्य	पश्चिम बंगाल*
समूह-I: कोकिंग कोयला-इस्पात ग्रेड-I एण्ड II, वाशरी ग्रेड-I	250.00	7.00
समूह-II: कोकिंग कोयला -वाशरी ग्रेड-II एण्ड III अर्द्ध-कोकिंग कोयला -ग्रेड-I एण्ड II नान-कोकिंग कोयला -ग्रेड-ए एण्ड बी	165.00	6.50
समूह-III: कोकिंग कोयला -वाशरी ग्रेड-IV नान-कोकिंग कोयला -ग्रेड-सी	115.00	5.50
समूह-IV: नान-कोकिंग कोयला -ग्रेड-डी. एण्ड ई.	85.00	4.30
समूह-V: नान-कोकिंग कोयला -ग्रेड एफ एण्ड जी	65.00	2.50
समूह-VI: आन्ध्र प्रदेश में उत्पादित कोयला	90.00	-

*पश्चिम बंगाल सरकार भी उपकर प्रभारित कर रही है और इसलिए 1981 के बाद संशोधित रायल्टी दरों को लागू नहीं किया गया है।

कोयले के प्रत्येक ग्रेड की विशिष्टताएं कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 की धारा 3 के अंतर्गत यथा-निर्धारित हैं।

(ज) कोयला वाशरियों की कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिए संबंधित कोयला कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:

(1) सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार की गई योजनाओं के आधार पर पुराने उपकरणों और संरचनाओं के नवीनीकरण/आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापना हेतु पुनरूद्धार योजनाएं तैयार की गई हैं।

(2) वाशरियों के आधुनिकीकरण से संबंधित विभिन्न कार्य कुछ वाशरियों में या तो प्रगति पर हैं या पूरे हो चुके हैं।

(3) वाशरियों में कच्चे कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे एकाकी पैचों में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी को भाड़े पर लेकर खनन किया जाना, रेलवे लाइन के नीचे कोयले का उत्खनन, भूमिगत खानों में घिसे हुए कोयला उत्खनन उपकरणों की प्रतिस्थापना, रूकी हुई ओपनकास्ट खानों को पुन: आरम्भ करने के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करना और भूमिगत खानों में नए उपकरण जैसे कन्टीन्यूअस माइनर को शुरू किया जाना।

आयुष विभाग को अपर्याप्त निधियों का आवंटन

2150. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अच्छी शिक्षा, भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रचार पर तथा अच्छी क्वालिटी की औषधियों के उत्पादन के संबंध में योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए आयुष विभाग को पर्याप्त निधियां प्रदान नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभाग द्वारा मांगी गई निधियों तथा वित्त मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा किए गए अंतिम आवंटन के बीच कितना अंतर रहा; और

(घ) पर्याप्त आवंटन के अभाव में किन प्रमुख योजनाओं को आस्थगित कर दिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) आयुष विभाग के कार्य आवंटन में विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित रूप में बढ़ोतरी हुई है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	विभाग द्वारा मांगी गई राशि	बजट आवंटन	संशोधित बजट आवंटन
2002-03	150.00	150.00	105.00
2003-04	175.64	150.00	135.00
2004-05	181.00	181.00	200.00
2005-06	514.00	350.00	300.00

2004-05 की तुलना में 2005-06 में आयुष विभाग के योजनागत प्रावधान में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। यह नहीं कहा जा सकता कि आयुष विभाग की कोई योजना या आयुष विभाग की कोई परियोजना पर्याप्त आवंटन के अभाव में आस्थगित कर दी गई है।

भारतीयों को वीजा नहीं दिया जाना

2151. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस में भारत के राजदूत द्वारा निजी आश्वासन दिए जाने के बावजूद कई प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों को रूस के लिए वीजा नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों से शिकायत की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) जी नहीं, इस प्रकार का कोई मसला नहीं है जिसमें भारत के राजदूत की निजी गारन्टी के बावजूद प्रतिष्ठित भारतीय उद्योगपतियों को वीजा प्रदान करने से इंकार किया गया हो।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद में पुरातत्व संग्रहालय

2152. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अहमदाबाद में एक पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) इस समय, अहमदाबाद में संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि लोथल, अहमदाबाद जिला में पहले ही एक स्थल संग्रहालय है, जो शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है।

संक्रमित रोगों के लिए आकस्मिक योजना

2153. **श्री अनंत कुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में वर्षा से बुरी तरह प्रभावित हुए क्षेत्रों में संक्रमित रोगों को फैलने से रोकने के लिए कोई आकस्मिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार को कोई अनुदान अथवा सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) बाढ़ों के परिणामस्वरूप होने वाली जनस्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए वर्षापूर्व

अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र की आकस्मिक योजना को राज्य सरकारों को परिचालित किया जाता है। प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा तैयार किए गए जल-जन्य रोगों की जांच और इनके प्रकोपों के नियंत्रण के बारे में दिशा-निर्देश भी भेजे जाते हैं। आपदा के स्वरूप और उसकी सीमा के आधार पर तथा राज्य सरकार के अनुरोध पर स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय संकट पर काबू पाने के लिए जन शक्ति, अनिवार्य औषधें और उपभोज्य प्रदान करने के लिए आपाती चिकित्सा राहत शिविरों का आयोजन करता है। रोग निगरानी कार्यकलाप तैयार किया जाता है और महामारी जन्य रोगों के प्रकोप की रोकथाम करने और यदि ये उत्पन्न हो जाएं तो उनको रोकने के लिए जनस्वास्थ्य उपाय शुरू किए जाते हैं।

आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन सी सी एफ) से निधियां जारी करके बाढ़ से प्रभावित राज्यों की सहायता की जाती है। ऐसे प्रयोजन के लिए प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय क्षति मूल्यांकन दल भेजे जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से कर्नाटक राज्य को लगभग 357 करोड़ रुपए की तदर्थ सहायता जारी की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अलग विभाग

2154. डा. पी.पी. कोया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का एक अलग विभाग है;

(ख) यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष बनाया गया था;

(ग) विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं तथा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभाग का कार्य चलाने के लिए तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पद स्वीकृत/सृजित/भरे गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार का विचार कब तक आवश्यक पदों का सृजन तथा इन पर भर्ती करने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप से प्राप्त सूचना के अनुसार लक्षद्वीप प्रशासन में अलग से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का लक्षद्वीप प्रशासन में 5 जून, 1999 को गठन किया गया था।

(ग) परियोजना के ब्यौरे और कार्यान्वयन की योजना इस प्रकार है:

- वीडिया सम्मेलन के जरिए लोक शिकायतों का निवारण।
- वीडिया सम्मेलन के जरिए दूर शिक्षण।
- जहाजरानी क्षेत्र के अंतर्गत पोर्टनेट स्थापित किया, पत्तन विभाग के लिए वेब आधारित जहाज टिकट आरक्षण प्रणाली, नौभार प्रणाली तथा इन्टरनेट शुरू किया तथा जहाजरानी क्षेत्र में ई-शासन की अन्य परियोजनाएं शुरू कीं।
- वेब समर्थित योजना निगरानी सूचना प्रणाली।
- वेब समर्थित पासपोर्ट अनुप्रयोग स्वीकृति प्रणाली।
- पुस्तकालयों में कार्यान्वित ई-ग्रंथालय:
- वित्त विभाग में ई-शासन।

  (1) वेतन चिट्ठा सूचना प्रणाली।

  (2) लेखा निगरानी सूचना प्रणाली।

  (3) बजट प्रबंध सूचना प्रणाली।

  (4) जीपीएफ प्रबंध सूचना प्रणाली।

  (5) वेतन एवं लेखा कार्यालय सुइट।
- *राजस्व प्रशासन में ई-शासन:* प्रशासन के निम्नतम स्तर पर ई-शासन शुरू किया तथा उप-मण्डल कार्यालय के मूलभूत स्तर पर नागरिक सेवाएं प्रदान करना आदि।
- स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी:

  (1) एजूसैट की स्थापना।

  (2) सामुदायिक सूचना केन्द्र की स्थापना—30 स्कूलों में विद्यावाहिनी।
- पॉवरनेट परियोजना विद्युत विभाग की कुल ई-शासन परियोजना है:

  (1) उपभोक्ता ऊर्जा प्रणाली।

  (2) माल सूची प्रबंध प्रणाली।

  (3) एसपीवी पॅवर संयंत्रों के लिए सुदूर आंकड़ा अभिग्रहण प्रणाली।

(4) ई-शासन संबंधी अनुप्रयोग जैसेकि वेतन चिट्ठा, जपीएफ प्रबंध प्रणाली। लेखा निगरानी तथा सूचना प्रणाली, आदि।

- विभिन्न कार्यालयों में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क स्थापित किए जिसमें सचिवालय, लक्षद्वीप शामिल है।

(घ) और (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संचालन के लिए अलग से किसी पद को मंजूरी नहीं दी गई/सृजन नहीं किया गया। किन्तु, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रशासन में उपलब्ध स्टाफ से कार्य कर रहा है।

(च) इस समय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पदों के सृजन और भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मंदिर से प्राचीन मूर्तियों की चोरी

2155. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हांसी, हरियाणा से एक मंदिर में रखी 100 करोड़ रुपये की 53 प्राचीन मूर्तियां चोरी हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) मंदिरों में रखी प्राचीन मूर्तियों की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) हरियाणा राज्य पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 25-26 अक्टूबर, 2005 की मध्य रात्रि में जैन मंदिर, हांसी, हरियाणा से 32 अष्टधातु की मूर्तियों, 14 पीतल तथा 5 चांदी के पंच मेरु एवं कांसे से निर्मित 2 प्लेटों (पत्रा) की चोरी की सूचना मिली थी। मूर्तियों का मूल्य नहीं आंका गया है।

(ख) और (ग) शहर के पुलिस स्टेशन हांसी में भारतीय दंड संहिता की धारा 457/380 के अन्तर्गत दिनांक 26.10.2005 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 401 के तहत एक मामला पंजीकृत किया गया है। हांसी जिला पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई है।

(घ) चुराई गई मूर्ति की घटना किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक से नहीं हुई है। जिला पुलिस, हिसार ने मंदिरों तथा अन्य धार्मिक स्थानों के आस-पास दिन व रात में गश्त बढ़ा दी है।

टेलीकॉम नेटवर्किंग में अड़चनें

2156. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी निजी ऑपरेटरों को वाणिज्यिक कार्य शुरू करने से पहले भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से पोएंट ऑफ इन्टरकनेक्शन (पीओआई) मांगना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्याप्त पी ओ आई के अभाव के कारण टेलीकॉम नेटवर्किंग में अड़चनें बढ़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) बीएसएनएल के पास निजी आपरेटरों से पी ओ आई हेतु आए लंबित अनुरोधों का आपरेटर-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन अनुरोधों पर तेजी से कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) अन्तर-प्रचालक कॉलों की समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच अन्त:सम्पर्कता (इन्टरकनैक्शन) की आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पहले, भारत संचार निगम लि. से "प्वाइन्ट ऑफ इन्टरकनैक्शन" प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नेटवर्क में संकुलता पर ध्यान दिया है और 11 सेवा प्रदाताओं को 29 नवम्बर, 2005 को निदेश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके नेटवर्क में सेवा गुणवत्ता संबंधी पैरामीटर बुनियादी तथा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा 2005 की सेवा-गुणवत्ता संबंधी विनियमन में विभिन्न पैरामीटरों के लिए ट्राई द्वारा निर्धारित बेंचमार्क के भीतर हों। दूरसंचार नेटवर्क के प्रचालन तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य में संकुलता की निगरानी और तत्पश्चात उसके लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सी.बी.आई. द्वारा मामले अभियोजित किया जाना

2157. श्रीमती जयाप्रदाः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004 के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा मामले अभियोजित किए जाने हेतु कितने मामलों की अनुमति मांगी गई थीं;

(ख) इनमें से कितने मामलों में मामले अभियोजित किए जाने की अनुमति दी गई; और

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें सरकार ने अनुमति नहीं दी तथा इनमें से प्रत्येक मामले में अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष, 2004 और 2005 (31.10.2005 तक) के दौरान 891 मामलों में सक्षम प्राधिकारियों से 1735 लोक सेवकों के संबंध में अभियोजन के लिए मंजूरी मांगी थी। दिनांक 31.10.2005 तक इन मामलों में से 787 मामलों में 1382 लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी गई है। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा 35 मामलों में 74 लोक सेवकों के संबंध में अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। अभियोजन के लिए मंजूरी दिए जाने के मामलों पर विचार करते समय, संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले की अलग से जांच-पड़ताल की जाती है और मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

आई एम सी सी तथा एच सी सी
अधिनियमों में संशोधन

2158. श्री सीता राम यादवः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बारे में 2 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 तथा होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद् 1973 में संशोधन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संसद के चालू सत्र के दौरान इस संबंध में विधेयक पेश किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2005 और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2005 को 23.3.2005 को राज्यसभा में पुरः स्थापित किया गया है और उन्हें विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति (डी.आर.पी.एस.सी.) को भेज दिया गया है। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी अनुशंसाएं दे दी हैं तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में आयुष विभाग डी.आर.पी.एस.सी. की अनुशंसाओं पर अपने विचार को सुस्पष्ट और सुनिश्ति कर रहा है।

[हिन्दी]

जापानी एन्सीफेलाइटिस के लिए टिश्यू कल्चर
टीकों का आयात

2159. श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री अनंत नायक:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
मोहम्मद शाहिद:
श्री मुन्शी राम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जापानी एन्सीफेलाइटिस की रोकथाम के लिए टिश्यू कल्चर टीकों के आयात हेतु चीन के साथ एक समझौता किया है जैसा कि दिनांक 17 नवम्बर, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से टीके का सफल परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) टीके की खरीद में कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में स्वयं ऐसे टीकों का विकास करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्ट करने वाला एक विशेषज्ञ क्लिनिकल एवं साइंटिफिक सलाहकार निकाय-'द ग्लोबल एडवाईजरी कमेटी ऑन वैक्सीन सेफ्टी (जी ए सी वी एस) ने लाइव अटैन्यूएटिड एस ए 14-14-2 जापानी एन्सीफेलाइटिस टीके की सुरक्षा प्रोफाइल पर हाल के समस्त डाटा का पुनरीक्षण किया। इस समिति ने इस टीके की सर्वोत्तम सुरक्षा एवं प्रभावकारिता प्रोफाइल पर अपनी सहमति व्यक्त की है।

(घ) आगामी पांच वर्षों के दौरान इस टीके की खरीद पर व्यय होने वाली सम्भावित कुल अनुमानित लागत 85 करोड़ रुपए है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में इंडीयन सीड स्ट्रेन एवं टैक्नोलीजी को अपनाने की प्रक्रिया चल रही है। यह पद्धति टिश्यूकल्चर जे ई टीके के विकास के लिए राष्ट्रीय वाइरोलोजी संस्थान, पुणे द्वारा प्रदान की जा रही है। टिश्यूकल्चर जे ई टीके के उत्पादन एवं विकास के लिए पैनेसिया बायोटेक लि. राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान, दिल्ली के सहयोग से कार्य करता है।

अफगानिस्तान में भारतीय मजदूर की कथित हत्या

2160. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री मो. ताहिर:
मोहम्मद शाहिद:
श्री मुन्शी राम:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान में सड़कों के निर्माण में लगे भारत के सीमा सड़क संगठन के एक कर्मचारी का कथित तालिबान आतंकवादियों द्वारा अपहरण करके हत्या कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अफगानिस्तान में कितने भारतीय कर्मचारियों का अपहरण किया गया;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले पर अफगानिस्तान के साथ चर्चा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) वर्तमान में अफगानिस्तान में कार्यरत भारतीय कंपनियों/भारतीयों की कुल संख्या कितनी है; और

(ज) इन भारतीय कंपनियों/भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। अफगान सरकार मामले की छानबीन कर रही है। काबुल स्थित भारतीय दूतावास इस मामले की प्रगति की निगरानी करने के लिए अफगान सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

(घ) दो भारतीय कर्मचारियों को 6 दिसम्बर, 2003 को अपहृत किया गया था और एक का अपहरण 19 नवम्बर, 2005 को किया गया था।

(ङ) और (च) जी हां। भारत सरकार, काबुल स्थित अपने दूतावास के माध्यम से उच्चतम स्तर सहित, अफगान सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क में है और छानबीन में पूरी सहायता करने का प्रस्ताव किया है।

(छ) भारत सरकार के प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त, 21 भारतीय सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कम्परियां अफगानिस्तान में हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1337 भारतीय इस समय अफगानिस्तान स्थित इन कम्पनियों, भारत सरकार के प्रतिष्ठानों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और विदेशी कम्पनियों में काम कर रहे हैं।

(ज) जिन संगठनों/कम्पनियों में भारतीय काम कर रहे हैं, उनके लिए काबुल स्थित भारतीय दूतावास द्वारा उपयुक्त मार्गदर्शन वाली एक सुरक्षा सलाहकारी पुस्तिका जारी की गई है। धमकी के विशिष्ट मामलों में सुरक्षा मुहैया कराने हेतु स्थानीय सरकार से संपर्क किया जाता है।

[अनुवाद]

एस.टी.डी./आई.एस.डी. कालों की दर में कमी

2161. श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री अनन्त नायक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.टी.डी. तथा आई.एस.डी. कालों की दर में कमी के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह लैण्डलाइन तथा मोबाइल दोनों टेलीफोनों के लिए लागू होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं। फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् बीएसएनएल और एमटीएनएल का एसटीडी और आईएसडी कॉलों की दरें कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त भाग (क) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में रह रहे भारतीयों के लंबित मामले/विवाद

2162. **श्री ए.वी. बेल्लारमिन:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों विशेष रूप से खाड़ी देशों में प्रायोजकों/नियोक्ताओं द्वारा वैध बकाया धनराशि दिये जाने, मृत्यु उपरांत लाभ प्रदान किये जाने, बीमा की धनराशि दिये जाने, वेतन की बकाया राशि का भुगतान, आदि किये जाने से संबंधित कई मामले और विवाद लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) सूचना विदेश स्थित सभी मिशनों/केन्द्रों से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

डाक बांटने के लिए मोपेड देना

2163. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक बांटने के लिए डाकियों को मोपेड देना शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां। सरकार ने डाक वितरण में सुधार लाने के एक उपाय के रूप में पोस्टमेन को मोपेड देने के प्रावधान पर विचार किया है।

(ख) मोपेडों की उपलब्धता का डाक सर्किलवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	सर्किल का नाम	उपलब्ध कराए गए मोपेडों की संख्या
1.	असम	18
2.	आंध्र प्रदेश	48
3.	दिल्ली	70
4.	गुजरात	15
5.	हिमाचल प्रदेश	01
6.	कर्नाटक	15
7.	केरल	29
8.	मध्य प्रदेश	08
9.	महाराष्ट्र	63
10.	उत्तर पूर्व	14
11.	उड़ीसा	04
12.	पंजाब	08
13.	उत्तर प्रदेश	10
14.	पश्चिम बंगाल	34
	कुल	337

कोयला परियोजनाएं

2164. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान कोयला तथा लिग्नाइट क्षेत्र में संस्वीकृत कोयला परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा चालू

वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी परियोजनाएं संस्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या संस्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) संस्वीकृत परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान कोयला खनन की 13 परियोजनाएं और लिग्नाइट खनन की 2 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) ने चालू वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान स्वीकृत किए जाने के लिए 10 कोयला परियोजनाओं की पहचान की है। इनमें से दो स्वीकृत की जा चुकी हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई नयी लिग्नाइट परियोजना स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(घ) स्वीकृत परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

1. क्षेत्रीय स्तर तथा निगमित स्तर पर मासिक आधार पर अथवा थोड़े-थोड़े समय पर परियोजनाओं की समीक्षा/निगरानी।
2. कम्पनी बोर्ड की प्रत्येक बैठक में परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की जाती है।
3. जब परियोजना का व्यय स्वीकृत पूंजी के 50% से अधिक हो जाता है तो कम्पनी स्तर पर परियोजनाओं की अनिवार्य समीक्षा की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।
4. 100 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की सी.आई.एल. बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है।
5. सी.आई.एल. बोर्ड की परियोजना समीक्षा समिति नामक एक उच्चस्तरीय समिति परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा/निगरानी करती है।
6. 100 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए सी.आई.एल. में एक उपयुक्त एमआईएस पद्धति को लागू किया गया है।
7. सी.आई.एल. द्वारा नियमित रूप से 100 करोड़ रु. तथा उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्टें कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को भेजी जाती हैं।
8. 100 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए कोयला मंत्रालय में तिमाही परियोजना समीक्षा बैठक की जाती है।

हैपेटाइटिस-ए और बी के विरुद्ध अभियान

2165. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान हैपेटाइटिस-ए और बी के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सी जी एच एस औषधलयों और अन्य सरकारी अस्पतालों में हैपेटाइटिस-ए और बी के निशुल्क टीकाकरण हेतु प्रबंध किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक प्रबंध कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) हेपेटाइटिस-ए, अन्य प्रकार के हेपेटाइटिस की तुलना में कम खतरनाक (बेनाइन) होता है और यह रूटिन रोग प्रतिरक्षण के तहत कवर नहीं होता है। हेपेटाइटिस-बी के लिए सरकार ने एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को हेपेटाइटिस-बी का टीका लगाने संबंधी प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण शुरू हो गया है और वर्ष 2002-2003 से 15 शहरों और वर्ष 2003-04 से 32 जिलों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में चलाया जा रहा है। सीजीएचएस औषधालयों सहित सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में हेपेटाइटिस-बी का वैक्सीन मुफ्त प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय सरकार अस्पताल के उच्च जोखिम वाले कार्मिक को हेपेटाइटिस-बी का टीका लगाया जा रहा है।

पाकिस्तान में हिन्दुओं का अपहरण

2166. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में हिन्दू समुदाय के अनेक पुरुषों और महिलाओं को उस देश से बाहर जाने के लिए बाध्य करने हेतु अपहरण किया जा रहा है जैसा कि दिनांक 23 सितंबर, 2005 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई विरोध दर्ज किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) पाकिस्तानी प्रेस हिन्दुओं सहित अल्पसंख्यकों से पाकिस्तान के नागरिकों के विरुद्ध हो रही हिंसा की खबरें देता रहा है। पाकिस्तान आधारित एक प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन 'पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग' की वार्षिक रिपोर्ट में सिन्ध और पाकिस्तान के अन्य भागों में हिन्दुओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को प्रकाशित किया गया है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की 2003 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हिन्दुओं के विरुद्ध हिंसा और भेद-भाव की वारदातों में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप उनकी स्थिति में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट हुई है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की 2004 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य अल्पसंख्यकों सहित मुख्यत: सिन्ध में बसे हिन्दू समुदाय को कानून के तहत भेद-भाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने हिंसा की वारदातों का सामना भी किया।

काली सूची में डाले गए निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को सी जी एच एस सूची में शामिल करना

2167. श्री सुबोध मोहिते: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर शहर हेतु सी जी एच एस के मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों की सूची का नवीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले काली सूची में डाले गए कुछ निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों को पुन: इस सूची में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन अस्पतालों/केन्द्रों को सूची में शामिल करने से पूर्व इनके विरुद्ध सी जी एच एस अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष 2001 में सीजीएचएस के अंतर्गत मान्यताप्राप्त करने हेतु आवेदन करने वालों में से 35 निजी अस्पतालों और 14 नैदानिक केन्द्रों को 15.4.2005 को माननीय उच्च न्यायालय के मुम्बई न्यायाधिकरण, नागपुर बैंच, नागपुर द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार मान्यता दे दी गई है।

(ख) अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) नागपुर में सीजीएचएस ने किसी भी निजी अस्पताल/नैदानिक केन्द्र को काली सूची में नहीं रखा है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

विवरण

नागपुर

अस्पताल		
1.	सुश्रुत हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थोपेडिक, रामदासपीठ	पैथोलोजी और रेडियोलोजी को छोड़कर आर्थोपेडिक्स और नैदानिक प्रक्रियाओं में सामान्य/विशिष्ट उपचार
2.	आर्थो रिलीफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, धानतोली	ज्वाइंट रिप्लेसमेंट अर्थोस्कोपिक सर्जरी और माइक्रो डिस्केक्टोमी सहित सामान्य/विशिष्ट उपचार, दुर्घटना एवं अभिघात प्रक्रियाएं
3.	अवन्ती इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलोजी प्राइवेट लिमिटेड, धानतोली	कार्डियोलोजी (कार्डियक सर्जरी एवं इंटरवेनशनल प्रक्रियाओं को छोड़कर) में विशिष्ट उपचार और ट्रीड

		मिल, 2 डी इको और कलर डोप्लर जैसी सामान्य कार्डियोलोजी नैदानिक प्रक्रियाएं
4.	एकवीरा हार्ट इंस्टीट्यूट, अम्बजारी रोड	सीएनबीजी को छोड़कर कार्डियोलोजी और कार्डियोलोजी संबंधी इंटरवेन्शनल प्रक्रियाओं में विशिष्ट उपचार
5.	बिशने हार्ट क्लीनिक, रामदासपीठ (बिशने हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड)	कार्डियोलोजी में विशिष्ट उपचार और संबंधित नैदानिक प्रक्रियाएं जैसे कम्प्यूट्रीकृत टीएमटी, कलर डोप्लर और 2-डी इको
6.	पांडे मेमोरियल हॉस्पिटल, धानतोली	पुनर्वास सहित न्यूरोलोजी में विशिष्ट उपचार और संबंधित नैदानिक प्रक्रियाएं
7.	सूरज आई इंस्टीट्यूट, न्यू कालोनी	नेत्र रोग विज्ञान में सामान्य/विशिष्ट उपचार और संबंधित नैदानिक प्रक्रियाएं
8.	महात्मा हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्धा रोड़	नेत्र रोग विज्ञान में सामान्य/विशिष्ट उपचार और संबंधित नैदानिक प्रक्रियाएं
9.	डा. के.जी. देशपांडे मेमोरियल सैंटर, गोकुलपीठ	कार्डियक सर्जरी और नेत्र रोग विज्ञान में विशिष्ट उपचार और संबंधित नैदानिक प्रक्रियाएं
10.	अंजनी आई हॉस्पिटल, रामदासपीठ	नेत्र रोग विज्ञान में सामान्य/विशिष्ट उपचार
11.	करनदीकार मेटरनिटी एंड नर्सिंग होम एंड आई हॉस्पिटल, शंकर नगर	सामान्य नेत्र रोग विज्ञान उपचार
12.	जायसवाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर यूनिट, सेन्ट्रल एवेन्यू रोड	संकटकालीन परिचर्या सहित सामान्य/विशिष्ट बाल रोग चिकित्सा उपचार और संबंधित नैदानिक प्रक्रियाएं
13.	गिलुरकर मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, उमेद रोड	सामान्य काय चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा और केवल यूरोलोजी
14.	क्रिटिकल केयर यूनिट, वर्धा रोड	मल्टी आर्गेन फेलर और उच्च जोखिम वाले सर्जिकल मामलों में विशिष्ट संकटकालीन परिचर्या उपचार
15.	कैंसर क्लीनिक, वर्धा रोड	कैंसर कैमोथिरेपी में विशिष्ट उपचार
16.	अमित सर्जिकल एंड मेटरनिटी हॉस्पिटल एंड लेपरोस्कोपिक सर्जरी क्लीनिक	सामान्य शल्य चिकित्सा और लेपरोस्कोपिक सर्जरी
17.	सर्जिकेयर क्लीनिक, डब्ल्यूएचसी रोड	सामान्य शल्य चिकित्सा और केवल यूरोलोजी
18.	गुप्ता नर्सिंग होम, लक्ष्मी नगर	लेजर एनोरेक्टल सर्जरी में विशिष्ट उपचार
19.	श्रीखंडे नर्सिंग होम, हनुमान नगर	यूरोलोजी में लेजर सर्जरी उपचार
20.	मातृ सेवा संघ, सीताबुल्दी	प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान में सामान्य प्रयोजन उपचार
21.	अश्विनी किडनी एवं डायलिसिस सेन्टर, रामदासपीठ	वृक्क प्रत्यारोपण को छोड़कर यूरोलोजी और नेफ्रोलोजी में विशिष्ट उपचार
22.	किडनी एंड ब्लड प्रेशर क्लीनिक, धानतोली	रीनल ट्रांसप्लांट को छोड़कर यूरोलोजी और नेफ्रोलोजी में विशिष्ट उपचार

23.	मिडास इंस्टीट्यूट ऑफ गेस्ट्रोइंटेरोलोजी, रामदासपीठ	मेडिकल गेस्ट्रोइंटेरोलोजी (एंडोस्कोपी) में विशिष्ट उपचार और संबंधित नैदानिक प्रक्रियाएं
24.	गेस्ट्रोइंटेरोजोजी एवं एंडोस्कोपी सेन्टर, वर्धा रोड	मेडिकल गेस्ट्रो इंटेरोलोजी (एंडोस्कोपी एवं ईआरसीपी) में विशिष्ट उपचार ओर संबंधित नैदानिक प्रक्रियाएं
25.	क्रिसेन्ट नर्सिंग होम एवं आईसीसीयू, धानतोली	कार्डियोलोजी, यूरोलोजी, नेफ्रोलोजी में सामान्य/विशिष्ट उपचार और सामान्य सर्जरी
26.	नागपुर एसोसिएशन फार दि रिहैबीलीटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट विद आर्थोपेडिक एंड अदर डिसएबलिटीज (एनएआरसीएओओडी), धर्मपीठ	केवल फिजियोथिरेपी
27.	खरे डेंटल क्लीनिक एवं इम्पालंट सेन्टर, धर्मपीठ	सामान्य/विशिष्ट दंत चिकित्सा उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
28.	एडवांस डेंटल हॉस्पिटल, सदर	सामान्य/विशिष्ट दंत चिकित्सा उपचार और संबंधित नैदानिक प्रक्रियाएं
29.	ओरंज सिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, वीर सावरकर स्केयर	कार्डियक सर्जरी और कार्डियक इंटरवेन्शनल प्रक्रियाओं को छोड़कर सामान्य/विशिष्ट उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
30.	सुपरटेक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, धानतोली	सामान्य सर्जरी ओर आर्थोपेडिक में सामान्य प्रयोजन उपचार और बाल शल्य चिकित्सा नेफ्रोलोजी, गेस्ट्रो इंटेरोलोजी, प्लास्टिक सर्जरी, संकटकालीन परिचर्या में विशिष्ट उपचार और संबंधित नैदानिक प्रक्रियाएं
31.	लता मंगेशकर हॉस्पिटल, सीताबुल्दी	सामान्य प्रयोजन उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
32.	राष्ट्र संत तुकडोजी रिजीनल कैंसर हॉस्पिटल, मानेवाड़ा रोड	सामान्य/विशिष्टि कैंसर उपचार और संबंधित नैदानिक प्रक्रियाएं तथा रक्त बैंक
33.	जनता मेटरनिटी होम एंड हॉस्पिटल, जरीपटका	सामान्य प्रयोजन उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
34.	श्री राधाकृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वर्धमान नगर	सामान्य प्रयोजन उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं
35.	नागरिक सहकारी रूग्नालय एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड, नार्थ अम्बाजारी रोड	सामान्य प्रयोजन उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं

डायग्नोस्टिक सेंटर

1.	एडवांस स्केनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रा. लि., रादासपेठ	एम आर आई और सी टी स्कैन प्रक्रिया सहित यू एस जी और विशेषज्ञ निदान प्रक्रिया के साथ साथ सामान्य रेडियोलोजिकल निदान
2.	मेडिको रिसर्च एंड इमेजिंग (इंडिया) प्रा. लि. (एम आर आई सेंटर)	केवल एम आर आई

3.	चंडक रेडियोलोजिकल लैब., सेंट्रल एवेन्यू	नान कार्डियक कलर डोप्लर और अल्ट्रासाउंड सहित सामान्य रेडियोलोजिकल निदान
4.	मेसर्स मेडिकल इमेजिंग सेंटर, सदर	अल्ट्रसाउंड सहित सामान्य रेडियोलोजिकल निदान
5.	खेमूका एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और कलर डोप्लर क्लिनिक, धनतोली	नान-कार्डियक कलर डोप्लर और यू एस जी सहित सामान्य रेडियोलोजिकल निदान
6.	के.के. सोनोग्राफी, 2डी ईको और एक्स-रे क्लिनिक, कम्प्टी रोड	अल्ट्रा सोनोग्राफी सहित सामान्य रेडियोलोजिकल निदान
7.	रेनबो मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विस, रामदासपेठ	न्यूक्लियर मेडिसिन और स्पायरल सी टी स्कैन, सामान्य पैथोलोजिकल जांच और विशेषज्ञ निदान प्रक्रिया
8.	नागपुर रेफरेंस पैथोलोजी लैब. एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रा. लि., रामदासपेठ	पैथोलोजी में सामान्य/विशेषज्ञ दिान प्रक्रिया
9.	लाइफ लाइन लैब. एंड ब्लड बैंक (सेंट्रल इंडिया मेडिकल ट्रस्ट), रामदासपेठ	सामान्य माइक्रोबायोलोजिकल जांच, ब्लड बैंक, कम्पोनेंट लैब. और एफारेसिस सेंटर
10.	आयुष ब्लड बैंक, सेंट्रल एवेन्यू रोड	केवल ब्लड बैंक
11.	पवन पैथोलोजी एंड आर आई ए लैब, सेंट्रल एवेन्यू रोड	सामान्य पैथोलोजिकल निदान प्रक्रिया, आर आई ए और ई एल आई एस ए
12.	सी टी पैथेलिजिकल लैब., लोकमत भवन	सामान्य पैथोलोजिक जांच
13.	जे.जे. डायग्नोस्टिक सेंटर, गांधी बाग	सामान्य पैथोलोजिकल जांच
14.	श्री वर्धन एक्स-रे एंड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, रामदासपेठ	नान-कार्डियक कलर डोप्लर और यू एस जी सहित सामान्य रेडियोलोजिकल निदान

बोन बैंकों की स्थापना

2168. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ब्लड बैंकों की तर्ज पर देश में विभिन्न प्रमुख अस्पतालों में बोन बैंकों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ किन-किन अस्पतालों की पहचान की गई है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) बोन बैंकों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) रक्त बैंकों की तर्ज पर विभिन्न बड़े अस्पतालों में बोन बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बोन बैंक की सुविधा उपलब्ध है।

कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

2169. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी किसानों को ई-व्यापार/वाणिज्य में शिक्षित करने और वस्तुओं की आवाजाही और प्रवाह पद्धति को जानने के कार्य में प्रमुख भूमिका निभा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फलों और सब्जियों के फसल कटाई के बाद के प्रबंधन सहित उत्तम कृषि पद्धतियों में किसानों को शिक्षित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास और अधिक किसानों को प्रयोक्ता अनुकूल तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु उचित विपणन विस्तार केन्द्रों सहित ग्राम-स्तर पर किओस्क उपलब्ध कराने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के साथ मिलकर अच्छी कृषि पद्धतियों सहित विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए "कृषि संसाधन सूचना प्रणाली (एग्रिस)" विषय पर प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के अलावा, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने एनआईसी के साथ मिलकर देशभर में स्थित 2200 कृषि थोक उपज बाजारों में एगमार्कनेट मरियोजना चालू की। यह परियोजना 300 वस्तुओं तथा लगभग 2000 किस्मों पर बाजार मूल्य सूचना (अधिकतम, न्यूनतम तथा नोडल) उपलब्ध कराती है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्तर पर कयोस्क केन्द्रों (राजीव केन्द्रों) के जरिए इन मूल्यों की सूचना का प्रदर्शन करने के उपाय किए हैं। एगमार्कनेट डेटा इन्टरनेट साइट (agmarknet.nic.in) पर नि:शुल्क उपलब्ध है।

इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 2007 तक देशभर में मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थित सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित करने की एक योजना पर कार्य कर रहा है। ऐसे केन्द्र स्थानीय समुदाय की आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की सेवाएं (स्थानीय सेवाओं सहित सरकारी तथा गैर-सरकारी सेवाएं) प्रदान करेंगे। इन सामान्य सेवा केन्द्रों का दीर्घकालिक उद्यमकर्ता मॉडल पर संवर्धन किया जाएगा जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सहायता दी जाएगी।

मीनाक्षी मंदिर के रख रखाव हेतु वित्तीय सहायता

2170. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मदुरै मीनाक्षी मंदिर के परिरक्षण और रखरखाव हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विचार विश्व-स्तरीय संग्रहालय स्थापित करने और मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, मदुरै का सौंदर्यीकरण करने हेतु रखरखाव कार्य शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मदुरै मीनाक्षी मंदिर को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।

(ख) और (ग) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लाभ

2171. श्री अजीत जोगी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड प्रतिवर्ष भारी लाभ अर्जित करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित किया गया है;

(ग) बोर्ड किन-किन स्रोतों से लाभ अर्जित करता है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त कोष से खेल सुविधाओं के विकास के लिए वर्षवार और शीर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) के अनुसार, वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान इसके द्वारा अर्जित लाभ क्रमश: 10738.02 लाख रु. एवं 13,157,33 लाख रु. है। वर्ष 2004-05 के दौरान अर्जित लाभ के विवरण मंत्रालय के पास नहीं हैं। जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सूचित किया है कि चूंकि बोर्ड की गतिविधियां निरन्तर चल रही हैं, अत: वर्तमान में अंतिम स्थिति बता पाना संभव नहीं है।

(ग) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आय के स्रोत दूरदर्शन अधिकार, लोगो मनी और प्रयोजकता धन हैं।

(घ) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल सुविधाओं के विकास के लिए वर्ष 2002-03 में 10,974.76 लाख रु. तथा वर्ष 2003-04 में 9,106.32 लाख रु. खर्च किए हैं। वर्ष 2004-05 तथा चालू वर्ष के विवरण उपर्युक्त पैरा (क) और (ख) में उल्लिखित कारणों से उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय पुस्तकालयों को आपस में जोड़ना

2172. श्रीमती मेनका गांधी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सभी केन्द्रीय पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी; और

(घ) इस समय इस कार्य की क्या स्थिति है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं। तथापि, संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पुस्तकालयों जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना तथा केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार, नई दिल्ली के लिए मशीन पठनीय फार्मेट में सूचीपत्रों को बदलने (रेट्रोकनवर्शन) का कार्य कर रही है। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय ने अपने कुछेक पुस्तकालयों में पुरानी और दुर्लभ पुस्तकों तथा पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू की है और इस डिजिटलीकरण परियोजना का पूर्णतः वित्तपोषण किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन हेतु धनराशि का आकलन

2173. श्री गिरिधारी यादवः
श्री सुनिल कुमार महतोः

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों के दौरान देश में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु अनुमानतः कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) विद्युत, संरचार, इस्पात, पेट्रोलियम, सड़क, रेलवे, कोयला आदि जैसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता का अनुमान है; और

(घ) उक्त प्रयोजन हेतु धनराशि जुटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अवसंरचना संबंधी समिति ने राजमार्ग क्षेत्रक में वर्ष 2012 तक 1,72,000 करोड़ रुपये के निवेश का आकलन किया है। इसके अतिरिक्त, 'भारत निर्माण' के अंतर्गत संगत क्षेत्रकों के लिए वर्ष 2008-09 तक पूरा किए जाने वाले एक चार वर्षीय कार्यक्रम का अनुमान (वर्ष 2005-06 सहित) निम्न प्रकार से है:

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	कुल अनुमानित निधि आवश्यकता	केन्द्र द्वारा बजट आवंटन 2005-06	अभ्युक्ति
1.	टेलीफोनी	451	114	राज्यों को विभिन्न स्कीमों के मानकों के अनुसार उपयुक्त मैचिंग शेयर देना होगा।
2.	सड़कें	47,554	4,235	
3.	ग्रामीण विद्युतीकरण	23,300	1,285	
	कुल	71,305	5,634	

(घ) सरकार का प्रस्ताव है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी और विशेष प्रयोजन उपाय (एसपीवी) के माध्यम से शहरी अवसंरचना सुविधाओं के सृजन हेतु निधियां जुटाई जाएं। भारत निर्माण के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधियों को बजटीय सहायता, विदेशी सहायता, बाजार से उधार एवं लाभार्थी अंशदान (कुछ मामलों में) के समुचित मेल से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

औषधियों का विपणन

2174. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ औषधियों का विपणन उनके परिवर्तित फार्मूलेशन के बाद भी स्थापित ब्रांड नामों के अंतर्गत किया जाता है जैसाकि दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 के "द पायनियर" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) बाजार में ऐसी औषधियों को आने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए भेषज कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) ब्रांड नाम से मिश्रित औषधि का निर्माण करने की अनुमति औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेसिंग प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती है। समान ब्रांड नाम एवं सूचना देते हुए निर्माता कभी-कभी अपनी औषधि में सुधार करने हेतु इसके संयोजनों में बदलाव कर सकते है या अप्रचालित सक्रिय तत्वों का प्रतिस्थापन कर सकते हैं।

दवाइयों के नैदानिक परीक्षणों के अभिलेखों का रख-रखाव

2175. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में चल रहे दवाइयों के सभी नैदानिक परीक्षणों के अभिलेख दर्ज करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चल रहे सभी नैदानिक परीक्षणों के आंकड़े पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) जी, हां। औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय द्वारा अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों का ब्यौरा केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की वेबसाइट www.cdsco.nic.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इस सूचना में परीक्षण संख्या, परीक्षण पंजीकरण तारीख, उत्तरदायी सम्पर्क व्यक्ति, अध्ययन का शीर्षक, शामिल करने और निकालने का मूल मानदंड, लक्ष्य नमूना आकार, भर्ती स्थिति, परीक्षण की अवधि इत्यादि शामिल हैं।

[हिन्दी]

कोयले की कम मूल्य पर बिक्री

2176. श्री सुनिल कुमार महतो:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, सिंगरौली ने उच्च ग्रेड वाले कोयले को कम मूल्य पर बेचा है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) सिंगरौली में नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) नामक कोयला खनन में लगी कोई कम्पनी नहीं है। नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., सिंगरौली कोयला उत्पादन में लगी हुई है और इस कम्पनी ने उच्च ग्रेड वाले कोयले को कम मूल्य पर नहीं बेचा है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर

2177. **श्री राकेश सिंह:**
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न भारतीय भाषाओं के सॉफ्टवेयर निःशुल्क वितरित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कितने लाभार्थी हैं; और

(ग) इस सॉफ्टवेयर के अधिकतम वितरण के संबंध में सरकार की योजना क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने तमिल, हिन्दी तथा तेलुगु भाषाओं के सीडी-रॉम संबंधी साधनों का वितरण किया है।

(ख) मांग किए जाने पर वितरित की गई सीडी की संख्या नीचे दिए अनुसार है:

(1) तमिल	(2) हिन्दी	तथा	(3) तेलुगु
78027	40108		13628

(ग) फोंट्स तथा सॉफ्टवेयर साधनों सहित सीडी अनुरोध किए जाने पर निःशुल्क वितरित की जाती है। इसके अतिरिक्त, फोंट्स और सॉफ्टवेयर साधन वेबसाइट: http.//ildc.gov.in से निःशुल्क डाउनलोड भी किए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

कोयला उत्पादन में वृद्धि

2178. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयले की कमी को दूर करने के लिए पांच हजार करोड़ कोयला उत्पादन योजना की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कोयले के उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु उपयोग किए जाने वाली खानों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) कोल इंडिया लि. ने ऐसी 16 ओपनकास्ट मौजूदा खानों/परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट किया है, जहां से होने वाले उत्पादन को बढ़ाकर अतिरिक्त 71.3 मि.ट. प्रतिवर्ष कोयले की प्राप्ति की जा सकती है। बढ़े हुए उत्पादन हेतु अनुमानित निवेश 2690.80 करोड़ रु. है। निर्दिष्ट परियोजनाओं (महानदी कोलफील्ड्स में 4, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में 3, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. में 3 और नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. में 6) में उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त भण्डार, खान क्षमता और खान ज्यामिति हैं। प्रस्ताव सार्वजनिक निवेश बोर्ड को प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

"न्यू एक्सेस डेफिसिट चार्ज रेजिम" लागू किया जाना

2179. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू एक्सेस डेफिसिट चार्ज रेजिम लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्यू रेजिम के कब तक लागू होने की संभावना है और इसका उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) यह प्रस्ताव है कि अभिगम घाटा प्रभार व्यवस्था को प्रति मिनट आधार से राजस्व शेयर आधार में माइग्रेट किया जाए।

(ग) फिलहाल इसके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं है। अभिगम घाटा प्रभार को युक्तिसंगत बनाए जाने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मौजूदा उपभोक्ता श्रेणियों का प्रभार कम हो सकता है।

मेडिकल कालेजों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश

2180. श्री तथागत सत्पथी:
श्री आर.एल. जालप्पा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मेडिकल कालेजों में शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को मेडिकल कालेजों में कर्मचारियों की नियुक्ति/कमी हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा परिषद की उक्त सिफारिशों पर कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 50, 100, 150 वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले मेडिकल कालेजों में स्टाफ (शिक्षण और तकनीकी दोनों) की न्यूनतम आवश्यकता का निर्धारण भारतीय चिकित्सा परिषद के क्रमश: "वार्षिक रूप से 50 एमबीबीएस नामांकन संबंधी न्यूनतम आवश्यकता विनियमन, 1999" "वार्षिक रूप से 100 एमबीबीएस नामांकन संबंधी न्यूनतम आवश्यकता विनियमन, 1999" और "वार्षिक रूप से 150 एमबीबीएस नामांकन संबंधी न्यनूतम आवश्यकता विनियमन, 1999" द्वारा किया जाता है। इस मंत्रालय को इन विनियमनों को संशोधित करने के बारे में भारतीय चिकित्सा परिषद से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस विषय पर विभिन्न लाभग्राहियों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र में पूंजी निवेश

2181. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार क्षेत्र में मार्च, 2004 के अंत तक कुल पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में वर्ष 2004-05 के दौरान कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ग) कुल पूंजी निवेश में से सरकारी तथा निजी क्षेत्र में क्रमश: कितना-कितना निवेश किया गया है; और

(घ) मार्च, 2005, के अंत तक सरकारी तथा निजी क्षेत्र में टेलीफोन उपभोक्ताओं की अलग-अलग संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारतीय अर्थव्यवस्था मानीटरिंग केन्द्र (सीएमआईई) सहित विभिन्न स्रोतों के अनुसार मार्च, 2004 के अंत तक, दूरसंचार क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा कुल लगभग 1,85,000 करोड़ रु. का निवेश किए जाने का अनुमान है।

(ख) और (ग) वर्ष 2004-05 के दौरान, लगभग 22,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त पूंजी निवेश हुआ है। उपर्युक्त राशि में से भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा लगभग 7,500 करोड़ रु. का निवेश किया गया है।

(घ) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में) निम्न-अनुसार है:

(1)	सार्वजनिक	:	520.88
(2)	निजी	:	462.84
	योग	:	983.72

[अनुवाद]

डी डी ए की आवासीय योजनाएं

2182. कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीडीए का विचार वर्ष 2006-2007 के दौरान आवासीय योजनाएं आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि नए निर्माण अथवा वापसी/निरस्तीकरण के जरिए जब कभी फ्लैट उपलब्ध होते हैं तो नई आवास स्कीमें शुरू की जाती हैं। वर्तमान में जनता और एलआईजी श्रेणियों में उपलब्ध होने वाले फ्लैटों को प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन के लिए लिया जाता है।

[हिन्दी]

गांवों में साइबर कैफे खोलना

2183. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के गांवों में साइबर कैफे खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग देशभर में मुख्यः ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थित सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित करने की एक योजना पर कार्य कर रहा है। ऐसे केन्द्र स्थानीय समुदाय की आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की सेवाएं (स्थानीय सेवाओं सहित सरकारी तथा गैर-सरकारी सेवाएं) प्रदान करेंगे। इन सामान्य सेवा केन्द्रों का दीर्घकालिक उद्यमकर्ता मॉडल पर संवर्धन किया जाएगा जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सहायता दी जाएगी।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सामान्य सेवा केन्द्रों के तीव्र प्रसार के लिए नीति तथा वित्तीय सहयोग की रूपरेखा का मसौदा ढांचा तैयार किया है तथा अब यह सामान्य सेवा केन्द्र योजना के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। अंतिम निर्णय के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। किन्तु, इस मामले में शीघ्र निर्णय के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

नेहरू युवक केन्द्रों का उपयोग किया जाना

2184. **श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नेहरू युवक केन्द्रों (एन वाई के) को धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने तथा देश में आतंकवाद को विरुद्ध इस्तेमाल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) भारत सरकार पहले से ही राष्ट्रीय एकता शिविरों, अन्तर्राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल संवर्धन कार्यक्रमों और राष्ट्रीय महत्व के दिवसों तथा सप्ताहों को मनाने जैसे अनेक कार्यक्रमों के जरिए धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने तथा देश में आतंकवाद के खिलाफ नेहरू युवा केन्द्र की सेवाओं का उपयोग कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय

2185. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2002 में गठित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, नरसंहार अपराध के दोषियों तथा युद्ध अपराधियों की उन्मुक्ति को समाप्त करने के अपने संकल्प पर कायम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) और (ख) जी हां। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के कानून के अनुच्छेद 27(2) में कहा गया है: उन्मुक्तियां या विशेष प्रक्रियात्मक नियमावली, जो किसी व्यक्ति की सरकारी क्षमता से संलग्न की जा सकती हैं, चाहे राष्ट्रीय कानून या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत हों, न्यायालय को ऐसे व्यक्ति पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से नहीं रोक सकती है।

(ग) भारत अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का पक्षकार नहीं है।

नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

2186. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री सुनील खां:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:
श्री जोवाकिम बखला:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अतिरिक्त परमाणु ऊर्ज संयंत्रों की स्थापना हेतु चार स्थानों को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक संयंत्र से कितनी मात्रा में अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा;

(घ) हैवी वॉटर रिएक्टरों तथा लाइट वॉटर रिएक्टरों से अब तक अलग-अलग कुल कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया गया;

(ङ) क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से बिजली का उत्पादन किफायती होता है तथा ऊर्जा के अन्य स्रोतों से ज्यादा लाभदायक होता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां,

(ख) सरकार ने निम्नलिखित स्थलों पर परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए सिद्धांततः अनुमोदन दे दिया है;

- कुडनकुलम-तमिलनाडु
- ककरापार-गुजरात
- रावतभाटा-राजस्थान
- जैतपुर-महाराष्ट्र।

(ग) भारत सरकार के सिद्धांततः अनुमोदन के आधार पर अलग-अलग परियोजनाओं के मामले में ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। तथापि, भारत सरकार ने अब जिन स्थलों को अनुमोदित किया है, वे संचयी क्षमता 6800 मेगावाट-ई के लिए हैं।

(घ) 3360 मेगावाट-ई की मौजूदा क्षमता (15 रिएक्टर) के अंतर्गत, 3040 मेगावाट-ई (13 रिएक्टर) भारी पानी रिएक्टरों की और 320 मेगावाट-ई (दो रिएक्टर) हलका पानी रिएक्टरों की शामिल है। हलका पानी रिएक्टर (एल डब्ल्यू आर्ज) (दो) वर्ष 1969 से वाणिज्यिक रूप से काम कर रहे हैं। भारी पानी रिएक्टरों (एच डब्ल्यू आर्ज) ने वर्ष 1973 से 2005 तक क्रमिक रूप से वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू किया है।

अब तक हुआ कुल विद्युत उत्पादन, भारी पानी रिएक्टरों से 181 बिलियन यूनिट (बी यूज) और हलका पानी रिएक्टरों से 70 बिलियन यूनिट रहा है।

(ङ) और (च) जी, हां। परमाणु विद्युत, कोयले की खानों से दूर स्थित स्थलों पर सस्ती पड़ती है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने के साथ ही 3360 मेगावाट-ई (15 रिएक्टर) की मौजूदा परमाणु विद्युत क्षमता बढ़कर 7280 मेगावाट-ई हो जाएगी।

निजी ऑपरेटरों द्वारा ग्रामीण दूरसंचार सेवाएं

2187. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा ग्रामीण दूरसंचार सेवाओं के अनिवार्य उपबंध को वर्ष 2003 में हटा दिया गया था;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तब से ग्रामीण तथा शहरी इलाकों के बीच डिजिटल अंतर बढ़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निजी दूरसंचार ऑपरेटरों पर अनिवार्य उपबंध दोबारा लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) बुनियादी सेवा प्रचालकों के एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस व्यवस्था में माइग्रेट करने संबंधी दिशा-निर्देशों की घोषणा के परिणामतः, विभिन्न निजी बुनियादी दूरसंचार प्रचालक, अपने-अपने सेवा क्षेत्र में चौथे सेल्यूलर सेवा लइसेंस-धारकों के बराबर निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के बाद, एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस में माइग्रेट हो गए।

माइग्रेशन के कारण, चौथे सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं (सीएमएसपी) के लिए परिवर्तित "रॉल आउट" दायित्व नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार हैं:

(1) पहले वर्ष में जिला मुख्यालयों का 10 प्रतिशत भाग कवर किया जाएगा तथा माइग्रेशन की तिथि से तीन वर्ष के भीतर जिला मुख्यालयों का 50 प्रतिशत कवर किया जाएगा।

(2) लाइसेंस धारक को जिला मुख्यालयों के बदले एक जिले के किसी भी अन्य नगर को कवर करने की भी अनुमति दी जाएगी।

(3) जिला मुख्यालय/नगर के कवरेज का तात्पर्य यह होगा कि नगर निगम क्षेत्र के कम-से-कम 90 प्रतिशत क्षेत्र के अन्तर्गत गलियों में तथा इमारतों के अन्दर दूरसंचार सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

(4) जिला मुख्यालय लाइसेंस की प्रभावी तिथि को शामिल किए जाएंगे।

(5) कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/शहरों का चयन करना तथा जिला मुख्यालयों/शहरों के 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में सुविधा का विस्तार करना लाइसेंस धारक के व्यावसायिक निर्णय पर निर्भर करेगा।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से कवर करने की कोई अपेक्षा नहीं है।

(ग) मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार 14.32 के शहरी टेलीघनत्व की तुलना में ग्रामीण टेलीघनत्व 1.49 था। 30 सितम्बर, 2005 को स्थिति के अनुसार 31.25 के शहरी टेलीघनत्व की तुलना में ग्रामीण टेलीघनत्व बढ़कर 1.77 हो गया है। दूरसंचार सेवा प्रदाता, मुख्यरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधा प्रदान करने संबंधी वाणिज्यिक अव्यवहार्यता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कार्य नहीं कर रहे हैं।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इको-सिटी परियोजना

2188. श्री भर्तृहरि महताब: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अधिक जनसंख्या वाले छोटे शहरों के सौन्दर्यीकरण हेतु इको-सिटी परियोजना विकसित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन-किन शहरों की पहचान की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में सहायता हेतु संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से संपर्क किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "इकोसिटी प्रोग्राम" नामक एक कार्यक्रम आरंभ किया है।

इस प्रोग्राम की संकल्पना व्यवहारिक, नवीनतम व अपारंपरिक हल निकालने की एक व्यापक शहरी सुधार प्रणाली के मार्फत पर्यावरण को सुधारने तथा विकास को जारी रखने के लिए की गई है। छोटे तथा मझौले कस्बों में प्रत्यक्ष पर्यावरणीय सुधार लाने के लिए "इको-सिटी प्रोग्राम" आरम्भ किया गया था। परोक्ष पर्यावरणीय सुधार लाने के लिए "इको-सिटी प्रोग्राम" के पहले चरण में निम्नलिखित कस्बों को शामिल किया गया है: वृंदावन (उ.प्र.), तिरूपति (आन्ध्र प्रदेश) पुरी (उड़ीसा), उज्जैन (मध्य प्रदेश), कोट्टायम (केरल), तंजावूर (तमिलनाडु)। इन कस्बों में परियोजना क्षेत्र में कस्बों का केवल मध्यवर्ती भाग (2-4 वर्ग कि.मी.) शामिल है न कि पूरा कस्बा। परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. सहभागी अवधारणा के जरिए पर्यावरणीय सुधार परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना
2. प्राथमिकता प्राप्त पर्यावरणीय सुधार परियोजनाओं की डिजाइन और ब्यौरे तैयार करना।
3. ऐसा पर्यावरणीय दृश्य तैयार करना जिससे कि प्रत्यक्ष पर्यावरणीय सुधार दिखाई दे। कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की जाने वाली विशिष्ट परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

   (i) यातायात और परिवहन प्रणाली-निर्माण सड़कों का सुधार, पार्किंग सुविधाएं, खड़ंजा डालना, पट्टिकाएं, पैदल पथ इत्यादि।

   (ii) जल निकासी तथा सीवरेज प्रणाली।

   (iii) बागान तथा भू-दृश्यांकन

   (iv) कचरा प्रबंधन

   (v) अन्य-स्थानीय जरूरतों के आधार पर

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पहले चरण में वृंदावन, पुरी, उज्जैन, कोट्टायम, तिरूपति तथा तंजावूर नामक 6 कस्बों को शामिल किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 2005 के दौरान 6 शहरों में चल रही परियोजनाओं के मूल्यवर्धन तथा साथ ही विश्व के अन्य भागों के लिए मॉडल शहरों के शोध, क्षमता निर्माण, भागीदारी/नेटवर्किंग के मार्फत इन पहल-प्रयासों में वृद्धि के लिए योजनाबद्ध सहयोग देने के लिए

इको-सिटी प्रोग्राम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) से अनुरोध किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने साझा हितों में सक्रिय सहयोग की सम्भावनाएं तलाशने के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से अनुरोध किया है।

युवाओं के व्यक्तित्व का विकास

2189. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में युवाओं के व्यक्तित्व के विकास तथा उन्हें राष्ट्र-निर्माण के विभिन्न क्रियाकलापों में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ पूरी आवंटित धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.) केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता से विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना का लक्ष्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। इसके अलावा, नेहरू युवा केन्द्र संगठन मंत्रालय की योजनाएं कार्यान्वित करता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ गैर-विद्यार्थी युवाओं के व्यक्तित्व का विकास भी सम्मिलित है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उक्त कार्यक्रमों के लिए संपूर्ण आवंटन को उपयोग में न ला पाने के कारणों सहित आवंटित धनराशियों तथा खर्च न की गई धनराशियों के विवरण निम्नलिखित हैं:

(रुपया करोड़ों में)

वर्ष	राष्ट्रीय सेवा योजना			नेहरू युवा केन्द्र संगठन		
	आवंटित धनराशि	खर्च से बची धनराशि	संपूर्ण आवंटन को उपयोग में न लाए जाने के कारण	आवंटित धनराशि	खर्च से बची धनराशि	संपूर्ण आवंटन को उपयोग में न लाए जाने के कारण
2002-2003	21.70	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	29.63	2.72	राष्ट्रीय पुन:निर्माण कार्प्स (एन.आर.सी.) योजनाओं का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण पश्चिम बंगाल के लिए आबंटित धनराशियों का उपयोग नहीं किया।
2003-04	21.63	शून्य	-वही-	22.18	2.46	-वही-
2004-05	22.19	शून्य	-वही-	26.78	5.43	राष्ट्रीय सेवा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की तैनाती में विलंब, कुछ राज्यों में युवा क्लबों के पंजीकरण की धीमी प्रगति और पश्चिम बंगाल में एन आर सी योजना कार्यान्वित न किए जाने के कारण।

[हिन्दी]

डेंगू का मुकाबला करने हेतु नई तकनीक

2190. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) द्वारा हाल ही में डेंगू के मच्छरों अथवा उसके अंडों का सफाया करने के लिए नई तकनीक की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य विशेषकर झारखण्ड में मच्छर-जनित बीमारियों के कारण हुई मौतों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) देश में विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में डेंगू, जापानी एन्सेफलाइटिस तथा मलेरिया के कारण हुई मौतों की झारखण्ड सहित राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मच्छर जनित रोगों के कारण हुई मौतें

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002			2003			2004			2005 (अनंतिम)		
	मलेरिया	डेंगू	जा.ए.	मलेरिया	डेंगू	जा.ए.	मलेरिया	डेंगू	जा.ए.	मलेरिया	डेंगू	जा.ए.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	0	3	3	3	5	183	2	1	3	10	2	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	72	0	150	53	0	49	54	0	84	83	0	52
बिहार	2	0	1	1	0	2	0	0	28	1	0	64
छत्तीसगढ़	3	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0
गोवा	15	0	0	1	2	0	7	0	0	2	0	0
गुजरात	17	0	0	65	9	0	89	4	0	0	1	0
हरियाणा	0	0	40	0	4	67	0	0	27	0	1	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	31	0	0	13	0	0	39	0	0	8	0	0
कर्नाटक	33	1	15	22	7	10	27	2	6	7	12	5
केरल	8	2	0	7	68	2	12	8	1	0	8	0
मध्य प्रदेश	30	0	0	22	0	0	36	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	43	18	16	85	45	115	61	22	0	14	1	29
मणिपुर	9	0	1	17	0	0	8	0	0	2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मेघालय	41	0	0	38	0	0	29	0	0	19	0	0
मिजोरम	35	0	0	48	0	0	72	0	0	61	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
उड़ीसा	465	0	0	333	0	0	283	0	0	132	0	0
पंजाब	0	2	2	1	13	0	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	11	5	0	66	11	0	20	5	0	0	1	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0
तमिलनाडु	0	0	0	0	8	36	0	0	0	0	0	1
त्रिपुरा	5	0	0	13	0	0	16	0	0	10	0	0
उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	133	0	8	237	0	0	228	0	1	1387
पश्चिम बंगाल	152	0	105	214	0	1	180	0	1	111	34	1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	2	0	0	35	5	0	3	0	0	9	
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	973	33	466	1006	215	707	944	45	367	464	70	1539

[अनुवाद]

नए चिकित्सा महाविद्यालयों को खोलने संबंधी दिशानिर्देश

2191. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलने अथवा सीटें बढ़ाने के लिए क्या दिशानिर्देश हैं; और

(ग) नए चिकित्सा महाविद्यालयों को खोलने की अनुमति देने अथवा वर्तमान चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटें बढ़ाने से पूर्व अनिवार्य निरीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

* भारतीय मेडीकल रजिस्टर का रख-रखाव, भारत तथा विदेश से मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अनंतिम/स्थाई पंजीकरण की अनुमति देना।

* मेडीकल शिक्षा के एक समान मानकों का रख-रखाव।
* मेडीकल कालेजों का निरीक्षण/दौरा करना।
* चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करने/मान्यता खत्म करने के संबंध में सरकार को सिफारिशें भेजना।
* चिकित्सा अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता के संबंध में विदेशों के साथ पारस्परिकता के संबंध में सरकार के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करना।
* पंजीकृत मेडीकल स्नातकों को उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र जारी करना।

(ख) और (ग) नया मेडीकल कालेज खोलने अथवा सीटें बढ़ाने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देशों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10(क) के अधीन अधिसूचित "नए मेडीकल कालेजों की स्थापना संबंधी विनिमय, 1999" में निर्धारित किया गया है। इन विनियमों के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से यह अपेक्षित है कि वह केन्द्रीय सरकार के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए किसी भी नए मेडीकल कालेज को खोलने अथवा इसकी क्षमता में वृद्धि करने के संबंध में सिफारिशें देने से पहले अवसंरचना और संकाय इत्यादि के मूल्यांकन के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण करें।

[हिन्दी]

मुंबई विस्फोटों के कथित अभियुक्त का प्रत्यर्पण

2192. योगी आदित्यनाथ:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. 1993 के मुंबई विस्फोटों के कथित मुख्य अभियुक्त अबु सलेम का पुर्तगाल सरकार से प्रत्यर्पण कराने में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी. बी. आई. ने इस संबंध में पुर्तगाल सरकार को कोई आश्वासन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अभियुक्त के प्रत्यर्पण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) दिसम्बर, 2002 में भारत सरकार द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध किए जाने के उपरांत पुर्तगाल के प्राधिकारियों ने 19 अक्टूबर, 2005 को अबू सलेम अंसारी के प्रत्यर्पण की अनुमति प्रदान की। उसका प्रत्यर्पण 10 नवम्बर, 2005 को किया गया।

(ग) जी हां।

(घ) भारत गणराज्य की सरकार ने पुर्तगाली सरकार को इस बात की गारन्टी दी है कि भारत में प्रत्यर्पित किए जाने वाले अबू सलेम अंसारी को मृत्यु दण्ड अथवा 25 वर्ष से अधिक की जेल की सजा नहीं होगी। पुर्तगाल के संविधान के अनुसार प्रत्यर्पण प्रक्रिया आरम्भ होने से पूर्व ये गारन्टियां अपेक्षित थीं।

(ङ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध करा दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोयले के ब्लाकों का आवंटन

2193. श्री सुनील खां: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले के लिंकेज के लिए निजी स्पांज लौह स्वामियों को कोयले के ब्लाकों का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगला में मिजिया ब्लाक विकास क्षेत्र में कोयले के ब्लाक को निजी स्पांज लौह स्वामी को आबंटित किया गया है;

(ग) क्या उस ब्लाक के एक स्वामी ने दूसरे स्वामी के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं, जिसकी उत्पादकता उस स्वामी से कहीं अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोयला ब्लाक, विद्युत, लोहा तथा इस्पात एवं सीमेंट उत्पादकों को अपने विद्युत, लोहा तथा इस्पात अथवा सीमेंट संयंत्रों में गृहीत उपयोग हेतु कोयले का खनन करने के लिए आबंटित किए जाते हैं। लोहा तथा इस्पात उत्पादन में स्पांज लोहे का उत्पादन भी शामिल है।

(ख) से (ङ) जी, हां। मिजिया ब्लाक विकास क्षेत्र में अर्धाग्राम कोयला ब्लाक की मैसर्स सेवा इस्पात लि. तथा मैसर्स बंगाल स्पांज मैनुफैक्चर माइनिंग प्रा. लि. (बी.एस.एम.एम.एल.), जो लीडर के रूप में सेवा इस्पात की एक संकाय कम्पनी है, को संयुक्त रूप से आबंटन हेतु पेशकश की गयी है।

उन्हें कोयला ब्लाक का औपचारिक आबंटन करने से पूर्व मंत्रालय का सहमति के प्रारूप के साथ खनन करने के लिए पेशकश किए गए विकल्पों हेतु संयुक्त रूप से अपनी-अपनी वरीयता का उल्लेख करने के लिए कहा गया है।

'बर्थ कंट्रोल पैच' के दुष्प्रभाव

2194. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो महिलाएं 'बर्थ कंट्रोल पैच' का उपयोग कर रही हैं, उन्हें उसके गंभीर दुष्प्रभावों का खतरा है जैसा कि दिनांक 12 नवम्बर, 2005 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। सरकार को गर्भनिरोधक पैच आर्थो एवरा के अनुषंगी प्रभावों से संबंधित 12 नवम्बर, 2005 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की जानकारी है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के जरिए एकत्रित यू एस फूड एंड ड्रग एजेन्सी केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, हाल के साक्ष्य से यह पता चलता है कि यह उत्पादन अधिकांश गर्भनियंत्रण गोलियों की तुलना में महिलाओं को एस्ट्रोजेन के उच्चतर स्तरों तक आरक्षित करता है।

(ग) आर्थो एवरा गर्भनिरोधक पैच का प्रयोग भारत सरकार के परिवार कल्याण कार्यक्रम में नहीं किया जा रहा है।

'सार्क' में चीन को शामिल करना

2195. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, सार्क में चीन को तत्काल शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने इस पर आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या हाल ही में समाप्त हुई सार्क बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(छ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (छ) सार्क सम्मेलन में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। हाल में ढाका में हुआ सार्क सम्मेलन काफी सुखद रहा और इसमें चीन लोक गणराज्य को 'पर्यवेक्षक' के रूप में शामिल करने की इच्छा पर सिद्धान्ततः सहमति हुई। सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि सार्क के मंत्रियों की परिषद जुलाई 2006 में अपनी सत्ताईसवीं बैठक में इससे संबंधित प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगी।

डाकघर खोलना

2196. **डा. के. धनराजू:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2002-2003, 2003-04 और 2004-05 के दौरान तमिलनाडु और कर्नाटक में नये डाकघर और डाकघरों की शाखाएं खोलने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किये गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में स्थान-वार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस बारे में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) जी हां। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान नए विभागीय उप डाकघर और अतिरिक्त

विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य आबंटित किए गए थे। वर्ष 2004-05 से विभागीय उप डाकघर और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए योजना लक्ष्य आबंटित नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि, जहां प्रस्ताव औचित्यसम्मत पाए जाते हैं, वहां 10वीं योजना के नीति निर्देशों के अनुसार पुनर्स्थापना के माध्यम से डाकघर खोले जा रहे हैं।

तमिलनाडु और कर्नाटक को वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान विभागीय उप डाकघर और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए आबंटित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

तमिलनाडु और कर्नाटक में वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान खोले गए डाकघरों का स्थानवार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है।

तमिलनाडु और कर्नाटक में वर्ष 2004-05 के दौरान पुनर्स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से खोले गए डाकघरों का स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण I

तमिलनाडु और कर्नाटक को वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान विभागीय उप डाकघर और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए आबंटित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा

राज्य का नाम	आबंटित तथा प्राप्त लक्ष्य							
	2002-03				2003-04			
	विभागीय उप डाकघर		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		विभागीय उप डाकघर		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
तमिलनाडु	1	1	5	5	1	1	6	6
कर्नाटक	1	1	9	8*	1	1	8	4**

*कर्नाटक में 2002-03 के दौरान 1 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर नहीं खोला जा सका क्योंकि विभागीय मानदंडों के मुताबिक वर्ष 2002-03 के दौरान 8 से अधिक प्रस्ताव औचित्यसम्मत नहीं पाए गए।

**कर्नाटक में 2003-04 के दौरान 1 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर नहीं खोला जा सका क्योंकि विभागीय मानदंडों के मुताबिक वर्ष 2003-04 के दौरान 4 से अधिक प्रस्ताव औचित्यसम्मत नहीं पाए गए।

विवरण II

तमिलनाडु में वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान खोले गए डाकघरों का स्थानवार ब्यौरा

क्र.सं.	खोले गए डाकघर का नाम	क्षेत्र का वर्गीकरण	जिला
1	2	3	4
वर्ष 2002-03			
1.	सेन्नावरम अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	तिरुवन्नामलाई
2.	पूथिचेरी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	थंजावूर
3.	पोट्टापलायम अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	शिवगंगा
4.	कामराजनगर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	सेलम

1	2	3	4
5.	कन्नपडि अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	जनजातीय	सेलम
6.	फ्राइडे मार्केट अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	कन्याकुमारी
वर्ष 2003-04			
1.	पथमपत्ति अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	पुदुकोट्टई
2.	अरमपूंडि अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	जनजातीय	विल्लूपुरम
3.	कीराथुर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	पुदुकोट्टई
4.	श्रीरंगनाथपुरम अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	तिरूनेलवेली
5.	वथलमलई अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण, पहाड़ी	धर्मापुरी
6.	संगुपुरम अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	तिरूनेलवेली
7.	मल्लूलरिची अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	सेलम

विवरण III

कर्नाटक में वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान खोले गए डाकघरों का स्थानवार ब्यौरा

क्र.सं.	खोले गए डाकघर का नाम	क्षेत्र का वर्गीकरण	जिला
1	2	3	4
वर्ष 2002-03			
1.	हेगड़े नगर गैर-वितरण उप डाकघर	शहरी	बैंगलोर शहरी
2.	हेराहल्लि अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	बैंगलोर शहरी
3.	कगेकाना अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	दक्षिण कन्नड़
4.	अनंतवाड़ी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	उत्तर कन्नड़
5.	कूलुरू अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	चिकमगलूर
6.	मारगानकोप अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	बेलगाम
7.	वग्गडकल्लू अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	चिकमगलूर
8.	गोट्टीगेहल्लि अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	बैंगलोर ग्रामीण
9.	जीराबंदी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	रायचूर
वर्ष 2003-04			
1.	तोंचिकोप्पल गैर-वितरण उप डाकघर	शहरी	मैसूर
2.	ब्रह्मपुर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	उत्तर कन्नड़

1	2	3	4
3.	डीकुरुविनाकोप्पा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	बेलगाम
4.	सोरकुंटे अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	टुमकूर
5.	तेनकर्मिडियूर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	उडुपी

विवरण IV

तमिलनाडु और कर्नाटक में वर्ष 2004-05 के दौरान पुनर्स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से खोले गए डाकघरों का स्थानवार ब्यौरा

क्र.सं.	खोले गए डाकघर का नाम	क्षेत्र का वर्गीकरण	जिला
	तमिलनाडु		
1.	मद्रास हाईकोर्ट, मदुरै पीठ विभागीय उप डाकघर	शहरी	मदुरै
	कर्नाटक		
1.	गेरूसोप्पा ज्योतिनगर विभागीय उप डाकघर	शहरी	करवार
2.	केन्द्रीय सदन विभागीय उप डाकघर	शहरी	बैंगलोर शहरी
3.	श्री सहयाद्रि कॉलोनी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	शहरी	उत्तर कन्नड़
4.	भूथरमना हट्टी विभागीय उप डाकघर	ग्रामीण	बेलगाम
5.	केएस फैक्ट्री अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	बेल्लारी
6.	कंचुगारनहल्लि अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	ग्रामीण	बैंगलोर ग्रामीण

[हिन्दी]

नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की क्षमता में वृद्धि करना

2197. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश से नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से नरोरा में एक और परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश में नरोरा स्थित स्थल पर अतिरिक्त यूनिट स्थापित करने के लिए उस स्थल की क्षमता को स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, इस स्थल पर अतिरिकत यूनिटों को लगाना, इस क्षेत्र को उपलब्ध ऊर्जा के विकल्पों संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति, संयंत्र स्थापित करने के लिए धनराशि की उपलब्धता, सरकार के समग्र परमाणु विद्युत कार्यक्रम और तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से उपयोगी होने पर निर्भर करेगा।

अखिल भारतीय आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान की स्थापना

2198. **श्री रशीद मसूद:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ए.आई.आई.एम.एस. (एम्स) की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद एवं होमियोपैथी संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कहां होगी; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरिता विहार, नई दिल्ली में आयुष विभाग के अधीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (ए आई आई ए) की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव के विवरणों पर कार्य किया जा रहा है।

खानों को बन्द करना

2199. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की कई कोयला खानें बन्द कर दी गई हैं और पर्यावरण के मुद्दे पर कई अन्य बन्द होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने कर्मचारी रोजगारविहीन हो गये/होने की संभावना है तथा कोयले की खानों के बन्द होने अथवा बन्द होने की स्थिति में अप्रयुक्त हुई अथवा होने वाली परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार पर्यावरण के मुद्दे पर अनुमति प्राप्त करने के मामलों और पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने के मामलों पर गौर कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

क्षयरोग/कैंसर की रोकथाम

2200. श्री हितेन बर्मन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान क्षयरोग और कैंसर से राज्य-वार और वर्ष-वार कितने व्यक्ति पीड़ित हुए;

(ख) क्षय रोगियों और कैंसर रोगियों की देखभाल और इन रोगों की रोकथाम में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, आज की तिथि तक उनके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या क्षयरोग के उन्मूलन और कैंसर के इलाज को आम आदमी के लिए वहनीय बनाने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) अनुमान है कि देश में प्रति वर्ष लगभग 18 लाख क्षय रोगियों के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें से 8 लाख रोगी संक्रमित नए स्पुटम स्मीयर पाजिटिव रोगी हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन पता लगाए गए क्षयरोगियों और उपचाराधीन क्षयरोगियों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आई सी एम आर के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम पर आधारित अनुमान के अनुसार किसी भी समय लगभग 2-2.5 मिलियन कैंसर रोगी होते हैं। भारत में प्रति वर्ष लगभग 7-9 लाख नए कैंसर रोगी होते हैं। राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) देश में आर एन टी सी पी के अंतर्गत लगभग 1800 गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। इन गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 में दी गई धनराशि क्रमशः 62.95 लाख रुपए, 129.23 लाख रुपए, 160.65 लाख रु. और 200.42 लाख रुपए है।

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान, कैंसर में 20, 17 और 10 गैर-सरकारी संगठनों ने कार्य किया है और इन्हें क्रमशः 752 लाख रुपए, 530.83 लाख रुपए और 24.5 लाख रुपए की धनराशि का अनुदान दिया गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान अब तक किसी भी गैर-सरकारी संगठन को अनुदान नहीं दिया गया है।

(घ) से (च) क्षयरोग की रोकथाम के लिए वर्ष 1962 में देश में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत की गई

थी। यह वांछित परिणाम हासिल न कर सका। अतः वर्ष 1997 से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे व्यापक रूप से डाट्स के नाम से जाना जाता है और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत डाट्स कार्यनीति है, को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य कम-से-कम 85 प्रतिशत नए स्पूटम पाजिटिव रोगियों को रोगमुक्त करना और कम-से-कम 70 प्रतिशत ऐसे रोगियों की पहचान करना है। एक्स-रे की बजाए स्पुटम माइक्रोस्कोपी द्वारा डायग्नोसिस से संक्रमित रोगियों का पता लगाने और प्राथमिकता के आधार पर उनके उपचार की मानिटरिंग में सहायता मिलती है। स्पुटम माइक्रोस्कोपी द्वारा डायगनोसिस संबंधी सुविधाओं का विकेन्द्रीकरण और सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है। औषधें रोगी-वार बाक्सों में निःशुल्क प्रदान की जाती हैं और ये रोगी द्वारा डाट प्रदायक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में ली जाती हैं तथा रोगियों की नियमित मानीटरिंग की जाती है ताकि वे अपना उपचार पूरा कर सकें। नवम्बर, 2005 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 607 जिलों में देश की 1065 मिलियन (95%) जनसंख्या को कवर किया गया है। बाकी जिलों में इस संशोधित कार्यनीति को शीघ्र से शीघ्र अपनाने हेतु प्रारंभिक कार्यकलाप चल रहे हैं और ऐसी आशा है कि इस चालू वर्ष 2005 के दौरान पूरे देश को पूरी तरह से कवर कर लिया जाएगा।

परियोजना वाले जिलों ने 85% से ज्यादा उपचार सफलता दर की सूचना दी है जिसका अर्थ है कि पूर्ववर्ती कार्यक्रम में 4 से भी कम की तुलना में संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत उपचाराधीन प्रत्येक 10 रोगियों में से 8 रोगियों से ज्यादा रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की पहुंच जनसंख्या के बड़े भाग तक पहुंचाने तथा इस दिशा में सरकार के प्रयासों को पूरा करने हेतु इस कार्यक्रम में समुदायों, चिकित्सा कालेजों, सभी जनरल अस्पतालों, निजी चिकित्सकों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

जहां तक कैंसर के उपचार का संबंध है, आंकोलोजी विंग के विकास के लिए सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सरकारी संस्थाएं आम लोगों को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर कैंसर उपचार प्रदान कर रही हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत पता लगाए गए क्षय रोगियों और उपचाराधीन क्षय रोगियों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	2002	2003	2004
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	524	566	595
2.	आन्ध्र प्रदेश	100505	119368	109365
3.	अरुणाचल प्रदेश	3123	2232	2057
4.	असम	18038	20459	28551
5.	बिहार	37520	33361	24422
6.	चण्डीगढ़	1727	2058	2208
7.	छत्तीसगढ़	14295	15724	23822
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0
10.	दिल्ली	32604	38847	43809
11.	गोवा	1138	0	509

1	2	3	4	5
12.	गुजरात	61415	73133	80626
13.	हरियाणा	31703	30908	33606
14.	हिमाचल प्रदेश	12691	13312	13458
15.	जम्मू-कश्मीर	9142	8632	6089
16.	झारखंड	16336	13538	20031
17.	कर्नाटक	57276	57449	65403
18.	केरल	23923	24878	25439
19.	लक्षद्वीप			
20.	मध्य प्रदेश	48675	54224	68260
21.	महाराष्ट्र	117554	130676	143766
22.	मणिपुर	5556	5095	5042
23.	मेघालय	2730	2669	3800
24.	मिजोरम	1456	1631	2035
25.	नागालैण्ड	933	1763	2707
26.	उड़ीसा	27152	27080	43238
27.	पांडिचेरी	2541	2322	1203
28.	पंजाब	20000	22449	23304
29.	राजस्थान	93462	98144	105596
30.	सिक्किम	1250	1403	1724
31.	तमिलनाडु	80895	89616	96639
32.	त्रिपुरा	1032	1197	924
33.	उत्तर प्रदेश	207670	153459	164406
34.	उत्तरांचल	14725	11194	10872
35.	पश्चिम बंगाल	81485	89836	104026
	कुल	1129076	1147223	1257532

टिप्पणी: पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में क्षयरोगियों की सूचित संख्या में वृद्धि का श्रेय आर एन टी सी पी की पहुंच में बढ़ोतरी तथा कार्यक्रम प्रबंधन में सुधार होने के कारण उत्तम रोगी पहचान दर और इस कार्यक्रम के ज्यादा लोकप्रिय हो जाने को जाता है।

होमियोपैथी दवाइयों की स्थिति

2201. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका 'द लेन्सेट' ने अपने सितंबर, 2005 के अंक के सम्पादकीय में होमियोपैथी दवाइयों को प्लेसिबो (कूट भेषज) के रूप में नकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। ''द लेन्सेट'' ने अपने 27 अगस्त, 2005 के अंक के संपादकीय में होम्योपैथी के लाभरहित होने पर टिप्पणी की थी।

(ख) और (ग) होम्योपैथी भारत सहित बहुत से देशों में प्रचलित एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कलयाण मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी का विकास करने और उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय नेटवर्क की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। निदेशक, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् ने लेन्सेट को उपर्युक्त लेख के संबंध में एक प्रत्युत्तर भेजा था लेकिन लेन्सेट द्वारा उसे प्रकाशित नहीं किया गया है।

उड़ीसा के जनजातीय गांवों में दूरसंचार सुविधाएं

2202. श्री धर्मेन्द्र प्रधान: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के कितने जनजातीय गांवों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) कितने गांवों में अभी भी दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी हैं;

(ग) क्या सरकार से उड़ीसा के सभी जनजातीय गांवों में दूरसंचार सुविधाएं पहुंचाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उड़ीसा के 18,477 जनजातीय गांवों में से 13,171 जनजातीय गांवों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

(ख) 30.11.2005 की स्थिति के अनुसार, 5306 जनजातीय गांवों में दूरसंचार सुविधाएं अभी प्रदान की जानी हैं।

(ग) और (घ) जनजातीय क्षेत्रों में शेष 5306 सुविधा रहित गांवों में से 4268 गांवों को ''डिजीटल सैटेलाइट फोन टर्मिनलों'' से नवम्बर, 2007 तक उत्तरोत्तर रूप से कवर किया जाएगा। शेष 1038 गांवों को, आबादीरहित गांव/100 से कम जनसंख्या वाले गांव, घने जंगलों में/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पड़ने वाले गांव आदि कारणों की वजह से, यह सुविधा प्रदान करने की योजना नहीं है।

भारतीय तकनीशियनों का पलायन

2203. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च तकनीकी योग्यता वाले भारतीय विदेशों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए विदेश पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिभा पलायन से किस सीमा तक हानि होगी;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कई पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियां तथा तकनीकी जनशक्ति ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तथा विशिष्ट परियोजनाएं पूरी करने के लिए औद्योगिकी तथा विकासशील देशों में विदेशी कम्पनियों के लिए स्थापना-स्थल पर परियोजनाएं तथा कार्य शुरू करते हैं। किन्तु राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सेवा कम्पनी संघ (नेसकॉम) के अनुमान के अनुसार पिछले तीन वर्षों में लगभग 20,000 सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ इस क्षेत्र में बढ़ रहे अवसरों के कारण भारत में वापस आ रहे हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्वर्णिम त्रिभुज परियोजना

2204. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री मुन्शी राम:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चिकित्सा पद्धति में परिवर्तन लाने के लिए स्वर्णिम त्रिभुज परियोजना को लागू करने पर विचार कर रही है जैसा कि 24 सितंबर, 2005 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषधि प्रसंस्करण जोन की स्थापना को ध्यान में रखते हुए औषधीय पौधों की खेती के लिए कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी औषधि पद्धति वाले अस्पताल राज्यों में स्थापित किए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ खर्च की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। स्वर्णिम त्रिभुज भागीदारी (जीटीपी) का उद्देश्य चिकित्सा पद्धति में परिवर्तन लाना नहीं है। स्वर्णिम त्रिभुज भागीदारी की परिकल्पना का उद्देश्य विशेष आधुनिक चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा और विज्ञान के समकालिक कार्यकरण पर आधारित आयुर्वेद तथा परंपरागत चिकित्सीय ज्ञान के विकास के लिए बजटीय सहायता से समेकित प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करना है। इस घटक में, तीन संगठन नामत: आयुष विभाग/केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की चिन्हित रोग अवस्थाओं में आयुर्वेद, सिद्ध व यूनानी के सुरक्षित, असरदार और मानकीकृत शास्त्रीय उत्पादों के वैज्ञानिक विधिमान्यकरण व विकास का कार्य मिलजुलकर प्रारंभ करेंगे।

(ग) और (घ) ऐसा प्रावधान इस योजना में नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरवाइकल कैंसर का मुकाबला करने के लिए टीका

2205. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सरवाइकल कैंसर का मुकाबला करने के लिए अमेरिकन फर्म के साथ टीके का निर्माण करने के लिए समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त टीका वर्तमान में परीक्षणों के प्रायोगिक स्तर पर है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त टीके का मूल्य क्या होगा और यह कब तक उपलब्ध हो जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद देश में ग्रीवा कैंसर का सामना करने के लिए एक निवारक वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण करने की संभावना का पता लगा रही है। ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन का समय और लागत संबंधी घटक क्लिनिकल परीक्षणों के परिणाम से संबद्ध है और इसलिए इसके बारे में निर्णय इन्हें करने के बाद किया जा सकता है।

आतंकवाद पर काबू पाने के लिए भारत-यू.के. सहयोग

2206. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और यू.के. ने वैश्विक आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड तैयार करने हेतु मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) और (ख) प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भारत यात्रा (8 सितम्बर, 2005) के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि धार्मिक, राजनैतिक, वैचारिक अथवा किसी भी अन्य आधार पर आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता।

भारत और यू के ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग संवर्द्धित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया है। संयुक्त कार्यकारी दल में आतंकवाद, प्रशिक्षण और स्वापकों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के संबंध में सूचनाओं और आकलनों के आदान-प्रदान करने सहित अन्य तरीके से सहयोग के लिए एक रूपरेखा का प्रावधान किया गया है।

आई.एल.डी. अवसंरचना में निवेश

2207. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदता (आई.एस.पी.) और इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस (आई.एल.डी.) प्रचालक अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ केबलों की स्थापना के लिए स्वतंत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रचालक-वार कितनी केबलें बिछाई गईं; और

(ग) आई.एल.डी. अवसंरचना में निवेश के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख)

प्रचालक का नाम	केबल का स्वरूप	केबल से जोड़े जा रहे स्थान
भारती इन्फोटेल लि.	1. i2i केबल	1. चेन्नई से सिंगापुर
	2. एसई-एमईए-डब्ल्यू ई-4	2. दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, मध्य पूर्व एशिया और पश्चिमी यूरोप को जोड़ा जा रहा है।
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	1. फाल्कन केबल	मुंबई से ओमान
विदेश संचार निगम लि.	1. टीआईएस केबल	1. चेन्नई से सिंगापुर
	2. एसई-एमईए-डब्ल्यू ई-4	2. दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, मध्य पूर्व एशिया और पश्चिमी यूरोप को जोड़ा जा रहा है।

(ग) सरकार ने प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क में कमी करने की घोषणा की है और लाइसेंस की शर्तों को आसान बनाया है।

वायर लाइन दूरभाष उपभोक्ता

2208. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा वायरलाइन दूरभाष उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है;

(ख) इन वायरलाइन दूरभाषों की वृद्धि में वर्ष-वार कुल कितनी लागत आई;

(ग) क्या इस पर आई लागत को यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यू.एस.ओ.एफ.) ने सब्सिडी दी है;

(घ) यदि हां, तो यू.एस.ओ. फण्ड से संवितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बी.एस.एन.एल. ने वायरलाइन दूरभाषों के प्रचालन पर हानि उठाई है; और

(च) यदि हां, तो एक्सेस डेफिसिट चार्ज (ए.डी.सी.) से किस सीमा तक सब्सिडी प्रदान की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान, भारत

संचार निगम लि. के वायरलाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं में निवल वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	टेलीफोन उपभोक्ता
2002-03	2212469
2003-04	18679
2004-05	423845

(ख) इन वायरलाइन टेलीफोनों को जोड़नें की अनुमानित लागत का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

2002-03	7352.13
2003-04	5113.75
2004-05	2771.60

(ग) और (घ) 1685 विनिर्दिष्ट अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में 1.4.2002 से 31.3.2004 तक संस्थापित ग्रामीण घेरलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए यूएसओ निधि से वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान क्रमशः 114.85 करोड़ रुपये तथा 480.19 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। भारत संचार निगम लि. ने 1.4.2005 से 1267 विनिर्दिष्ट एसडीसीए में ग्रामीण घेरलू सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने के लिए, दूरसंचार विभाग से करार किया है। इन एसडीसीए में 2005-06 के दौरान संस्थापित ग्रामीण घेरलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए यूएसओ निधि ने अब तक 59.822 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान, ग्रामीण वायरलाइन टेलीफोनी के कारण हुई अनुमानित प्रचालनात्मक हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

2002-03	7960.80
2003-04	9528.88
2004-05	9792.23

हानि का एक भाग एडीसी की सहायता से पूरा किया गया है। एडीसी के बिलशुदा राशि इसकी शुरूआत की तारीख अर्थात् 1.2.2004 से 31.3.2005 तक, 1122 करोड़ रुपये है।

मंत्रालयों/विभागों में भ्रष्टाचार

2209. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में भ्रष्टाचार का पता लगाया है जैसाकि दिनांक 7 नवम्बर, 2005 के हिन्दी दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सी.वी.सी. द्वारा पता लगाए गए कौन-कौन से मंत्रालय/विभाग सबसे अधिक भ्रष्ट हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2004 मे विभिन्न संगठनों/विभागों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर 4298 कार्मिकों पर शास्तियां लगाईं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर विभिन्न संगठनों/विभागों का कोई वर्गीकरण नहीं किया है।

(घ) सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी भ्रष्टाचार निरोधी नीतियों और प्रणालियों का निर्माण और कार्यान्वयन, निवारक भ्रष्टाचार निरोधी निकायों (केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) का गठन, सार्वजनिक खरीद और सार्वजनिक वित्त के प्रबन्धन में पारदर्शिता, प्रतियोगिता और युक्तिसंगत मानदण्डों पर आधारित प्रणालियां स्थापित करना और सूचना तक आम जनता की पहुंच बढ़ाते हुए, सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 अधिनियमित करना जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

हम्पी में स्मारकों पर खनन का प्रभाव

2210. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हम्पी यूनेस्को की संकटापन्न विरासत स्मारकों की सूची में है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा हम्पी में और उसके आस-पास कितने स्मारकों का रख-रखाव किया जा रहा है;

(ग) क्या संडूर और होसपेट के खनन कार्य ने हम्पी में स्थित स्मारकों को बुरी तरह से प्रभावित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हम्पी में और उसके आस-पास के खनन कार्य को विनियमित करने संबंधी मुद्दों को पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कर्नाटक में हम्पी स्मारकों पर "रिस्क प्रीपेयर्डनैस इम्पैक्ट स्टडी" करने की कोई योजना तैयार की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। हम्पी स्थित स्मारक समूह को वर्ष 1999 में यूनेस्को अधिकारियों द्वारा संकटापन्न विश्वदाय स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

(ख) 56 स्मारकों को केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किया गया है जिनका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। हम्पी के स्मारक प्रभावित नहीं हैं। तथापि, खनन कार्यों से केन्द्रीय संरक्षित पार्वती तथा कार्तिकिय मंदिरों और राज्य संरक्षित जम्बूनाथेस्वर मंदिर, जो हम्पी विश्व दाय स्थल की कोर जोन से बाहर स्थित है, में भारी धूल प्रदूषण हुआ है।

(घ) यह मामला कर्नाटक सरकार के उच्चतम स्तर पर और कर्नाटक सरकार-कन्नड़ तथा संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति में भी उठाया गया है।

(ङ) कर्नाटक सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(च) और (छ) हम्पी विश्व दाय स्थल की स्थल प्रबंधन योजना जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है, इस पहलू की देख-भाल करेगी।

सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं

2211. **श्री वीरचन्द्र पासवान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी अस्पतालों विशेषत: सफदरजंग अस्पताल में प्रतिदिन उपचार हेतु आने वाले रोगियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन अस्पतालों विशेषत: सफदरजंग में अंतरंग/बहिरंग रोगियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सफदरजंग अस्पताल में उपचार हेतु औसतन 60000 से अधिक ओ पी डी रोगियों और 700 आपातकालीन रोगियों को देखा जाता है। इसके अलावा, अस्पताल में अंतरंग उपचार हेतु हर रोज 300 से अधिक नए रोगियों को दाखिल किया जाता है।

सफदरजंग अस्पताल सहित केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में अंतरंग रोगियों को उपकरणों से सुसज्जित जांच सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और औषधों की नि:शुल्क आपूर्ति की जाती है।

प्रवासी भारतीयों का कल्याण

2212. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रवासी भारतीयों के कल्याण हेतु विभिन्न देशों में शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): प्रवासी भारतीयों में ये शामिल हैं—भारतीय मूल के वे व्यक्ति, जो अन्य देशों के नागरिक हैं तथा अनिवासी भारतीय, जो भारत के नागरिक हैं और विदेश में कार्यरत हैं/रह रहे हैं पहली श्रेणी के कल्याण हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों में पीआईओ कार्ड एवं भारत की प्रवासी नागरिकता की सुविधाएं देना तथा ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहन देना शामिल हैं। दूसरी श्रेणी, विशेष रूप से विदेशों में भारतीय कामगारों के कल्याण हेतु किए गए उपायों में प्रवासी भारतीय बीमा योजना, मृत्यु, प्रत्यावर्तन आदि संबंधी मामलों में दूतावासों के माध्यम से सहायता देना तथा विधिक परामर्श देना शामिल हैं।

पंजीकृत चिकित्सकों हेतु परीक्षा

2213. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी चिकित्सकों जिन्होंने एम.बी.बी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण की है और आजीवन प्रैक्टिस हेतु अपना पंजीकरण कराया है उनकी हर पांच वर्ष पर परीक्षा लेने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार चिकित्सा व्यवसायियों का कुछ वर्षों के बाद पुन: पंजीकरण करने पर विचार कर रही है। सरकार चिकित्सा व्यवसायिकों के पंजीकरण के नवीकरण को अविच्छिन्न आयुर्विज्ञान शिक्षा के साथ संबद्ध करने पर विचार कर रही है। हाल में अविच्छिन्न आयुर्विज्ञान शिक्षा के संबंध में विभिन्न व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय परामर्शन किया गया था। इस बैठक के विचार-विमर्शों के आलोक में, अविच्छिन्न आयुर्विज्ञान शिक्षा की तुलना में पंजीकरण के लिए प्रस्ताव को सही रूप दिया जा रहा है।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास हेतु योजनाएं

2214. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के विभिन्न स्थलों के विकास हेतु योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(घ) क्या राज्य सरकारों को आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) 3660 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/पुरातत्वीय स्थलों का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्मारकों तथा स्थलों की संरचनात्मक मरम्मतों, पर्यावरणीय विकास तथा परिरक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं।

वर्ष 2005-06 के लिए शुरू किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण/परिरक्षण तथा पर्यावरण विकास के लिए धनराशि का राज्यवार/मंडलवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव के लिए राज्य सरकारों को कोई धनराशि आबंटित नहीं की जाती है। संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मंडलों को जो धनराशि आबंटित की गई थी उसका पूर्ण उपयोग किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

योजना तथा गैर-योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 में संरचनात्मक मरम्मतों, पर्यावरणीय विकास तथा परिरक्षण के लिए शुरू किए गए कार्यों का राज्यवार तथा मंडलवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	वर्ष 2005-06 के लिए शुरू किए गए कार्यों की संख्या
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	77
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	100
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	72
4.	महाराष्ट्र	लघु मंडल, मुम्बई	25
5.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	208

1	2	3	4
6.	कर्नाटक	धारवाड़ मंडल	72
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	59
8.	उड़ीसा	भुबनेश्वर मंडल	48
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	36
10.	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी	चेन्नई मंडल	31
11.	पंजाब, हरियाणा	चंण्डीगढ़ मंडल	40
12.	हिमाचल प्रदेश	लघु मंडल शिमला	36
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	54
14.	गोवा	लघु मंडल, गोवा	25
15.	उत्तर पूर्वी राज्य, सिक्किम को छोड़कर	गुवाहाटी मंडल	36
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	37
17.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	46
18.	बिहार तथा उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	65
19.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर मंडल	45
20.	केरल	त्रिसूर मंडल	9
21.	गुजरात	वड़ोदरा मंडल	52
22.	उत्तरांचल	देहरादून मंडल	25
23.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	38
24.	झारखंड	रांची मंडल	11
25.	अखिल भारतीय रासायनिक कार्य	निदेशक (विज्ञान), देहरादून	203
26.	अखिल भारतीय उद्यान कार्य	मुख्य उद्यानविद्, आगरा	242
	कुल		1692

विवरण II

पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण/परिरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास के लिए किए गए आवंटन का राज्यवार तथा मंडलवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	आबंटन 2002-03	आबंटन 2003-04	आबंटन 2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	335.65	391.28	593.00
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	219.93	457.47	713.50
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	266.85	536.53	365.04
4.	महाराष्ट्र	लघु मंडल, मुम्बई	-		83.00
5.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	667.14	452.33	411.78
6.	कर्नाटक	धारवाड़ मंडल	218.77	314.84	495.63
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	344.72	445.44	378.44
8.	उड़ीसा	भुबनेश्वर मंडल	101.99	190.04	388.08
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	204.22	323.83	557.37
10.	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी	चेन्नई मंडल	276.60	451.00	566.98
11.	पंजाब, हरियाणा	चंण्डीगढ़ मंडल	448.28	367.58	232.70
12.	हिमाचल प्रदेश	लघु मंडल शिमला	-	....	65.59
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	889.48	1001.87	761.37
14.	गोवा	लघु मंडल, गोवा	73.50	74.99	105.02
15.	उत्तर पूर्वी राज्य, सिक्किम को छोड़कर	गुवाहाटी मंडल	120.47	135.96	115.47
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	186.04	341.51	279.97
17.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	396.30	269.84	341.00
18.	बिहार तथा उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	169.50	547.00	300.00
19.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर मंडल	117.59	269.85	239.97
20.	केरल	त्रिसूर मंडल	20.00	121.36	110.66
21.	गुजरात	वड़ोदरा मंडल	296.25	169.96	173.21
22.	उत्तरांचल	देहरादून मंडल	-	132.40	157.00
23.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	-	171.00	278.00

1	2	3	4	5	6
24.	झारखंड	रांची मंडल	-	82.39	70.72
25.	महानिदेशक (भा.पु.स.) मुख्यालय		455.34	400.00	....
26.	अखिल भारतीय रासायनिक कार्य	निदेशक (विज्ञान), देहरादून	184.30	396.59	433.42
27.	अखिल भारतीय उद्यान कार्य	मुख्य उद्यानविद् आगरा	657.20	982.73	1070.98
	कुल		6650.12 लगभग 67.00 करोड़	90.279 लगभग 90.28 करोड़	92.879 लगभग 92.88 करोड़

स्मारकों हेतु विदेशी सहायता

2215. श्रीमती मेनका गांधी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण और जीर्णोद्धार हेतु कोई विदेशी सहायता मांग रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्मारकों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए सहायता मांगी गयी है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) भारत सरकार तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ने अजंता-एलोरा-2 परियोजना के अंतर्गत संरक्षण तथा पर्यटन विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

परियोजना में निम्नलिखित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को शामिल किया गया है:

क्र.सं.	स्मारकों के नाम	जिला/स्थान
1	2	3
1.	अजन्ता गुफाएं	अजन्ता
2.	एलोरा गुफाएं	एलोरा
3.	पितलकोरा गुफाएं	पितलकोरा
4.	औरंगाबाद गुफाएं	औरंगाबाद
5.	बीबी का मकबरा	औरंगाबाद
6.	दौलताबाद किला	दौलताबाद
7.	पटनादेवी मंदिर	चालीसंगाव
8.	दैत्य सुदाना मंदिर	लोनार
9.	गौमुख मंदिर	लोनार
10.	पापहरेश्वरा मंदिर	लोनार
11.	कुमारेश्वरा मंदिर	लोनार
12.	यज्ञनेश्वर मंदिर	लोनार
13.	रामगया मंदिर	लोनार
14.	बाग मंदिर	लोनार
15.	मोर मंदिर	लोनार
16.	कमलाजा मंदिर	लोनार

तत्पश्चात, राजस्थान में केन्द्रीय संरक्षित जैसलमेर किला के लिए संरक्षण महायोजना विकसित करने हेतु राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय तथा विश्व स्मारक निधि के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

करप्शन परसेप्शन्स इन्डेक्स 2005

2216. डा. एम. जगन्नाथ: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ट्रान्सपेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा जारी 'करप्शन परसेप्शन्स इन्डेक्स 2005' के अनुसार भारत के आंकड़े

में गत वर्ष के 2.8 से सुधार होकर 2004 में 2.9 हुआ है जैसा कि 19 अक्टूबर, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत में कार्पोरेट वर्ल्ड के प्रति विश्वास भारत से नीचे के पायदान पर दर्ज कई देशों से भी कम है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ङ) कार्पोरेट क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी, हां। ट्रांसपेरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन्स इन्डेक्स, 2005 ने यह दर्शाया है कि पिछले वर्ष की तुलना में, भारत की स्थिति में सुधार आया है, जैसाकि 19 अक्टूबर, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ग) और (घ) ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा किए गए एक गैर-सरकारी अध्ययन से यह पाया गया है कि कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर के परसेप्शन के कारण, भारत के संबंध में कॉरपोरेट जगत के विश्वास का स्तर अन्य कई देशों से कम है।

(ङ) सरकार कॉरपोरेट सेक्टर में विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः सजग है। इसके लिए प्रभावी भ्रष्टाचार निरोधी नीतियों और प्रणालियों का निर्माण और कार्यान्वयन, निवारक भ्रष्टाचार निरोधी निकायों (केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) का गठन, सार्वजनिक खरीद और सार्वजनिक वित्त के प्रबन्धन में पारदर्शिता, प्रतियोगिता और युक्तिसंगत मानदण्डों पर आधारित प्रणाली स्थापित करना और सूचना तक आम जनता की पहुंच बढ़ाते हुए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित करना जैसे विभिन्न भ्रष्टाचार निरोधी उपाय किए गए हैं।

ब्लड कंपोनेंट थैरेपी शुरू करना

2217. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश विकसित देशों में ब्लड कंपोनेंट थैरेपी को रक्ताधान के स्थान पर अपनाया गया है जबकि भारत में इसे अभी शुरू किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुम्बई में के.ई.एम. अस्पताल में उपलब्ध एकमात्र प्लाज्मा फ्रैक्शन सुविधा गत तीन वर्षों से शुरू नहीं हो पाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विकसित राष्ट्रों में, रक्ताधान चिकित्सा का स्थान रक्त घटक चिकित्सा ने ले लिया है।

भारत में राष्ट्रीय रक्त नीति, 2002 तथा रक्त निरापदता संबंधी कार्य योजना 2003 में रक्त घटक चिकित्सा तथा रक्त के विवेकपूर्ण प्रयोग पर बल दिया गया है। क्लिनिशियनों (रक्त घटक के मुख्य उपयोगकर्ता) को समग्र रक्त की बजाय रक्त घटकों का प्रयोग करने के लिए सुग्राही बनाया जा रहा है। अब तक, देश के कुल 2117 लाइसेंसप्राप्त रक्त बैंकों में से लगभग 12% में रक्त घटकों को तैयार करने की सुविधा है।

(ग) से (ङ) के ई एम अस्पताल, मुम्बई में अवस्थित प्लाज्मा प्रभाजन सुविधा केन्द्र मई 2003 से कार्य नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय प्लाज्मा प्रभाजन केन्द्र, मुम्बई नगर निगम के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है।

उन्होंने इस संयंत्र की उत्पादन सुविधाओं को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने इस संयंत्र को सुसज्जित करने तथा फिर से शुरू करने के लिए चालू वर्ष के दौरान 4.58 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसे प्रचालित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस संयंत्र द्वारा मई, 2006 तक उत्पादन शुरू किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

एम.पी. लैड्स

2218. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एम.पी. लैड्स) योजना की शुरूआत किस वर्ष की गयी थी;

(ख) इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना की सफलता का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान इस योजना के संबंध में संसद सदस्यों से सरकार को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) दिसंबर, 1993 में शुरू की गयी थी।

(ख) इस योजना का उद्देश्य यह है कि संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने के लिए, स्थानीय तौर पर महसूस की गई जरूरतों पर आधारित स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण पर बल देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की संस्तुति कर सकें।

(ग) जी हां।

(घ) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) द्वारा एमपीलैड योजना का एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया था तथा रिपोर्ट नवंबर, 2001 में प्राप्त हुई थी। मूल्यांकन रिपोर्ट में संसद सदस्यों द्वारा कार्यों की अनुशंसा, क्रियान्वयन, एमपीलैड योजना के अधीन विनिर्मित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के प्रबोधन से लेकर योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों से संबंधित टिप्पणियां और अनुशंसाएं शामिल हैं। मूल्यांकन रिपोर्ट में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एमपीलैड योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विशेष सुझाव दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पिछले दो वर्षों के दौरान योजना के बारे में संसद सदस्यों से सरकार को 15 शिकायतें मिली हैं।

[अनुवाद]

शहरों के डिजीटल मानचित्र

2219. श्री सुग्रीव सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में शहरों के डिजीटल मानचित्र तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु किन शहरों की पहचान की गयी है और कितनी राशि स्वीकृत की गयी है; और

(घ) विभिन्न शहरों के उचित विकास हेतु डिजीटल मानचित्र कितने सहायक होंगे?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) नामक एक नई योजना अनुमोदित की है। राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली योजना में प्रथम चरण में उपग्रह (1:10,000 स्केल) तथा हवाई फोटोग्राफी (1: 2000 स्केल) के माध्यम से डिजिटल मानचित्रण हेतु 137 कस्बों को शामिल किया जायेगा। योजना के प्रथम चरण में शामिल किए जाने वाले कस्बों की सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं। योजना के प्रथम चरण की अनुमानित लागत 66.28 करोड़ रु. है।

(घ) राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली स्कीम के द्वारा 1:10,000 तथा 1:2000 के स्केल में डिजीटल नक्शे और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) डाटाबेस तैयार किए जाने हैं। इन डिजिटल नक्शों और जीआईएस आंकड़ा आधार का प्रयोग विकास कार्यों की योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन, अवस्थापना विकास, आपदा प्रबंध, पर्यावरण मानीटरिंग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, भू-उपयोग, दूरसंचार योजना तथा कई अन्य कार्यों में किया जाएगा।

विवरण

राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित कस्बों की सूची

क्र.सं.	कस्बा	राज्य	जनसंख्या 2001	स्थिति	श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1.	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	99984	कस्बा	2
2.	आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	129403	कस्बा	1

1	2	3	4	5	6
3.	धरमावरम	आंध्र प्रदेश	103357	कस्बा	1
4.	मदनापाली	आंध्र प्रदेश	107449	कस्बा	1
5.	नालगोंडा	आंध्र प्रदेश	111380	कस्बा	1
6.	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	117320	कस्बा	1
7.	तदेपालीगुडम	आंध्र प्रदेश	102622	कस्बा	1
8.	अलौंग	अरुणाचल प्रदेश	17033	कस्बा	4
9.	दपोडजो	अरुणाचल प्रदेश	15756	कस्बा	4
10.	डिबूगढ़	असम	137661	यूए	1
11.	नौंगांव	असम	123265	यूए	1
12.	सिलचर	असम	184105	यूए	1
13.	तेजपुर	असम	105377	कस्बा	1
14.	तिनसुखिया	असम	108123	यूए	1
15.	आरा	बिहार	203380	कस्बा	1
16.	भागलपुर	बिहार	350133	यूए	1
17.	दरभंगा	बिहार	267348	कस्बा	1
18.	मुजफ्फरपुर	बिहार	305525	कस्बा	1
19.	पटना	बिहार	1697976	यूए	मेट्रो
20.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	808515	यूए	1
21.	भिलाई नगर	छत्तीसगढ़	927864	कस्बा	1
22.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	335293	कस्बा	1
23.	दुर्ग	छत्तीसगढ़	232517	कस्बा	1
24.	कोरवा	छत्तीसगढ़	315690	कस्बा	1
25.	रायपुर	छत्तीसगढ़	700113	यूए	1
26.	सिलवासा	दादरा नगर हवेली	21893	कस्बा	3
27.	दमन	दमन दीव	35770	कस्बा	3
28.	दिल्ली शहरी क्षेत्र	दिल्ली	12877470	यूए	मेट्रो
29.	कुनाकोलिम	गोवा	15860	कस्बा	4
30.	करचोरिमककोरा	गोवा	21407	कस्बा	3

1	2	3	4	5	6
31.	मपुसा	गोवा	40487	कस्बा	3
32.	मार्गों	गोवा	94383	यूए	2
33.	मोरमुंगो	गोवा	104758	यूए	1
34.	भावनगर	गुजरात	517708	यूए	1
35.	जामनगर	गुजरात	556956	यूए	1
36.	नांदियाड	गुजरात	196793	यूए	1
37.	राजकोट	गुजरात	1003015	यूए	मेट्रो
38.	सूरत	गुजरात	2811614	यूए	मेट्रो
39.	बडोदरा	गुजरात	1491045	यूए	मेट्रो
40.	फरीदाबाद	हरियाणा	1055938	कस्बा	मेट्रो
41.	हिसार	हरियाणा	263186	यूए	1
42.	करनाल	हरियाणा	221236	यूए	1
43.	पानीपत	हरियाणा	354148	यूए	1
44.	रोहतक	हरियाणा	294577	यूए	1
45.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	19124	कस्बा	4
46.	मंडी	हिमाचल प्रदेश	26873	कस्बा	3
47.	नाहन	हिमाचल प्रदेश	26053	कस्बा	3
48.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	144975	यूए	1
49.	सोलन	हिमाचल प्रदेश	34206	कस्बा	3
50.	अनंतनाग	जम्मू और कश्मीर	97896	कस्बा	2
51.	बारामूला	जम्मू और कश्मीर	71896	कस्बा	2
52.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	612163	यूए	1
53.	सोपोर	जम्मू और कश्मीर	59624	कस्बा	2
54.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	988210	कस्बा	1
55.	बोकारो स्टील सिटी	झारखंड	497780	यूए	1
56.	धनबाद	झारखंड	1065327	यूए	मेट्रो
57.	जमशेदपुर	झारखंड	1104713	यूए	मेट्रो
58.	मांगों	झारखंड	166125	कस्बा	1

1	2	3	4	5	6
59.	रांची	झारखंड	863495	यूए	1
60.	बेल्लारी	कर्नाटक	316766	कस्बा	1
61.	बीदर	कर्नाटक	174257	कस्बा	1
62.	बीजापुर	कर्नाटक	253891	कस्बा	1
63.	दवानगिरी हरिहारा	कर्नाटक	364523	यूए	1
64.	कोलार	कर्नाटक	113907	एम	1
65.	रायचूर	कर्नाटक	207421	कस्बा	1
66.	अल्लापूजा	केरल	282675	यूए	1
67.	कोलम	केरल	380091	यूए	1
68.	कोजीकोडे	केरल	880247	यूए	1
69.	पालाकाट	केरल	197369	यूए	1
70.	त्रिसूर	केरल	330122	यूए	1
71.	कावारती	लक्षद्वीप	10119	कस्बा	4
72.	देवास	मध्य प्रदेश	231672	कस्बा	1
73.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	865548	यूए	1
74.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	1098000	यूए	मेट्रो
75.	सागर	मध्य प्रदेश	308922	यूए	1
76.	सतना	मध्य प्रदेश	229307	यूए	1
77.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	431162	यूए	1
78.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	892483	यूए	1
79.	भिवंडी	महाराष्ट्र	621427	यूए	1
80.	नासिक	महाराष्ट्र	1152326	यूए	मेट्रो
81.	पिंपरीचिंचवाड़	महाराष्ट्र	1012472	कस्बा	मेट्रो
82.	पुणे	महाराष्ट्र	3760636	यूए	मेट्रो
83.	थाने	महाराष्ट्र	1262551	कस्बा	मेट्रो
84.	इम्फाल	मणिपुर	250234	यूए	1
85.	काकचिंग	मणिपुर	28724	कस्बा	3
86.	जबई	मेघालय	25057	एमबी	3

1	2	3	4	5	6
87.	तुरा	मेघालय	58978	एम	2
88.	चफाई	मिजोरम	26465	कस्बा	3
89.	लुंगलई	मिजोरम	47137	कस्बा	3
90.	दीमापुर	नागालैंड	98096	कस्बा	2
91.	मोकोकचुंग	नागालैंड	31214	कस्बा	3
92.	बालेश्वर	उड़ीसा	156430	यूए	1
93.	बारीपदा	उड़ीसा	100651	यूए	1
94.	ब्रह्मपुर	उड़ीसा	307792	कस्बा	1
95.	कटक	उड़ीसा	587182	यूए	1
96.	राउरकेला	उड़ीसा	484874	यूए	1
97.	सम्बलपुर	उड़ीसा	226469	यूए	1
98.	कराइकल	पांडिचेरी	74438	एम	2
99.	अमृतसर	पंजाब	1003917	कस्बा	मेट्रो
100.	भटिंडा	पंजाब	217256	कस्बा	1
101.	जलन्धर	पंजाब	714077	कस्बा	1
102.	लुधियाना	पंजाब	1398467	कस्बा	मेट्रो
103.	पठानकोट	पंजाब	168485	यूए	1
104.	पटियाला	पंजाब	323884	एम	1
105	बांदीकुई	राजस्थान	16295	एम	4
106.	विजयनगर-गुलाबपुरा	राजस्थान	24362	एम	3
107.	डुंगरपुर	राजस्थान	43108	एम	3
108.	करौली	राजस्थान	66239	एम	2
109.	मकराना	राजस्थान	91853	यूए	2
110.	सवाईमाधोपुर	राजस्थान	101997	यूए	1
111.	रांगपो	सिक्किम	3709	कस्बा	6
112.	सिंगताम	सिक्किम	5432	कस्बा	5
113.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	1461139	यूए	मेट्रो
114.	मदुरै	तमिलनाडु	1203095	यूए	मेट्रो

1	2	3	4	5	6
115.	सलेम	तमिलनाडु	751438	यूए	1
116.	तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु	866354	यूए	1
117.	तिरूनेलवल्ली	तमिलनाडु	433352	यूए	1
118.	तिरूपुर	तमिलनाडु	550826	यूए	1
119.	धर्मानगर	त्रिपुरा	30790	कस्बा	3
120.	राधा किशोरपुर (उदयपुर)	त्रिपुरा	21758	एनपी	3
121.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1042229	यूए	मेट्रो
122.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	968256	यूए	1
123.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	2715555	यूए	मेट्रो
124.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	2245509	यूए	मेट्रो
125.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	1161716	यूए	मेट्रो
126.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1203961	यूए	मेट्रो
127.	बागेश्वर	उत्तरांचल	7803	कस्बा	5
128.	कोटद्वार	उत्तरांचल	24947	कस्बा	3
129.	मसूरी	उत्तरांचल	29329	यूए	3
130.	पिथौरागढ़	उत्तरांचल	44964	कस्बा	3
131.	रुड़की	उत्तरांचल	115278	यूए	1
132.	भाटपाड़ा	पश्चिम बंगाल	442385	यूए	1
133.	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	493405	कस्बा	1
134.	कमाराठी	पश्चिम बंगाल	314507	कस्बा	1
135.	कुल्टी	पश्चिम बंगाल	289903	कस्बा	1
136.	पनीहाटी	पश्चिम बंगाल	348438	कस्बा	1
137.	राजपुर सोनारपुर	पश्चिम बंगाल	336707	कस्बा	1

पेंशन विनियामक विधेयक

2220. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद के शीतकालीन सत्र में पेंशन विनियामक विधेयक पुर:स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ट्रेड यूनियन इस विधेयक का समर्थन नहीं कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2005 21 मार्च, 2005 को संसद में पुरःस्थापित कर दिया गया।

(ग) से (घ) ट्रेड यूनियनों द्वारा विधेयक के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए।

(ङ) नई पेंशन योजना को अंशदाताओं के अनुकूल, कारगर और कामगारों के हित में अभिकल्पित की गई है क्योंकि सरकार उनकी पेंशन में सुस्पष्ट अपफ्रन्ट बजटिंग कर रही है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत आने वाले अनिवार्य कार्यक्रम तथा अन्य विशेष भविष्य निधियां, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और इन निधियों को शासित करने वाले अन्य विशेष अधिनियम के अधीन, मौजूदा प्रणाली के अनुसार यथावत् लागू रहेंगे।

रोगियों हेतु खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता

2221. कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में रोगियों को दी जाने वाली खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रोगियों को दी जाने वाली खाद्य वस्तुओं को तैयार करने तथा वितरण की जांच करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सफदरजंग अस्पताल के कुछ कर्मचारी खाद्य वस्तुओं के वितरण संबंधी अनियमितताओं में कथित रूप से लिप्त हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने कर्मचारी पकड़े गये हैं; और

(च) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) रोगियों को प्रदान की जाने वाली कच्ची खाद्य सामग्री/खाद्य मदों का प्रापण प्रमाणित सरकारी आपूर्तिकर्ताओं अर्थात् केन्द्रीय भण्डार, नेफेड, दिल्ली दुग्ध योजना, माडर्न बेकरीज और मदर डेयरी आदि से किया जाता है। प्रधान रसोइया, स्टयूवर्ड और आहारविद् के पर्यवेक्षण में भोजन तैयार किया जाता है और रोगियों को वितरित किया जाता है। प्रभारी आहारविद् द्वारा वितरण से पूर्व भोजन को चखा जाता है और उसकी जांच की जाती है।

एकक/प्रशासन द्वारा पांच चूककर्ता कर्मचारियों को चेतावनी/ज्ञापन जारी किया गया था।

कोरती प्रेस का विलय

2222. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरती प्रेस, केरल का कोयंबटूर प्रेस के साथ विलय का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोयंबटूर प्रेस के वर्तमान कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु हथियारों का दुर्घटनावश/अनधिकृत उपयोग

2223. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्टूबर, 2005 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तांतरित समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने दोनों देशों के नियंत्रणाधीन परमाणु हथियारों के दुर्घटनावश या अनधिकृत उपयोग के जोखिम को कम करने के उपायों संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) 2 से 5 अक्टूबर, 2005 तक पूर्व विदेश मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा के दौरान, भारत और पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मेरीटाइम सुरक्षा एजेन्सी और भारतीय तटरक्षकों के बीच वैलिस्टिक मिसाइलों की उड़ान परीक्षण पूर्व सूचना हेतु एक करार और संचार सम्पर्क की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया था। वैलिस्टिक मिसाइलों के उड़ान परीक्षण की पूर्व-अधिसूचना से सम्बद्ध करार परस्पर-विश्वास का संवर्द्धन करने और पुर्वानुमेयता तथा मंशा की पारदर्शिता उत्पन्न करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करता है कि वे बैलिस्टिक मिसाइलों के उड़ान परीक्षण की पूर्व सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में दें।

(ख) से (घ) भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सुरक्षा उपायों के संवर्द्धन हेतु 21 फरवरी, 1999 के समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके अपने-अपने नियंत्रणाधीन नाभिकीय हथियारों के दुर्घटनावश अथवा अनधिकृत प्रयोग के खतरों को कम करने के लिए राष्ट्रीय उपाय करने की वचनबद्धता की भी व्यवस्था है, भारत ने 5-6 अगस्त, 2005 को नई दिल्ली में संयुक्त वार्ता की रूपरेखा में नाभिकीय विश्वासोत्पादक उपायों से सम्बद्ध भारत-पाकिस्तान विशेषज्ञ स्तर की वार्ता के तीसरे दौर में पाकिस्तान को एक प्रस्तावित करार का प्रारूप सौंपा था। भारत और पाकिस्तान जनवरी से जुलाई, 2006 तक तीसरे दौर की संयुक्त वार्ता करने के लिए सहमत हुए हैं।

[हिन्दी]

कोयला उत्पादन

2224. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 से मार्च, 2005 की अवधि के दौरान साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) की गेबाश और दीपिका खानों में कोयले का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त दोनों खानों में कितना भंडार उपलब्ध था;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त भण्डार से कितने कोयले की रेलमार्ग और सड़क मार्ग से ढुलाई की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान आग लगने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपर्युक्त भण्डार से कितनी मात्रा में कोयले का नुकसान हुआ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) वर्ष 1995 से मार्च, 2005 तक की अवधि के दौरान साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की गेवरा तथा दीपिका खानों से उत्पादित कोयले की मात्रा, उपलब्ध भंडार की मात्रा तथा उक्त अवधि के दौरान इन खानों से रेलमार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा नीचे तालिका में दी गई है :

(लाख टन में)

वर्ष	उत्पादन		आरम्भिक लेखा परीक्षित भंडर + उत्पादन		गेवरा तथा दीपिका खानों द्वारा की गई कोयले की आपूर्ति	
	गेवरा खान	दीपिका खान	गेवरा खान	दीपिका खान	रेल द्वारा	सड़क द्वारा
1	2	3	4	5	6	7
1994-95	146.29	41.78	159.54	54.95	57.31	6.55
1995-96	154.45	46.30	178.52	58.02	65.49	9.09
1996-97	168.33	50.25	193.08	65.81	81.38	13.38
1997-98	178.81	54.44	204.21	65.72	99.74	10.32
1998-99	172.89	69.90	195.48	75.74	100.10	7.28
1999-00	180.18	82.21	207.34	86.80	106.32	19.58
2000-01	188.87	91.15	218.75	102.10	123.66	40.56
2001-02	189.68	119.51	212.21	131.01	130.72	60.64

1	2	3	4	5	6	7
2002-03	195.41	126.77	207.26	141.61	115.94	86.87
2003-04	218.86	136.64	225.19	143.52	120.74	97.56
2004-05	261.57	153.94	267.84	161.34	135.19	139.31

(घ) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) के अनुसार उक्त अवधि के दौरान आग तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उक्त भंडार में कोयले की हुई हानि की कोई सूचना नहीं मिली है।

चिकित्सा उपचार हेतु सहायता

2225. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबों को उनकी शल्य चिकित्सा और अन्य चिकित्सा उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सहायता के लिए बिहार से कितने आवेदनों की स्वीकृति दी गई है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी राशि जारी की गई है;

(घ) क्या स्वीकृत/जारी की गई राशि को कम किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त राशि को कम करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय आरोग्य निधि (जो पहले राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि कहलाती थी) के अंतर्गत गरीबी रेखा की श्रेणी से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे रोगियों को किसी भी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल/संस्था/अन्य सरकारी अस्पताल से चिकित्सीय/सर्जिकल उपचार प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो मुख्य जीवनघाती रोगों से पीड़ित होते हैं।

अन्य स्कीम अर्थात स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) के अंतर्गत प्रमुख सर्जिकल कार्यकलाप और मुख्य बीमारियों का उपचार करवाने के लिए अस्पताल से संबंधित व्यय चुकाने हेतु गरीब और जरूरतमंद रोगियों को 20,000 रुपए तक आंशिक वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) अधिकांश प्रार्थियों, जिन्हें राष्ट्रीय आरोग्य निधि की केन्द्रीय समिति द्वारा और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान से वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत उनके उपचार के लिए अपेक्षित निधियों की सीमा तक वित्तीय सहायता (प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड इत्यादि जैसे कुछ अन्य स्रोतों से रोगी द्वारा प्राप्त की गई किसी भी सहायता की धनराशि को घटाने के पश्चात) प्रदान की जाती है।

विवरण

स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान

वर्ष	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में)
2002-03	86	13.74
2003-04	63	12.00
2004-05	48	8.70

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

वर्ष	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में)
2002-03	11	12.40
2003-04	16	16.33
2004-05	39	45.20

उपर्युक्त आंकड़ों में ऐसे प्रार्थी शामिल नहीं हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार के ऐसे विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया हो जो 50,000 रुपए तक वित्तीय सहायता अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत हैं।

[अनुवाद]

कोयले का सामुदायिक खनन

2226. श्री सुनील खां: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयले की चोरी/अवैध खनन को रोकने और इसके उत्पादन को बढ़ाने हेतु सामुदायिक खनन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या लाभ कमाने के लिए कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) और इसकी अनुषंगी इकाइयां विशेषत: साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) आउट सोर्सिंग की नीति को अपना रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो सी.आई.एल. और इसकी अनुषंगी इकाइयों को लाभ कमाने वाली इकाइयां बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(च) आउट सोर्सिंग में लगे कामगारों की कम्पनी-वार संख्या कितनी है;

(छ) स्थायी कामगारों और आउट सोर्सिंग कार्य में लगे कामगारों की परिलब्धियां कितनी हैं;

(ज) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के बड़े इलाकों विशेषत: पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में बरजोरा पी.एस. कोकिंग कोल के लिए आरक्षित है; और

(झ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कब तक उत्पादन शुरू हो जाएगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) प्रचालनों की बेहतर आर्थिकी को प्राप्त करने के लिए और कोयले की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, सी.आई.एल. और इसकी सहायक कम्पनियों ने कुछ खानों में कोयले के यंत्रीकृत उत्खनन, ऊपरी मलबे को हटाए जाने, कोयले और रेत आदि के परिवहन आदि जैसे कुछ क्रियाकलापों को आउटसोर्स किया है।

(ङ) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) और इसकी सहायक कम्पनियां लाभप्रदता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही हैं:

(1) भूमिगत खानों में यंत्रीकृत लदान शुरू किए जाने के द्वारा शारीरिक रूप से लदान किए जाने को चरणबद्ध रूप में समाप्त करना।

(2) कन्टीन्यूअस माइनर के साथ बृहत उत्पादन प्रौद्योगिकी शुरू किया जाना।

(3) श्रमशक्ति का युक्तिकरण।

(4) उच्च क्षमता वाली अधिक ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को खोलना।

(5) ओपनकास्ट खानों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ाया जाना।

(च) और (छ) सी.आई.एल. में आउटसोर्सिंग, जहां भी की जाती है, वहां कोयले के यंत्रीकृत उत्खनन, ऊपरी मलबा हटाने और कोयले तथा रेत के परिवहन हेतु मुख्य रूप से बाहरी एजेन्सियों से उपकरण भाड़े पर लेकर की जाती है। एजेन्सियां किसी निर्दिष्ट कार्य के लिए इन भाड़े पर लिए गए उपकरणों के प्रचालन के लिए अपने कार्यबल को नियोजित करती हैं। सीआईएल के स्थायी कामगारों को प्रबंधन तथा पंजीकृत श्रमिक संघों के बीच हुए करार के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाता है। आउटसोर्सिंग में लगे कामगारों की संख्या तथा उनके द्वारा प्राप्त किए जा रहे वेतन के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ज) जी, नहीं।

(झ) सीएमपीडीआई, ई.सी.एल. ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण आयोजित कर रही है। 11वीं योजनावधि में बरजोरा साउथ ब्लाक में ड्रिलिंग शुरू करने के लिए विस्तृत अन्वेषण के एक कार्यक्रम की भी अभिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

बकाया राशि की वसूली

2227. श्री ब्रजेश पाठक: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की उपभोक्ताओं पर 700 करोड़ रु. की राशि बकाया है जैसा कि 22 सितम्बर, 2005 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमटीएनएल ने उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल दिल्ली में लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल (फिक्स्ड) के मामले में उपभोक्ताओं के पास 706.78 करोड़ रुपए बकाया है।

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	रक्षा	निजी	संसद सदस्य
0.87	10.30	3.17	683.35	9.09

(ग) और (घ) जी, हां। बकाया राशि की वसूली करने के लिए एमटीएनएल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

1. चूककर्ता उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए टेलीफोन से कहा जाता है।
2. बकाया राशि की वसूली के लिए एक माड्यूल भी कार्य कर रहा है जिसके द्वारा कम्प्यूटर से निकाले गए नोटिस उपभोक्ताओं को भेजे जाते हैं।
3. चूककर्ता अपनी बकाया राशि का भुगतान करें, इसके लिए उनसे संपर्क करने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है।
4. यदि चूककर्ता का कोई अन्य फोन कार्य कर रहा है तो बकाया राशि की वसूली के लिए जोर देने हेतु उसे काटने की कार्रवाई भी की जाती है।
5. जहां बकाया राशि तीन महीने से अधिक की और छह माह से कम की है वहां उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
6. यदि उपर्युक्त प्रयासों से कोई लाभदायक परिणाम प्राप्त नहीं हो तो जहां कहीं संभव हो न्यायालय में वसूली के लिए मुकदमे दायर किए जाते हैं।
7. बकाया राशि की वसूली के कार्य में निजी वसूली एजेंसियां भी लगाई गई हैं।

कथित आतंकवादी को पासपोर्ट जारी किया जाना

2228. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिबुल मुजाहिद्दीन आतंकवादी संगठन के कथित शीर्ष कमांडर मोहम्मद अमीन बाबा को पासपोर्ट जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी भी है कि उक्त कथित आतंकवादी सरगना भारतीय पासपोर्ट पर पाकिस्तान गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में खामियों को दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किसी मो. अमीन बाबा, पुत्र-मो. सफदर बाबा, जन्म तिथि-8.8.1955, जन्म स्थान-बडगांव, निवास बाबापुरा, मगोम, बडगांव को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा 15.12.93 को पासपोर्ट सं. पी-539166 जारी किया गया। एक अन्य व्यक्ति-मो. अमीन बाबा, पुत्र-गुलाम मोहीउद्दीन बाबा, जन्म तिथि-10.4.71, जन्म-स्थान-हूम तन्मार्ग, बारामुला, निवासी-हूम तन्मार्ग हारदू इकलू, बारामुला को पासपोर्ट कार्यालय जम्मू द्वारा 13.10.94 को पासपोर्ट सं. आर-477682 जारी किया गया।

(ख) मो. अमीन बाबा, जिसे आबिद (पूर्व डिविजनल कमांडर, हिजबुल मुजाहिदिन) के नाम से भी जाना जाता है, जाली पहचान पत्र का उपयोग करके अपने साथियों की सहायता से अटारी के जरिए 2 मई, 2005 को पाकिस्तान भाग गया।

(ग) इसकी जांच की जा चुकी है और जिन लोगों ने उसे भागने में मदद की उसे गिरफ्तार किया जा चुका है।

(घ) सरकार का निरंतर यह प्रयास रहा है कि समुचित पुलिस जांच सहित अन्य सामान्य जांच करने के बाद ही पासपोर्ट जारी किये जाएं। जैसे ही सरकार की जानकारी में पासपोर्ट जारी करने में किसी प्रकार की अनियमितता की खबर आती है तो

इसकी पूरी जांच की जाती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए तत्काल उपचारी कदम उठाये जाते हैं।

कोयला क्षेत्र को विनियमनयुक्त करना

2229. श्री अशोक कुमार रावत:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला क्षेत्र को विनियमनयुक्त करने का है, जैसाकि दिनांक 20 अक्टूबर 2005 को ''दैनिक जागरण'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश की क्षमता का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर कोयला उत्पादन के प्रतिशत और मात्रा में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 अप्रैल, 2000 में राज्य सभा में पेश किया गया था जिसमें देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से केप्टिव उपयोग के मौजूदा प्रतिबंध के बिना कोयला खनन में निजी भागीदारी की अनुमति की मांग की गई है। मौजूदा सांविधिक रूपरेखा के भीतर केवल लोहा तथा इस्पात, विद्युत एवं सीमेंट के उत्पादन के लिए कोयले के केप्टिव खनन हेतु कोयला खनन में निजी निवेश को सीमित किया जाएगा। कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश की क्षमता तथा कोयला उत्पादन में परिणामी वृद्धि का कोई विस्तृत मूल्यांकन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

सी.आई.एल. का लाभ

2230. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) के व्यापारावर्त और अर्जित निवल लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सी.आई.एल. द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) ने वर्ष 2004-05 के दौरान कुल 4801.52 करोड़ रु. का लाभ (कर पूर्व) अर्जित किया है। वर्ष 2004-05 के दौरान सी.आई.एल. का कुल व्यापारावर्त (अधिभार का निवल) 25802.89 करोड़ रु. था।

(ख) वर्ष 2005-06 (संशोधित अनुमान) हेतु निर्धारित सी.आई.एल. का लक्षित लाभ (कर पूर्व) और व्यापारावर्त (अधिभार का निवल) निम्नानुसार है:

करोड़ रु. में

लाभ	6,314.12
व्यापारावर्त (अधिभार का निवल)	28,512.21

एन.आर.एच.एम. का कार्यान्वयन

2231. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) को अधिक लचीला बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने एन.आर.एच.एम. के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अवसंरचना विकसित करने हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(ङ) किन-किन राज्यों ने अवसंरचना की कमी के कारण एन.आर.एच.एम. को कार्यान्वित करने की अक्षमता दर्शाई है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक मेहराबदार छत्र के समान है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य के विभिन्न निर्धारकों के साथ समाभिरूपता लाते हुए व्यापक, गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना है। मिशन के अंतर्गत विभिन्न पहलों हेतु दिशानिर्देश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा

चुका है और राज्यों को उनकी जमीनी सच्चाइयों तथा आवश्यकताओं के अनुसार राज्य विशिष्ट प्रतिमानों को अन्तिम रूप देने की नम्यता है। विभिन्न विषयों से संबंधित जेनरिक दिशानिर्देशों में प्रतिमानों को तैयार करने के लिए राज्यों को प्रचालनात्मक स्वतंत्रता देते हुए मिशन के उद्देश्यों का समग्र अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मंत्रालय के मौजूदा कार्यक्रमों तथा योजनाओं को शामिल कर रहा है और मिशन के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आबंटन किए जा रहे हैं। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य-2 के अंतर्गत राज्य पीआईपी के आधार पर निधियां पहले ही आबंटित की जा रही हैं। प्रतिरक्षण के लिए तथा मंत्रालय के अन्य शीर्ष कार्यक्रमों के लिए निधियां भी राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुमानित व्यय के अनुसार आबंटित की गई हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा उपलब्ध अवसंरचना का भारतीय जनस्वास्थ्य मानदण्डों के मानक तक उन्नयन करने के लिए भी निधियां जारी की गई हैं। एनआरएचएम के अंतर्गत एएसएचए के चयन तथा प्रशिक्षण के लिए प्रति उपकेन्द्र 10,000 रुपए की दर से तथा प्रति जिला दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 20 लाख रुपए की दर से खुली निधियां अतिरिक्त राशि के रूप में जारी की गई हैं।

(ङ) किसी भी राज्य ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन में असमर्थता नहीं व्यक्त की है।

(च) लागू नहीं।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य परिचर्या का लक्ष्य

2232. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में कुछेक परिवर्तन लाने और प्रत्यायन प्रणाली की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) और इंडियन हैल्थकेयर फाउंडेशन ने हाल ही में दिल्ली में "भारतीय चुनौतियां" नामक शीर्षक के अन्तर्गत सार्वभौतिक स्वास्थ्य परिचर्या के संबंध में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सी आई आई और इंडियन हैल्थकेयर फाउंडेशन द्वारा देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार लाने और तत्संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सुझाए गए उपायों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ऐसे नैदानिक प्रतिष्ठानों के मूल्यांकन, प्रत्यायन, निरीक्षण, प्रमाणन तथा विनियमन एवं रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए मानकों सहित गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों, नर्सिंग गृहों तथा अन्य नैदानिक प्रतिष्ठानों हेतु मानक एवं विनिर्देशन बनाने के लिए एक विधान बना रही है।

इस प्रयोजनार्थ एक मसौदा नैदानिक प्रतिष्ठान (विनियमन एवं प्रत्यायन) विधेयक, 2005 तैयार किया जा चुका है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ, नैदानिक प्रतिष्ठान के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद की स्थापना का प्रावधान है और इसमें प्रत्यायन के लिए मानक निर्धारित करने हेतु प्रावधान को समर्थ बनाने का भी प्रयास किया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय उद्योग परिसंघ से प्राप्त सूचना के अनुसार 21-22 नवम्बर, 2005 को नई दिल्ली में तीसरा भारतीय स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का विषय था 'व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या, भारत की चुनौती'। इस सम्मेलन में स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा पर्यटन तथा प्रत्यायन इत्यादि के अलावा देश भर में अपनाई जा रही सर्वोत्तम पद्धतियों, व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या, शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी विषयों पर चर्चा की गई।

अब तक भारतीय उद्योग परिसंघ से सम्मेलन की ऐसी कोई सिफारिश/कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है।

विद्युत संयंत्र की स्थापना

2233. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) के साथ संयुक्त उद्यम के तहत एक विद्युत संयंत्र की स्थापना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी नहीं। वर्तमान में, गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) के साथ कोल इंडिया लि. का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज

2234. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश ने राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष पैकेज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त पैकेज कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को संबोधित दिनांक 12.6.2004 के पत्र में राज्य के आर्थिक विकास के लिए 18,230 करोड़ रुपये के एकमुश्त विशेष आर्थिक पैकेज हेतु अनुरोध किया है।

इस मुद्दे की जांच की गई और मुख्यमंत्री को दिनांक 30 सितम्बर, 2004 को जवाब भेज दिया गया।

राज्यों को आबंटन वार्षिक योजनाओं के माध्यम से किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना 2005-06 का आकार 9661.51 करोड़ रुपये की अनुमोदित वार्षिक योजना, 2004-05 की तुलना में, राज्य के स्वयं के अनुमानित संसाधनों और केन्द्रीय सहायता को ध्यान में रखते हुए 13,500.00 करोड़ रुपये पर अनुमोदित किया गया था।

डी एम आर सी चरण-दो

2235. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम चरण-दो पर चरण-एक परियोजना की तुलना में पर्यावरणीय और सामाजिक क्षति के रूप में पूर्व घोषित लागत से अधिक लागत आएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) डी एम आर सी द्वारा दिल्ली को पर्यावरणीय और सामाजिक हानि की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जाएगी?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) किसी भी बड़ी परियोजना की तरह दिल्ली एमआरटीएस परियोजना चरण-2 के लिए भी कुछ वृक्षों को उखाड़ने तथा वाणिज्यिक/रिहायशी भवनों को दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होगी। 3157 वृक्षों के प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा 658 वाणिज्यिक/रिहायशी भवनों एवं हटमेंटों के भी प्रभावित होने की संभावना है। तथापि, ये आंकड़े दिल्ली एमआरटीएस परियोजना चरण-1 के आंकड़ों से अधिक नहीं है। इस परियोजना हेतु काटे जाने वाले प्रत्येक वृक्ष के लिए 10 वृक्ष लगाने के प्रावधान की परिकल्पना की गयी है। प्रभावित संरचनाओं (रिहायशी/वाणिज्यिक) की पुनःस्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपनी वर्तमान नीति के अनुसार की जाती है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान से भगोड़ों का प्रत्यावर्तन

2236. **श्री जोवाकिम बखला:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान को वहां आश्रय लेने वाले भगोड़ों के ब्यौरे और भारत को उन्हें सौंपे जाने की आवश्यकता से अवगत कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच इस विषय पर अभी तक हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन भगोड़ों के प्रत्यावर्तन के संबंध में दोनों सरकारों द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इनका क्या परिणाम निकला है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) 31 दिसम्बर, 2001 को सरकार ने सूचनानुसार पाकिस्तान में रह रहे भारतीय कानून के 20 भगोड़े अपराधियों की समेकित सूची पाकिस्तान को इस अनुरोध के साथ सौंपी कि उन्हें पकड़ कर भारत को सौंप दिया जाए। पाकिस्तान का ध्यान इस ओर

आकृष्ट किया गया था कि सूची में निहित 15 अपराधियों के विरुद्ध पहले से इन्टरपोल द्वारा रेड कार्नर नोटिस जारी किया जा चुका है जो कि पाकिस्तान द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करता है। इस सूची में शामिल व्यक्ति जघन्य अपराधों में संलिप्त रहे हैं जैसे 1993 में मुंबई बम काण्ड, कंधार में आई.सी. 814 का अपहरण और 13 दिसम्बर, 2001 को भारत की संसद पर हमला।

पाकिस्तान ने इस अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 12 जनवरी, 2002 को राष्ट्र को दिए अपने संबोधन में यह कहा कि पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा भारत को किसी पाकिस्तानी राष्ट्रिक के सौंपे जाने का प्रश्न नहीं उठता। गैर-पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की उपस्थिति के संबंध में राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान ने किसी ऐसे व्यक्ति को आश्रय नहीं दिया है।

संयुक्त वार्ता के तौर पर 10-11 अगस्त, 2004 के बीच इस्लामाबाद में "आतंकवाद और नशीले पदार्थों के व्यापार" पर गृह सचिव स्तर की वार्ता के दौरान समान अनुरोध के साथ एक समेकित सूची पाकिस्तान को सौंपी गई थी। इसके अलावा अगस्त, 2004 और सितम्बर 2005 में गृह सचिव स्तर की वार्ताओं के दौरान दौरों में प्रत्यर्पण संधि के भारत के प्रस्ताव को दोहराया गया। पाकिस्तान ने अब तक प्रत्यर्पण संधि के लिए प्रस्ताव अथवा इन अनुरोधों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

[अनुवाद]

आयातित खाद्य वस्तुएं

2237. डा. एम. जगन्नाथ: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 80 प्रतिशत आयातित खाद्य वस्तुएं भारतीय कानूनों का उल्लंघन करती हैं जैसाकि दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 के 'एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुवांशिक रूप से परिष्कृत (मॉडिफाइड) खाद्य पदार्थों जिस पर भारत में प्रतिबंध लगा हुआ है को विकसित देशों द्वारा यहां भेजा जा रहा है जिनसे हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि देश में आयातित खाद्य उत्पाद खाद्य अपमिश्रण निवारण (पीएफए) अधिनियम, 1954 तथा उसके अंतर्गत बनी नियमावली में निर्धारित सभी अपेक्षाओं को पूरा करे।

भारत में विनिर्मित अथवा आयातित सभी खाद्य उत्पादों को पीएफए अधिनियम, 1954 तथा पीएफए नियमावली, 1955 के अंतर्गत निर्धारित लेबलिंग प्रावधानों सहित मानदण्डों तथा नियमों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इसमें सुवासों (फ्लैवर) के प्रयोग, विनिर्माण की तिथि, तिथि से पूर्व सर्वोत्तम इत्यादि से संबंधित सूचना शामिल है। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होने पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

(ग) से (ङ) खाद्य उत्पाद जो आनुवंशिक रूप से रूपान्तरित होते हैं, चाहे वे भारत में विनिर्मित हों अथवा भारत में आयातित हों, का विपणन भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है, के अंतर्गत गठित जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही मानवीय उपयोग के लिए किया जा सकता है।

पीएफए नियमावली, 1955 के अंतर्गत वैसे सभी खाद्य उत्पादों जिनमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित अवयव अथवा पदार्थ होते हैं, पर अनिवार्य रूप से लेबल लगाने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं।

तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नोटिस

2238. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) द्वारा तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र (टीएपीएस) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र ने उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। तारापुर परमाणु बिजलीघर (टी ए पी एस) के चार यूनिट हैं। यूनिट 1 तथा 2 वर्ष 1969 से परिचालनरत हैं। यूनिट 4 ने सितम्बर, 2005 से परिचालन शुरू किया है, और यूनिट 3 इस समय निर्माणाधीन है तथा इसके वर्ष 2006-07 में पूरा हो जाने की आशा है। 'केन्द्र सरकार जल उप-कर अधिनियम 1977' के अंतर्गत, संबंधित राज्यों में उद्योगों द्वारा उपयोग में लाए गए जल के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) की ओर से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को उप-कर के भुगतान का प्रावधान किया गया है। तथापि, परमाणु बिजलीघरों को उप-कर के भुगतान से छूट दी गई थी। इस अधिनियम में संशोधन किया गया और मूल अधिनियम में परमाणु बिजलीघरों को उपलब्ध कराई गई छूट मई, 2003 से वापस ले ली गई थी। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एम पी सी बी) ने, तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-4 के "परिचालन के लिए सहमति" संबंधी आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करते समय, तारापुर परमाणु बिजलीघर-यूनिट 1 तथा 2 के मामले में अप्रैल, 1983 से जुलाई, 2004 तक जल उप-कर का भुगतान न किए जाने के संबंध में एक नोटिस जारी किया था।

(ग) और (घ) जी, हां। तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 ने, अपने तारीख 26.9.2005 के पत्र के द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक उत्तर भेजा था। इसके अतिरिक्त, तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 ने, मई, 2003 (संशोधित अधिनियम के लागू होने की तारीख) से जुलाई, 2005 तक की अवधि के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल उप-कर के संबंध में देय राशि का भुगतान कर दिया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तारापुर परमाणु बिजलीघर-यूनिट-4 के मामले में "परिचालन के लिए सहमति" भी जारी कर दी है।

(ङ) परमाणु ऊर्जा विभाग ने, जल उप-कर की उगाही से छूट दिए जाने के संबंध में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अप्रैल, 1983 से अप्रैल, 2003 तक की अवधि के लिए जल उप-कर उगाहने के निर्णय के विरुद्ध महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अपील सीमित के पास एक अपील भी फाइल की गई है।

[हिन्दी]

बम विस्फोट के घायलों का इलाज

2239. श्री ब्रजेश पाठक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सफदरजंग अस्पताल में इलाज करा रहे विस्फोट के घायलों के संबंधियों/परिचरों की शिकायत से अवगत है जिसमें रोगी वार्ड की सफाई की हालत तथा अस्पताल के एक विभागाध्यक्ष के विदेश दौरे का जिक्र है जैसाकि दिनांक 6 नवम्बर, 2005 के हिन्दी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या हैं और इस संबंध में की गई या प्रस्तावित कार्रवाई क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) दिनांक 29.10.2005 के बम धमाके की घटनाओं से पीड़ित/आक्रान्त सभी व्यक्तियों जिन्हें केन्द्र सरकार के अस्पतालों में लाया गया था, को तत्काल ही देखा गया/दाखिल किया गया तथा आवश्यकतानुसार उपचार प्रदान किया गया। जहां तक सफरदरजंग अस्पताल का संबंध है, वहां लाए गए अधिकांश रोगी गंभीर जलन अभिघात (बर्न इंजरी) से ग्रस्त थे और उनका उपचार जलन अभिघात के विशेषज्ञों की देखरेख में अस्पताल के बर्न वार्ड में किया गया और उन्हें यथासंभव सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया गया।

डाक्टर जिसके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने की सूचना मिली है, वस्तुतः एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन था, जो जलन (बर्न) परिचर्या से प्रत्यक्षतः जुड़ा नहीं था। विभागाध्यक्ष (जलन एवं प्लास्टिक) अर्जित अवकाश पर था जिसे उसके पिता की बीमारी के कारण अग्रिम में स्वीकृत किया गया था। तथापि, अस्पताल के बर्न्स वार्ड में वरिष्ठ डाक्टरों की कोई कमी नहीं थी।

वार्डों में सफाई/स्वच्छता का अनुरक्षण इष्टतम स्तर पर किया जाता है और इसकी एक सहायक नर्स अधीक्षक तथा सफाई पर्यवेक्षक द्वारा ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जाती है। किसी डाक्टर/स्टाफ के विरुद्ध दुर्व्यवहार की घटना की कोई सूचना नहीं मिली है।

भूकंप पीड़ितों हेतु निःशुल्क टेलीफोन सेवा

2240. श्री बापू हरी चौरे: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने जम्मू व कश्मीर के भूकंप पीड़ितों को निःशुल्क टेलीफोन सेवा प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुल लाभान्वितों की संख्या कितनी है और यह निःशुल्क सेवा कितने दिनों के लिए प्रदान की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) (1) मुजफ्फराबाद (पाक अधिकृत कश्मीर) में बात करने के लिए 15 दिनों के लिए उरी, तंगधार, श्रीनगर और जम्मू में एक-एक निःशुल्क टेलीफोन (कुल 4) प्रदान किए गए थे। इन सेवाओं को 2.11.2005 को बंद कर दिया गया था।

(2) उरी और तंगधार में "95" डायल करके बात करने वाले 3-3 (कुल 6) निःशुल्क स्थानीय टेलीफोन प्रदान किए गए हैं।

(3) उपर्युक्त के अलावा, नीचे दिए ब्योरे के अनुसार 105 इनमारसेट आधारित टेलीफोन भी प्रदान किए गए हैं:

(1) सेना-65

(2) राज्य प्रशासन-37

(3) गैर-सरकारी संगठन राधा स्वामी सत्संग व्यास-2

(4) वायु सेना-1

(ग) बीएसएनएल के काउंटरों से भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 10,000 लोग लाभान्वित हुए। अधिकाधिक लोगों ने उपर्युक्त पैरा (ख) (3) में उल्लिखित निःशुल्क उपग्रह टेलीफोनों का लाभ उठाया जिसके आंकड़े बीएसएनएल द्वारा नहीं रखे गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में उपर्युक्त 105 इनमारसेट और 6 निःशुल्क स्थानीय फोनों की सेवा 30 दिसम्बर, 2005 तक जारी रहेगी।

[अनुवाद]

लुटियन क्षेत्र में तथा आसपास अवैध ढांचे

2241. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लुटियन क्षेत्र में तथा आसपास अवैध ढांचों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो अवैध ढांचों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) लुटियन क्षेत्र में तथा आसपास के क्षेत्र सहित दिल्ली के विभिन्न भागों में अनधिकृत निर्माण का जब और जैसे पता चलता है, निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संगत अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा ऐसी अवैध संरचनाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

राजस्थान में एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ

2242. श्री महावीर भगोरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न जिलों में स्थानावार कितने एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ काम कर रहे हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य में स्थानावार ऐसे कितने बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) राज्य में बूथ स्थापित करने पर अब तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) दिनांक 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के विभिन्न जिलों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए कुछ 59986 एसटीडी/आईएसडी सार्वजनिक टेलीफोन (पीसीओ) तथा 7795 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन कार्यरत हैं। जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) बीएसएनएल की मौजूदा नीति के अनुसार, सार्वजनिक टेलीफोन सभी पात्र आवेदकों को तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान वर्ष में संस्थापित किए जाने वाले बूथों की संख्या आवेदकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(घ) इस आशय के लिए कोई पृथक राशि निर्धारित नहीं की जाती है। पीसीओ लाइनों पर व्यय सीधी एक्सचेंज लाइनों से संबंधित परियोजना का भाग है।

विवरण

दिनांक 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में कार्यरत पीसीओ की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थानीय पीसीओ	एसटीडी/आईएसडी पीसीओ	कुल
1.	अजमेर	237	3026	3263
2.	अलवर	381	3413	3794
3.	बांसवाड़ा + दुर्गापुर	58	1702	1760
4.	बाड़मेर	121	1365	1486
5.	भरतपुर + धौलपुर	208	1763	1971
6.	भीलवाड़ा	430	1695	2125
7.	बीकानेर	509	1714	2223
8.	बूंदी	87	445	532
9.	चित्तौड़गढ़	161	1541	1702
10.	चुरू	142	2373	2515
11.	जैसलमेर	80	746	826
12.	जयपुर + दौसा	2515	9604	12119
13.	झालवाड़	91	584	675
14.	झुंझुनू	198	1838	2036
15.	जोधपुर	524	3149	3673
16.	कोटा + बारन	493	2748	3241
17.	नागौर	165	2636	2801
18.	पाली	330	2404	2734
19.	सवाई माधोपुर + करौली	253	1503	1756
20.	सीकर	167	3166	3333
21.	सिरोही + जालोर	104	3241	3345
22.	श्रीगंगानगर + हनुमानगढ़	172	4451	4623
23.	टोंक	45	1130	1175
24.	उदयपुर + राजसमंद	324	3749	4073
	जोड़	7795	59986	67781

[हिन्दी]

राजनैतिक दलों को प्लाट देना

2243. श्री ब्रजेश पाठकः
श्री सुदाम मरन्डीः

क्या **शहरी विकास मंत्री** दिनांक 15 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1835 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अब सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्र करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्र किए जाने और सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) संबंधित अभिकरणों से पूरी सूचना अपेक्षित है और मामले को उनके साथ उठाया जा रहा है।

गुजरात में पब्लिक कॉल ऑफिस बूथ

2244. श्री हरिसिंह चावड़ाः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात में इस समय स्थानवार कितने पब्लिक कॉल ऑफिस बूथ काम कर रहे हैं;

(ख) उक्त क्षेत्रों में पीसीओ की स्वीकृति हेतु कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) उनके लंबित रहने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इन आवेदनों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार गुजरात में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा प्रदान किए गए पब्लिक कॉल ऑफिस बूथों की संख्या 1,46,561 है। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गुजरात राज्य में बीएसएनएल के पास लंबित आवेदनों का जिलेवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) आवेदनों के लंबित रहने के निम्नलिखित कारण हैं:

(1) आवेदकों द्वारा औपचारिकताओं को पूरा न किया जाना।

(2) संबंधित क्षेत्र का तकनीकी रूप से व्यवहार्य न होना।

(घ) बीएसएनएल में पीसीओ के लिए लंबित आवेदनों को 31.1.2006 तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है बशर्ते कि आवेदकों द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएं और दिसंबर, 2006 तक पीसीओ उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है।

विवरण

गुजरात में बीएसएनएल द्वारा प्रदान किए गए पीसीओ की और बीएसएनएल के पास पीसीओ के लिए लंबित आवेदनों की जिलेवार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	31.10.05 की स्थिति के अनुसार कार्यरत पीसीओ की संख्या	31.10.2005 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या						
			अनुमोदित किया जाना है		अनुमोदित किंतु अभी प्रदान किया जाना है		कुल लंबित आवेदन		
			स्थानीय	एसटीडी/आईएसडी	स्थानीय	एसटीडी/आईएसडी	स्थानीय	एसटीडी/आईएसडी	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अहमदाबाद	19986	0	0	0	0	0	0	0
2.	गांधीनगर	1679	0	0	0	0	0	0	0
3.	अमरेली	3532	0	0	33	4	33	4	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	भरूच	4381	30	8	20	6	50	14	64
5.	नर्मदा	611	41	12	18	10	59	22	81
6.	भावनगर	5309	0	0	4	3	4	3	7
7.	कच्छ	4112	0	0	8	17	8	17	25
8.	गोधरा	2105	0	0	0	0	0	0	0
9.	दाहोद	1129	0	0	0	0	0	0	0
10.	साबरकांठा	1677	0	0	0	0	0	0	0
11.	जामनगर	4514	0	0	17	8	17	8	25
12.	जूनागढ़	4533	8	4	7	1	15	5	20
13.	पोरबंदर	747	3	2	0	1	3	3	6
14.	मेहसाणा	3432	0	0	0	0	0	0	0
15.	पाटन	2128	0	0	0	0	0	0	0
16.	नादियाड	2418	0	0	12	2	12	2	14
17.	आनंद	4470	0	0	45	11	45	11	56
18.	बनासकांठा	3776	98	0	0	2	98	2	100
19.	राजकोट	13223	0	0	35	4	35	4	39
20.	सूरत	33995	12	1	30	8	42	9	51
21.	सुरेन्द्र नगर	1909	0	0	0	0	0	0	0
22.	बड़ोदरा	16642	0	0	41	5	41	5	46
23.	वलसाड़	6405	0	0	6	1	6	1	7
24.	नवसारी	3773	0	0	7	2	7	2	9
25.	डांग	55	0	0	0	0	0	0	0
	योग	146561	192	27	283	85	475	112	587

[अनुवाद]

जांच पूरी होना

2245. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **शहरी विकास मंत्री** दिनांक 10 मई, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6578 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा सोसाइटी, जिसके लिए प्रश्नगत भूमि आबंटित की गई थी, को किसी अन्य को देने के मामले में जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) डीडीए ने सोसाइटी की बिक्री/खरीद अथवा सदस्यों में परिवर्तन के आरोपों के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से रिपोर्ट मांगी हैं क्योंकि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत सोसाइटियों का प्रशासन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

इंडोनेशिया से कोयले का आयात

2246. श्री शिशुपाल पटले:
श्री अशोक कुमार रावत:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इंडोनेशिया से कोयले का आयात कर रही है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडोनेशिया से आयातित कोयले में हाई ऐश कान्टेंट के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके बुरे प्राभावों से संबंधित मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस कोयले की आपूर्ति अभी तक किन-किन राज्यों को की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) सरकार कोयले का आयात सीधे नहीं करती है। चूंकि कोयला खुले सामान्य लाइसेन्स (ओजीएल) के अंतर्गत आता है, इसलिए उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के आधार पर कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) कोयला मंत्रालय को, इंडोनेशिया से आयातित कोयले में उच्च राख तत्व तथा ज्वलनशीलता के कारण जनता के स्वास्थ्य पर इसके बुरे प्रभावों की, अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

(च) ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार, सरकार कोयले का आयात नहीं करती है। इसलिए, केन्द्र सरकार द्वारा आयातित कोयले की विभिन्न राज्यों को आपूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता है।

डिब्बा बन्द खाद्य-पदार्थों में पोषक तत्व

2247. श्री मुन्शी राम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की सत्यता का पता लगाने के लिए कभी इनकी जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले विनिर्माताओं का ब्यौरा क्या है और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में कोई नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त नीति को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) किसी भी खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों की घोषणा करना पीएफए नियमावली, 1955 में समाहित उपबन्धों के अनुसार अनिवार्य नहीं है। तथापि, नियमों में अपेक्षाएं हैं कि खनिजों, प्रोटीन अथवा विटामिन जैसे पोषक तत्वों से युक्त दावा किए गए खाद्य पदार्थों के संबंध में लेबल पर ऐसे योज्य पोषक तत्वों की मात्रा दी जाए।

भारत में विनिर्मित अथवा भारत में आयातित सभी खाद्य पदार्थों से यह अपेक्षित है कि वे पोषक तत्व संबंधी दावों सहित पीएफए अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत प्रतिपादित नियमावली के प्रावधानों को पूरा करें। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर पीएफए अधिनियम, 1954 के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाती है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत एक सांविधिक समिति-केन्द्रीय खाद्य मानक समिति ने खाद्य उत्पादों के लेबल पर पोषक तत्वों से संबंधित पूरी सूचना की घोषणा करने हेतु पीएफए नियमावली 1955 के संशोधन की सिफारिश की थी। लेबल पर दी जाने वाली यथा संशोधित सूचना निम्नलिखित फार्मेट में होगी:

"उत्पाद के प्रति 100 ग्राम के अनुसार पोषक तत्वों संबंधी पूरी सूचना लेबल पर दी जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) ऊर्जा मान संबंधी सूचना आईसीएमआर के आर डी ए के पोषक तत्वों की प्रतिशतता सहित किलो जूल (के जे) और किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम अथवा प्रति मि. ली. में दी जाएगी।

(2) खाद्य पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा संबंधी सूचना आईसीएमआर के आरडीए के पोषक तत्वों की प्रतिशतता सहित ग्रा. प्रति 100 ग्राम अथवा प्रति 100 मि. ली. में दी जाएगी।

(3) वसीय अम्लों के आकार-प्रकार और/अथवा मात्रा (संतृप्त वसीय अम्लों, बहु संतृप्त वसीय अम्लों तथा ट्रांस वसीय अम्लों की मात्रा सहित)।

(4) विटामिन और खनिज पदार्थों संबंधी संख्यात्मक सूचना आईसीएमआर के आरडीए के पोषक तत्वों की प्रतिशतता सहित प्रति 100 ग्रा. अथवा प्रति 100 मि.ली. आईसीएमआर के पोषक संदर्भमान की प्रतिशतता के अनुसार और/अथवा मीट्रिक इकाइयों में दी जाएगी।"

उपर्युक्त प्रस्ताव को आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 28.11.2005 के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

डी डी ए में प्रतीक्षा सूची

2248. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी डी ए ने अपने पास पंजीकृत लोगों को आज की तारीख तक फ्लैट आबंटित नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आज की स्थिति के अनुसार फ्लैटों का आवंटन नहीं किया गया है और योजनावार उनके पंजीकरण के वर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन व्यक्तियों को फ्लैट प्रदान किए जाने के लिए डीडीए द्वारा क्या समय-सीमा तय की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है वह विभिन्न आवास स्कीमों के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित करता रहा है। तथापि, 30.11.2005 की स्थिति अनुसार निम्नलिखित तीन स्कीमों में 13,586 पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित नहीं किए गए हैं।

स्कीम	पंजीकरण वर्ष	बकाया
न्यू पैटर्न पंजीकरण स्कीम	1979	8327
अंबेडकर आवास योजना	1989	2771
जनता आवास पंजीकरण स्कीम	1996	2488

(ग) डीडीए ने सूचित किया है कि उसने 2006 के अंत तक आबंटन की प्रतीक्षा सूची को पूरा करने का कार्यक्रम रखा है बशर्ते फ्लैटें का कार्य पूरा हो जाए।

आयुर्वेदिक प्रयोगशालाओं की स्थापना

2249. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता सुधारने हेतु प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रयोगशालाओं की स्थापना पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार ने आयुर्वेदिक, सिद्ध,

यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों के परीक्षणार्थ गाजियाबाद में दो प्रयोगशालाएं अर्थात् भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला और होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की है। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों के समुचित परीक्षण के लिए उनके गुणवत्ता मानकों में सुधार हेतु नवीनतम उपस्करों और उनकी अवसंरचना में सुधार के लिए देश में 25 राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया है। अभी तक, सरकार ने राज्य सरकारों को इन प्रयोगशालाओं हेतु 23.87 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता दी है।

सरकार ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी औषधियों के लिए 16 निजी औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी मान्यता प्रदान की है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में मोबाइल सेवा

2250. श्री ए. साई प्रताप: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित सभी जिलों में तहसील स्तर तक मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराई गई है जिनमें आंध्र प्रदेश राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित 243 तहसील मुख्यालयों में से 210 तहसील मुख्यालय शामिल हैं।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड अपने सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क में वृद्धि कर रहा है और अगले वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित शेष सभी तहसील मुख्यालयों को शामिल किए जाने की आशा है।

एचआईवी/एड्स की घटनाएं

2251. डा. सुजान चक्रवर्ती: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक पूरे देश में एचआईवी/ और एड्स के अलग-अलग कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान एचआईवी और एड्स के कारण कितने लोगों के मारे जाने की सूचना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 31 अक्टूबर, 2005 तक वर्षवार अनुमानित एचआईवी संक्रमणों, एड्स के कारण सूचित किए गए एड्स के रोगियों और मौतों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002-2004 के दौरान अक्टूबर, 2005 तक अनुमानित एचआईवी संक्रमणों, एड्स के कारण सूचित किए गए एड्स रोगियों और मौतों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	अनुमानित एचआईवी संक्रमण	एड्स रोगियों की संख्या	मौतों की संख्या
1.	2002	45.8 लाख	19062	1247
2.	2003	51.06 लाख	21994	1541
3.	2004	51.34 लाख	27562	1324
4.	2005 (अक्टूबर)	अनुपलब्ध	12626	810

मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की स्थापना

2252. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपग्रहों की निगरानी करने में हासन स्थित मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी (एम सी एफ) पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भोपाल में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी स्थापित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी लागत सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भोपाल स्थित एम सी एफ ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का देश में और अधिक एम सी एफ स्थापित करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार ने 40 करोड़ रुपये की लागत से भू-तुल्यकाली उपग्रहों के लिए कक्षीय अनुरक्षण और प्रचालनात्मक सहायता से संवर्धन हेतु भोपाल में मुख्य नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.) की स्थापना की है।

(घ) और (ङ) दिनांक 11.4.2005 को भोपाल स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा का उद्घाटन किया गया और इसने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक

2253. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने प्रशिक्षक हैं;

(ख) गत वर्ष के दौरान आज की तिथि तक राज्यवार और खेलवार कुल कितने प्रशिक्षकों को स्थानांतरित किया गया है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार का खेलों के लिए कुल कितना बजट है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) पूरे भारत में तैनात किए गए प्रशिक्षकों की कुल संख्या 1442 है। राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान स्थानांतरित किए गए प्रशिक्षकों की कुल संख्या 173 थी और इस वर्ष (2005-06) आज तक 755 है। राज्य-वार और खेल विधा वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2005-06 के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए मंत्रालय का कुल बजट अनुमान योजना के अंतर्गत 279.71 करोड़ रुपये और गैर-योजना के अंतर्गत 33.08 करोड़ रुपये है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थानांतरण के पूर्व प्रशिक्षकों की संख्या	दिनांक 15.11.2005 की स्थिति के अनुसार नियुक्त प्रशिक्षकों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	73	75
2.	अण्डमान व निकोबार	04	07
3.	अरुणाचल प्रदेश	02	02
4.	असम	24	25
5.	भा.खे.प्रा. उप-केन्द्र गुवाहाटी	00	01
6.	बिहार	26	32
7.	चण्डीगढ़	42	25
8.	छत्तीसगढ़	10	15
9.	दमन व दीव	02	01

1	2	3	4
10.	दिल्ली	118	36
11.	भा.खे.प्रा. स्टेडियम दिल्ली	–	88
12.	गोवा	12	17
13.	गुजरात	38	28
14.	एनएसडब्ल्यूसी गांधीनगर	–	08
15.	हरियाणा	69	81
16.	सीडीएल एनसी, सोनीपत		31
17.	हिमाचल प्रदेश	69	52
18.	जम्मू-कश्मीर	23	30
19.	झारखण्ड	10	29
20.	कर्नाटक	101	61
21.	एनएसएससी, बंगलौर	–	31
22.	केरल	61	72
23.	मध्य प्रदेश	49	56
24.	एनएसएससी, भोपाल	–	21
25.	महाराष्ट्र	53	54
26.	मणिपुर	39	35
27.	एनएसएनईसी, इम्फाल	–	08
28.	मेघालय	05	06
29.	मिजोरम	04	05
30.	नागालैण्ड	04	04
31.	उड़ीसा	38	34
32.	पाण्डीचेरी	06	10
33.	पंजाब	190	78
34.	एनएसएनआईएस, पटियाला	–	62
35.	राजस्थान	84	62
36.	सिक्किम	07	04
37.	तमिलनाडु	62	41
38.	त्रिपुरा	21	20
39.	उत्तर प्रदेश	82	59
40.	भा.खे.प्रा. उप केन्द्र, लखनऊ	–	13
41.	उत्तरांचल	36	32
42.	पश्चिम बंगाल	101	53
43.	एनएसईसी, कोलकाता	–	38
	कुल	1465	1442

प्रशिक्षकों की सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा आकस्मिक निधन के कारण तुलनात्मक स्थिति में कुल संख्या भिन्न है।

विवरण II

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-2005 के दौरान राज्य में स्थानांतरित किए गए प्रशिक्षकों की संख्या 2005 (आज की तारीख तक)	
1	2	3	
1.	आंध्र प्रदेश	11	47
2.	अण्डमान व निकोबार	01	03
3.	अरुणाचल प्रदेश	02	01
4.	असम	05	19
5.	बिहार	13	15
6.	चण्डीगढ़	07	16
7.	छत्तीसगढ़	04	09
8.	दमन व दीव	00	01
9.	दिल्ली	10	44
10.	गोवा	05	10
11.	गुजरात	03	22
12.	हरियाणा	14	86
13.	हिमाचल प्रदेश	04	33
14.	जम्मू कश्मीर	03	23

1	2	3	4
15.	झारखण्ड	04	21
16.	कर्नाटक	05	51
17.	केरल	04	34
18.	मध्य प्रदेश	08	39
19.	महाराष्ट्र	09	29
20.	मणिपुर	05	10
21.	मेघालय	02	00
22.	मिजोरम	04	01
23.	नागालैण्ड	02	01
24.	उड़ीसा	03	19
25.	पाण्डीचेरी	00	06
26.	पंजाब	06	68
27.	राजस्थान	06	39
28.	सिक्किम	02	01
29.	तमिलनाडु	02	25
30.	त्रिपुरा	03	15
31.	उत्तर प्रदेश	10	24
32.	उत्तरांचल	01	18
33.	पश्चिम बंगाल	15	25
	कुल	173	755

विवरण III

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-2005 के दौरान राज्य में स्थानांतरित किए गए प्रशिक्षकों की संख्या 2005 (आज की तारीख तक)	
1	2	3	
1.	तीरंदाजी	01	00
2.	एथलेटिक्स	23	71
3.	बैडमिंटन	04	42
4.	बास्केटबाल	05	62
5.	मुक्केबाजी	16	12
6.	क्रिकेट	04	32
7.	साइक्लिंग	01	03
8.	फुटबाल	22	82
9.	जिमनास्टिक	07	51
10.	हैण्डबाल	07	55
11.	हाकी	18	60
12.	जूडो	08	24
13.	खो-खो कबड्डी	18	48
14.	लॉन टेनिस	01	07
15.	तैराकी	10	25
16.	टेबल टेनिस	06	32
17.	वालीबाल	03	90
18.	कुश्ती	18	29
19.	भारोत्तोल	01	30
	कुल	173	755

[अनुवाद]

भारत संचार निगम लिमिटेड का विनिवेश

2254. श्री जुएल ओराम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विनिवेश करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के विनिवेश के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

एयर ऑपरेशन सिस्टम का विकास

2255. श्री गणेश सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इसरो का ए.ए.आई. के सहयोग से भारतीय एयर स्पेस में एयर ऑपरेशन सिस्टम विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सिस्टम के तकनीकी प्रदर्शन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) भारतीय एयर स्पेस में ग्लोबल अवस्थिति प्रणाली और भू-संवर्धित नौवहन (गगन) नामक एक अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली का क्रियान्वयन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) गगन प्रणाली का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन 2007 में पूरा किए जाने हेतु निर्धारित है।

क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय

2256. श्री कैलाश मेघवाल: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान स्थित रणथम्बौर के आसपास क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी अनुमानित धनराशि व्यय की जानी है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ भू:अर्जन हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजस्थान में जिला स्वाई माधोपुर के ग्राम रामसिंघपुरा में प्राकृतिक इतिहास का एक क्षेत्रीय संग्रहालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित संग्रहालय का स्थल रणथम्बौर बाग संरक्षण मार्ग के निकट अवस्थित है और स्वाई माधोपुर शहर से सड़क से उक्त बाघ संरक्षण क्षेत्र की दूरी 2 कि.मी. है।

(ख) इस परियोजना पर खर्च की जाने वाली राशि का प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है।

(ग) इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त भूखंड चिन्हित किया गया है।

विस्थापितों का पुनर्वास

2257. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में आज की स्थिति के अनुसार अनधिकृत कॉलोनियों में स्थानवार अनुमानतः कितनी जनसंख्या रह रही है;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली से अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने के लिए कोई अभियान शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन लोगों के पुनर्वास हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है अथवा किए जाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) पुनर्वास किए गए लोगों की स्थानवार संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा वर्षवार कितना खर्च किया जाता है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने सूचित किया है कि अनधिकृत कॉलोनियों की जनसंख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 29.9.2004 के सी डब्ल्यू पी सं. 8487श्र/2003 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 31.3.2002 तक विद्यमान अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी कल्याण संगठनों/सोसाइटियों से आवेदन मंगवाए थे और 1432 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला खानों में सुरक्षा का निजीकरण

2258. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोयला खानों में सुरक्षा और पर्यवेक्षण के कार्य को निजी एजेंसियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रलाय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं। तथापि, सी.आई.एल. की कंपनियों की कोयला खानों की सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए, विभागीय कर्मचारियों की तैनाती के अतिरिक्त, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों और पुनर्वास महानिदेशक द्वारा प्रायोजित एजेन्सियों की तैनाती प्रचलन में है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

केन्द्रीय सहायता का अनुवीक्षण

2259. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को किसी विशेष परियोजना के लिए प्रदान की गई सहायता/अनुदान का अनुवीक्षण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं के लिए दी गई सहायता/अनुदान का उपयोग किसी अन्य परियोजना तथा कार्यों के लिए किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशानिर्देश हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान/सहायता के अन्यत्र प्रयोग करने वाले राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी, हां। वार्षिक योजना की तुलना में राज्यों के निष्पादन की वार्षिक और अर्द्ध-वार्षिक आधार पर योजना आयोग के संबंधित सदस्यों/प्रधान सलाहकारों/सलाहकारों द्वारा समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को इस बात की स्वतंत्रता नहीं होती कि वे विशिष्ट स्कीमों/परियोजनाओं के लिए निर्धारित अनुदान/सहायता के मामले में समायोजन प्रस्ताव अथवा अन्यथा के माध्यम से योजना आयोग की पूर्व अनुमति के बिना व्यष्टिगत स्कीमों अथवा परियोजनाओं के बीच परिव्ययों का परस्पर समायोजन करें।

(ङ) योजना आयोग द्वारा परिचालित दिशा-निर्देशों के आधार पर, वित्त मंत्रालय उन राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता में आनुपातिक कटौती लागू कर देता है, जो संशोधित अनुमोदित योजना परिव्यय की तुलना में कम खर्च करते है और निर्धारित परिव्ययों में कमी होने के कारण भी कटौती कर देता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना परियोजनाएं परिकल्पित समय सीमा के अनुसार क्रियान्वित की जाएं।

एमटीएनएल द्वारा नई योजना शुरू किया जाना

2260. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने अपने वर्तमान उपभोक्ताओं के लिए कोई नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के आरंभ किए जाने के बाद से आज तक कितने नए कनेक्शन दिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी ही योजना बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए भी शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) एमटीएनएल ने अपने वर्तमान ग्राहकों के लिए नवंबर 2005 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें शुरू की हैं:

(1) 1.11.2005 से लैंड लाइन सेवा के लिए नई संवर्धनात्मक योजना (एक+एक) शुरू की गई है जिसके अंतर्गत सभी योजनाओं के ग्राहकों को उनके पते पर और उन्हीं के नाम से बिना किसी पंजीकरण शुल्क और

जमानत के तथा एक वर्ष तक बिना किसी मासिक किराये के एक नि:शुल्क अतिरिक्त लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।

(2) 400 मेगाबाइट के नि:शुल्क डाउनलोड सहित 199 रु. के मासिक प्रभार पर "ट्राई-बी 200 पी" के ब्रांड नाम के अंतर्गत ब्रॉडबैंड सेवाओं की एक नई योजना शुरू की गई है।

(ग) स्कीम के लागू होने के बाद से 9810 नए लैंड लाइन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल ने 1.11.2005 से 30.11.2005 तक 13539 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए हैं।

(घ) और (ङ) बीएसएनएल के वर्तमान ग्राहकों को इसी प्रकार की निम्नलिखित नई स्कीमें उपलब्ध हैं:

(1) बीएसएनएल के वर्तमान ब्रॉडबैंड ग्राहकों को होम 500 और उपर्युक्त योजना के अंतर्गत 2.00 बजे से 8.00 बजे के बीच असीमित नि:शुल्क डाउनलोड की सुविधा दी जाती है।

(2) बीएसएनएल द्वारा कॉलिंग लाइन आइडेंटीफिकेशन (सीएलआई) आधारित इंटरनेट सेवा के अपने सभी मौजूदा लैंडलाइन (बीफोन) ग्राहकों के लिए एक संवर्धनात्मक स्कीम शुरू की गई है जिसमें 1.11.2005 से 31.1.2006 तक 15 घंटे का नि:शुल्क इंटरनेट अभिगम प्रदान किया जाएगा।

(3) 1.11.2005 से 31.12.2005 की अवधि के दौरान ब्रॉडबैंड डेटावन सेवा में स्थानांतरित होने वाले वर्तमान डायलअप इंटरनेट उपभोक्ताओं को पहले दो महीनों के लिए 250 रु. के ब्रॉडबैंड मासिक किराया प्रभार के भुगतान से छूट दी गई है।

(च) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बी एच एम एस पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा में भ्रष्टाचार

2261. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2003-2005 में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा में भ्रष्टाचार के अनेक मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार को 2003-2005 में होम्योपैथी राष्ट्रीय संस्थान (एन आई एच) के बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस) पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में अनुपयुक्त व्यक्तियों को अनुमति देने जैसी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता ने स्पष्ट किया कि 2003-2005 सत्रों में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षाओं के दौरान 8 उम्मीदवारों को अनुपयुक्त पाया गया। इसलिए संस्थान द्वारा उनकी प्रवेश पात्रता को निरस्त कर दिया गया। अन्य आरोपों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

अस्पतालों को घटिया मशीनों की आपूर्ति

2262. श्री मो.ताहिर:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी अस्पतालों में उपचार और ऑपरेशनों के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनों, उपकरणों और लेखन सामग्री की वस्तुओं की आपूर्ति में बरती जा रही अनियमितताओं की जानकारी है जैसाकि दिनांक 22 नवम्बर, 2005 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लेखन-सामग्री की वस्तुओं सहित इन घटिया मशीनों की खरीद पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इन मशीनों को किन कंपनियों से खरीदा गया है;

(घ) क्या दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) लेप्रोस्कोप का प्रापण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नेशनल प्रोक्युअरमेंट सपोर्ट एजेंसी (एनपीएसए), मैसर्स हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड (एचएलएल) द्वारा किया गया। वर्ष 2000-2001 के दौरान, मैसर्स नेस्टर फार्मास्युटिकल लिमिटेड, नई दिल्ली से 350 लेप्रोस्कोपों (250 सिंगल पंक्चर 1,98,000 रुपये की दर से तथा 100 डब्बल पंक्चर 2,68,000 रुपये की दर से) जिनका मूल्य 7.63 करोड़ रुपये था, की खरीद की गई।

(घ) और (ङ) इस मामले की केन्द्रीय जांच-ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। उपर्युक्त प्रापण से संबंधित सभी रिकार्ड केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के परिणाम प्राप्त होने के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

(च) प्रापण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शक बनाया गया है। क्षमता निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

फ्लैटों का वैध कब्जा

2263. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सदस्यों से पूरी राशि का भुगतान प्राप्त करने के बावजूद उन्हें फ्लैटों का वैध कब्जा न देने वाली आवासीय सोसाइटियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विशेष रूप से द्वारका में ऐसे फ्लैटों की तथ्यात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) इन फ्लैटों के मालिकों द्वारा समय पर कब्जा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी सोसायटियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि सोसायटी द्वारा 90% निर्माण पूरा कर लिए जाने के बाद सोसायटी के सदस्यों, जिनके नाम सोसायटी, डीडीए और आरसीएस के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें विशिष्ट फ्लैट आबंटित करने हेतु ड्रा निकाला जाता है। डीडीए से अस्थायी कब्जा प्रमाणपत्र लेने के बाद ऐसी सोसायटियों के मैनेजमेंट द्वारा समूह आवास सोसायटियों के सदस्यों को फ्लैटों का कब्जा सौंपा जाता है। इसके अलावा, सरकारी समूह आवास सोसायटियां, दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003 द्वारा शासित होती हैं, जिनका संचालन सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में दूरभाष सेवा

2264. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ में संचार-नेटवर्क की बुरी स्थिति के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में अभी तक स्थानवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनमें से अभी तक कितनी शिकायतें दूर की गई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) छत्तीसगढ़ में संचार नेटवर्क की खराब स्थिति के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अलग-अलग शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनकी तुरंत सुनवाई की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई और निपटाई गई ऐसी शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	एसएसए का नाम	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	आगे ले जाई गई और अगले चक्र में शामिल की गई शिकायतें
1	2	3	4	5
2003-04	बिलासपुर	220	210	10
	दुर्ग	145	140	5

1	2	3	4	5
	रायपुर	349	335	14
	बस्तर	45	41	4
	रायगढ़	90	76	14
	सरगुजा	229	215	14
2004-05	बिलासपुर	223	221	2
	दुर्ग	143	127	16
	रायपुर	348	308	40
	बस्तर	48	45	3
	रायगढ़	110	91	19
	सरगुजा	234	225	9
अप्रैल, 05 से नवम्बर के अंत तक	बिलासपुर	82	72	10
	दुर्ग	51	51	0
	रायपुर	167	140	27
	बस्तर	23	23	0
	रायगढ़	51	48	3
	सरगुजा	101	89	12

(ग) सेवाओं को बेहतर बनाने तथा इस प्रकार शिकायतों में कमी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय डिजिटल माध्यम पर जोड़ना।
2. भूमिगत पेपर कोर केबलों को चरणबद्ध तरीके से अन्य प्रणालियों द्वारा बदलना।
3. खंभा सहित नेटवर्क का निर्माण करना
4. मल्टी-एक्सचेंज नेटवर्क में और अधिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलना जिससे एक्सचेंज क्षेत्र का आकार कम किया जा सके।
5. वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली, डिजीटल लाइन कन्सेन्ट्रेटरों का प्रयोग करना।
6. सी-डॉट 256 पोर्ट एक्सचेंजों को एक्सेस नेटवर्क-ग्रामीण ऑटोमैटिक एक्सचेंजों (एएन-आरएएक्स) में बदलना।
7. एसडीसीसी (अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र)/एलडीसीसी (लम्बी दूरी प्रभारण केन्द्र) में दोष दर्ज करने की केन्द्रीयुक्त व्यवस्था।
8. रखरखाव मुक्त बैटरी सेटों और बैक-अप बिजली आपूर्ति के लिए इंजिन अल्टरनेटर की व्यवस्था।
9. भविष्य में की जाने वाली आपूर्ति में, अधिक टॉक टाइम और स्टैंड बाई टाइम प्रदान करने के लिए डब्ल्यूएलएल-एफडब्ल्यूटी (वायरलेस इन लोकल लूप-फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल) के साथ विस्तारित रख-रखाव मुक्त बैटरी का प्रावधान।
10. फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनलों (एफडब्ल्यूटी) सहित ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत डब्ल्यूएलएल उपस्करों के लिए वार्षिक रख-रखाव अनुबंध (एएमसी) किया जाना और नयी आपूर्ति में एएमसी का प्रावधान।
11. भविष्य में की जाने वाली आपूर्ति में, 90-300 वोल्ट की वोल्टेज रेंज में कार्य करने के लिए डब्ल्यूएलएल-एफडब्ल्यूटी का बैटरी चार्जर।

[अनुवाद]

कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्स/एसटीडी/ आईएसडी सुविधाएं

2265. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में फैक्स/एसटीडी/आईएसडी की सार्वजनिक दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक में प्रदान किए गए एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ के गौण स्विचन क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सितम्बर, 2005 तक कर्नाटक सेवा क्षेत्र में 27,066 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए। किसी भी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन को मांग पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ में बदला जा सकता है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में प्रदान किए गए एसटीडी/आईएसडी, पीसीओ के गौण स्विचन क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र	कार्यरत वीपीटी की कुल सं.	एसटीडी/आईएसडी सुविधायुक्त वीपीटी
1	2	3	4
1.	बंगलौर	2,394	145
2.	बीदर	587	4
3.	बीजापुर	1,247	68
4.	बेल्लारी	593	9
5.	बेलगाम	1,138	29
6.	चिकमगलूर	1,021	186
7.	दक्षिण कन्नड़	615	44
8.	दावणगिरि	1,287	0
9.	गुलबर्गा	1,295	179
10.	हुबली	1,344	474
11.	हसन	2,369	33
12.	कोलार	2,889	27
13.	करवर	1,264	30
14.	मरकारा	291	13
15.	मांड्या	1,365	0
16.	मैसूर	1,649	0
17.	रायचूर	1,396	548
18.	शिमोगा	1,785	383
19.	तुमकूर	2,537	424
	योग	27,066	2,596

सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

2266. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय हेतु सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा संचालित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और तत्संबंधी स्थान कौन-कौन से हैं; और

(ग) तमिलनाडु में सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा शुरू की गई प्रत्येक परियोजना की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

ए.डी.बी. सहायता पैकेज

2267. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियन विकास बैंक ''भारत निर्माण कार्यक्रम'' और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अन्य बुनियादी परियोजनाओं की सहायतार्थ अगले तीन वर्षों में भारत को अपनी सहायता पैकेज को दुगुना कर 2.5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की राशि वार्षिक रूप से देने के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 2006-2008 के लिए एडीबी के देश कार्यनीति कार्यक्रम को प्रायोगिक रूप से तैयार कर लिया है। एडीबी भारत को 2006 में 2.25 अरब अमरीकी डालर से 2007 में 2.45 अरब अमरीकी डलर और 2008 में 2.65 अरब अमरीकी डालर तक ऋण देने में बढ़ोतरी का प्रयास करेगा यदि राज्यों से तथा अन्य निष्पादन एजेंसियों से इसकी मांग होगी। ये ऋण अवसंरचना-प्रेरित विकास के माध्यम से गरीबी का सामना करने के लिए भारत सरकार द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रकों में है। तीन-वर्षीय कार्यक्रम का लगभग 77% कोर अवसंरचना परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करता है जिसमें परिवहन (राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य सड़कें, ग्रामीण सड़कें, रेलवे तथा शहरी परिवहन); शहरी (जल एवं स्वच्छता, नगरीय विकास, नगर सुधार); तथा ऊर्जा (ऊर्जा क्षेत्रक सुधार, संचरण एवं वितरण, जल-ऊर्जा) शामिल हैं। ग्रामीण सड़क संघटक सरकार के 'भारत निर्माण' का एक हिस्सा है।

आई.टी.आई. का पुनरूद्धार

2268. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरभाष उद्योगों (आई.टी.आई.) के पुनरुद्धार हेतु कोई विशेष पैकेज सरकार के विचारार्थ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पैकेज का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान मै. आईटीआई लिमिटेड के लिए एक पुनरुद्धार योजना मंजूर की गई थी जिसमें 1024.77 करोड़ रु. की अनुदान राशि शामिल थी। वर्तमान में मैं आईटीआई के पुनरुद्धार के लिए कोई विशेष पैकेज सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्पैक्ट्रम एलोकेशन

2269. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पैक्ट्रम एलोकेशन में सरकार की नीति मोबाइल कम्युनिकेशन के ग्लोबल सिस्टम (जीएसएम) ऑपरेटरों के लिए लाभप्रद है और कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) आपरेटरों के लिए अलाभप्रद है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जीएसएम और सीडीएमए आपरेटरों के लिए स्पैक्ट्रम एलोकेशन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्पैक्ट्रम के लिए जीएसएम और सीडीएमए आपरेटरों दोनों के द्वारा समान शुल्क अदा किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो जीएसएम और सीडीएमए आपरेटरों को स्पैक्ट्रम के एलोकेशन में भेदभाव के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जीएसएम और सीडीएमए प्रचालकों को उनके अपने-अपने सेवा लाइसेंस करारों के संगत प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक स्पैक्ट्रम आवंटित किया जा रहा है। सेवा के विस्तार और उपभोक्ता आधार में वृद्धि होने से, संगत उपभोक्ता आधारित पात्रता मानदंडों और संबंधित दूरसंचार सेवा क्षेत्र में स्पैक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन अतिरिक्त स्पैक्ट्रम के आवंटन पर विचार किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायतों को एसटीडी/आईएसडी/इंटरनेट सुविधाएं

2270. डा. के. धनराजु: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पंचायतों को और अधिक दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में स्थान-वार ग्राम पंचायतों का ब्यौरा क्या है जहां वर्ष 2004-05 के दौरान एस.टी.डी./आई.एस.डी./ इंटरनेट और फैक्स सुविधाएं प्रदान की गई और वर्ष 2005-06 के दौरान ये उपलब्ध करवाई जायेंगी; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। एसटीडी/आईएसडी सुविधाएं ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) के अभिरक्षकों के अनुरोध पर प्रदान की जाती हैं। इंटरनेट के लिए, अभिरक्षक का स्वयं का उपस्कर रखना होता है और इस प्रकार वह इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। इसी तरह फैक्स के लिए भी, अभिरक्षक को स्वयं को पर्सनल कंप्यूटर/फैक्स उपकरण, जैसा भी मामला हो, रखना होता है।

(ख) और (ग) वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06 के दौरान वीपीटी पर प्रदान की गई एसटीडी सुविधाओं के संबंध में जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में नई सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

* एमएआरआर आधारित वीपीटी को एसटीडी/आईएसडी/ इंटरनेट सुविधा प्रदान करने में सक्षम प्रौद्योगिकियों से बदलना।
* ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों में उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी छोटे एवं मध्यम एक्सचेंजों को दूरस्थ स्विचन यूनिट (आरएसयू)/अभिगम्य नेटवर्क ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों (एएन-आरएएक्स) में बदना।
* ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यापक पैमाने पर आत्याधुनिक बेतार प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना।

विवरण

2004-05 और 2005-06 के दौरान एसडीटी सुविधायुक्त वीपीटी का जिलावार ब्यौरा

सर्किल का नाम: तमिलनाडु

क्र.सं.	जिला	एसएसए	वर्ष 2004-05 के दौरान एसटीडी सुविधायुक्त वीपीटी	वर्ष 2005-06 के दौरान एसटीडी सुविधायुक्त वीपीटी
1	2	3	4	5
1.	अरियालूर	त्रिची	0	0
2.	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	0	0
3.	कुड्डालोर	कुड्डालोर	0	281
4.	धर्मापुरी	धर्मापुरी	5	6
5.	डिंडीगुल	मदुरै	7	3
6.	इरोड़	इरोड़	4	0
7.	कांचीपुरम	चेंगलपट्टु	0	0
8.	कन्याकुमारी	नागरकोइल	0	0
9.	करूर	त्रिची	0	0
10.	मदुरै	मदुरै	37	24

1	2	3	4	5
11.	नागपट्टीनम	कुंबकोणम	2	0
12.	नामक्कल	सलेम	0	0
13.	पेराम्बलूर	त्रिची	0	0
14.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	0	0
15.	पुदुकोट्ई	त्रिची	0	0
16.	रामनाथपुरम	कराईकुडी	0	101
17.	सलेम	सलेम	0	0
18.	शिवगंगा	कराईकुडी	1	65
19.	तंजावुर	तंजावुर	8	0
20.	नीलगिरी	कुनूर	1	0
21.	थेणी	मदुरै	5	19
22.	तिरूनेलवेली	तिरूनेलवेली	4	0
23.	तिरूवन्नामलाई	वेल्लोर	28	0
24.	तिरूवरूर	तंजावुर	1	0
25.	तिरूवेल्लोर	चेंगलपट्टू	0	0
26.	त्रिची	त्रिची	2	0
27.	तुतीकोरिन	तुतीकोरिन	0	0
28.	वेल्लोर	वेल्लोर	10	0
29.	विल्लुपुरम	कुड्डालोर	0	272
30.	विरुधुनगर	विरुधुनगर	11	0
	योग		126	771

सफदरजंग अस्पताल की स्थिति

2271. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली की पूरी तरह खराब होती स्थिति की जानकारी है जैसाकि दिनांक 19 सितम्बर, 2005 के ''टाइम्स ऑफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इसमें दर्शाई गई समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) दिनांक 19 सितम्बर, 2005 को 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में ''सफदरजंग सफरिंग, एण्ड देयर इज नो क्योर इन साईट'' शीर्षक से छपा समाचार तथ्यहीन है। सफदरजंग अस्पताल ने उपलब्ध संसाधनों तथा अवसंरचना के

भीतर रोगियों को उपयुक्त उपचार सुविधाएं देना जारी रखा है। तथापि, सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसे आवश्यकतानुसार किया जाता है।

आशुलिपिक वर्ग 'ग' की सीधी भर्ती

2272. **श्री गणेश सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों में वर्ग 'ग' आशुलिपिकों के पद की सीधी भर्ती बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ग 'घ' आशुलिपिकों के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बढ़ा दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ग 'घ' आशुलिपिकों के पदों हेतु नए आवेदनों के कब तक आमंत्रित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) कतिपय मंत्रालयों/विभागों में पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए वर्ष 'घ'' आशुलिपिकों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की संवर्ग संरचना के संबंध में अधिकारियों का एक समूह गठित किया था, जिसने फरवरी, 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपर्युक्त अधिकारियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार के बाद सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की संवर्ग संरचना के बारे में कई निर्णय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न निर्णय शामिल हैं-

(1) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'ग' (वैयक्तिक सहायक) की सीधी भर्ती पर रोक लगाना।

(2) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'घ'' के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए 50 प्रतिशत तथा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से 50 प्रतिशत करके आशुलिपिक ग्रेड 'ग' (वैयक्तिक सहायक) की भर्ती संबंधी पद्धति में परिवर्तन करना।

(3) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'घ' की सीधी भर्ती की शैक्षिणिक योग्यता बढ़ाकर 12वीं करना तथा आरम्भिक कंप्यूटर ज्ञान लागू करना।

उपरोक्त आदेशों के लागू किए जाने के बारे में अपेक्षित कार्यकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं। कंप्यूटर ज्ञान तथा आशोधित शैक्षिणिक योग्यता का प्रावधान करने के लिए सांविधिक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली में संशोधन के लम्बित रहने तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'घ' की भर्ती केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार की जाती रहेगी। आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के स्तर पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग अपने परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार आवेदन आमंत्रित करता है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के रूप में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में शामिल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को 139 अर्हता प्राप्त उम्मीदवार आबंटित किए गए थे।

बेरोजगार युवाओं को पीसीओ बूथ

2273. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने बेरोजगार युवाओं ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) बूथों के लिए आवेदन किया है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन लोगों के बीच पीसीओ बूथों के आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सार्वजनिक टेलीफोन (पीसीओ) आवंटित करने के लिए कोई अलग श्रेणी नहीं है। इन व्यक्तियों को अन्य आवेदकों के समकक्ष माना जाता है। अत: इस श्रेणी के अंतर्गत कोई पृथक सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) बीएसएनएल द्वारा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों सहित 18 वर्ष या इसे अधिक की आयु वाले सभी आवेदकों को उदारता पूर्वक सार्वजनिक टेलीफोन (पीसीओ) आबंटित किए जाते हैं। टेलीफोन कनेक्शन पंजीकरण के अनुसार प्रदान किए जाते हैं बशर्तें कि ऐसा करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

पुराने रोगों का चमत्कारिक इलाज

2274. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को, मीडिया में बार-बार आने वाले विज्ञापनों, जिसमें पुराने रोगों के चमत्कारिक इलाज के दावे किए जाते हैं, की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे विज्ञापनों की सत्यता की जांच हेतु कोई प्रयास किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। कतिपय मामलों में औषध के विज्ञापनों पर नियंत्रण तथा चमत्कारिक उपचार के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने का कार्य औषध और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1952 के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। फिलहाल, इस अधिनियम के दायरे में "उपचार" नहीं आता है। उक्त अधिनियम में संशोधन करना प्रस्तावित है ताकि ऐसे विज्ञापना पर नियंत्रण रखने के लिए इसके दायरे में उपचार को लाया जा सके।

गैलिलिओ सेटेलाइट नैविगेशन प्रोजेक्ट संबंधी समझौता

2275. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ और भारत ने गैलिलिओ सेटेलाइट नैविगेशन प्रोजेक्ट संबंधी कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैलिलियो सिस्टम अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) और एस. के. ग्लोबल नैविगेशन सेटेलाइट सिस्टम (एन.ए.एस.एस.) का वास्तविक विकल्प है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच गैलिलिओ कार्यक्रम में भागीदारी पर नई दिल्ली में सितम्बर 7, 2005 को एक ढांचागत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) और (घ) जी, हां। गैलिलिओ सिविलियन नियंत्रण के अंतर्गत उच्च परिशुद्धता और गारंटीयुक्त ग्लोबल अवस्थिति सेवा प्रदान करने वाली यूरोप की अपनी ग्लोबल नौवहन उपग्रह प्रणाली होगी। पूर्ण रूप से नियोजित गैलिलिओ प्रणाली में 30 उपग्रह (27 प्रचालनात्मक + 3 सक्रिया अतिरिक्त उपग्रह) शामिल हैं, जोकि पृथ्वी के ऊपर 23616 कि.मी. की ऊंचाई पर तीन वृत्ताकार मध्यम भू-कक्षीय (एम.ई.ओ.) तलों में और भूमध्यरेखीय तल के संदर्भ में 56 डिग्री की कक्षीय आनति पर अवस्थित हैं।

नाभिकीय विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

2276. श्री रायापति सांबासिवाराव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नाभिकीय विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव पर कार्य कर रही है;

(ख) क्या यह हाल ही में अमरीका के साथ हुआ नाभिकीय ऊर्जा समझौते से संबंधित है जिसके माध्यम से प्रौद्योगिकी और ईंधन का हस्तांतरण किया जायेगा;

(ग) क्या पीएमओ अवसंरचना समिति की बैठक में योजना आयोग द्वारा विदेशी निवेश की सिफारिश की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त बैठक में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये सिफारिशें भारतीय नाभिकीय विद्युत कंपनियों के लिए फायदेमंद हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दिए गए संयुक्त वक्तव्य में, दोनों पक्षों द्वारा परस्पर कुछ कदम उठाकर अंतर्राष्ट्रीय सिविल परमाणु सहकार का मार्ग खोलने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में, परमाणु विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (छ) दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकानों (एमटीए) ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र के विकार्बनन के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में मान्यता प्रदान की है। स्वदेश के सीमित यूरेनियम संसाधनों के मद्देनजर, एमटीए ने यह

सिफारिश की है कि भारत को अगले 10 से 12 वर्षों में प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क दरों पर टर्न-की आधार पर, परमाणु विद्युत क्षमता में कम से कम 20,000 मेगावाट-ई की अतिरिक्त वृद्धि करनी चाहिए। इसके साथ-साथ, भारत को अगले 12 से 15 वर्षों में एनपीसीआईएल द्वारा तैयार की जाने वाली समान स्तर की क्षमता के लिए प्रतिस्पर्धात्मक शर्तों पर परमाणु ईंधन भी प्राप्त करना चाहिए।

लंबित मामले

2277. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के बारे में 14 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3398 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12 अगस्त, 2001 तक कोट-ऑफ कलेक्टर (दक्षिण) में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 74(4) के अंतर्गत लंबित 62 मामलों में से एक का भी फैसला नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन मामलों को किसी अन्य कलेक्टर के न्यायालय में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मामलों को निपटाने के लिए क्या समय अवधि निर्धारित की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि अभी तक 20 मामलों का फैसला ले लिया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि ये अर्ध-न्यायिक मामले हैं और इनका फैसला सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। इसलिए, कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

सरकारी क्वार्टरों को नया रूप देना

2278. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्वार्टरों का पुनर्विकास करने तथा उनके बाहरी रूप को बेहतर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी राशि निर्धारित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के लिए और क्वार्टर निर्मित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्वार्टरों के कब तक निर्मित हो जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

जल प्रबंधन प्रणाली

2279. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मलिन बस्तियों की स्वच्छता और विकास के अलावा शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन प्रणाली के सुधार को शीर्ष प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन प्रणाली संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। यह मंत्रालय कुशल एवं निरंतर जल आपूर्ति प्रणाली एवं सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन प्रणाली के सुधार को उच्च प्राथमिकता देता है। सेक्टर सुधारों, नामतः क्षमता निर्माण सहित संस्थानिक एवं वित्तीय सुधारों को भी उच्च प्राथमिकता दी जाती है ताकि शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रणाली का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल के संरक्षण, पुनः उपयोग तथा गंदे जल के पुनर्चक्रण जैसे जल संरक्षण उपायों को शामिल करने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन द्वारा मॉडल भवन उप नियम तैयार किए गए हैं और राज्य सरकारों को परिचालित किए गए हैं। जल आपूर्ति परियोजनाओं का निष्पादन और रखरखाव करने वाले कार्मिकों की मदद करने के लिए जल आपूर्ति प्रणालियों के विभिन्न घटकों की योजना बनाने और डिजाइन तैयार करने के

लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के बारे में एक नियम पुस्तिका तैयार की गई है। पीने के प्रयोजन से शोधित किए गए जल के गुणात्मक पहलुओं पर भी इस नियम पुस्तिका में प्रकाश डाला गया है।

शहरी विकास मंत्रालय पहले ही शहरों एवं कस्बों को सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तथा छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम शुरू कर चुका है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य परिसंपत्ति सृजन तथा परिसंपत्ति प्रबंधन के बीच प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करना है ताकि नगरों में बनायी गयी जल आपूर्ति सेवाओं का न केवल अच्छी तरह से रखरखाव किया जाये बल्कि कुछ समय बाद वे स्वपोषित हो जाएं। आधुनिक, प्रोद्भवन आधारित दोहरी लेखा प्रणाली को अपनाना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए ई-गवर्नेन्स लागू करना तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण की पूर्ण लागत या आवर्ती लागत वसूल करने के उद्देश्य को लेकर उचित उपभोक्ता प्रभार लगाने आदि जैसे कुछ अनिवार्य सुधार हैं जो शहरी स्थानीय निकाय तथा/राज्य स्तर पर किये जाने चाहिए। राज्य तथा/शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर किए जाने वाले कुछ वैकल्पिक सुधारों में सभी भवनों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने के लिए उपनियमों का संशोधन, जल संरक्षण उपायों को अपनाना, संरचनात्मक सुधार, सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी आदि शामिल हैं। इन सुधारों से शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार होने की उम्मीद है।

आण्विक खनिजों का भण्डार

2280. डा. एम. जगन्नाथ: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आण्विक खनिजों की संभावनाओं के संबंध में पिछली बार किये गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में पिछली बार किये गए आकलन के अनुसार देश में आण्विक खनिजों का अनुमानित भण्डार कितना है; और

(ग) इन खनिजों की खोज के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) यह विभाग देश में परमाणु खनिजों के सर्वेक्षण और अन्वेषण संबंधी कार्य सन् 1949 से लगातार कर रहा है। झारखण्ड, मेघालय और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में परमाणु खनिजों के विभिन्न भंडारों का पता लगाया गया है।

(ख) यूरेनियम का कुल अनुमानित भंडर 99,880 मीटरी टन U_3O_8 है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में पता लगाए गए अन्य खनिजों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन मीटरी टन में)

राज्य	इल्मेनाइट	रूटाइल	जर्कन	मोनाजाइट	गार्नेट	सिलिमेनाइट
केरल*	95.51	6.61	6.45	1.35	1.19	39.07
तमिलनाडु	97.91	4.82	8.35	1.73	24.38	21.09
आंध्र प्रदेश	100.10	4.42	4.43	2.29	48.99	47.02
उड़ीसा	45.05	1.88	1.44	1.18	32.61	21.23
अन्य	9.85	0.20	0.47	1.44	0.08	1.75
कुल	348.42	17.93	21.14	7.99	107.25	130.16

*इसमें झील और समुद्री तल से निकले संसाधन शामिल हैं।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग ने दसवीं योजनावधि के दौरान परमाणु खनिज के संसाधनों को बढ़ाने के लिए 107 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 7 परियोजनाएं तैयार की हैं।

ग्यारहवीं योजना का दृष्टिकोण-पत्र

2281. श्री ब्रजेश पाठक: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में गैर-सरकारी संगठनों तथा नागरिक निकायों द्वारा दिए गए तथ्यों (इनपुट्स) को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग किसी योजना का दृष्टिकोण-पत्र तैयार करते समय गैर-सरकारी संगठनों तथा नागरिक निकायों सहित कुछे व्यक्तियों, विशेषज्ञों, संगठनों से परामर्श करता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण-पत्र तैयार करते समय भी इसी प्रकार के परामर्श किए जा रहे हैं।

भविष्य उन्मुख परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

2282. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का विचार बहुराष्ट्रीय भविष्य उन्मुख परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों में भाग लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय ऊर्जा भट्टी (आई टी ई आर) ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं तथा उपलब्धियों को स्वीकारा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर (आई टी ई आर) परियोजना में भागीदारी करने में हमारी रूचि दशनि वाले पत्र हाल ही में छः आई टी ई आर पार्टियों नामतः यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया तथा चीन को भेजे गए हैं;

(ग) जी, हां।

(घ) संलयन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं और उपलब्धियों के आधार पर, भारत को आगे और बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाएं

2283. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी विकास संबंधी संसदीय समिति ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के बारे में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने समूह आवासीय समितियों को भूमि आबंटन तथा इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास नीति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सिफारिशें करते समय शहरी विकास संबंधी संसदीय समिति ने न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर्गत आवेदकों का बैकलॉग होने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है।

(ख) बैकलॉग होने का मुख्य कारण यह है कि यह खुली आवास स्कीम थी और इसमें 1,71,272 व्यक्ति पंजीकृत हुए थे।

(ग) और (घ) सिविल रिट याचिका सं. 10066/2004 में उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिणामस्वरूप मंत्रालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से सहकारी समूह आवास सोसायटियों को भूमि आबंटित करने के लिए एक व्यापक नीति बनाने का अनुरोध किया था। डीडीए तथा सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से हुए विचार-विमर्श तथा उसमें प्राप्त सूचना के आधार पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न नीति और प्रक्रियात्मक विकल्पों की जांच की गई और उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामला न्यायाधीन है।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि उन्होंने सहकारी समूह आवास सोसायटियों की कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) प्रमुख अखबारों में विज्ञापन के मार्फत सोसायटियों में रिक्तियों की घोषणा करना और सदस्यता की मंजूरी संबंधी प्रस्तावों के लिए अपत्तियां मांगना अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) सदस्यता स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तथा सोसायटियों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना युक्तियुक्त बना दिया गया है।

(3) वास्तविक सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए समूह आवास सोसायटियों के सभी सदस्यों के लिए स्थायी लेखा संख्या (पेन), बैंक अकाउंट, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो तथा हस्ताक्षर का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) दिल्ली सहकारी सोसायटी नियम, 1973 के नियम 24(2) में संशोधन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए सदस्यों का पंजीकरण एक पारदर्शी और साफ-सुथरे ढंग से हो सके।

(5) निष्क्रिय सहकारी समूह सोसायटियों को पुनः चालू करने पर रोक लगाई गई है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय आपकी अनुमति से, श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2950/05]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): मैं शीतल पेयों, फलों के रस और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशी अवशिष्टों तथा उनके लिए सुरक्षा मानकों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2951/05]

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखा हूं:

(1) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2952/05]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2005, जो 30 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 617 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (ज्येष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 2005, जो 30 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 549 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल.टी. 2953/05]

(2) (एक) गृह कल्याण, केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण, केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2954/05]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2955/05]

(2) निम्नलिखित केन्द्रों के सम्बन्ध में वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2956/05]

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बड़ौदा

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2957/05]

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2958/05]

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चण्डीगढ़

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2959/05]

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2960/05]

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2961/05]

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2962/05]

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गांधीग्राम

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2963/05]

(नौ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2964/05]

(दस) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2965/05]

(ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2966/05]

(बारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2967/05]

(तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, सागर

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2968/05]

(चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2969/05]

(पन्द्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरुअनंतपुरम

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2970/05]

(सोलह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2971/05]

(सत्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2972/05]

(अठारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, श्रीनगर

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2973/05]

(3) उपर्युक्त केन्द्रों के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1468 (अ), जो 6 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लखित औषधि के रूप में मनुष्यों में बाह्य अथवा आंतरिक प्रयोग के लिए आशयित विसंक्रमित उपकरण विनिर्दिष्ट किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2974/05]

(5) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1954 के नियम 68क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 627 (अ), जो 7 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय अनुज्ञप्ति अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा विनिर्माण, विक्रय अथवा वितरण के लिए अनुज्ञप्ति अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा विनिर्माण, विक्रय अथवा वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाने वाली औषधियां विनिर्दिष्ट की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 16 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 664 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2975/05]

(6) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 2005, जो 22 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2976/05]

(7) (एक) नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2977/05]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 2978/05]

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पंद्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रायापति साम्बासिवा राव (गुंटूर): मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिसों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तु करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) उन परिस्थितियों जिनके कारण श्री के. नटवर सिंह, केन्द्रीय मंत्री (निर्विभाग) को वोल्कर समिति रिपोर्ट और उसके बाद के खुलासे के पश्चात् मंत्रिपरिषद में त्यागपत्र देना पड़ा के बारे में।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब विपक्ष के नेता बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शान्ति बनाए रखें। हम यहां मौजूद हैं तथा मैं सबको मौका दूंगा; मेरे कहने का अर्थ है कि सभी नेताओं को मौका दिया जाएगा। कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पूर्व विदेश मंत्री और जो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रत्येक बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त न करें।

[हिन्दी]

यह क्या तरीका है? आप बैठ जाइए। आप इसे छोड़िए।

[अनुवाद]

सभा को चलाना आपका काम नहीं है।

...*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उस माननीय सदस्य, जिसे मैं बुलाऊंगा के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्रवाई वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: पूर्व विदेश मंत्री और कल तक जो विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर थे, श्री नटवर सिंह जी ने कल रात्रि को घोषणा की जो आज प्रात: काल के सब अखबारों में प्रकाशित हुई कि उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने जो कारण बताया, उस पर मुझे आश्चर्य हुआ। क्योंकि *...(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: उन्होंने इस्तीफा दे तो दिया। अब बात खत्म हो गई। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सिंह अब मुझे यह लगता है कि आप सभा में जानबूझकर व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मेरी बात समझिए, अन्यथा मुझे आपको बाहर करना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: वे कह सकते थे कि *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, ध्यानाकर्षण के बारे में क्या हो रहा है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे?

मैं ध्यानाकर्षण के मुद्दे पर भी आऊंगा। कृपया आप अपना स्थाना ग्रहण करें। मुझे लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कृपया जो कार्य चल रहा है, उसे पूरा हो जाने दें। मैंने अनुरोध किया है तथा सभी माननीय नेता सहमत हो गए हैं। हमें सही ढंग से सभा की कार्रवाई चलानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं समझता हूं कि उन्होंने विलम्ब से सही, लेकिन एक सही निर्णय लिया है। उनके इस निर्णय के कारण देश में बहुत सारे लोगों ने संतोष की सांस ली होगी और हम ही नहीं, मुझे विश्वास है कि सरकार में बैठे हुए और सत्ता पक्ष में बैठे हुए अनेक लोगों ने संतोष की सांस ली। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पहले कहा कि अगर ये कहते कि इस सही निर्णय का श्रेय मैं अपने विवेक को देता हूं, मेरे विवेक ने मुझे कहा कि छोड़ देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैंने आप सबसे अनुरोध किया है कि सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें। इसका कारण भले ही कुछ भी हो, परन्तु लगभग दो दिनों तक बैठक नहीं हुई। आज बैठक की व्यवस्था की गई है कि माननीय नेतागण अपनी बात रखेंगे। जब मैं किसी माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुलाता हूं, तो उसके प्रति कुछ शिष्टाचार दिखाया जाना चाहिए। मैं सभा के सभी वर्गों से अपील कर रहा हूं। आइए हम सार्थक चर्चा करें। प्रत्येक दल को अपना विचार व्यक्त करना है। कोई भी किसी अन्य माननीय सदस्य के विचार मानने को बाध्य नहीं है। माननीय नेता, विपक्ष के द्वारा व्यक्त किए जा रहे विचारों को मानने के लिए हर कोई बाध्य नहीं है। अत: आप अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे। मैं इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु मैं सरकार को भी अवसर दूंगा। मेरी आप सबसे पुरजोर अपील है कि आप एक दूसरे के विचार सुनें तथा उचित रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी, आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, मैंने जब भी मांग की है, आपने मुझे सदैव विपक्ष के नेता के रूप में अनुमति दी है, लेकिन मैं यहां बैठे हुए सरकारी पक्ष को कहूंगा कि मुझे स्मरण नहीं कि इतने सालों के इतिहास में कभी किसी विदेश मंत्री जी ने त्याग-पत्र दिया हो। यह इस प्रकार का पहला प्रसंग है और इसीलिए इसे एक महत्वपूर्ण प्रसंग मान कर, कोई भी अगर मांग करता है कि हम इस पर कुछ बोलना चाहते हैं तो इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष जी ने हमें बताया गया कि जो भी माननीय सदस्य और नेता इस पर बोलना चाहेंगे, उन्हें यह बोलने की इजाजत देंगे, इस कारण उन्होंने मुझे भी इजाजत दी है। अगर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

वह कहते कि मैं अपने विवेक की आवाज को सुन कर, आज की परिस्थिति में त्याग-पत्र दे रहा हूं, तो वे इस सही निर्णय का श्रेय अपने को ही देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे अपनी पार्टी की अध्यक्षा को श्रेय दे सकते थे कि उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, खास कर पार्टी की अध्यक्षा ने, उन्हें जब स्टियरिंग कमेटी से हटा दिया तो उनके मंत्रिमंडल के कई साथियों ने कहा कि अब तो उन्हें सार्वजनिक रूप से संदेश मिल गया है, कि उन्हें क्या करना चाहिए। वह अगर ऐसा कहते कि मैं पहले एक बार प्रधानमंत्री जी से मिला था, तब उन्होंने मुझे शुरू-शुरू में कहा था और त्याग-पत्र देने की सलाह भी दी थी। उन्होंने मास्को जाते-जाते कहा कि अगर वे स्वयं आफर करेंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा, ऐसा भी वह कह सकते थे, इस सारे के सारे विवेक को श्रेय दे सकते थे। उन्होंने 40 दिन के बाद सही निर्णय किया है। अगर वे यह निर्णय उसी दिन करते, जिस दिन वोल्कर कमेटी में उनका नाम आ गया था तो शायद उनको बहुत श्रेय मिलता। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, मैं एक शब्द भी इधर-उधर से नहीं कह रहा हूं। *...(व्यवधान)* मैं शब्दों के चयन में हमेशा ही मितव्ययी रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने हमेशा ही आपको मौका दिया है।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अत: वे इसका श्रेय मुझे देते हैं। यह असाधारण है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैंने आज प्रात:काल अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कहा कि उन्होंने एनडीए को क्रेडिट दिया है और कहा है, क्योंकि एनडीए सदन की कार्यवाही नहीं चलने देता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आडवाणी के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्रवाई वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अब आप समझिए कि आपने उनसे कितनी बड़ी गलती करवाई है। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: थोड़ी-थोड़ी टोका-टाकी अच्छी लगती है, लेकिन हर वक्त नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, यह थोड़ी-थोड़ी टोका-टाकी नहीं है, अगर यह थोड़ी-थोड़ी टोका-टाकी होती तो यह गलत सलाह उन्हें कोई नहीं देता, कि यह वक्तव्य दीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट की प्रोसिडिंग्स स्टाल हो रही है, इसलिए मैं दे रहा हूं। अगर इसीलिए दे रहे हैं तो उन्हें कांग्रेस अध्यक्षा ने स्टियरिंग कमेटी से क्यों हटाया? उनको प्रधानमंत्री जी ने और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने स्टियरिंग कमेटी के योग्य नहीं समझा। प्रधान मंत्री जी ने उनको विदेश मंत्रालय के योग्य नहीं समझा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से आपकी बात पूरी हो गई है। आपकी बात कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल कर ली गई है।

अध्यक्ष महोदय: आपके वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया गया है। आप क्या कर रहे हैं? आपके वक्तव्य को पूर्ण रूप से कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया गया है।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदय, मैंने अपना भाषण पूरा नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा को चलाना सम्भव नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं नेता, विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि वे अपना भाषण खत्म करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हिन्दुस्तान के इतिहास में यू एन कि रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय का नाम

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आडवाणी जी, आपने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जी, नहीं। मेरे भाषण का प्रभावी भाग अभी बाकी है। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): महोदय, मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में व्यवहार करने का यह कोई उचित तरीका नहीं है। यह नियम सब पर लागू होता है। 'मैं दूसरे से बेहतर हूं'-इस विचार को त्यागें। यह मैं सबसे कह रहा हूं। मैं यह आपसे भी कह रहा हूं। कृपया आप भी बैठ जाएं। आपको सभा में उचित रूप से व्यवहार करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यह मत कहिए; मैं यह कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, कृपया इस सभा को नियंत्रित करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? यह बहुत अच्छा है। तब मैं इसको रोकता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि वह दो मिनट के लिए बोलना चाहते हैं। मैंने भी उन्हें पूरा अवसर दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें नियंत्रित कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): वह बोलते जा रहे हैं तो क्या करें ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, यह अपनी कह कर के चले जाते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): हम नहीं जाएंगे, आपको भी सुनेंगे, लेकिन पहले हमारे नेता को कहने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हम आपकी बात सुनेंगे ...*(व्यवधान)* हम सभा से बाहर नहीं जाएंगे। हम आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनेंगे। ...*(व्यवधान)* हम सभा से बाहर नहीं जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपना भाषण पूरा करें।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जब से वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। आप शोर क्यों मचा रहे हैं?

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री लाल कृष्ण आडवाणी, आप अपनी बात संक्षेप में कहें। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, आप यहां बहुत लम्बे समय से हैं। अध्यक्षपीठ को सलाह देना बहुत आसान है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे उन्हें नियंत्रित करने की सलाह दे रहे हैं। प्रत्येक पक्ष अध्यक्षपीठ को सलाह दे रहा है। अध्यक्षपीठ से सहयोग किए बिना आप अध्यक्षपीठ को सलाह दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन दोनों सदस्यों को बाहर जाना होगा। मैं अभी आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा। आप ही वह व्यक्ति हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: उनका क्या नाम है? श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, यदि आप एक बार भी खड़े हुए तो मैं ऐसा ही करूंगा। आपको स्वयं पर लज्जित होना चाहिए।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, हम उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे आप केवल धमकी मत समझिए। मैं आपको सभा से बाहर करवा दूंगा। यदि वह मेरी अनुमति के बिना एक बार भी उठेंगे, तो उन्हें सभा से बाहर जाना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां भी कुछ सदस्य ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। अतः कुछ न कुछ करना ही होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ न कुछ करना ही होगा।

मैं इस प्रकार छिन्न-भिन्न होने वाली सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। मैं ऐसा जारी रखने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मुझे हटा दीजिए। किंतु इस तरह का मजाक नहीं चलेगा।

[हिन्दी]

किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। आप सदन के भीतर कुछ करने का वचन देते हैं और बाहर उसके विपरीत करते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, चालीस दिन पहले जब 29 अक्तूबर को वोल्कर रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तब देशभर में यह चिन्ता प्रकट की गई कि उसमें देश के विदेश मंत्री का नाम उल्लिखित है, देश की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी का नाम उल्लिखित है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने उसकी अनदेखी की है। आपके विषय को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं अनदेखी कैसे कर सकता हूं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उसे जानते हैं। आप दीर्घ काल से यहीं हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं यह जानता हूं। वे भी मुझे जानते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया जितनी जल्दी हो सके, समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: तब से सबके मन में चिन्ता थी कि एक व्यक्ति और एक एंटिटी, इनका जो जिक्र है, इन दोनों के बारे में सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई सामने लाने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रधान मंत्री जी ने भी कहा, बाकी प्रमुख लोगों ने भी कहा कि हम उसकी तह में जायेंगे। यहां जब चर्चा हुई थी, तब भी इस बात को कहा गया और मैंने आपको कहा कि एनफोर्समैंट डायरैक्ट्रेट को बहुत सारे रेलवैंट पेपर्स मिले है। मैंने आपसे मांग की थी, अच्छा होगा कि वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट के साथ-साथ वे पेपर्स भी दिए जाएं क्योंकि मेरी जानकारी में बहुत गंभीर आरोप उसमें से उभरकर आए हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह अध्याय समाप्त हो चुका। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। इसे पुनः नहीं उठाया जा सकता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं उसे नहीं उठा रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: उस बारे में आलरेडी इन्क्वारी हो रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे निर्णय पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यदि नटवर सिंह जी कह रहे हैं कि 'मैं दोषी नहीं हूं' तो उन्हें संचालन समिति से क्यों हटाया गया है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे उठाने का कोई लाभ नहीं है। उसका उत्तर कौन देगा?

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आप दोहरे मानदण्ड क्यों अपना रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी टिप्पणी कर दी। श्री लाल कृष्ण आडवाणी आप दोहरे मानदण्ड क्यों अपना रहे हैं–एक नटवर सिंह जी के लिए और दूसरा श्रीमती सोनिया गांधी के लिए? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच और पाठक समिति की जांच समाप्त होने से पहले ही नटवर सिंह जी के यह कहने के बावजूद 'मैं निर्दोष हूं', उन्हें कैबिनेट से त्यागपत्र देने के लिए कहा गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या कहना है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यदि उन्हें इस्तीफा देना ही होगा, तो उसी तरह श्रीमती सोनिया गांधी को भी इस्तीफा देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: किस आधार पर? महोदय, मैं जानना चाहता हूं *...(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, यह अनुचित है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह बहुत ही गैर-जिम्मेदारीपूर्ण वक्तव्य है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका नाम पुकारूंगा। मैंने वचन दिया है और मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आप इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दें। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)* यह गैर-जिम्मेदारीपूर्ण वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही गैर-जिम्मेदारी वाला वक्तव्य है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता को अपनी बात कहने का मौका मिल चुका है। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप उसके बारे में भूल गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने ऐसा क्यों कहा?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। किंतु मुद्दा यह नहीं है। यह प्रश्न का अंत नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

अब श्री प्रभुनाथ सिंह बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका यह व्यवहार बहुत शर्मिंदगी वाला है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आप कार्यवाही वृत्तांत देखें। कुछ आपत्तिजनक भाग का लोप किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे देखूंगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या आपत्तिजनक है? वह श्रीमती सोनिया गांधी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसमें आपत्तिजनक क्या है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। यदि आपको लगता है कि मैं यहां बैठने के काबिल नहीं हूं तो कृपया मुझे बता दे और मैं तुरंत यहां से चला जाऊंगा। किंतु ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहेंगे तो मैं चला जाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। श्री आचार्य आप अपने सदस्य को बैठ जाने के लिए कहें।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): वे लोग पिछले चार दिनों से एक ही मुद्दा उठा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया संक्षेप में, मुद्दे पर ही, बात करें। मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। मैं अपनी वही बात दुहरा रहा हूं। आप अपना पक्ष रखिए। मैं क्या कर सकता हूं? मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा कि एक बार यहां बैठकर श्री संगमा जी ने कहा था, मैं भी वही कह रहा हूं 'मैं इस सभा का अध्यक्ष बन कर शर्मिंदा हूं।'

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): ऐसा नहीं है, सर। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हम बिन्दुवार 2-4 बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। विपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी ने जो बातें रखी हैं, उससे अपने आप को सम्बद्ध रखते हुए हम सिर्फ दो-तीन बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। वोल्कर रिपोर्ट की जो बातें आई हैं और आज अखबार में जो छपा हुआ है, अखबारों में छपने से ऐसा लगता है कि 528 करोड़ रुपये के घपले से संबंधित मामला है और इसी से संबंधित जो चर्चाएं चालीस दिनों से अखबारों और सदन के माध्यम से जो चर्चा हुई है तथा नटवर सिंह जी का जो आज बयान आया है, उससे लगता है कि सदन नहीं चलने के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। यदि यह ठीक बात है तो हम यह कहना चाहते हैं कि सरकारी पक्ष ने एक गलत परम्परा की शुरूआत की है। कारण, विपक्ष को ऐसा लगता है कि जब सरकार से अच्छा काम कराना होगा तो सदन की कार्यवाही स्थगित की जाएगी तभी सरकार अच्छा काम करेगी, इसका मतलब यही निकलता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो चर्चाएं आई हैं, जैसा कि श्री आडवाणी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उसमें नाम आया है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया है। *...(व्यवधान)* हम यह जानना चाहते हैं कि भारत की मिट्टी में नैतिकता होती है। भारत की मिट्टी की नैतिकता जिन लोगों ने स्वीकार की है, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उसे मेरे पास लाएं। मैं देख लूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह, आप बोलना जारी रखें

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कोई नाम नहीं लिया जायेगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

आपका रिकार्ड हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमें तो ये लोग बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, हम सिर्फ आपसे यह कहना चाहते थे कि नटवर सिंह जी ने अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है तो *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक ही बात बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का मतलब होता है सोनिया गांधी और सोनिया गांधी का मतलब होता है कांग्रेस पार्टी। वैसी स्थिति में अब बात साफ हो चुकी है। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: **...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री चंद्रकांत खैरे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे मेरे पास लायें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री चंद्रकांत खैरे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, क्या केवल एनडीए को ही बुलाया जाएगा? ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, क्या केवल आप विपक्ष को ही बुलाएंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सबको बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): क्या मैं दो नामों का सुझाव दे सकता हूं-एक इस ओर से, दूसरा उस ओर से ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): मेरा अलग विषय है। मेरा नाम बुलाया है। ...*(व्यवधान)* मेरा विषय वोल्कर से संबंधित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए न। आपको तो मैंने बुलाया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, वह एक भिन्न मुद्दा उठाना चाहता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। मुझे आपका सुझाव नहीं चाहिए। श्री येरननायडु, मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, वह एक अलग मुद्दा उठाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं। मैंने उसका नाम पुकारा है। आपको मुझे भाषण देने की आवश्यकता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अलग विषय पर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से न्याय चाहता हूं। हिन्दू धर्म के परम पूज्य श्री नरेन्द्र स्वामी जी कल लखनऊ से विमान संख्या आईसी-602 से मुंबई आते समय सिक्योरिटी के लोगों द्वारा उनका राजदण्ड-धर्मदण्ड की स्क्रीनिंग हुई। वहां से आगे विमान की ओर आते समय...*एक इन्सपेक्टर द्वारा उनका राजदण्ड छीन लिया गया और उनका अपमान किया गया।

महोदय, उन्होंने एक धर्मगुरू का अपमान किया है, यह हिन्दू धर्म के सभी लोगों की भावनाओं का अपमान है। विमान पर आते

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

समय उनसे कहा गया कि उनका राजदण्ड पायलट के पास रख दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मुंबई में उतरने के समय उनको रिसीव करने के लिए आए भक्तगण, जो 'जय सियाराम' का नारा लगा रहे थे, उनको इस घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन स्वामी जी के बाहर न आने के कारण जब उनको पता चला कि सीआईएसएफ के उस इन्सपेक्टर द्वारा परमपूज्य स्वामीजी का राजदण्ड छीना गया और उनका अपमान किया गया है, तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उस समय वहां पर भक्तों पर लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं पर लाठी चार्ज किया गया, हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। यह कृत्य सीआईएसएफ के लोगों ने किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि लखनऊ एयरपोर्ट के ...*इन्सपेक्टर और उनके साथियों को तथा मुंबई एयरपोर्ट के सीआईएसएफ के उन दोषी लोगों को सस्पेंड किया जाए। उन दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे से संबंधित सारी कार्यवाही मेरे पास लाएं और नामों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री खैरे, मैंने आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी है क्योंकि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: महोदय, कल से ही इसे टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। मैंने सीआईएसएफ के डीजी को फोन करके बताया कि 'आज तक' चैनल पर इस घटना का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। मैंने स्वयं रात 12.30 बजे तक उसे देखा। इस घटना ने सभी हिन्दुओं की भावनाओं का अपमान किया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से न्याय की मांग करता हूं।

अपराह्न 12.28 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) उन परिस्थितियों जिनके कारण श्री के. नटवर सिंह, केन्द्रीय मंत्री (निर्विभाग) को वोल्कर समिति रिपोर्ट और उसके बाद के खुलासे के पश्चात् मंत्रिपरिषद् में त्यागपत्र देना पड़ा के बारे में – *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री खैरे, मैंने आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी है और आपने इसे सदन में भी उठाया है। अब श्री पवन कुमार बंसल।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, हमें प्रसन्नता है कि पिछले कई दिनों के विघ्न के बाद आज प्रश्नकाल हो पाया और हाउस चल रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको लगता है कि सदन चल रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: मेरी आशा है कि हाउस चलता रहेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी लोगों को क्या हो गया है? आप सभी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। क्या आपने नामांकन पत्र भरते समय जनता को यह बताया था कि आप सभा में जाएंगे और वहां गड़बड़ी फैलाएंगे? क्या आप सभी ने जनता से ऐसा वायदा किया था?

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं।

महोदय, जब कुछ दिन पहले वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट पर यहां स्थगन प्रस्ताव पेश हुआ था, तब उस पर हुई बहस के अन्त में माननीय आडवाणी जी ने जो कहा था, उसमें हमें एक विश्वास बंधा था कि रिपोर्ट में क्या है या क्या नहीं है, उसे उन्होंने देखा है, माना है और आज उसके बाद जब एक कमीशन माननीय न्यायाधीश श्री आर.एस. पाठक जी के अधीन बना है, सभी बातें उस पर छोड़ दी जाएंगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: लेकिन मुझे अफसोस है कि आज के दिन हम अपनी एक-एक बात पर जुडिशियल सिस्टम और संसद, शायद किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपनी ऐसी मान्यता नहीं बनाना चाहता हूं। हमें विश्वास था कि सरकार ने एकदम से जो ऐलान किया है, शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और 10 दिनों के भीतर वहां से कागजात् आ गए थे। यह बात भी हमारे सामने है कि श्री मथरानी ने जो कुछ कहा है, उससे एक आक्रोश, एक आवेश पैदा हुआ था, उसे तो समझा जा सकता है। लेकिन उस बात को हम कहां तक बढ़ाएंगे, क्या हम उसको यह कहेंगे कि वेरीफिकेशन हो गया, ये तथ्य सामने आ गए, यह एविडेंस सामने आ गया? मैं यह बात जरूर याद दिलाना चाहता हूं, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि मैं आडवाणी जी की बहुत कद्र करता हूं। अगर टेलीविजन कैमरे पर कोई चीज आ जाए तो उसे तथ्य नहीं माना जाता है, उसको कहा जाता है कि यह स्टिंग आपरेशन था और इस तरह उसका जस्टीफिकेशन हो जाता है। उसको कहते हैं कि वह गलत था। अगर एक मंत्री रिजाइन करके कल अपनी सरकार के प्रधानमंत्री की गर्दन पर बैठकर मंत्रिपरिषद में वापस आ जाता है तो कहा जाता है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं था। लेकिन यहां एक रिपोर्ट जिसमें कुछ वर्ष पहले कुछ नाम थे, उस पर कहा जाता है कि उसमें आज की सरकार के एक विदेश मंत्री का नाम है। उसको विदेश मंत्री कहकर प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जब हमारे सामने सब कुछ है, जब हमने देख लिया है कि बाहर की सरकारों ने उस रिपोर्ट की कैसे धज्जियां उड़ा दी हैं। बाहर के मंत्रियों ने, संसद सदस्यों ने कैसे धज्जियां उड़ाई, और अब यहां उसे पढ़ा जा रहा है। मैं अदब के साथ, पूरी इज्जत के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे यह उम्मीद नहीं थी, यह ठीक है कि आडवाणी साहब राजनीतिज्ञ है, यह मैं भी जानता हूं कि कम्प्लशंस हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं पूछूंगा कि उन्होंने ...*को क्यों हटा दिया ...*(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं पूछूंगा। मैं यह भी नहीं पूछूंगा कि ...*के खिलाफ क्या इल्जाम थे कि उन्हें हटा दिया गया, यह उनकी पार्टी का मसला है। ...*(व्यवधान)* लेकिन ये कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने कौन सा काम कैसे किया और कांग्रेस में स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य कौन हैं तथा कैसे सदस्य बनाए जाते हैं। मैं उनसे यह उम्मीद नहीं करता था कि उन बातों को ढकने के लिए, वहां से डाइवर्ट करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा का नाम लेंगे। इससे घिनौनी, ...**और गिरावट की बात नहीं हो सकती कि सोनिया गांधी जी का नाम इसमें लिया जाए। कहां है उनका इसमें नाम, क्या आपने उस रिपोर्ट को पढ़ा है? ...*(व्यवधान)* जो कहीं पर कुछ छप गया, आप उसे ही मान रहे हैं। ये हमें सबक दे रहे हैं कि देश का ज्यूरसप्रुडेंस को, हमारे लीगल सिस्टम को अपने शब्दों के जरिए बदलना चाहते हैं। ये इंतजार नहीं करना

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

चाहते कि कमीशन क्या है। अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप उन्हें ले जाकर कमीशन के पास दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आपका यह व्यवहार बहुत लज्जाजनक है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आप भी आरोप लगा रहे थे, अब ये लोग भी लगा रहे हैं। आप बैठ जाएंगे।

श्री पवन कुमार बंसलः मैं इसी संदर्भ में यह बात कहना चाहता हूं कि अखबारों के जरिए ये अपनी राय बनाते हैं, यह इनका अधिकार है। मैं यह नहीं कहता कि इन्हें खुद सोचने की शक्ति और अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए या अखबारों से लें। लेकिन एक बहुत बढ़िया मैगजीन में उस वक्त की सरकार के बारे में भी कुछ छपा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कोई पत्रिका न दिखाएं।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसलः उस वक्त यूपीए की नहीं, बल्कि एनडीए की सरकार थी। इस मैगजीन में छपा है कि एनडीए की सरकार में उस वक्त के तेल मंत्री वहां लोगों को लेकर एक बड़े डेलीगेशन के साथ गए थे। उन्होंने कहा था कि हम इराक के फैसलों के कारण, उसकी बहादुरी के कारण इराक को समर्थन देना चाहते हैं और इराक से तेल लेना चाहते हैं। मैगजीन में यह भी छपा है कि उस वक्त एक एजेंट था, जिसके जरिए ओएनजीसी के साथ सौदे हुए थे और वह एजेंट आज भी हिन्दुस्तान में है। क्या आडवाणी जी इस बात का जवाब देंगे? ...*(व्यवधान)* यह सब मीडिया में छपा है, मैं यह नहीं कहता कि वह साबित हो गया है। ...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। लेकिन मैं उनकी तरह यह नहीं कहता कि यह साबित हो गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण और प्रिस्टीजीयस मैगजीन है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः आप हम लोगों को तो रोक रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं रोक रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है।

[अनुवाद]

यह न कहें। प्रभुनाथ जी, आप बहुत ही अनुचित बात कर रहे हैं। इस प्रकार के आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपका सम्मान करता हूं। आपको भी मेरा सम्मान करना चाहिए। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य का सम्मान करता हूं और आप अध्यक्षपीठ के विरूद्ध कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: लेकिन आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अभी कहा है।

श्री पवन कुमार बंसल: उस वक्त की सरकार के तेल मंत्री के बारे में यह बात एक प्रिस्टीजीयस मैगजीन में छपी है। क्या आडवाणी जी इसका जवाब देंगे? इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपको देश की जनता ने कोई हक नहीं दिया कि आप इस तरह की बातें कहें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, सदन में एक गलत परम्परा हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। आपके नेता बोल रहे हैं। श्री आचार्य, मेरा अनुरोध है कि आप संक्षेप में बात करें।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: 30 तारीख को रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। उसके बाद जब संसद का सत्र शुरू हुआ, तो उस पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हुई। सरकार ने इंटरवीन करके जवाब दिया और प्रतिपक्ष के नेता ने भी उसका जवाब दिया था।

उसके बाद भी तीन दिन तक सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दिया गया। यह गलत परम्परा चलाई जा रही है कि सदन में आकर मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए फोर्स किया जाए। बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी है उससे हम सवाल करना चाहते हैं कि 30 तारीख के बाद उन्होंने कितने आंदोलन सदन के बाहर किये, जुलूस निकाले, संघर्ष किया, कोई मांग की। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल सदन की कार्यवाही बंद की गयी। खुद पॉल वोल्कर जी ने कहा है कि यह रिपोर्ट वैरीफाइड नहीं है।

[अनुवाद]

सबसे पहले मेरी पार्टी ने ही मांग की थी कि एक जांच आयोग गठित किया जाये। यह मांग उन्होंने नहीं की थी। हमने सबसे पहले मांग की और सरकार ने तुरंत हमारी मांग मान ली और जांच आयोग गठित कर दिया। जब तहलका का मामला सामने आया था तो उन्हें क्या हो गया था?

[हिन्दी]

तेल के रेविलिशन का क्या हुआ था। उस समय के रक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया। लेकिन दो महीने के बाद जब कमीशन जांच कर रहा था, जांच खत्म नहीं हुई थी, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, उनको बेकसूर नहीं कहा गया, ले.केन दो महीने के बाद वे रक्षा मंत्री बन गये। मैं पूछना चाहता हूं कि यह दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। यह दोहरा मानदंड क्यों? अपने लिए एक मापदंड और दूसके लिए दूसरा, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तमिलनाडु में जो बाढ़ की स्थिति है, हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर सके। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, हम चाहते थे कि उस पर चर्चा हो, लेकिन वह चर्चा भी नहीं हो सकी। इसलिए सदन की कार्यवाही को बंद करने की यह जो परम्परा डाली जा रही है, इसकी हम निंदा करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको 10 मिनट और देता हूं। तब मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रारंभ करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी, आपको अधिकतम दो मिनट दिये गये हैं। मैं आपको इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह, मैं आपका नाम पुकारूंगा। कृपया सहयोग करें। मैं सभी का नाम पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: हमारी मांग है कि जब रिपोर्ट आये तो देखा जाए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो सबसे बड़ा

लाभार्थी जिसको साथ लेकर माननीय राम नाईक जी गये थे, जिसका ये लोग नाम नहीं ले रहे हैं, उसकी भी जांच हो। जब रिपोर्ट आ जाए तो जो जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें। यदि आपको वही बात कहनी है, तो आप एसोसिएट कर सकते हैं। आपको एक ही बात दुहराने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वे भी यही कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: हमने उनको बोलने दिया है।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अध्यक्ष महोदय, वोल्कर रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी, दोनों ही, लाभार्थी हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये बातें कही जा चुकी हैं। आप उन्हें क्यों दोहरा रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: कांग्रेस ने समझदारी दिखायी है और श्री नटवर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? उस दिन भी मैंने *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, आपने मुझे दो मिनट का समय दिया है। उस समय के समाप्त होने से पहले ही आप मुझे समाप्त करने को कह रहे हैं। *...(व्यवधान)* उस दिन बहस में भाग लेते हुए मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के सात और व्यक्ति भी इसमें संलिप्त थे। *...(व्यवधान)* कांग्रेस को उनके नाम उजागर करने चाहिए। *...(व्यवधान)* उन्हें क्या हो गया है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव,

श्री त्रिपाठी, आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। एक ही बात दोहरा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, कृपया बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री डी.पी. यादव के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ श्री यादव का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा। इसके अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी, आप काफी बोल चुके हैं। आप एक ही बात को दुहरा रहे हैं। आप अपने पिछले भाषण को ही पुनः बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। आप दूसरों की बात कर रहे हैं और स्वयं अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो गया। कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ श्री डी.पी. यादव का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी और कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें। श्री डी.पी. यादव बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, आज जब प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे तब मुझे ताज्जुब और आश्चर्य हुआ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप तभी बोलें यदि कुछ नया कहना हो, अन्यथा, आप स्वयं को इससे सहमत हो जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक ही बात न दोहराएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, कृपया आप हम लोगों की बात भी सुनिए, आप हम लोगों की बात सुनते नहीं हैं। मैं आपसे विनती करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि जब प्रतिपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी एडजर्नमेंट मोशन लाए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट में केवल दो एंटिटीज हैं, तीसरे के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। इसका क्या कारण था? क्या वही कारण था जो ...*के समय जो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे ...*(व्यवधान)* सारे देश ने मीडिया में रिश्वत लेते हुए देखा। उस पर एक भी एफआईआर, एक भी जांच कमीशन आपने नहीं बैठाया। क्या यह दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा, दोहरी चाल नहीं है? जानबूझकर कांग्रेस और श्रीमती सोनिया गांधी का नाम घसीटा जा रहा है, इसलिए जो सच है, वह मैं कहना चाहता हूं। विपक्ष के नेता द्वारा संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय व्यवस्था में संसद को ठप्प करके मांग की जाने की जो प्रथा चलाई जा रही है, वह न केवल अदभुत और अनप्रेसीडेंटिड है, बल्कि एक नई परम्परा को आप स्थापित कर रहे हैं, इसलिए आज कल आपका कोई स्वदेशी जागरण नहीं हो रहा है। विदेशी समिति वोल्कर की रिपोर्ट जब आती है, तब आपकी बुद्धि की कुंडली खुल जाती है। आज कल उनकी कुंडली विदेशी जागरण के द्वारा खुलती है, विदेशियों के द्वारा ये लोग जागृत होते हैं, देश की न्यायिक जांच पर आपको भरोसा नहीं है, देश में श्री आर.एस. पाठक की अध्यक्षता में जो ज्यूडिशियल प्रोब की घोषणा की गई है, उस पर आपको भरोसा नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस तरह से संसार में महाशक्तियों का ध्रवीकरण हो रहा है, इससे यह साफ है कि विकासशील देश हो या तीसरी दुनिया का कोई भी देश हो या भारत जैसा देश उसे संकट में डालने की साजिश विदेशियों के जरिए ही होती है। हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य में अपने देश को या तीसरी दुनिया के देश को अमरीका के इशारों पर ब्लैकमेल करने का आप एक रास्ता खोल रहे हैं। हिंदुस्तान को यूएसए के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। दूसरे देश के द्वारा जांच कमेटी बैठाकर उन तथ्यों को, जिनमें हिंदुस्तान के व्यापक हित हैं, भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है, उसे प्रभावित करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है, अब आप बैठ जाइए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जब तहलका प्रकरण हुआ था, उस समय इन लोगों की नैतिकता कहां चली गई थी, तत्कालीन रक्षा मंत्री से लेकर कई अन्य लोग भी इसमें शामिल रहे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उस समय इनकी नैतिकता कहां चली गई थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री मोहन सिंह बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इनका दोहरा चरित्र है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया सहयोग दें।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः अपनी गरिमा बनाये रखें। आप सभी इस देश के सम्मानित नेता हैं। कृपया व्यवहार करे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, ...।

अध्यक्ष महोदयः आप लोग सुधरेंगे नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः क्या मेरी हिंदी ठीक है?

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): महोदय, आप हमेशा हिंदी ही में बोलिए।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने अध्यक्षपीठ से कहा कि आपको शर्म लग रही है कि आप वहां बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम गौरान्वित हैं कि आप जैसा अनुभवी और श्रेष्ठ व्यक्ति इस आसन पर विराजमान है और इसलिए हम आपका अभिनन्दन करते हैं।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): मैं इससे अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, हमें आप पर गर्व है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंहः महोदय, यदि इस टिप्पणी को आप सदन की कार्यवाही से निकाल दें, तो अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठकः महोदय, हमें आप पर गर्व है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंहः इसके साथ ही साथ हमने श्री नवटर सिंह के त्याग-पत्र की मांग की थी। आज उन्होंने त्याग-पत्र की घोषणा की। मैं इसका स्वागत करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगला बजट सत्र शुरू होने से पहले जस्टिस पाठक कमीशन की रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। श्री नटवर सिंह के संबंध में अखबारों में यह खबर आई है कि प्रधान मंत्री जी ने उनसे पहले ही दिन आग्रह किया था कि वह अपने पद से त्याग-पत्र दे दें। उन्होंने वायदा भी किया था लेकिन जब वह परिवार में गए तो परिवार वालों ने उनको त्याग-पत्र देने से मना कर दिया। मुझे खुशी है कि यूपीए की चेयरपर्सन ने उनको त्याग-पत्र देने के लिए राजी किया। यह और अच्छी बात होगी कि यूपीए की चेयरपर्सन उनको राजी करने के साथ-साथ, कमीशन की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी सदन के सामने प्रस्तुत करें जिससे पूरा देश इस बात से अवगत हो सके कि क्या सच्चाई है और कौन-कौन से व्यक्ति शामिल हैं? श्री नटवर सिंह ने सदन के बाहर यह बात कही थी कि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका खुलासा वह सदन के भीतर करेंगे। मुझे इस बात पर अफसोस है कि वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट पर इस सदन में सम्पूर्ण दिन बहस हुई लेकिन नटवर सिंह नहीं आए। सदन के नियमों में यह प्रावधान है कि जो कोई भी मंत्री अपने पद से त्याग-पत्र देता है, वह त्याग-पत्र देने के कारणों से और उससे संबंधित विषयों पर एक वक्तव्य देता है। सदन के बाहर उनका वक्तव्य था कि वह सदन के भीतर पोल खोलेंगे और इसके पीछे जो षडयंत्र है, उसका खुलासा करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि अब समय आ गया है जब उनको सदन में बुलाया जाए और षडयंत्र का खुलासा किया जाए। इस संबंध में आग्रह करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः वह राज्य सभा के सदस्य हैं। वह अभी यहां नहीं आ सकते।

श्री गुरूदास दासगुप्तः महोदय, मैं श्री आडवाणी जी का प्रशंसक हूं, मैं लंबी अवधि तक राज्य सभा में उनके साथ रहा हूं। किंतु मुझे बहुत दुख हुआ है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः यह सामान्य बात है। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): अब वह हाईजैक हो गये हैं। पहले वह हाईजैक नहीं थे। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्तः मुझे उनको वक्तव्य से बहुत दुख हुआ है। क्यों ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंहः यह 24 घंटे शाक्ड रहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्तः महोदय, इन टिप्पणियों से अधीर मित्रों का धैर्य खो बैठना सामान्य बात है। ...*(व्यवधान)* मैं आपकी

[श्री गुरूदास दासगुप्त]
अधीरता का सम्मान करता हूं किंतु कृपया आप हमारे धैर्य का सम्मान करें। हम आपकी अधीरता का सम्मान करते हैं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, स्थिति इस तरह है। मुझे दुख क्यों हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया कुछ विनोद का वातावरण बनाएं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: जी हां, श्रीमान ...*(व्यवधान)* श्री आडवाणी मंत्री के रूप में श्री नटवर सिंह के इस्तीफे का श्रेय ले रहे हैं। वह ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मुद्दा यह है। मैं जानता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा, "क्योंकि संसद को अवरूद्ध किया जा रहा है, अतः उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मैं उनका सम्मान करता हूं। क्यों? इसलिए नहीं कि उन्होंने संसद के अवरूद्ध होने का श्रेय दिया है। उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया था ताकि संसद चल सके। यह व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता है। और श्री आडवाणी सभा के कार्य को रोकने का श्रेय ले रहे हैं। यही अंतर है ...*(व्यवधान)* श्री आडवाणी व्यवस्था को अवरोधित करने का श्रेय ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बदौलत संसद सदस्य के रूप में यहां है। श्री आडवाणी जी अपनी बदौलत यहां हैं और मैं अपनी बदौलत यहां हूं। मुझे अत्यंत दुख हुआ क्योंकि श्री आडवाणी चालू सत्र के दौरान संसद को 72 घंटे तक न चलने देने का समर्थन कर रहे हैं। 72 घंटे तक संसद का कार्य बाधित हुआ। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह श्री नवटर सिंह के कारण है ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: जी हां।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप उनसे इस्तीफा मांगें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं मांग रहा हूं। मैं उस बिंदु पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरूदास दासगुप्त, कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, यदि उनका विश्वास है कि श्रीमती सोनिया गांधी इसमें संलिप्त हैं तो उन्हें उनका इस्तीफा मांगना चाहिए और अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* सभा को बाधित किये बिना आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। आप वह ला सकते थे क्योंकि और कोई उपाय नहीं था। क्योंकि अन्यथा आपको पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और आप उन्हें सत्ता से नहीं हटा सकेंगे। आप संसदीय प्रणाली को भी नहीं हटा सकते हैं। ...*(व्यवधान)* अतः मुद्दा यह है कि सर्वाधिक वरिष्ठ संसद सदस्य होने के नाते श्री आडवाणी संसद के बाधित होने का समर्थन कर रहे हैं और उसका श्रेय ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य: नहीं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं यह कहना चाहता हूं कि उपाय था और वे अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे।

राजनयिक के 'अपहरण' के मुद्दे पर, वे उच्चतम न्यायालय में जा सकते थे, और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकते थे। उन्होंने संवैधानिक उपचार को नहीं अपनाया। उसके बिना वे संसद की कार्यवाही को रोकने का संविधानेत्तर रास्ता अपना रहे हैं, जब से यह सरकार सत्ता में आई ...*(व्यवधान)* वे विश्वास नहीं कर सकते कि वे हार गए हैं और उन्हें यह विश्वास भी नहीं हो रहा कि सरकार है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो चुका, अब समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* हमने मांग की है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: आप कृपया जाएं और इसमें शामिल हों। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरूदास दासगुप्त की बात को छोड़कर कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा। श्री पाठक, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: यही संस्कृति का स्तर है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, हमने सुझाव दिया था कि बीजेपी की मुहिम को आगे न बढ़ने देने के लिए श्री नटवर सिंह को पहले ही त्यागपत्र दे देना चाहिए था। हमने ये कहा था।

अंत में, मैं कहूंगा कि शैतान भी अपनी बात को सही ठहराता है। जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, उसका औचित्य था। इसी प्रकार, आज संसद की कार्रवाई रोकने का औचित्य है। महोदय, वे भारतीय संसदीय लोकतंत्र का नाश करने पर उतारू हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, मैं इसकी और इजाजत नहीं दे सकता। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्तः महोदय, यही कारण है कि मैं श्री आडवाणी के वक्तव्य पर इतना स्तब्ध था।

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें। अब, संसदीय कार्य मंत्री

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी जगह पर बैठिए। आप उन्हें बोलने दें; आप पहले ही बोल चुके हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): हमने विपक्ष के गण्यमान्य नेता श्री आडवाणी जी, विपक्ष के अन्य सभी नेताओं, यूपीए में शामिल मित्रों और अन्य नेताओं की बात सुनी है।

पहले ही दिन से, हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि सत्र आरंभ होने से पहले हमें सच की तह तक जाना चाहिए। यह बात देश के प्रधान मंत्री तक ने इस सदन में ही नहीं वरन् दूसरे सदन में भी एक बार नहीं, कई बार दोहरायी है।

यह सच है, कल रात श्री नटवर सिंह ने सार्वजनिक रूप से अपना दृष्टिकोण, अपने त्यागपत्र का कारण बताया। यदि उससे आडवाणी जी और विपक्ष को संतुष्टि और श्रेय मिलता है, तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उन्हें इससे खुश हो लेने देता हूं। आज प्रश्न है-यह बहुत महत्वपूर्ण है-सरकार के खिलाफ आरोप, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण-निराधार है। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप इस सदन के जीते जागते सबूत हैं, और हमारे विपक्ष के गण्यमान्य नेता आडवाणी जी भी। यूपीए का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है और जब हमने अपना कार्य आरंभ किया तो पहले ही दिन, हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था और यदि कोई संदेह हो, कोई विवाद हो अथवा किसी प्रकार का कोई मुद्दा उठे, जिसमें अन्दर अथवा बाहर से कोई एजेंसी शामिल हो, तो हमारी सरकार उस पर दृढ़ता से कार्रवाई करेगी।

अब मैं वोल्कर समिति की रिपोर्ट के बारे में और बात नहीं करूंगा। हमने इस पर बहस कर ली है; हमने उसका भी जवाब दे दिया है और यह पर्याप्त है। उसके बावजूद, यदि वे इन दोनों मुद्दों पर ही बार-बार बोलते हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि इन्क्वायरी समाप्त की जाए। यहां, मैं श्री मोहन सिंह का उनके टिप्पणी के लिए धन्यवाद करता हूं; इस सरकार का कार्य होगा कि वह यह देखें कि जांच कराई जाए और उसका परिणाम जल्दी आए।

दो दृष्टिकोण हैं; वोल्कर समिति की रिपोर्ट, विदेश से संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी।

अध्यक्ष महोदयः उसकी बात न करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः मैं इस बात का उल्लेख करूंगा चूंकि आडवाणी जी ने हमारी राजनैतिक नैतिकता और संसद की प्रतिष्ठा का मुद्दा उठाया था। आडवाणी जी यह सच नहीं है, जब हम विपक्ष में थे, तो हमने अपने विरोध को रक्षा मंत्री के प्रश्न विशेष तक ही सीमित रखा। हमने अपना विरोध केवल उसी प्रश्न तक सीमित रखा। हमने सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डाला बल्कि हम बाहर चले जाते थे। इसके विपरीत आपने एक नीति अख्तियार की है ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः यह एक गलत वक्तव्य है। आपने सदन की कार्यवाही को 21 दिन तक रोका ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः क्या आप दिन गिन रहे हैं? कृपया दिन मत गिनें। हम एक-दूसरे की बात सुनने को बहुत आतुर हो रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः हम चर्चा की मांग कर रहे थे। 21 दिन बाद भी, तत्कालीन प्रधानमंत्री सदन में लोक सभा में अथवा राज्य सभा में एक बार भी नहीं आए। फिर भी, हमारे प्रधानमंत्री पहले ही दिन सदन में आए थे। यही अंतर है हम सदन के प्रति जवाबदेही और सम्मान दर्शाते हैं। मैं अब इस पर बहस नहीं करना चाहता। यह डा. मनमोहन सिंह ने स्पष्ट दिखा दिया है।

मैंने विपक्ष के नेता और देश के विख्यात नेता, श्री आडवाणी जी से यह कभी आशा नहीं की थी कि वे राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमारे दल के नेता का नाम घसीटें। आडवाणी जी आप यह जान लें कि हमारा कांग्रेस के बाहर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां से ये आदेश मिलता है कि किसी व्यक्ति को पद खाली करना है अथवा पद पर बने रहना है। आप बाहरी आदेश के शिकार बन सकते हैं, हम नहीं। यही अन्तर है। हमारे नेता को बाहर से कोई स्थानांतरण आदेश नहीं मिलता है। आपको बाहर से

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

स्थानांतरण आदेश मिलता है। अतः, कृपया हमें राजनीतिक नैतिकता के बारे में सलाह न दें। जिस दिन हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष बने, आप खिन्न हो गए। आपने हमें कम से कम एक श्रेय तो दिया है। ...*(व्यवधान)* श्री पाठक, जब आपने त्यागपत्र दिया, मैंने आपको बचाया था। कृपया उस बात को मत भूलें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री दासमुंशी की बात के अलावा कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः मैं अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि हमें पता है कि जिस दिन हमारे नेता ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पदभार संभाला, उन्होंने आपके मन और दर्शन के लिए कितनी समस्या खड़ी कर दी थी। जितनी ही आप हमारे नेता की आलोचना करेंगे, उतनी ही यह बात साबित हो जाएगी कि हम वैचारिक दृष्टि से सही थे। मैं आपको बता दूं कि श्रीमती सोनिया गांधी न केवल हमारी नेता हैं, वह अन्य लोगों के समस्त साम्प्रदायिक और इरादों को ध्वस्त करने के लिए देश के प्रगतिशील राजनीतिक आंदोलन का भी नेतृत्व कर रही हैं।

आडवाणी जी आज बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने श्री सिंह को श्रेय दिया। मुझे पता है कि अपने पाकिस्तान यात्रा, सुदर्शन कैम्प और अन्ततः उमा के कारण, बहुत से अश्रेय लेने के बाद, उन्हें एक श्रेय मिला है। उन्होंने सोनिया जी को श्रेय दिया। देश की प्रधानमंत्री न बनकर, उन्होंने एक स्त्री को अपना सिर मुड़ाने से बचा लिया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः अध्यक्ष जी, जो जवाब दिया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों हैं-एक श्री नटवर के लिए और दूसरा श्रीमती सोनिया गांधी के लिए? ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे। इसलिए मैं प्रोटैस्ट में वाकआउट करता हूं।

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

---

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.59½ बजे

(दो) महाराष्ट्र देश के अन्य भागों में किसानों द्वारा कथित आत्महत्या के बारे में।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री गीते किसानों से संबंधित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहते हैं। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति प्रदान की है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): अध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, आपने वादा किया है कि आप मुझे बोलने के लिए अनुमति प्रदान करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें। मैं जानता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि श्री गीते आम आदमी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहे हैं मैंने उन्हें यह मामला उठाने की अनुमति प्रदान की है। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें। मैं आश्वास्त हूं कि सरकार उनकी बात सुनेगी। कृपया सहयोग करें।

श्री किन्जरपु येरननायडुः महोदय, मैं एक मिनट के लिए बोलना चाहता था।

अध्यक्ष महोदयः बोल्कर बहस समाप्त हो गई है। कृपया और न बोले।

श्री किन्जरपु येरननायडुः महोदय, मुझे एक मिनट बोलने के लिए अनुमति प्रदान करें। मैं न तो एनडीए और न ही यूपीए से संबंध रखता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने श्री गीते को पुकारा है। ये ऐसे मामले हैं जिन्हें उठाया जाना चाहिए और मैं माननीय सदस्यों को ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए अनुमति दूंगा। श्री गीते, कृपया मामले को उठाएं।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, पिछले एक साल में महाराष्ट्र में 1200 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं कीं। दुर्भाग्यवश इस सदन में मुझे यह कहना पड़ रहा है कि किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले में राज्य की सरकार पूरी तरह असफल रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया राज्य सरकार का उल्लेख न करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं उनकी फंक्शनिंग पर नहीं बोल रहा हूं। इसी कारण कल महाराष्ट्र विधान सभा के सभागृह में एक विधायक ने इन 1200 किसानों की आत्महत्या के मामले में सरकार की विफलता पर आत्महत्या करने का प्रयास किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, यह गंभीर मामला है। यह भले ही राज्य से जुड़ा हो लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और एक साल में 1200 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं तो उसके कई कारण हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में रोजाना आठ घंटे से ज्यादा लोडसैडिंग हो रही है। कभी-कभी तो 12 घंटे से ज्यादा बिजली गायब रहती है। बिजली की काफी किल्लत है। इसके कारण वे किसान जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है, जिन्होंने अपने बीज बोये हैं, फसल लगाई है, जब सुबह खेतों में पानी देने का समय होता है तो बिजली गायब रहती है। पानी है, पम्प है लेकिन बिजली न होने के कारण फसल को पानी नहीं मिल पाता है और पूरी फसल खत्म हो रही है। जिन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से किसानों ने ऋण लिया है, वे उसको वसूल करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं-किसी पर अटैचमैंट आ रही है, किसी का मकान और किसी के खेती के उपकरण जा रहे हैं। वहां का लैन्ड डैवलपमैंट बैंक जिसको महाराष्ट्र सरकार ने वाइंड अप कर दिया था, अब उनकी कार्रवाई शुरू है। किसान परेशान हैं। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री का दो दिन पहले बयान था कि महाराष्ट्र के जिन किसानों ने साहूकारों से लोन लिया है और उनके शिकंजे में फंसे हैं, उस ऋण के बोझ के कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं। यह कहने के सिवाय सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और विशेषकर कृषि मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि यह मामला किसी एक राज्य का नहीं रहा है। जब आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्याएं कीं तो प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह तुरंत वहां पर गए, वहां किसानों से भेंट की और वहां के लिए अलग से एक पैकेज दिया गया। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि पिछले एक साल में महाराष्ट्र में 1200 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं कीं लेकिन प्रधान मंत्री जी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। भारत सरकार भी इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वहां के किसानों को, खास तौर से कपास और गन्ना का उत्पादन करने वाले किसानों को आत्महत्याओं से बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए जिससे किसानों की मदद की जा सके। जिस प्रकार आंध्र प्रदेश को सहायता दी गई, उसी प्रकार महाराष्ट्र को भी सहायता मिलनी चाहिए। इस गंभीर मामले को उठाने के लिए महाराष्ट्र विधान सभा में एक विधायक को आत्महत्या करने की नौबत आ गई और वह अपना बलिदान करने के लिए तैयार हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आशा करता हूं कि वे घायल नहीं हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि वे सुरक्षित हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भविष्य में हमारे किसान आत्महत्या न करें, इसके लिए भारत सरकार की ओर से महाराष्ट्र सरकार को एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे उम्मीद है कि मामले पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रत्येक व्यक्ति का नाम पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप इतने इम्पेशेन्ट क्यों हैं?

[अनुवाद]

आप सभा को कार्य संचालन क्यों नहीं करने देते? यह आपकी सभा है।

[हिन्दी]

ऐसा करने से क्या फायदा होगा?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: निम्नलिखित माननीय सदस्य ने स्वयं को भी अनंत गंगाराम गीते द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध किया है।

श्री हंसराज जी. अहीर

श्रीमती भावना पी. गवली

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे

श्री अनंत गुढ़े

श्री चंद्रकांत खैरे

श्री प्रकाश परांजपे

श्री बसुदेव आचार्य

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं भी गीते जी की बात से अपने को संबद्ध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता अच्छे ढंग से बोले हैं, उसको डाइल्यूट मत कीजिए।

[अनुवाद]

क्या कोई और भी अपने आपको इस मुद्दे से संबद्ध करना चाहते हैं?

[हिन्दी]

हम चाहते हैं कि आप इस मुद्दे को उठाएं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, कृपया इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप नोटिस देंगे, तभी इस पर विचार होगा।

[अनुवाद]

श्री गीते, इस मामले को उठाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, हम श्री गीते द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से अपने को संबद्ध करते हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, स्वयं को इस मामले से संबद्ध करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल के वायानाड जिले में ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव): महोदय, किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर मेरा नाम भी संबद्ध किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आप सभी का नाम इस मुद्दे पर संबद्ध कर लिया है। हमने भी सरकार को कहा है कि इस मुद्दे पर खास ध्यान देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके नाम रिकार्ड कर लिये गये हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.06 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ से हुई हानि से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

मैं यहां यह घोषणा करता हूं कि आज भोजनावकाश नहीं होगा और अपराह्न दो बजे विश्व व्यापार संगठन के संबंध में नियम 193 के अधीन चर्चा होगी। मैं माननीय सदस्यों से इस चर्चा में भाग लेने के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। मैं उनसे संक्षिप्त चर्चा करने तथा विषय को दोहराए बिना विषय पर ही बोलने का अनुरोध करता हूं ताकि हम एक उचित तरीके से इस महत्वपूर्ण चर्चा को समाप्त कर सकें।

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामलों पर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें:

> ''तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ से हुई हानि से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।''

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को वक्तव्य मिल गया है और इसलिए वक्तव्य को सभा पटल पर रखा जा सकता है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): चालू वर्ष के दौरान, तमिलनाडु में जल्दी-जल्दी तीन बार भारी वर्षा और बाढ़ आई। पहली बार अक्तूबर के दूसरे पखवाड़े में और दूसरी बार नवम्बर के पहले सप्ताह में जबकि तीसरी बार नवम्बर, 2005 के अंतिम सप्ताह में भारी वर्षा हुई और बाढ़ आई।

इसी माह के दौरान 187.1 मिमी सामान्य वर्षा की तुलना में राज्य में माह अक्तूबर, 2005 में ही 291.66 मि.मी. वर्षा हुई थी। पहले दो दौरों में, चेन्नै जिले में सामान्य वर्षा का 172% कांचीपुरम में 88%, तिरुवल्लूर में 111%, कुड्डालोर में 58% और नागापट्टनम में 52% वर्षा हुई। अधिक वर्षा होने और मेत्तूर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ से 18 जिले प्रभावित हुए।

वर्षा और बाढ़ के पहले दो दौरों में, 3.90 लाख मकान, 89,653 हेक्टेयर कृषि फसलें, 15,627 कि.मी. सड़कें प्रभावित होने की सूचना मिली है जबकि 137 लोग मारे गए हैं। लगभग 3.28 लाख परिवारों को वहां से हटाया गया था और राहत शिविरों में रखा गया।

21.11.2005 से 24.11.2005 के बीच तीसरे दौर में, 262.68 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गयी जिसके परिणामस्वरूप राज्य के 15 जिलों में बाढ़ आई। कावेरी डेल्टा जिले नामत: कुड्डालोर, नागपट्नम, तंजावुर, तिरुवरुर और त्रिची जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए। इन 15 जिलों के 3,738 गांवों का 34.41 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई। 179 लोग मारे गए और 3.82 लाख मकान (झोंपड़ियां) या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई।

तमिलनाडु के बहुत से सेक्शनों में रेलवे ट्रैक जलमग्न होने और कई स्थानों का सफाया होने की सूचना मिली है। क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे में 29,000 कि.मी. सड़क, लगभग 6,441 सिंचाई टैंक और 3459 नदी तट और चैनल शामिल हैं। पुल और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुई हैं जिसके कारण प्रभावित जिलों में सामान्य यातायात में व्यवधान पड़ा है। राज्य में 3.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है।

तमिलनाडु राज्य सरकार ने राहत और बचाव अभियान चलाये हैं। लगभग 11.51 लाख लोगों को हटाया गया और 1349 राहत शिविरों में रखा गया है। बताया जाता है कि राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को 46.52 लाख खाने के पैकेट वितरित किये हैं, 325.60 लाख रुपये नगद दान और 3.31 लाख कि.ग्रा. चावल दिए हैं।

सेना, वायु सेना, नौसेना और तटरक्षक ने बचाव और राहत अभियानों में राज्य प्रशासन की सहायता की। असहाय लोगों को खाने के पैकेट गिराने के लिए 5 हेलीकाप्टरों (वायु सेना-03, तटरक्षक-02) को तैनात किया गया था। राहत अभियानों के लिए कुड्डालोर के निकट तटरक्षक के 2 जहाजों को तैनात किया गया था। भारतीय सेना की चार टुकड़ियों की मांग की गयी थी।

मैंने, माननीय वित्त मंत्री, मेरे सहयोगी श्री रघुपति तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 26 और 27 नवम्बर, 2005 को राज्य के 15 प्रभावित जिलों में से 9 का हवाई दौरा किया था। तमिलनाडु सरकार के सदस्यों ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था।

तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन, में राज्य सरकार ने बाढ़ के सभी तीनों दौरों हेतु प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियानों के लिए 13,685.00 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता 2.58 लाख मिट्रिक टन चावल तथा 43,200 कि.लि. अतिरिक्त मिट्टी के तेल के आवंटन की मांग की है। एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीम ने क्षति का आकलन करने के लिए 17 से 20 नवम्बर, 2005 तक तथा दोबारा 28 से 30 नवम्बर, 2005 तक राज्य का दौरा किया था।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने मुख्यत: राहत के वास्ते तत्काल तमिलनाडु राज्य के लिए 29.11.2005 को 500 करोड़ रु. का तदर्थ अनुदान जारी किया है। चालू वर्ष के लिए सी आर एफ के केन्द्रीय अंशदान के 78.40 करोड़ रु. की

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

प्रथम किश्त भी 14.11.2005 को राज्य सरकार को जारी की जा चुकी है।

कर्नाटक राज्य के संबंध में, मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि राज्य में वर्ष 2005 के दौरान तीन बार भारी वर्षा और बाढ़ आई। जुलाई और अगस्त, 2005 के महीनों में प्रथम दौर में भारी वर्षा और जलाशयों से अधिक मात्रा में पानी छोड़ने के कारण मुख्यत: पांच जिलों नामत: बेलगाम, बीजापुर, बगलकोट, गुलबर्ग तथा रायचुर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। तटीय मालनाड जिले तथा कुछ आंतरिक जिले भी प्रभावित हुए। कुल 29.05 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई तथा 130 व्यक्ति मारे गए। 88,548 घर क्षतिग्रस्त हुए तथा 1.96 लाख हैक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ।

राज्य सरकार ने भारत सरकार को दो ज्ञापन प्रस्तुत किए थे जिनमें जुलाई और अगस्त, 2005 में पहले दौर में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुई क्षति 3640.07 करोड़ रु. दर्शाई गई है।

सी आर एफ के केन्द्रीय अंशदान की 86.00 करोड़ रु. की दोनों किश्तें राज्य को जारी की जा चुकी हैं। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, एन सी सी एफ से 357.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त तदर्थ सहायता जारी की गई थी। आशा की जाती है कि ये निधियां मुख्यत: राहत के लिए इस्तेमाल की जाएंगी।

क्षति के आकलन के लिए 17 से 20 अगस्त, 2005 के बीच केन्द्रीय टीम ने राज्य का दौरा किया था। उच्च स्तरीय समिति ने सी आर एफ खाते में शेष राशि के समायोजन के अध्यधीन राज्य के लिए 255.05 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता तथा राहत रोजगार के लिए एस जी आर वाई के विशेष घटक के अन्तर्गत 0.72 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी करने का अनुमोदन है।

20 और 21 सितम्बर, 2005 को बाढ़ के दूसरे दौर में सभी प्रमुख नदियों में ऊफान आया जिसके कारण तीन जिलों नामत: बेलगाम, बीदर और गडग में अचानक तेज बाढ़ आई। इस दौर में 134 राजस्व गांवों में 13,067 व्यक्ति प्रभावित हुए जबकि 950 मकान क्षतिग्रस्त हुए। 56,584 एकड़ फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ।

तीसरा दौर, बंगाल की खाड़ी में हुए कम दबाव और स्थानीय बवंडर के कारण अक्तूबर, 2005 के अंतिम सप्ताह में आया। कनार्टक के बैंगलोर शहर, बैंगलोर ग्रामीण, मैसूर, मांडिया, चामराजनगर, दावणगेरे, हसन, कोलार तथा रायचूर जिलों में भारी वर्षा हुई। बैंगलोर शहर में व्यापक जल प्लावन हुआ, सड़कों पर बाढ़ आई, सड़क संचार अवरुद्ध हुआ, मकान और रेलवे पुल ढह गए जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में गाड़ियां रद्द करनी पड़ीं। लगभग 21,000 मकानों के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण 2130 पशु तथा 30 व्यक्ति मारे गए। 500 से अधिक टैंकों में दरारें पड़ गईं जिसके कारण लगभग 60,000 एकड़ में खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ। 500 से अधिक पुल और पुलिया बह गईं।

केन्द्र सरकार ने बचाव और राहत अभियानों में राज्य सरकारों की सहायता हेतु वायु सेना के हेलिकाप्टरों, सेना की नौकाओं, सेना की टुकड़ियों और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती की है।

राज्य सरकार ने दूसरे और तीसरे दौर की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियानों के लिए 1256.90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है। क्षति का आकलन करने हेतु नवम्बर, 2005 के दूसरे सप्ताह के दौरान दूसरी केन्द्रीय टीम की तैनाती की गई। केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट अब प्राप्त हो चुकी है तथा इस पर कार्रवाई की जा रही है।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रभावित क्षेत्रों के साथ-साथ बाढ़ प्रभावित अन्य राज्यों को प्रदान की जा रही सहायता केवल तत्काल राहत और बचाव अभियानों के लिए है। जहां तक दीर्घकालीन पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध का संबंध है, भारत सरकार को राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाएं प्राप्त होने की आशा है जिनकी योजना आयोग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) द्वारा उचित और अनुकूल कार्रवाई के लिए जांच की जाएगी।

मैं, सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चालू वर्ष के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों को सभी आवश्यक अपेक्षित सहायता प्रदान करेगी।

डा. चिन्ता मोहन: यह वर्ष विनाश का वर्ष हो गया है। एक तरफ पहले ही हमारे यहां सुनामी हुआ और दूसरी तरफ बाढ़ आ गई ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आईये अब हम सभी सभा के इस अत्यंत महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग करें।

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, मैंने जीवन में पहली बार चेन्नई में बाढ़ देखी जहां लोगों को गली-गली में नाव पर सवार होकर जाना पड़ा। गरीब लोगों की झोपड़ियां पूरी तरह से डूब गईं। उन्होंने अपना जीविकोपार्जन गंवा दिया; बर्तन गंवा दिए और अब

उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिससे उन्हें सहारा मिल सके और वे कठिनाई में हैं। दूसरी तरफ, किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। उनकी फसलें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। मात्र 10 दिनों में ही राज्य बाढ़ से चार बार तबाह हो गया। अब हम यह मानकर चल रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में भयंकर चक्रवात आ सकता है जिससे पुनः बाढ़ आने की संभावना है। इसका तात्पर्य यह है कि 10 दिनों के भीतर ही हमें पांचवीं बाढ़ से जूझना पड़ेगा। निर्धन लोगों, किसानों, हथकरघा बुनकरों, मछुआरों और कृषि श्रमिकों का जीवन पूरी तरह से चौपट हो गया है।

महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सरकार ने तमिलनाडु राज्य को 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है और इतनी ही राशि की सहायता आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य को दी गई है। यहां मैं एक बहुत ही साधारण प्रश्न पूछना चाहूंगा। सरकार इस क्षति का वैज्ञानिक आंकलन किस तरीके से करने जा रही है? लोग हजारों करोड़ रुपए की सहायता की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार क्षति का आकलन किस तरह से करने जा रही है? सरकार का इस समस्या का अस्थायी और स्थायी समाधान किस तरह से करने का विचार है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया फुसफुसाइए नहीं और न ही एक-दूसरे से बात कीजिए। इस देश के लोग परेशान हैं और हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें तीन दिनों का विलंब पहले ही हो गया है। उचित चर्चा होने दीजिए। इस मुद्दे को उचित महत्व दीजिए।

अपराह्न 1.09 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

डा. चिन्ता मोहनः महोदय, यह देश प्रत्येक वर्ष बाढ़ के इस संकट का सामना करता है और इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार इसके स्थायी समाधान के बारे में सोचे और सिर्फ 500 करोड़ रु. अथवा 200 करोड़ रुपए की अस्थायी सहायता देने के बारे में न सोचे। इस छोटे से प्रयास से किसी का भला नहीं होने वाला है। आज किसान फसल बीमा की आशा कर रहे हैं। किसान अपनी फसलों के लिए मुआवजे की आशा कर रहे हैं। कृषि श्रमिक, जो पूरी तरह से कृषि कार्य पर निर्भर हैं, वे उनके द्वारा वहन की गई क्षति का शीघ्र नकदी मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वे राहत के रूप में 100 किग्रा. चावल की मांग कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार केवल 10 किग्रा. या 20 किग्रा. चावल ही दे रही है। इससे उन्हें मदद नहीं मिलने वाली। सिर्फ 5 लीटर मिट्टी का तेल आवंटित किया गया है। इस 5 लीटर मिट्टी के तेल से उन्हें किस तरह से मदद मिलेगी?

उन्हें और मिट्टी के तेल की आवश्यकता है। महोदय, अपने वक्तव्य में उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके कितने पशु बह गए और कितने घर डूब गए। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि उन्होंने कुछ सहायता दी है और यह भी मुख्य मंत्री के अनुरोध पर वह कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को इस प्रकार प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमारी सरकार प्रगतिशील सरकार है। उन्हें और प्रयास करना चाहिए और उन्हें लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। हाल ही में जब अमरीका में कार्टिना आया था, तो पूरा अमरीका प्रशासन परेशान हो गया था। यदि सरकारों से तुलना की जाये, तो हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, जब हमने सुनामी भूकम्प और बाढ़ का सामना किया तो पूरी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार लोगों की मदद के लिए आगे आई। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन किया और कहा कि वह अपना दल भेज रहे हैं और राहत उपाय शुरू कर रहे हैं। सरकार को इसी तरह से कार्य करना चाहिए।

यहां विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सरकार राहत उपायों के लिए हजारों करोड़ रुपए की मांग कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार तमिलनाडु से लगे चितुर जिले और कर्नाटक के नजदीक नेल्लौर जिले के लिए यह सहायता मांग रही है।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मैं उनसे थोड़ी देर के लिए बैठने का अनुरोध करूंगा। वह जो कह रहे हैं, मैं उसका भी समर्थन कर रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): मैं यहां बैठा हूं।

श्री अनंत कुमारः लेकिन गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील, को यहां उपस्थित होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री जायसवाल यहां हैं। वह एक योग्य व्यक्ति हैं और वह वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए अधिकृत हैं।

श्री अनंत कुमारः महोदय, हमें श्री जायसवाल के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

[श्री अनंत कुमार]

[अनुवाद]

हम उनका आदर करते हैं। लेकिन, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, हम अनुरोध करते हैं कि श्री शिवराज पाटील को यहां उपस्थित होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, वहां बाढ़ आई है। लोग प्रभावित हुए हैं। कैबिनेट मिनिस्टर श्री शिवराज वि. पाटील को यहां उपस्थित रहना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, कैबिनेट मंत्री राज्य सभा में हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कैबिनेट मिनिस्टर इस समय राज्य सभा में हैं। श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, सदन में उपस्थित हैं। ये कैपेबल हैं। ये आपका जवाब देंगे। यदि इनके जवाब से आपकी तसल्ली न हो, तब आप बताएं।

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, गरीब लोग अपने घर गंवा चुके हैं। लाखों घर उजड़ गये हैं। इन गरीब लोगों की सहायता करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से स्थायी उपाय किये हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में मछुआरे अपनी नावें, जाल और घर गंवा चुके हैं। हथकरघा बुनकर अपने करघे, रेशे और कपड़े गंवा चुके हैं। उन्हें सरकार से तत्काल कुछ मदद की आशा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की मदद करने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है? मैं यह जानना चाहता हूं कि आप उनके लिए क्या करने वाले हैं; और आप किस प्रकार वैज्ञानिक ढंग से क्षति का मूल्यांकन करने वाले हैं और कैसे उन्हें तत्काल सहायता देने वाले हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप यह कार्य कब करने वाले हैं; और इस संबंध में कौन-कौन से स्थायी उपाय किये जा रहे हैं? आपने कहा कि यदि हम प्रस्ताव भेजेंगे तो योजना आयोग इसकी जांच करेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा। आपको आगे आना चाहिए, सकारात्मक रूख अपनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को तत्काल राहत प्रदान की जाये। आंध्र प्रदेश सरकार कम-से-कम 3000 करोड़ रुपये की मांग कर रहा है और तमिलनाडु सरकार भी 3060 करोड़ रुपये की मांग कर रही है ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जा सके।

श्री ए. कृष्णा स्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदय, मैं गृह मंत्री जी द्वारा तमिलनाडु में स्थिति के बारे में दिये गये वक्तव्य से कुल मिलाकर सहमत हूं।

यह वक्तव्य वर्षा के तीसरे दौर के बारे में था। लेकिन चार दिन पहले चेन्नई तिरूवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में वर्षा का चौथा दौर देखने को मिला। तिरूवल्लूर, कांचीपुरम और चेन्नई में भारी क्षति हुई है। आंध्र प्रदेश के पिचातुर बांध में दरार आ गयी और पानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सभी निकटवर्ती जिलों में फेल गया। गृह मंत्री जी को इस बारे में भी वक्तव्य सभा पटल पर रखना चाहिए।

पिछले 100 दिनों में भारी वर्षा हुई है। भारी वर्षा के कारण अनेक झीलों में दरार आ गयी है और अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अधिकांश जिलों में पानी भर गया है और अभूतपूर्व वर्षा के कारण 22 से अधिक जिलों में तबाही हुई है।

माननीय गृह मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री एवं अन्य केन्द्रीय मंत्रियों ने हमारे राज्य का दौरा किया और कुछ राहत उपाय उपलब्ध कराये। मैं इसके लिए उनका आभारी हूं। चेन्नई में हमने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की एक सर्वदलीय बैठक कराई। जिसके अध्यक्ष हमारे नेता डा. कलायग्नर थे। हमने "तमिलनाडु राज्य के लिए अधिक धनराशि प्राप्त करना" उद्देश्य से एक संकल्प पारित किया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सभी संसद सदस्यों और राज्य के मंत्रियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को यह संकल्प प्रस्तुत किया है। केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर कर दी है। लेकिन यह राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है। कल दिये गये एक वक्तव्य में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य के लिए आज की तिथि तक कोई धनराशि प्रदान नहीं की है। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि वह सभा को यह बताएं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का यह वक्तव्य कहां तक ठीक है। डा. कलायग्नर तमिलनाडु, राज्य के लिए अधिक धनराशि के आबंटन की मांग संबंधी वक्तव्य देने वाले प्रथम व्यक्ति है।

महोदय, एक निगरानी समिति गठित की जानी चाहिए। अब, राज्य सरकार ने संसद सदस्यों, विधायकों और कुछ गैर सरकारी संगठनों को सदस्य के रूप में लेकर राहत कार्यों की निगरानी के लिए एक समिति गठित की है। लेकिन गत वर्ष सुनामी के कहर को देखते हुए हमारा कटु अनुभव रहा। उन्होंने कुछ समितियां गठित की। लेकिन हमें उन समितियों में कोई महत्व नहीं दिया गया। हम उन राहत कार्यों की निगरानी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कोई बैठक नहीं बुलायी है।

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से कोई धनराशि प्राप्त करने से मना कर दिया है और वह रक्षा कर्मियों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का समर्थन नहीं करती। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने कोई धनराशि मंजूर नहीं की है और कोई रक्षा कर्मी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया है।

इसलिए, मैं गृह राज्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सभी जिलों में संबंधित संसद सदस्य के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाये ताकि राहत कार्यों की निगरानी की जा सके।

माननीय मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में, यह कहा गया है कि 1349 राहत शिविर लगाये गये। यह भी उल्लेख किया गया है कि: "राज्य सरकार ने कथित रूप से प्रभावित परिवारों को 46.52 लाख भोजन पैकेट 325.60 लाख रुपए की नकद राशि और 3.31 लाख किग्रा चावल का वितरण किया है। संसद सदस्य के रूप में, मैं यह कह सकता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हैं। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि नकद राशि और चावल का वितरण कहां हुआ है। लोक प्रतिनिधि होने के नाते, मैं यह कह सकता हूं कि राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदम पर्याप्त नहीं हैं। राज्य सरकार ने झूठा वक्तव्य दिया है।

चेन्नई में कुछ स्थानों पर, उन्होंने 2000/- रुपये प्रति व्यक्ति नकद राशि का वितरण किया। उस समय सरकार को विफलता तहसीलदार की विफलता के कारण, नौ लोग-छह महिलाएं और तीन पुरुष-भगदड़ में मर गये। उन्होंने कहा कि वे प्रत्येक व्यक्ति को 2000 रुपये दे रहे थे। मैं आपको इससे संबंधित अपना अनुभव बताना चाहता हूं। यह समाचार सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। एक राज्य मंत्री प्रभावित परिवारों को यह कहकर लिफाफे बांट रहा था कि प्रत्येक लिफाफे में 2000 रुपये हैं। लेकिन लिफाफा खोलने पर उसमें केवल 1000 रुपये ही मिले। लोगों ने यह शिकायत की थी।

हम यह आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार के लोग सम्पूर्ण सरकारी तंत्र का दुरूपयोग कर रहे हैं। तहसीलदार, राजस्व अधिकारी और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी अपने पदों का दुरूपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से इसके द्वारा प्रदत्त राशि के उपयोग की निगरानी करने का आग्रह करता हूं। मैं केन्द्र सरकार से राज्य सरकार के लिए अधिक धनराशि मंजूर करने का आग्रह करता हूं। मैं केन्द्र सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि बाढ़ प्रभावित जिलों में सर्वदलीय समिति का गठन किया जाये ताकि राज्य को मदद मिल सके।

मैं अपने माननीय नेता डा. कलायग्नर द्वारा तमिलनाडु राज्य के लिए अधिक धनराशि मंजूर करने के लिए दिए गए वक्तव्य को पुनः दोहराता हूं।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): महोदय, मैं भारी ह्रदय से इस सदन का ध्यान और इस पवित्र सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनके द्वारा तमिलनाडु में अभूतपूर्व वर्षा से हुई बाढ़ की समस्या का मुद्दा उठाने के हमारे प्रयासों को निष्फल कर दिया गया। मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूं जिसने 28 नवम्बर को मूसलाधार वर्षा और वर्षा के कारण आयी बाढ़, जिससे तमिलनाडु में भारी तबाही हुई है, के बारे में बोलने का नोटिस दिया। भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगियों ने हमें दस से अधिक दिन तक प्राकृतिक आपदा के कारण पैदा हुई लोगों की समस्याओं को उठाने से रोका। लगातार वर्षा के चार क्रमिक दौरों ने तीस में से 22 से अधिक जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया जिससे भारी तबाही हुई है। एक करोड़ से अधिक लोग कई रूपों में प्रभावित हुए हैं। कावेरी डेल्टा क्षेत्र सहित 20 लाख एकड़ भूमि जलप्लावित हो गई है। अनेक आवासीय बस्तियां सुनसान हो गयी हैं। ऐसे क्षेत्रों में कालेज और विद्यालय के विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तके और पाठ्य सामग्री नष्ट हो गयी है। गरीब लोगों के राशनकार्ड भी नष्ट हो गए हैं जिससे वे आवश्यक वस्तुएं खरीदते थे। अनेक लोगों का लगभग सारा ही सामान क्षतिग्रस्त हो गया हैं और वे असहाय हो गए हैं। काफी बड़े इलाके से जान-माल की भारी हानि की सूचना मिली है। जहां तमिलनाडु के लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और इन पीड़ा से चिंतित हैं, तमिलनाडु के लोगों की परेशानी पूर्ण समस्याओं के मामले को उठाने की आवश्यकता को अधिक महत्व न देकर दस दिन तक इस मामले को कार्यसूची में शामिल करने के रास्ते में बाधाएं पैदा की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज भी कोई अन्य मुद्दा उठा लिया।

मैं यह संकेत करना चाहूंगा कि जब गुजरात भूकंप त्रासदी का मामला इस सदन में उठाया गया तो हम किसी के रास्ते में नहीं आए। मैं किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। पर मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि लोगों, विशेषत: गरीबों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को लोक सभा में उपयुक्त तरीके से उठाया जाना चाहिए। यदि हमने उस समय गुजरात से संबंधित मामला उठाने में बाधा डाली होती तो क्या आप उसे बर्दास्त करते। बेशक हमने तब ऐसा नहीं किया और हम एक मत थे। अत: मैं भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगियों से कम से कम आज से जनता के ज्वलन्त मुद्दों को प्राथमिकता देने का अनुरोध करता हैं।

---

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी. मोहन]

यह कहने के पश्चात् मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या तमिलनाडु सरकार ने वहां की आपदा की विस्तृत रिपोर्ट और उसके साथ-साथ राहत और पुनर्वास का प्रस्ताव सहित अनुदान दिया है? क्या उन्होंने विभिन्न रूपों में झेले नुकसान का मूल्यांकन और आकलन करके उसकी विस्तृत सूचना दी है। और क्या तमिलनाडु सरकार ने कोई पुनर्निर्माण योजना प्रस्तुत की है। यदि ऐसी विस्तृत रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई हैं तो केन्द्र द्वारा इस राज्य को मांगी गई वित्तीय सहायता कब प्रदान की जायेगी? केन्द्र के दीर्घावधि और तत्काल उपाय क्या हैं? केन्द्र ने तमिलनाडु को 500 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता भेजी है। यह राशि पर्याप्त नहीं है और तमिलनाडु सरकार ने अधिक राशि की मांग की है। मैं समझता हूं कि उन्होंने अधिक राशि की मांग की है जोकि लगभग 13,685 करोड़ रुपए है। मैं माननीय मंत्री जी से केन्द्रीय सहायता संबंधी प्रतिमानकों और दिशानिर्देशों का उल्लेख करने के लिए कहना चाहता हूं जिससे पीड़ितों और प्रभावितों को उनका देय हिस्सा मिल सके। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सामुदायिक ग्रुप हाउसिंग काम्पलैक्सिस के रूप में पक्के घर बनाए जाएं और उन गरीबों को दिए जाएं जिनके रिहाइशी आवास नष्ट हो गए हैं। ऐसे घर मिट्टी गारे से नहीं बनाए जाने चाहिएं। सीमान्त और छोटे किसानों को उनकी खड़ी फसलों के भारी नुकसान के लिए मुआवजा तथा बीमा कवरेज अवश्य मिलना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि तमिलनाडु के पीड़ित लोगों की सहायता के लिए निश्चित समय-सीमा में व्यापक राहत पैकेज बनाया जाये। मैं केन्द्र से अनुरोध करूंगा कि बाढ़ पीड़ित लोगों की, पीड़ा को कम करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा मांगी गई राहत शीघ्रता से प्रदान करके हर संभव सहायता दें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री एल. गणेशन-अनुपस्थित।

श्री के. सुब्बारायण।

श्री के. सुब्बारायण (कोयम्बटूर): महोदय, तमिलनाडु भारी वर्षा और बाढ़ के चार दौर से प्रभावित हुआ है जिससे अनेक लोग मारे गये हैं और संपत्ति और अवसंरचना को भारी नुकसान हुआ है। 22 प्रभावित जिलों में सामान्य जीवन बुरी तरह बाधित हुआ है लोगों के रोजगार चौपट हो गए हैं। हजारों बस्तियां डूब गई हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं।

चेन्नई से दक्षिण को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे सम्पर्क लंबी अवधि तक कटे रहे। कई स्थानों पर सड़क और रेल मार्ग टूट गए। नगर और गांव तथा धान के खेत पानी में डूबे रहे। तमिलनाडु ने राहत और पुनर्वास कार्य आरंभ करने के लिए केन्द्र से 13,685 करोड़ रुपए की कुल सहायता की मांग की है। सरकार द्वारा अपनाया गया सहायता का स्तर व्यापक होना चाहिये और तमिलनाडु के किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए इसे संशोधित किया जाना चाहिए।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि बड़े पैमाने पर हुई क्षति को देखते हुए शीघ्र पूरा सहायता पैकेज जारी करें।

मैं इस बात पर भी बल देता हूं कि एक मानीटरिंग समिति बनाई जाए जिसमें न केवल चुने गए प्रतिनिधि शामिल किये जायें बल्कि सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी शामिल किये जाये।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक एक और तूफान आने की आशंका है। इससे तबाही और भी अधिक गंभीर रूप ले सकती है। तमिलनाडु में यह तबाही बड़े भारी पैमाने पर हो सकती है। इसे भी ध्यान में रखते हुए मैं पुन: दोहराता हूं कि भारत सरकार को बिना किसी और देरी के राहत निधि जारी करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: आमतौर पर परंपरा यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर केवल 5 सदस्य बोल सकते हैं। लेकिन विषय अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैं उस राज्य के केवल कुछ सदस्यों को ही बोलने की अनुमति देना चाहूंगा। उन्हें केवल स्पष्टीकरण मांगना होगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कुछ और सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दूंगा। उन्हें केवल स्पष्टीकरण मांगना होगा या अपना प्रश्न पूछना होगा परंतु उन्हें लंबा भाषण नहीं देना चाहिए। सबसे पहले, मैं श्री ई. पोन्नुस्वामी को बुलाना चाहूंगा। कृपया केवल प्रश्न पूछिए।

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): महोदय, धन्यवाद, सबसे पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु में हाल में आए बाढ़ से 22 जिले प्रभावित हुए हैं जिसमें कुड्डालुर जिला विशेष रूप से मेरा निर्वाचन क्षेत्र चिदंबरम सबसे ज्यादा प्रभावित है, यहां आने से पूर्व दिनांक 23 नवंबर से-आज मैं लोक सभा में हूं-मैं 12 दिनों से कुछ अधिक समय तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में था। यहां तक कि मैंने संसद के सत्र में भी भाग नहीं लिया क्योंकि मैं अपने लोगों के साथ रहना चाहता था।

सब कहा और किया गया, वे लोग जो अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, जो उनके पास था, अभी भी सड़कों पर हैं। उनमें से अधिकांश गरीब और पद दलित लोग हैं। लाखों झोपड़ियां बह गई हैं। अधिकांश गांव क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लाखों लोग असहाय हो गए हैं। चिदम्बरम चुनाव क्षेत्र में लोगों को यहां तक कि एक गली से दूसरी गली तक नावों से लाया-ले जाया जा रहा है।

अब तक दो समितियां दौरा कर चुकी हैं। मैं उनके साथ था। मैंने समिति को ज्ञापन भी सौंपा है। मैंने कुड्डालुर जिले के सभी स्थानों विशेष रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1300 गांवों में से, 1000 से भी अधिक गांव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोग सो भी नहीं पा रहे हैं, न ही एक समय का भोजन जुटा पाने में समर्थ हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया स्पष्टीकरण मांगिए।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: कृपया मुझे दो-या तीन मिनट में अपनी बात पूरी करने की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)* मैं समयाभाव को समझता हूं। लेकिन अभी भी मैं आप से दो या तीन मिनट का समय और देने का अनुरोध करूंगा क्योंकि विशेष रूप से मेरा निर्वाचन क्षेत्र है ऐसा है जो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रभावित है।

अब मैं अपने विषय पर आता हूं। मैंने समाहर्ता से बात की है। मैं इस संकट में प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए कई दिनों तक उनसे सम्पर्क करता रहा हूं। तमिलनाडु सरकार ने अब तक 13,565 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसका उन्होंने प्राक्कलन किया है। निश्चित रूप से, तमिलनाडु में विपक्ष में होते हुए भी हम तमिलनाडु सरकार के साथ हैं। हम सचमुच लोगों के हित में इस मांग का समर्थन करते हैं।

इसलिए मैं भारत सरकार से बिना किसी और विलंब के तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निवेदन करता हूं।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि तमिलनाडु राज्य की सहायता केवल वित्तीय रूप से ही करना आवश्यक नहीं है बल्कि राहत धनराशि के वितरण की निगरानी के लिए स्थानीय निकायों और अन्य गैर सरकारी संगठनों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल कर एक निगरानी एजेंसी गठित करने की भी आवश्यकता है क्योंकि ऐसा पहले से ही सिद्ध हो चुका है कि सुनामी आपदा के दौरान तमिलनाडु सरकार ने काफी भेदभाव किया है। सरकार ने तटस्थ होकर लोगों की सहायता नहीं की बल्कि केवल राजनीतिक उद्देश्य से लोगों की सहायता की गई है।

महोदय, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि न केवल यह सहायता प्रदान की जाये बल्कि निरोधात्मक उपाय भी किया जाये। दिसंबर, 2004 से दिसंबर, 2005 तक एक वर्ष हो गया है। सूखा, बाढ़ और वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं सहित पूरे देश में तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य था। भारत सरकार द्वारा कोई प्रणाली स्थापित करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी ताकि केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए निरोधात्मक कदम उठाए जा सकें।

महोदय, मैं पुनः विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि तमिलनाडु सरकार को आवंटित धनराशि में से मेरे जिले कुड्डालुर और मेरे निर्वाचन क्षेत्र चिदम्बरम को कम से कम 1000 करोड़ रुपए की विशेष धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि नदियों, नहरों, वैक्कलों को गहरा न किए जाने और बांधों को ऊंचा किये जाने के कारण ही यह आपदा घटित हुई है। मैं रक्षा और पोत परिवहन और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री को समय पर सहायता करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, अंत में मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा। हमने कर्नाटक सरकार से आवश्यकता पड़ने पर पानी छोड़ने का अनुरोध किया था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब, मेट्टूर बांध से बिन मांगे चार लाख क्यूसिक्स पानी छोड़ा गया है। यह केवल पानी के मेट्टुर बांध से मेरे जिले में डेल्टा क्षेत्र तक बहाव के कारण हुआ है। ऐसा बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से हुआ। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु राज्य को मुआवजे का भुगतान करने के लिए कर्नाटक सरकार से कहा जाये ताकि उन्हें इससे सबक मिल सके।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास इसके बाद एक और भी कालिंग अटैंशन है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सब माननीय सदस्य एक-एक मिनट से ज्यादा का समय न लें।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर-दक्षिण): महोदय, धन्यवाद, मैंने कर्नाटक में बाढ़ की स्थिति के बारे में और केन्द्र सरकार द्वारा दी गई अपर्याप्त सहायता तथा केन्द्र सरकार से और अधिक सहायता देने के अनुरोध के बारे में एक पृथक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। महोदय, अनुमति देने के लिए धन्यवाद। आरंभ में, मैंने भी महसूस किया कि माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री को मामले की महत्ता और गंभीरता के मद्देनजर इस सभा में स्वयं उपस्थित होना चाहिए लेकिन आपने कहा कि माननीय राज्य मंत्री यहां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय राज्य मंत्री आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत ही सक्षम, बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति हैं।

श्री अनंत कुमार: महोदय, उनकी सक्षमता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद, हमने सोचा कि माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री को स्वयं यहां उपस्थित होना चाहिए था।

मैं केवल विशेष स्पष्टीकरण के लिए मुद्दे उठाता रहूंगा। कर्नाटक सरकार ने 4,897 करोड़ रुपए की सहायता के लिए तीन ज्ञापन दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले महीने की 23 जुलाई से अक्टूबर के अंत तक, कर्नाटक राज्य बाढ़ से लगातार तबाह हुआ है। महोदय, 18 जिले और 104 तहसील प्रभावित हुए हैं और 169 लोगों की जानें गई हैं। 5,60,000 एकड़ में लगी फसलें बर्बाद हो गईं। करीब, 1,30,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए। इससे भी अधिक, बंगलौर जैसे हाइ-टेक शहर में पिछले 104 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा हुई। सामान्यतया, अक्तूबर के महीने में 152 मि.मी. तक वर्षा होती है लेकिन इस बार 595 मि.मी. वर्षा हुई। महोदय, 10 लाख लोग बेघर हो गए, 12 लोग मर गए और 60 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रों में बाढ़ आ गई तथा 139 तालाब टूट गए।

बंगलौर शहर और वैम्बे हाउसेस के लिए, हमने क्रमशः केवल 700 करोड़ रु. और 10,000 करोड़ रुपए की मांग की। महोदय, मेरा पहला प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय संख्या-18 के संबंध में माननीय गृह मंत्री के उत्तर से संबंधित है। उन्होंने कहा कि जो तीन ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं, उनके लिए नवम्बर के दूसरे सप्ताह में मूल्यांकन का कार्य किसी अन्य केन्द्रीय दल को सौंपा गया था। अब, केन्द्रीय दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और यह प्रक्रियाधीन है। महोदय, आपके माध्यम से मेरा यही कहना है कि मैं पहले ही सौंपे गए तीन ज्ञापनों के संबंध में केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह पहली बात है। लगभग 4,897 करोड़ रुपए की कुल क्षति हुई जबकि भारत सरकार ने केवल 375 करोड़ रुपए ही प्रदान किया है। महोदय, 375 करोड़ रुपए के अलावा, तदर्थ रूप से जारी की जाने वाली सहायता राशि भी है जो कि आपदा राहत कोष (सी आर एफ) और (एन सी सी एफ) के माध्यम से कर्नाटक सरकार को देना है। इसलिए हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि बंगलौर शहर और उत्तरी कर्नाटक के अन्य शेष भागों में तदर्थ सहायता देने हेतु एक समय-सीमा होनी चाहिए।

दूसरी बात, महोदय, हमने यह भी मांग की है कि सी आर एफ, मार्गनिर्देशों की समीक्षा की जाय। कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि सी आर एफ मार्गनिर्देशों की समीक्षा की जानी चाहिए। अगस्त माह में पिछले ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान-जब मैंने इसे यहां उठाया—माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि सी आर एफ मार्गनिर्देशों की समीक्षा की जानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री-जब हम विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के साथ उनसे मिले-ने भी माना कि सी.आर.एफ. मार्गनिर्देशों की समीक्षा की जानी है। महोदय, ऐसा इसलिए कि वर्तमान मार्गनिर्देश सूखे की स्थिति के लिए हैं न कि बाढ़ की स्थिति के लिए। सी.आर.एफ. मार्गनिर्देशों के अनुसार फसल क्षति के लिए प्रति एकड़ शुष्क भूमि के लिए धनराशि 400 रु., नम भूमि के लिए 800 रु., बागवानी के लिए 1200 रु. है। महोदय, एक घर के निर्माण के लिए 6000 रु. की राशि प्रदान करना बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं सी.आर.एफ. मार्गनिर्देशों की समीक्षा के बारे में केन्द्र सरकार में कुछ भ्रम है। अगस्त में ही, माननीय प्रधानमंत्री ने सी आर एफ मार्गनिर्देशों के पुनरीक्षण के इस मामले को देखने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री और केन्द्रीय कृषि मंत्री के साथ मंत्री समूह (जी ओ एम) बनाया है। पिछली बार जब हम माननीय प्रधानमंत्री से मिले, तब हमें मालूम हुआ कि इस मंत्री समूह की एक भी बैठक नहीं हुई है। पूरा देश, विशेष रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और अन्य अनेक राज्य भयंकर बाढ़, चक्रवात और सुनामी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री से सी आर एफ मार्ग निर्देशों की समीक्षा के लिए इस सभा के सभी तबकों से बराबर मांग की जा रही है। इस मंत्री समूह (जी ओ एम) का गठन अगस्त में ही किया गया है। महोदय, मैं यह जानकर भौचक्का रह गया कि अब तक इस मंत्री समूह (जी ओ एम) की एक भी बैठक नहीं हुई है। वे सी आर एफ मार्ग निर्देशों के समीक्षा के लिए आगे नहीं आए हैं। महोदय, हमने कर्नाटक सरकार से पहले ही मांग की है कि गन्ने की फसल को नुकसान के लिए प्रति एकड़ 15000 करोड़ रुपए, सिंचित भूमि के लिए प्रति एकड़ 10,000 रु. और शुष्क भूमि फसल के लिए प्रति एकड़ 5000 रु. प्रदान किया जाए। जहां तक आवास के लिए मुआवजे का संबंध है। सी आर एफ मार्गनिर्देशों की समीक्षा की जानी चाहिए और प्रत्येक ध्वस्त घरों के लिए यह राशि 40,000 रु. तथा इससे अधिक और ज्यादा क्षतिग्रस्त घरों के लिए 25000 रु. से शुरू होगी। सिंचाई पम्प-सेट बह गए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि 3 अश्व शक्ति वाले पम्प सेटों के लिए 18000 रु., 5 अश्व शक्ति वाले पम्प सेटों के लिए 22000 रु. और 7 अश्व शक्ति वाले पम्प सेटों के लिए 24000 रु. दिया जाना चाहिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पंजाब सहित अन्य सभी राज्यों को शामिल किया जाना चाहिए।

श्री अनंत कुमारः यह प्रत्येक राज्य के लिए है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि यह पूरे देश के लिए है। वे सी आर एफ मार्गनिर्देशों की समीक्षा कब करने जा रहे हैं? ऐसा इसलिए कि वह पूरे देश के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मूल समाधान है। विशेष मंत्री समूह (जी ओ एम) का गठन विशेष रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए किया गया लेकिन अब तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई।

पिछले ध्यानाकर्षण सूचना में, मैंने यह मुद्दा भी उठाया था कि कर्नाटक में बाढ़ कोयना बांध से पानी छोड़े जाने के कारण आयी थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 8 अगस्त, 2005 को माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा:

> "मैं आपको बाढ़ के कारणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन मुद्दों को किस तरह तोड़-मरोड़कर पेश किया गया, इस बारे में बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में जलाशयों से भारी मात्रा में पानी छोड़ने से कर्नाटक के उत्तरी पांच जिलों-बेलगाम, बीजापुर, बगलकोट, गुलबर्गा और रायचुर जिले में अभूतपूर्व बाढ़ आ गई। उत्तरी कर्नाटक में 265 से भी अधिक गांवों के पांच लाख से भी अधिक लोग बेघर हो गए"।

उन्होंने आगे कहा:

> "पिछले दो दशकों से कोयना बांध में भूकम्प लगातार आ रहा है जिसका केन्द्र या तो बांध के नीचे होता है अथवा इसके बिल्कुल निकट। ऐसे दो भूकम्प पहली और दूसरी अगस्त, 2005 को आए हैं।"

इन तिथियों पर कोयना बांध पूरी तरह से भरा हुआ था और 97 टी एम सी पानी जमा था। इन भूकम्पों के कारण, बांध में कुछ दरार पड़ने का पता चला। उसी अवधि के आस-पास महाराष्ट्र में भारी वर्षा हुई। भूकम्प आने और पहले से ही दरार पड़ने से महाराष्ट्र ने कोयना बांध से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जिसके परिणामस्वरूप अभूतपूर्व बाढ़ आ गई और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के नीचे भागों के गई गांवों के अलावा सांगली और कोल्हापुर शहर जलमग्न हो गए।

महोदय, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा-मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं-यह बहुत गंभीर मामला है-कि हम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हैं। कर्नाटक में जलाशयों से जल-प्रवाह को नियंत्रित करने में महाराष्ट्र सरकार की विफलता के कारण पहली बार ऐसी भयानक बाढ़ देखने को मिली है। जब पिछली बार मैंने यह मुद्दा उठाया था माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की नोटिस के अपने उत्तर में कहा था:

> "जहां तक कोयना बांध में भूकंप का संबंध है, श्री शरद पवार जी ने मुझसे कहा था-महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री होने के नाते लातूर में आयी इस आपदा से निपटने का उत्तरदायित्व उनका था। मुझे यह भी कहा कि इस क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 2 से 3 अथवा कई बार 2 या 3 से भी कम झटके आते हैं।"

फिर भी, माननीय मंत्री जी श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी भी यहां हैं। मैं उनका ध्याना आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, मैं इसे माननीय सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं:

> "कि हमारी धरती, सदैव हिलती-डुलती रहती है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब उसमें हिल-डुल नहीं होती है। प्रश्न यह है कि वह रिक्टर स्केल पर 2 या 3 पर कम्पन हो रहा है अथवा उससे कम पर। हमें इन बातों पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार इस पर ध्यान दे रही है और माननीय सदस्य वापस अपने-अपने राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में जा सकते हैं और लोगों को यह आश्वासन दे सकते हैं कि आवश्यक कदम उठा लिये गये हैं।"

उनके इस उत्तर के पश्चात्, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा कि कोयना में और उसके आसपास भूकंप के झटके महसूस किये गये हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोयना में तीन बार भूकंप आया है। इसीलिए, महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक के निम्नवर्ती जिलों में बाढ़ के परिणामों के बारे में न सोचते हुए गैर जिम्मेदार तरीके से पानी छोड़ दिया है। हम भारत सरकार से कोयना बांध की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हैं जोकि कर्नाटक की सुरक्षा के सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है। कोयना बांध में कुछ दरारें भी पड़ गई हैं। हमें यह बताया गया कि एक बड़ी योजना बनाई गई है जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दीवारों और अन्य चीजों को मजबूत बनाने के लिए खर्च की जाने वाली है। उन्हें कोयना बांध की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में कुछ करना होगा। जलाशयों के प्रबंधन के संबंध में महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार दोनों को आपस में कुछ सामंजस्य स्थापित करना होगा और यह तय करना होगा। कि कब और कितना पानी छोड़ा जाना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र सरकार इन महत्वपूर्ण बातों की ओर इसलिए ध्यान नहीं देती कि इससे निम्नवर्ती कर्नाटक प्रभावित होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामीः तमिलनाडु को शामिल किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री अनंत कुमार जी, कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अनंत कुमार: महोदय, बंगलौर शहर मुंबई की तरह हाई-टेक शहर है। इसलिए, बाढ़ राहत के लिए बंगलौर शहर हेतु 700 करोड़ रुपए की राशि दी जानी चाहिए। कोयना बांध की मरम्मत करायी जानी चाहिए। कर्नाटक के लिए धन के समयबद्ध आबंटन के लिए पहले ही तीन ज्ञापन दिये जा चुके हैं और केन्द्रीय राहत कोष सी.आर.एफ. दिशानिर्देशों में संशोधन किया जाना चाहिए।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। कर्नाटक में इस बार की लगातार भारी वर्षा के कारण दस जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चामराजनगर कर्नाटक का सबसे अधिक प्रभावित जिला है।

कुछ राहत कार्य चल रहा है। गंजी केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक परिवार को पांच लीटर तेल और दस किलो चावल दिये जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस तरह की अस्थायी सहायता कब तक जारी रहेगी। प्रभावित लोगों की स्थायी राहत के लिए केन्द्र को ठोस उपाय करने होंगे। प्रभावित लोग झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों के लोग हैं और उनमें से अधिकांश अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और दलित वर्गों के हैं और इसलिए केन्द्र को पूरी गंभीरता के साथ राहत कार्य करना होगा।

जिनके मकान आंशिक रूप से धंस गए हैं उन्हें 500 रु. से 1000 रुपये की धनराशि दी जाती है। जिनके मकान 50% तक धंसे हैं उन्हें 3000/-रुपये और जिनके मकान पूरी तरह से टूट चुके हैं, उन लोगों को 6000/-रुपए दिये जायेंगे। यह धनराशि अपर्याप्त है और इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह संशोधन करे क्योंकि यह काफी पुराना है और इससे आज की तारीख में कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। नया और वैज्ञानिक केन्द्रीय राहत कोष तत्काल बनाना होगा। यदि मकान पूरी तरह से नष्ट हो गया हो तो कम-से-कम 1,00,000/- रुपए की राशि प्रदान की जानी चाहिए। राजीव गांधी आवास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवास के निर्माण के लिए 40,000/- रुपए की राशि प्रदान की जाती है। लेकिन बारिश प्रभावित लोगों को एक लाख रुपए की राशि अवश्य दी जानी चाहिए क्योंकि हाल की भारी बारिश में उनका जीवनयापन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अकेले चामराज जिले में 500 से अधिक मकान गिर गये हैं। कर्नाटक में 150 से अधिक लोग जान गांव चुके हैं। सैकड़ों मवेशी और अन्य पशु मर गये हैं। इसलिए, केन्द्र को तत्काल राहत उपाय करने चाहिए।

केन्द्रीय दल पहले ही चामराजनगर, मैसूर, बंगलौर, हासन, गुलबर्गा, बीदर और अन्य जिलों का दौरा कर चुके हैं। राज्य ने यह अनुमान लगाया है कि कर्नाटक में कुल 4865 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। प्रभावित लोगों को बचाने के लिए कर्नाटक को समस्त धनराशि उपलब्ध कराने की अत्यावश्यकता है। सूनामी से प्रभावित लोगों और कर्नाटक में हाल ही में आई मूसलाधार वर्षा से प्रभावित लोगों में कोई अंतर नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग जलमग्न हो गये हैं। इनमें से अधिकांश सड़कों पर परिवहन रूक गया है। लोगों के पास भोजन, कपड़े नहीं हैं और वे सड़कों पर आ गये हैं। उनके घर नष्ट हो गये हैं। अत: केन्द्र को राहत प्रदान करते समय पुनर्वास और पुनर्निर्माण को भी ध्यान में रखना चाहिए।

इसलिए हमारे दल के नेता एवं पूर्व प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा ने केन्द्र और श्री शरद पवार, माननीय कृषि मंत्री को आपदा से प्रभावित असहाय गरीब लोगों की जान बचाने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का आग्रह किया था।

मेरे सहयोगी एवं मित्र श्री अनंत कुमार ने बंगलौर शहर में सड़कों की खराब स्थिति को पहले ही स्पष्ट किया है। हाल ही में आई आपदा से सड़कें और खराब हो गई हैं। हर रोज सड़क दुर्घटनाएं हो रहीं है। यहां भीड़-भाड़ है और प्रतिदिन घंटों तक ट्रेफिक जाम रहता है। महोदय, वास्तव में मुझे यकीन है कि आपको इस बात का पता होगा कि साफ्टवेयर कंपनियों ने सिलिकान सिटी (बंगलौर) को छोड़कर चले जाने की धमकी दी है क्योंकि यहां पर आधारभूत सुविधाओं की स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ रही है। इन खराब परिस्थितियों के तहत मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वह बंगलौर शहर के विकास के लिए कम से कम एक हजार करोड़ रुपये और कर्नाटक में हाल ही में आई आपदा से प्रभावित लोगों के संरक्षण के लिए 5000 करोड़ रुपये प्रदान करें।

महोदय, मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जैसा आप जानते हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सामान्यत: पांच सदस्यों से ज्यादा नहीं बोलते। लेकिन विषय की गम्भीरता को देखते हुए मैंने कुछ और सदस्यों को बोलने के लिए अलाऊ किया है। इसलिए उनसे निवेदन है कि वे एक मिनट में अपनी-अपनी बात कहें।

---

*मूलत: कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

अब मैं डा. सी. कृष्णन से अनुरोध करता हूं कि वे केवल एक मिनट के लिए संक्षेप में बोले और वह अंतिम वक्ता हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पांच दिन पहले नोटिस दिया है। मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम): महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी को अवसर प्रदान करूंगा। कृपया अपनी जगह पर बैठें।

डा. सी. कृष्णन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दिन पहले तमिलनाडु में भारी वर्षा से हुई तबाही के संबंध में मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इससे पहले कि तमिलनाडु के लोग सूखे की स्थिति और सुनामी से उभर सकें, वे अब मूसलाधार वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से बहुत चिंतित हैं। लगभग 22 जिले प्रभावित हुए हैं। अनेक नदियों में बाढ़ आई गई है, अनेक तालाबों में दरारें आ गई हैं, सैकड़ों लोग बल्कि असंख्य लोग मर गये हैं, हजारों पशु बह गये हैं और भारी वर्षा के कारण गांवों के चारों ओर खड़े पानी के कारण राज्य में अनेक गांव द्वीप बन गये हैं। सड़कें, रेलवे लाइन, पुल बह गये हैं। लाखों लोग बिना किसी आश्रय, भोजन और जल के जगह-जगह फिर रहे हैं। हर जगह पानी है परन्तु, पीने के लिए पानी नहीं है। बहुत सारे गांवों के चारों ओर पानी खड़ा है। बहुत सी झोपड़ियां और घर बह गये हैं। लाखों एकड़ में लगी बहुमूल्य फसल बह गयी हैं। लोग बिना किसी भोजन के गलियों में आ गये हैं। राज्य सरकार को आश्रय, भोजन और पानी देने की समस्त जिम्मेदारी लेनी है। परन्तु तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई देखभाल पर्याप्त नहीं है। जीर्णोद्धार और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। सभी दलों की एक निगरानी समिति गठित की जाएं और यह इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों द्वारा आबंटित की जा रही निधियों की निगरानी करे।

मैं, यहां पर अपने माननीय नेता श्री वैको, जो कि तमिलनाडु की एम डी एम के पार्टी के नेता है, की ओर से बोल रहा हूं।

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, मैं तमिलनाडु के अन्य माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी बात का समर्थन करता हूं तथा उनके द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से सहमत हूं।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह स्वयं या विश्व बैंक के माध्यम से भविष्य में बाढ़ के अतिरिक्त जल के संग्रह और इसके उपयोग के लिए एक व्यापक नीति लाए। भविष्य में वर्षा के अप्रयुक्त जल की एक बूंद भी समुद्र में न जाए।

हाल ही में रूक-रूक कर होने वाली वर्षा और बाढ़ एक राष्ट्रीय आपदा और राष्ट्रीय दुर्घटना बन गई है। साथ ही, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और राहत कार्य के लिए पहली किश्त के रूप में 500 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल स्वीकृत की। हम आशा करते हैं कि सरकार उदारतापूर्वक और धनराशि प्रदान करती रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, कृपया अब अपनी जगह पर बैठ जायें।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदय, मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र जल प्लावित हो गया है। आप बहुत उदार हैं, कृपया मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें। यह जनता का मामला है।

महोदय, मैं प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, वित्त मंत्री और हमारे नेता श्री जी.के. वासन को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जैसे ही इस तबाही के बारे में सुना तो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। हमारे अनुरोध पर श्री टी.आर. बालू ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिंडीगुल में वेदासनदुर, शोलावंदन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मदुरै जिले के अधिकांश क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। गत चार वर्षों के दौरान तमिलनाडु में अधिकांश जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे और अप्रत्याशित वर्षा और बाढ़ से वे अब फिर प्रभावित हुए हैं। जिन किसानों ने कुछ धन उधार लेकर फसल बोई थी उनकी फसल बरबाद हो गई है। अब तमिलनाडु बाढ़ की चपेट में है। लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। तमिलनाडु के कुछ भागों में ऐसे गांव हैं जहां पिछले कुछ दिनों से बिजली अथवा पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है और किसी प्रकार के परिवहन की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

[श्री एन.एस.वी. चित्तन]

राहत कार्य शुरू करते समय संसद सदस्यों विशेषकर लोक सभा सदस्यों तथा सभी दलों के सभी नेताओं को विश्वास में लिया जाना चाहिए तथा उन्हें राहत कार्य से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। वर्तमान ए.आई.ए.डी.एम.के. सरकार उनसे बिल्कुल भी परामर्श नहीं लेती और उन्हें आमंत्रित नहीं करती। जब कभी जिला प्रशासन कोई राहत कार्य चलाए तो यह पारदर्शी ढंग से चलाया जाना चाहिए तथा सुनामी के दौरान प्रभावित हुए लोगों के साथ हुए अन्याय को दोहराया नहीं जाना चाहिए।

मेरे जिले डिन्डीगुल में प्रभावित लोगों के लिए आवंटित धन जरूरतमन्द गरीबों तक नहीं पहुंचा है और जिला क्लक्टर की मेहरबानी से जिला प्रशासन निधियों का दुरूपयोग कर रहा है। धन के वितरण और अन्य बातों के संबंध में संसद सदस्यों के पास कोई घोषणा और सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक जिले में सभी राजनीतिक दलों की एक समिति राहत कार्यों की निगरानी करे और केवल उसके माध्यम से ही राहत कार्य करवाए जाएं।

अन्त में मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि अपनी फसलें पुनः उगाने में किसानों की सहायता करने हेतु उदार शर्तों पर उन्हें ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। भावी पीढ़ियों के हित में सभी जल निकायों और जलापूर्ति धाराओं पर अतिक्रमण तुरन्त हटाए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री के.वी. तंगबालू। आपके पास बोलने के लिए केवल एक मिनट का समय है।

[हिन्दी]

मुझे 2 बजे डब्ल्यू.टी.ओ. लेना है।

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम): महोदय, आपने दूसरे माननीय सदस्यों को अधिक समय दिया है। मुझे इससे वंचित नहीं किया जाए; मुझे भी अधिक समय दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बोलते रहिए।

श्री के.वी. तंगबालु: उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। पिछले एक सप्ताह से मैं तमिलनाडु के सामने आ रही समस्या के बारे में बोलने के लिए अवसर मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। विपक्षी सदस्यों के कारण इस गंभीर मुद्दे पर इस सम्मानित सभा में चर्चा नहीं हो सकी।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया काम की बात करें।

श्री के.वी. तंगबालु: अच्छा महोदय। लगातार तीन बरसातों और बाढ़ों के बाद तमिलनाडु की इतनी बुरी स्थिति हुई है जैसी विगत 45 वर्ष में कभी नहीं हुई। पहली बार यह राज्य इतनी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य के लगभग सभी जिले प्रभावित हुए हैं। जैसा कि मेरे विद्वान मित्र ने बताया कि पिछले चार वर्षों से लगातार सूखा पड़ा और सूखे के बाद पिछले दो या तीन महीनों से हमें बाढ़ और अतिवृष्टि की विभीषिका तथा उसके प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और सभी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। गांवों में अधिकांश घर पानी में बह गए हैं और किसी भी तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है। आज भी पिछली वर्षा और विनाश लीला के दस दिन पश्चात्, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया कि अधिकांश जिलों और गांवों में अभी तक पानी भरा हुआ है और पिछले पांच आठ दिनों से लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज के दिन तमिलनाडु की यह हालत है।

समस्या सुनने के तत्काल बाद-भारत सरकार-माननीय प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की और राहत कार्य के लिए तमिलनाडु को 500 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी। हम उनके आभारी हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री तत्काल राज्य में आए और वित्त मंत्री तथा हमारे राज्य से माननीय मंत्रीगण शीघ्र इन स्थानों पर पहुंचे और वहां का दौरा किया। अब, तीन दिन पहले एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया लेकिन उसने अभी तक केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह केन्द्रीय दल से रिपोर्ट प्राप्त करे। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे चर्चा हेतु राज्य के सभी संसद सदस्यों, अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों से हमारे संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन और लोक सभा के सदस्यों की बैठक आयोजित करें। चर्चा हेतु सभी संसद सदस्यों को तत्काल बुलाया जाए, और हम चाहते हैं कि राज्य को निधियां प्रदान करते समय समयावधि निर्धारित की जाएं क्योंकि अतीत में हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा है। राज्य को 500 करोड़ रुपये दे दिए गए हैं लेकिन हम नहीं जानते उसका कोई लेखा-जोखा नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री कह रही हैं कि केन्द्रीय सरकार ने पैसा नहीं दिया है। आज हालत यह है। हमारा सरकार से निवेदन है कि वह एक नया कार्यक्रम लेकर आए। माननीय सदस्यों ने आपदा राहत योजना के दिशानिर्देशों के लिए अनुरोध किया है। वर्तमान आपदा राहत दिशानिर्देशों से प्रभावित राज्यों तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक और किसी अन्य राज्य को कोई सहायता नहीं मिलने वाली। हम चाहते हैं कि संशोधित दिशा-निर्देश शीघ्र तैयार किए जाएं ताकि प्रभावित होने वाले किसी भी राज्य को भारत सरकार से संरक्षण प्राप्त हो सके।

दूसरी ओर किसान, गरीब कृषक, मजदूर, कृषि क्षेत्र में प्रभावित होने वाले लोगों को पूरा मुआवजा दिया जाए और किसानों को दिए गए कर्जों को बिना और समय नष्ट किए तत्काल माफ कर दिया जाना चाहिए। हम यह भी चाहते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तत्काल फसल-ऋण प्रदान किए जाएं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी वित्त मंत्री से विचार-विमर्श करें, और प्रधानमंत्री जी यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य द्वारा वांछित सभी सुविधाएं उन्हें मिलें तत्काल हस्तक्षेप करें। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सं.प्र.ग. के नेताओं ने मांग की है कि मांगा गया धन बिना समय गंवाये राज्य को तत्काल उपलब्ध करवाया जाए।

महोदय, पहली किश्त के रूप में 5000 करोड़ रुपये की राशि राज्य को तुरन्त भेजी जाए और तत्पश्चात आकलन के बाद, संसद सदस्यों के साथ बातचीत के बाद राज्य के पुनर्निर्माण हेतु राज्य को और अधिक निधियां आवंटित की जाएं।

लोग कोई भी कारोबार और खेती नहीं कर पा रहे हैं। हर आदमी भूखों मर रहा है। केन्द्र सरकार तमिलनाडु राज्य के लोगों की सहायता के लिए तत्काल एक पैकेज लेकर आए। अत: मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे तमिलनाडु राज्य से संबंधित संसद सदस्यों की बैठक बुलाएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि वे बिना समय गंवाए पैकेज की घोषणा करें।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): उपाध्यक्ष महोदय, अभूतपूर्व वर्षा के कारण मेरे जिले डिंडीगुल सहित तमिलनाडु के तकरीबन 21 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए थे। तालाब, चेकडैम, छोटे पुल, रिहायशी स्थान, फसलें, मवेशी और कृषि भूमि पूरी तरह पानी में बह गए। मेरे जिले में डिंडीगुल कस्बे, नाथन, ओट्टानचतरम, पलानी और वेदानचतरम तालुक बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। हजारों लोग बेघर हो गए। इरोड़ जिला भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। तमिलनाडु सरकार ने 1,800 करोड़ रुपये की पहली किश्त की मांग की है। माननीय मंत्रियों के एक दल के दौरे के पश्चात्, 500 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गयी थी। यह पर्याप्त नहीं है। तमिलनाडु के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिक धनराशि का आबंटन करना होगा।

दूसरे, तमिलनाडु के किसान गत तीन वर्षों से पानी के लिए संघर्ष करते रहे हैं और बिना पानी के वे कुछ भी सिंचित न कर सके। वे पानी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए। कृषि ऋण, सहकारी बैंकों के ऋण और अन्य ऋणों को पूरी तरह से माफ करना होगा। किसानों को नए ऋण दिये जाने होंगे।

मेरे जिले डिंडीगुल में, जिला प्रशासन की सांठ-गांठ से लोक कार्य विभाग और अन्य विभाग बाढ़ राहत कार्यों के लिए सरकार से प्राप्त धनराशि का दुरूपयोग कर रहे हैं। वे प्रभावित लोगों को राशि न देकर राजनैतिक द्वेष के आधार पर अप्रभावित लोगों को यह राशि प्रदान कर रहे हैं। इसलिए, तमिलनाडु के सभी सदस्यों को शामिल कर एक निगरानी समिति का गठन करना होगा। मैं भारत सरकार से तमिलनाडु के प्रभावित लोगों को बचाने के लिए तत्काल 5000 करोड़ रुपये आबंटित करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी बड़ी विभीषिका और तबाही तमिलनाडु और कर्नाटक में जो बाढ़ के कारण हुई है, उसकी गम्भीरता को दिखाने के लिए ही कालिंग अटैंशन की परम्पराओं से अलग हट कर बहुत सारे माननीय सदस्यों को इस संबंध में अपनी राय तथा समस्याएं रखने का अवसर प्रदान किया। मैं आपको एश्योर करता हूं कि आज आपने जिस गम्भीरता के साथ इस बहस को कराया है, उसी गम्भीरता के तहत भारत सरकार इस समस्या के समाधान के लिए वे सभी कदम उठाएगी, जिन कदमों को उठाने की आवश्यकता है। मैंने अपनी स्टेटमैंट में बताया है और मैं फिर बताना चाहता हूं कि तीन स्पैल में बल्कि अब चार स्पैल में बाढ़ की विभीषिका आई। फर्स्ट स्पैल में 23.10.2005 से 3.11.2005 तक, सैकिंड स्पैल में 4.11.2005 से 13.11.2005 तक, थर्ड स्पैल में 22.11.2005 से 15.11.2005 तक और सबसे लेटेस्ट स्पैल, इस वक्त 2.12.2005 से 4.12.2005 में बाढ़ आई है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहां सभी माननीय सदस्यों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि तमिलनाडु और कर्नाटक में बाढ़ से जितनी बड़ी तबाही हुई है-चाहे फसलों को नष्ट होना हो, चाहे जानवरों का मरना हो, चाहे इन्सानों की मृत्यु हो, चाहे इनफ्रास्ट्रक्चर का नष्ट होना हो, रेल लाइन की तबाही हो, सड़कों की तबाही हो, हाईवेज की तबाही हो, छोटे-बड़े मकानों का ढहना हो-ये सब हृदय विदारक है। हमारी जो टीम गई थी, उसमें पहले गृह मंत्री जी गए थे, उनके साथ वित्त मंत्री और हमारे कुलिग श्री रघुपति भी गए थे। इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह की तबाही हुई है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस आपदा की घड़ी में तमिलनाडु और कर्नाटक की जनता के साथ भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है।

उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने तीन-चार ऐसे प्रश्न उठाये हैं जिनका मुझे जवाब देना है, बाकी के बारे में मैंने अपने स्टेटमैंट में सब कुछ लिख दिया है। कई माननीय सदस्यों ने इस बात को

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

उठाया कि माननीय सदस्यों और विधायकों की एक कमेटी बनाई जाये जो इस बात की मौनिटरिंग करें। माननीय सदस्यों का यह आरोप है कि सरकारें उस धन का इतना सदुपयोग नहीं कर रही हैं जितना उन्हें करना चाहिये था। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये सारे काम-पैसे का यूटिलाइजेशन, किये गये कार्यों की मौनिटरिंग करना-यह राज्य सरकारों का दायित्व होता है। मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि राज्य सरकारें इस काम को कर रही होंगी। अगर माननीय सदस्य इस संबंध में कोई मौनिटरिंग कमेटी चाहते हैं तो उन्हें राज्य के मुख्य मंत्री से मिलकर अनुरोध करना चाहिये कि लोकल बाडीज की चेयर पर्सन ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंगबालु: मैं मंत्री जी को बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं ...*(व्यवधान)* मंत्री जी को संसद सदस्यों से जाने और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने गत चार वर्षों से तमिलनाडु के किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने हेतु तमिलनाडु प्रदेश के संसद सदस्यों की बैठक बुलाने की ओर ध्यान नहीं दिया ...*(व्यवधान)* इसलिए मुख्यमंत्री से मिलने की हमारी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.के. खारवेनथन: हम मुख्यमंत्री के पास क्यों जायें और उनसे क्यों मिलें? ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एस.वी. चित्तन: यहां कोई दिशानिर्देश अवश्य जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.के. खारवेनथन: उन्होंने पत्र का उत्तर तक नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपसे बैठ जाने का अनुरोध करता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.के. खारवेनथन: हम मुख्यमंत्री जी से क्यों मिलें? ...*(व्यवधान)*

श्री के.वी. तंगबालु: मुख्यमंत्री जी ने गत चार वर्षों से हमसे मिलने तक की चिंता नहीं की ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: उत्तर संतोषजनक नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से क्यों मिलें? क्या इस तरह से मंत्री जी को उत्तर देना चाहिए? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एस.वी. चित्तन: यहां से कोई दिशानिर्देश अवश्य होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से बैठ जाने का अनुरोध करता हूं। पहले उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें। तत्पश्चात् यदि आपकी कोई शंका हो और यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहेंगे तो मैं आपको अवश्य अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने इस संबंध में जो बातें उठायी हैं और जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं खासकर तमिलनाडु के माननीय सदस्यों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन मैं उन्हें इतना एश्योर करना चाहता हूं कि उनके द्वारा की गई चिन्ता के बारे में माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा कि माननीय सदस्यों की यह राय थी कि कोई मौनिटरिंग कमेटी बना दी जाये जिसमें माननीय संसद सदस्य और विधायक भी रहें। इस कमेटी में लोकल बाडीज की चेयर पर्सन शामिल हों। अगर इस संबंध में कोई मौनिटरिंग कमेटी बना दी जाये तो उसकी मौनिटरिंग अच्छी तरीके से हो सकती है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं, उनका आदर हो सकता है। भारत सरकार जो कुछ कर सकती है, वह करेगी लेकिन यह राज्य सरकारों का दायित्व होता है कि वह इस तरह की कमेटी बनायें। माननीय सांसदों और विधायकों की चिन्ता को अपने साथ जोड़कर उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करें।

उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि राहत राशि बहुत कम भेजी गई है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो राशि यहां भेजी गई है, वह राहत के लिये है जो त्वरित राहत के लिये होता है। जिस समय विभीषिका खड़ी होती है, उस समय भारत सरकार एन.एन.सी.एफ. से पैसा देती है और राज्य सरकार सी.एम.आर.एफ. से पैसा देती है। इस विभीषिका का जायजा लेने के लिए हमारी केन्द्र की एक टीम गई है। उसने अपनी रिपोर्ट दी है जिसका अध्ययन हो रहा है। जैसे ही रिपोर्ट का पूरा अध्ययन हो जायेगा, अगर और पैसे की मांग की गई होगी तो भारत सरकार वह पैसा देने के लिए कटिबद्ध है।

जहां तक इनफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है, माननीय सदस्यों ने, खास तौर से अनंत कुमार जी ने कहा है कि बंगलौर में बड़ी

तबाही हुई है, सड़कें खराब हो गईं, तमिलनाडु में भी सड़कें टूट गई हैं। इनफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में जब तक राज्य सरकार कोई प्लान बनाकर भारत सरकार को नहीं भेजती है, तब तक वह पैसा देना संभव नहीं होता है। इनफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में बहुत से पैसे का यूं ही आकलन करके राज्य सरकार यदि भेज दे और उस पैसे का हम एलोकेशन कर दें, यह संभव नहीं हो सकता है। हमने तमिलनाडु और कर्नाटक की राज्य सरकारों से कहा है। इन सरकारों ने हमें भरोसा दिलाया है कि वे बहुत जल्दी वे पूरा प्लान बनाकर भारत सरकार के पास भेज देंगे। यहां प्लानिंग कमीशन में जाने के बाद हमारे मंत्रालय में एक अथारिटी बनी है, वहां उन सारी चीजों का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा और जो कुछ भी मैक्सिमम मदद भारत सरकार के माध्यम से हो सकती है, हम उस मैक्सिमम मदद को करने के लिए तैयार हैं। हम इस बात के लिए माननीय सदस्यों को पूरी तरह से एश्योर करते हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): मैक्सिमम की परिभाषा क्या है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: ज्यादा से ज्यादा।

श्री मोहन सिंह: यह तो उसका अनुवाद हुआ। कुछ तो अनुमानित बताइए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: हम और आप तो हिन्दी भाषी राज्य के हैं, इसलिए इस तरह की परिभाषा पूछ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा यही तो मैं कह सकता हूं।

बांध से पानी छोड़े जाने के बारे में माननीय अनंत कुमार जी ने कहा है। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कभी किसी राज्य में किसी साल बाढ़ आती है, कभी किसी राज्य में किसी साल सूखा पड़ता है। अगर बांध खतरे में पड़ रहा हो तो उस राज्य की लाचारी होती है कि उस बांध से पानी छोड़ दिया जाए, वरना वह भी ढह जाएगा। पानी तो तबाही मचाएगा ही, बांध भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए बांध के बारे में यह कहना ठीक नहीं है कि बांध से पानी छोड़ दिया जाता है, उसकी वजह से तबाही आती है।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): बिना पूर्व सूचना के पानी छोड़ दिया गया। कर्नाटक के मुख्य मंत्री जो कांग्रेस के मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने केन्द्र के गृह मंत्री को पत्र लिखा है कि बिना पूर्व सूचना के इतनी भारी मात्रा में पानी छोड़ेंगे तो ज्यादा तबाही मचती है। इसलिए बांधों के लिए कोई कोआर्डिनेशन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड मानीटरिंग होनी चाहिए, यही हमारा निवेदन है। इसलिए हमने सैन्ट्रल वाटर कमीशन के तहत केन्द्र सरकार का इंटरवैन्शन मांगा है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैं इस संबंध में राज्य सरकार से कहूंगा कि जब कभी बांधों से पानी छोड़ा जाए, उसकी पूर्व सूचना होनी चाहिए। इस संबंध में कोई समिति भी होनी चाहिए तो तय करे कि जितने भी बांधों से जब भी पानी छोड़ा जाए, उसके लिए एक समयावधि होनी चाहिए कि इतने समय पहले राज्य को सूचित कर दिया जाए कि पानी छोड़ा जा रहा है जिससे राज्य अपनी तैयारियां कर ले और जो कुछ नुकसान होने की संभावना है, उसको रोकने के हर संभव उपाय कर सके। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं।

मैं समझता हूं कि सारी बातों का जवाब हो गया है। मैंने जो स्टेटमैंट दिया है, उसमें सारी बातों का जवाब दे दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: सैन्ट्रल कैलामिटी रिलीफ फंड की गाइडलाइन्स के बारे में हमने कहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि जो पैमाना निर्धारित किया गया है सीआरएफ का और एनसीसीएफ का, उसको भी रिवाइज किया जाना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं से माननीय गृह मंत्री जी को अवगत करा दूंगा और प्रधान मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अनंत कुमार जी, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: अगस्त में ही, भारत सरकार ने सी.आर.एफ. दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया था। ...*(व्यवधान)*

श्री के.वी. तंगबालु: महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण मिला है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: इसमें संशोधन नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप चारों में से डिसाइड कर लें कि किसको बोलना है। मैं एक को ही पूछने दूंगा।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, तमिलनाडु के माननीय सदस्यों द्वारा निगरानी समिति से संबंधित प्रश्न पूछे गये हैं। केन्द्र सरकार द्वारा सुनामी राहत के लिए प्रदत्त सहायता राशि का दुरूपयोग किया गया है। इसलिए, सूचना

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

अधिकार अधिनियम के आधार पर, हमारे माननीय सदस्य लाभार्थियों की सूची और सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा व्यय धनराशि का वितरण प्रदर्शित किया जाना चाहते हैं। मैं इस मुद्दे पर माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जवाब चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपके मंत्री जी ने यह सवाल पूछ लिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, हमने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का दस दिन तक इंतजार किया है। हम गृह मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से अत्यधिक असंतुष्ट हैं। केबिनेट मंत्री उठाये गए मुद्दों का उत्तर क्यों नहीं दे पाये? हमें श्री रघुपति, अन्य माननीय राज्य मंत्री से जवाब क्यों नहीं मिल पाया? हम उत्तर से अत्यधिक असंतुष्ट हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): उपाध्यक्ष महोदय, समय की कमी है। हमें विश्व व्यापार संगठन के मंत्रालयी सम्मेलन पर चर्चा आरंभ करनी है और उसे चार बजे तक समाप्त करना है। उसके पश्चात् राज्य सभा में इस पर चर्चा आरंभ की जायेगी। इसलिए यदि तमिलनाडु राज्य के माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा जारी रखना चाहते हैं तो हम इस पर चार बजे के पश्चात् चर्चा कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी: वोल्कर समिति रिपोर्ट के मुद्दे पर उन्होंने पांच दिन बर्बाद कर दिये। तमिलनाडु के मामले में, हम 40 सदस्य हैं और हम बहुत कम समय लेते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: हम इसे चार बजे के बाद ले सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णास्वामी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए और समय दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री के.वी. तंगबालु: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम इतने दिनों तक इस मामले को उठाने का इंतजार करते रहे। ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: हमारे राज्य के सांसद सभा का बहुत कम समय लेते हैं परन्तु हमें उचित उत्तर नहीं मिलता ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: महोदय, जैसा कि मैंने कहा, समय कम है। ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: कैबिनेट मंत्री को जवाब देने दें। हम राज्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: हम इसे चार बजे से ले सकते हैं।

श्री के.वी. तंगबालु: हम चार बजे तक इंतजार क्यों करें? आप अन्य मुद्दों पर इतना अधिक समय क्यों दे रहे हैं? यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को भी उचित महत्व दिया जाए। मैं आपका बहुत आदर करता हूं, और हम चाहते हैं कि अब माननीय मंत्री आएं और जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: हमने पहले ही दस दिन तक इंतजार कर चुके हैं जबकि वोल्कर समिति की रिपोर्ट पर दिन व्यर्थ जाते रहे। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: महोदय, विश्व व्यापार संगठन पर चर्चा चार बजे तक ही हो सकती है। उसके बाद इसे राज्य सभा में उठाया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री के.वी. तंगबालु: अभी क्यों नहीं? हमने चार दिन तक इंतजार किया। ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: अन्य मुद्दों पर प्रत्येक राज्य के माननीय सदस्यों को अवसर दिया गया लेकिन क्या हमारे राज्य को मौका दिया गया? ...*(व्यवधान)* तमिलनाडु से हम 40 संसद सदस्य हैं लेकिन हमने संसद का अधिक समय नहीं लिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदय, यदि हमें चार बजे तक इंतजार करना है, तो हम सभी को मौका मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: हम बहुत ही कम समय लेने वाले हैं। आप इसका पता लगाने के लिए किसी भी रिकार्ड की जांच कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एस.वी. चित्तन: चार बजे के बाद, हमारे राज्य के प्रत्येक सदस्य को बोलने का मौका मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: चार बजे के बाद, हम आपको समय देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदय, धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: कैबिनेट मंत्री को आने दें। हम चाहते हैं कि कैबिनेट मंत्री आएं और जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्हें अपना जवाब पूरा करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे पास बहुत कम समय है। इसलिए, आज हम मद संख्या 12 पर विचार नहीं कर सकते। उस पर कल या किसी अन्य दिन विचार किया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.18 बजे

भाण्डागारण (विकास और विनियमन) विधेयक,* 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, सभा मद संख्या-13 पर विचार करेगी-डा. अखिलेश प्रसाद सिंह विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए अनुमति लेंगे।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भाण्डागारों के विकास और विनियमन, भाण्डागार रसीदों की परक्राम्यता, भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 में दिनांक 7.12.2005 को प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न है:

"कि भाण्डागारों के विकास और विनियमन, भाण्डागार रसीदों की परक्राम्यता, भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए और इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.19 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: समय की कमी के कारण, मद सं. 14, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जायेगा। और वे कार्यवाही का भाग होंगे।

(एक) तमिलनाडु में डिंडीगुल, कोयम्बटूर खंड पर आमान परिवर्तन तथा मदुरै, तिरूनेलवेली और डिंडीगुल रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): मैं गरीब और मध्यम श्रेणी के यात्रियों की यात्रा को सुकर बनाने के लिए द्वितीय श्रेणी की अनेक बोगियों के साथ चेन्नई और मदुरई के बीच एक विशेष रेलगाड़ी शुरू करने के लिए रेल प्राधिकारियों की सराहना करता हूं। इसे नागरकोइल तक दैनिक उपयोग हेतु नियमित आधार पर चलाया जाए।

दक्षिण रेलवे के मदुरई मंडल ने यात्री यातायात में 14.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है अर्थात् यात्रियों की संख्या गत वर्ष के 127.48 लाख से बढ़कर इस वर्ष 145.64 लाख हो गई है। यह चैन्नई सहित अन्य मंडलों की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस मंडल में केरल के दो जिलों सहित 13 जिलों के यात्री शामिल हैं।

यात्री सड़क मार्ग की बजाय रेल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं क्योंकि यह परिवहन का सस्ता माध्यम है। विल्लुपुरम से मदुरई के बीच 349 कि.मी. की दूरी वाले रेल पथ का आधुनिकीकरण प्राथमिकता आधार पर शुरू किया जाए। अग्रेतर नगरकोइल तक चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया जाए।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री एन.एस.वी. चित्तन]

डिंडीगुल कोयम्बटूर के बीच आमान परिवर्तन की लम्बे समय से महसूस किए जा रहे आमान परिवर्तन के शीघ्र कार्यान्वयन पर भी विचार किया जाना चाहिए। मदुरई मंडल ने मदुरई, तिरूनेलवेली और डिंडीगुल रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं के उन्नयन हेतु 3 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव भेजा है। और इसे तत्काल स्वीकृत किया जाना चाहिए।

(दो) गुजरात के जूनागढ़ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजकोट और पोरबंदर जाने वाली गाड़ियों को वेरावल तक चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ (जूनागढ़): महोदय, गुजरात जिला पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस जिले में भगवान सोमनाथ महादेव का प्रसिद्ध व प्राचीन मंदिर है, जो हिन्दुओं के चार प्रसिद्ध धामों में से है। इस जिले में गिरनाथ पर्वत भी है। गिरनाथ पर्वत पर हिन्दुओं और जैन समाज का प्रसिद्ध और धार्मिक स्थान भी है। इस जिले में एशिया खंड का केसरी सिंह से जुड़ा "सासण गिर विस्तार" का क्षेत्र भी है और इस जिले का काफी बड़ा क्षेत्र समुद्र तट के किनारे भी है। इस समुद्रीय तट के किनारे पर एक स्थान दीव है। दीव में ब्रिटिश शासन के समय में बनाया गया एक किला है। इस किले को देखने के लिए आज भी देशी-विदेशी पर्यटक काफी संख्या में इस स्थान पर आते हैं। लेकिन रेल परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं होने से यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

अत: रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि अन्य राज्यों से जो रेलगाड़ियां राजकोट, पोरबंदर तक आती हैं, उन्हें वेरावल जिला जूनागढ़ तक बढ़ाने की आवश्यकता है। सोमनाथ वेरावल से अन्य चारों प्रसिद्ध धार्मिक (धामों) स्थलों को जोड़ने के लिए भी रेल सुविधा शुरू की जानी चाहिए। सोमनाथ वेरावल जिला जूनागढ़ से मुम्बई तक के लिए सीधी रेलगाड़ी चलायी जानी चाहिए, जिससे श्रद्धालु पर्यटकों को इस स्थान पर आना और आसान हो जायेगा और उनकी संख्या में वृद्धि से पर्यटन के क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।

(तीन) देश में आंगनवाड़ी कर्मकारों को समूह "ग" सरकारी कर्मचारियों का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): महोदय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी रोजगार की तरह माना जाये। उन्हें तृतीय श्रेणी के गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह ही सुविधायें दी जायें, क्योंकि इनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर समस्या के समय देश के हर राज्य के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मदद ली जाती है। जैसे: -कहीं महामारी हो जाये, टीकाकरण हो, पोलियो उन्मूलन हो या एडस से बचने का प्रचार हो, हम इन्हीं कार्यकर्ताओं की सहायता लेते हैं।

ये सभी महिलायें हैं और लाखों की संख्या में पूरे देश में कार्यकता हैं। इनकी मदद करने से लाखों परिवारों को लाभ पहुंचेगा तथा इन्हें इनका अधिकार मिलेगा और महिला को सशक्त करने का एक रास्ता भी होगा। महिला भारत की नींव है। उसके मजबूत हुए बिना भारत मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए हर स्थान पर जहां आवश्यकता है, हमें महिलाओं को पूरी-पूरी सुविधायें देनी चाहिए, जिससे देश की भावी पीढ़ी शारीरिक एवं मानसिक रूप से शक्तिशाली रूप में उभर कर देश का अच्छा निर्माण कर सकें और इस देश को विश्व में सबसे अग्रणी रख सकें।

(चार) गुजरात में महुआ, धोला और अहमदाबाद को जोड़ने वाली सीधी गाड़ी आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के महुआ एवं धोला के बीच ब्राड गेज लाइन शुरू हुयी है, परन्तु महुआ एवं धोला से अहमदाबाद तक रेल सेवा शुरू की जाये, क्योंकि इस क्षेत्र से अहमदाबाद तक के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। साथ ही साथ महुआ एवं धोला के बीच जो रेलवे स्टेशन जैसे साबरकुला, राजूला, दामनगर, लीलिया पर मीटर गेज वाले प्लेटफार्म हैं, जिन्हें ब्राड गेज वाले प्लेटफार्म बनाया जाना अति आवश्यक है। महुआ या धोला से एक ए.सी. कोच, एक स्लीपर कोच एवं एक जनरल कोच लगाया जाये, जो भावनगर से बांद्रा एवं मुम्बई जाने वाली रेल सेवा से जोड़ा जाये। आजादी के 58 साल के बाद सौराष्ट्र का अति महत्वपूर्ण शहर जेतलसर एवं ढासा में अभी तक मीटर गेज लाइन है, इसको भी ब्राड गेज लाइन शुरू किया जाये। साथ ही इसमें पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किया जाये, जो आज जर्जर हालत में हैं।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि महुआ से धोला के बीच परिवर्तित ब्राड गेज लाइन का पूरा उपयोग करने के लिए महुआ-धोला-अहमदाबाद सीधी रेल सेवा चलायी जाये एवं महुआ या धोला से एक ए.सी. कोच, एक जनरल कोच एवं एक स्लीपर कोच शुरू करके उसे भावनगर से मुम्बई या बांद्रा चलने वाली सेवा में जोड़ा जाये एवं जेतलसर से ढासा के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज में बदला जाये।

(पांच) गुजरात में खनिज संपदा पर रॉयल्टी का व्यय गवेषण जोन में कल्याण और विकास के कार्यकलापों के लिए सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): महरोदय, देश में कई प्राकृतिक स्रोतों से तेल, गैस कोयला एवं कई खनिज पदार्थ प्राप्त हो रहे है। इन पदार्थों से अरबों रुपये की आय सरकार को होती है, परन्तु जहां से यह पदार्थ निकलता है, वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता है। इन खनिज पदार्थों को प्राप्त करने वाले स्रोत स्थल के आस-पास लोगों को कोई विशेष बुनियादी सुविधायें भी नहीं देते हैं, जिसके कारण यहां के लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। खनिज पदार्थ प्राप्त करने वाले उपक्रम जिन राज्यों से खनिज पदार्थ एवं तेल इत्यादि प्राप्त करते हैं, उनके एवज में प्रत्येक राज्य को रायल्टी की भारी राशि प्राप्त होती है, जिसे राज्य सरकार खनिज पदार्थ एवं तेल पदार्थ स्रोत स्थल के विकास कार्य में नहीं लगाती है और उस समय तो और भी स्थिति विकट हो जाती है जब कोई प्राकृतिक आपदा का प्रकोप इन स्रोत स्थल के आस-पास होता है। गुजरात के स्रोत स्थलों में आये भूकम्प, चक्रवात, सूखे एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों को इस रायल्टी से कोई सहायता नहीं दी गयी।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस रायल्टी राशि का उपयोग खनिज पदार्थों के स्रोत स्थल के विकास हेतु दिये जाने हेतु निर्देश दिया जाये या इस रायल्टी राशि में से कुछ प्रतिशत केवल खनिज पदार्थों के स्रोत स्थल के विकास एवं इस स्रोत स्थल पर किसी प्राकृतिक आपदा के समय राहत एवं सहायता हेतु दिये जाने का प्रावधान किया जाये।

(छह) पर्यटन क्षेत्र में नियुक्त लोगों के हित की रक्षा की दृष्टि से डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को डाबोलिम से गोवा के मोपा में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अलीमाऊ चर्चील (मारमुगाओ): भारत में पर्यटन के पर्याय गोवा का स्थान अन्य स्थानों से काफी ऊंचा है। पर्यटन महत्वपूर्ण नियोक्ता है और राज्य के जनांकिकीय विश्लेषण के अनुसार 65 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन पर निर्भर करती है।

डाबोलिम हवाई अड्डा गोवा पहुंचने का सर्वविदित प्रवेश-द्वार है और इसे समस्त विश्व में जाना जाता है। समस्त गोवा विकसित पर्यटन बेल्ट है जिसमें किसी भी श्रेणी के सभी होटल, लाज और सस्ते निजी आवास शामिल हैं। गोवा आजीविका अर्जन के लिए पर्यटन पर निर्भर करता है और डाबोलिम हवाई अड्डा वास्तव में राज्य के केन्द्र में है जो कि उत्तर और दक्षिण से समान दूरी पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को डाबोलिम से मोपा स्थानांतरित किये जाने से गोवा पर्यटन, भारतीय पर्यटन और भारतीय प्रायद्वीप का पर्यटन बरबाद हो जायेगा।

डाबोलिम में हवाई अड्डा सभी पर्यटन उन्मुखी कार्यकलापों की जीवन रेखा है और इसे मोपा में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है-ऐसा करने से गोवा पर्यटन संबंधी कार्य विधियों के लिए एक मरूस्थल बन जायेगा। लोग वास्तव में भूखे मरेंगे और बरबाद हो जायेंगे और गोवा में पर्यटन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। भौगोलिक अध्ययन इस महत्वपूर्ण मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करेगा।

ऐतिहासिक रूप से गोवा को महाराष्ट्र में मिलाये जाने की संभावना थी परन्तु जनमत सर्वेक्षण ने गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बनाये रखने का निर्णय लिया। यदि मोपा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाता है तो इस बात को पूर्णतः नकार दिया जायेगा। यदि उनकी भावनाओं का आदर नहीं किया गया तो गोवा के लोग अपमानित और निरूत्साहित महसूस करेंगे।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि डाबोलिम को गोवा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने रहने देना चाहिए और उनका उन्नयन और नवीकरण किया जाना चाहिए। यदि उचित विचार-विमर्श किया जाये तो नौसेना अड्डे सी बर्ड, कारवार स्थानांतरित किया जा सकता है।

(सात) कर्नाटक में 298 कि.मी. लम्बे शोलापुर-मंगलोर खंड पर कनावी वीरभद्र मंदिर के नजदीक रेलवे क्रासिंग पर एक सड़क अंडरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. करूणाकर रेड्डी (वेल्लारी): मैं कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में शोलापुर-मंगलौर सैक्शन में 298 किलोमीटर पर कनावी वीरभद्र मंदिर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 एक रेलवे लाइन एल सी: 13 (13-14) को क्रास करता है। बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियों के कारण इस लाईन पर बहुत सारी रेल गाड़ियां लौह अयस्क लेकर गुजरती हैं जिससे रेलवे गेट बार-बार बंद कर दिये जाते हैं। इससे हजारों की संख्या में वाहन रूक जाते हैं और घंटों ट्रैफिक जाम रहता है जिससे जनता को परेशानी होती है। गेट के दोनों ओर का मार्ग अत्यधिक ढलान वाला है जिसमें बहुत सारे मोड़ हैं। उस स्थान पर वाहनों की निर्बाध और सुचारू रूप से आवाजाही के लिए एक सड़क निचला पुल का निर्माण किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

[श्री जी. करुणाकर रेड्डी]

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना का कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जाये।

(आठ) उड़ीसा में कानपुर बहुद्देशीय परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): उड़ीसा में कानपुर बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण में असाधारण विलम्ब के कारण मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्योंझर की जनता के मन में भारी असंतोष की भावना घर कर गयी है। वर्षों पहले जब इस परियोजना का अनुमोदन किया गया था, तो यह कहा गया था कि इसे 7 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा कर दिया जायेगा। किंतु यह परियोजना अभी भी शुरू नहीं की गयी है।

इसका कारण एक तो यह है कि सरकार ने इसके प्रति उदासीन रवैया अपनाया है। दूसरा, इस परियोजना के लिये आबंटित निधियां भी असहाय हैं। इस परियोजना के लिये जो थोड़ी बहुत राशि उपलब्ध होती है, उसे भी या तो कर्मचारियों के लिए आवास के निर्माण में खर्च कर दिया जाता है अथवा उसका दुरूपयोग किया जाता है।

यह परियोजना परंपरागत रूप से सूखाप्रवण क्षेत्र में स्थित है जहां अधिकतर किसान छोटे और सीमांत है। इस क्षेत्र में अधिकांश जनजातीय लोग रहते हैं। पूर्ण हो जाने पर यह परियोजना संपूर्ण क्षेत्र का परिदृश्य बदल देगी। उससे सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होने के साथ-साथ. विद्युत का भी उत्पादन भी किया जा सकेगा।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि संशोधित आकलनों के अनुसार निधियां आबंटित की जायें और परियोजना को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाये ताकि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गरीब किसानों को लाभ हो सके।

(नौ) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोंच नगर स्थित मुख्य डाकघर के जीर्ण-शीर्ण भवन के पुनर्निर्माण के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन-गरौठा, उ.प्र. के कोंच नगर के मुख्य डाकघर का भवन इतना जीर्ण-शीर्ण हो चुका है कि किसी दिन कोई त्रासदी हो सकती है। यदि भवन को तुड़वाकर सामने की ओर दुकानें बनायी जायें, पीछे की ओर डाकखाना बनवाया जाये और प्रथम मंजिल पर पोस्ट आफिस आवास बनाया जाये तब दुकानों से प्रीमियम के रूप में इतनी धनराशि मिल जायेगी, जिससे सम्पूर्ण भवन का निर्माण कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हजारों रूपया माह की आमदनी विभाग को मिलने लगेगी।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि दुर्घटना की संभावना को देखते हुए उपरोक्त नये डाकघर को बनाने के लिए समुचित कदम उठाये जायें।

(दस) देश में पंचायतों और नगरपालिकाओं के पदाधिकारियों को कार्यालय का स्थान और यात्रा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामस्वरूप कोली (बयाना): महोदय, पंचायत राज में सरपंचों और उप सरपंचों के चुनाव होते हैं। इसी तरह पंचायत समितियों में सदस्य तथा प्रधान व उपप्रधान के लिए तथा जिला परिषदों में सदस्य, जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख के लिए भी चुनाव होता है।

सरपंचों, प्रधानों व जिला प्रमुखों को अपने कार्य निर्वहन के लिए सभी सुविधायें मुहैया करायी जाती हैं, किंतु उप सरपंचों, उप प्रधानों तथा उप जिला प्रमुखों को अपने सफल कार्य निर्वहन हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कायी जाती है। नगर पालिकाओं में भी उपाध्यक्षों का भी यही हाल है। भारत सरकार से अनुरोध है कि उन्हें कार्यालय तथा यात्रा की सुविधायें उपलब्ध कराकर अथवा कार्यालय एवं यात्रा भत्ता देकर, पंचायत राज को अमली जामा पहनायें।

(ग्यारह) अरूणाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम): देश में अरूणाचल प्रदेश में सर्वाधिक पनबिजली क्षमता है जो कि अनुमानतः 6000 मैगावाट है और विश्व भर में अद्वितीय हैं। भारत सरकार समय-समय पर भारी निवेश करके इस क्षमता का दोहन करने का वादा करती रही है। परन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी पनबिजली क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है और हमारे देश में विद्युत की भारी कमी हो रही है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी तथा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रिलीज किए गए 'पावर विजन' में अरूणाचल प्रदेश की प्रस्तावित पन बिजली परियोजनाएं भी शामिल हैं। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि जिन परियोजनाओं को विभिन्न अनिवार्य प्राधिकरणों से स्वीकृति प्राप्त हो

चुकी है और जो एन.एच.पी.सी. और एन.ई.ई.पी.सी.ओ. द्वारा कार्यान्वित की जानी है उनके सफल कार्यान्वयन के बिना यह विजन किस प्रकार साकार किया जाएगा। परियोजनाएं राजनीतिक इच्छा तथा सरकार से अत्यावश्यक सहायता के अभाव के कारण लम्बित हैं।

मैं माननीय विद्युत मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मामले को अत्यधिक गंभीरता से लें और अरूणाचल प्रदेश में सभी वृहत पन बिजली परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रयास करे। साथ ही प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास तथा प्रभावित क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाए ताकि वहां सतत विकास हो सके।

(बारह) पश्चिम बंगाल के फुलिया में हथकरघा उत्पादन-सह-डिजाइन विकास केन्द्र तथा एक निर्यात बाजार की स्थापना की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री अलकेष दास (नवद्वीप): मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् नवद्वीप कपड़े के सामान के लिए जाना जाता है। शान्तिपुर, फुलिया, नवद्वीप के बुनकरों को अपनी हथकरघा साड़ियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। फुलिया की तमगेल साड़ी, नवद्वीप की जायदानी साड़ी, और पारम्परिक सानलीपुरी साड़ियां देश और विदेश दोनों में प्रसिद्ध हैं। राज्य के कुल 14 करोड़ रुपये के निर्यात इन तीन स्थानों के बुनकरों की साड़ियों का होता है। परन्तु इन बुनकरों को उनकी उत्तरजीविता के लिए सरकारी सहायता दी जाए। चूंकि इनसे सरकार को सहायता मिल रही है अत: सरकार को इनकी सहायता करनी चाहिए। हाल ही में हथकरघा और वस्त्र निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार की पहल पर, "हथकरघा बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड" नाम का एक समिति बनाई गई है। वे फुलिया में हथकरघा उत्पादन सह ओलकल्प विकास केन्द्र और निर्यात बाजार स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए 1.10 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई है। नाडिया जिला परिषद इस परियोजना को पूरी तरह से सहायता दे रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि 2.52 करोड़ रुपए की इस परियोजना, जिससे लगभग 2 लाख बुनकर परिवार जुड़े हैं, को स्वीकृति दी जाए। उन्हें इस परियोजना के कार्यान्वयन से लाभ होगा।

(तेरह) पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पर्यटन के विकास के लिए निधि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मेरा जिला हावड़ा महत्वपूर्ण जिलों में से एक है यहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र नामत: बेलूरमठ और इंडियन बाटेनिकल गार्डन हैं। इसके अतिरिक्त गंगा पर दो अद्वितीय पुल रवीन्द्र सेतु और विद्यासागर सेतु इंजीनियरी के उत्कृष्ट नमूने हैं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा, हमारा इरादा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में महान साहित्यिक व्यक्तित्व शरत चन्द्र के निवास को इस महान उपन्यासकार की कहानियों पर आधारित 'थीम पार्क' के रूप में विकसित करके एक मुख्य पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने का है। गदियारा में हुगली और दामोदर नदियों का संगम और गारचुमुक में हिरण पार्क जो सर्वाधिक सुन्दर पर्यटक स्थल हैं में और सुधार किया जा सकता है। उन सभी स्थानों को जोड़ते हुए एक टूरिस्ट सर्किट बना कर इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए।

परन्तु "जाय एट योअर डोरस्टैप" नामक परियोजना को पूरा करने के लिए हावड़ा जिला परिषद ने पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से भारत सरकार को सर्वेक्षण करने और केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु एक आधुनिक परियोजना तैयार करने में सहायता देने का प्रस्ताव भेजा है क्योंकि उनकी अपनी तुच्छ निधि से इसका कार्यान्वयन नहीं हो सकता।

मैं सरकार से तथा विशेष रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे परियोजना को पूरा करने में हमारी सहायता करें।

(चौदह) मुरादाबाद और मुंबई के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का शहर मुरादाबाद एक विकसित व्यवसायिक एवं औद्योगिक शहर है और पीतल उद्योग का एक बड़ा निर्यात केन्द्र है। करोड़ों रुपये का निर्यात मुम्बई के द्वारा ही होता है। उत्तर प्रदेश का बड़ा रेलवे जंक्शन होने के अलावा यहां मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय भी है।

यहां के हजारों निर्यातक व आम जनता इन तथ्यों के आधार पर मुरादाबाद से मुम्बई के लिए एक सुपरफास्ट रेल गाड़ी की मांग काफी दिनों से करती आ रही है, लेकिन मंत्रालय ने इस ओर आज तक भी गंभीरता से विचार नहीं किया है। जबकि इन तथ्यों के आधार पर यह ट्रेन चलाना अत्यंत आवश्यक है।

अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे संसदीय क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण मांग को ध्यान में रखते हुए जनहित व पीतल औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देने हेतु मुरादाबाद से मुम्बई तक एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी शीघ्र चलवाने का कष्ट करें।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के पुनरूद्धार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): महोदय, देश के सर्वाधिक गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य, उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग बदहाली का शिकार होता जा रहा है। कपड़ा मंत्रालय के उपक्रम बी.आई.सी. के अधीन संचालित चीनी मिलें सालों से बंद पड़ी हैं, जिन्हें पुन: चालू कराने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, इनमें कार्यरत हजारों श्रमिक भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अधीन चलने वाली अधिकांश चीनी मिलें जर्जर और बीमार हैं, जिनके आधुनिकीकरण के लिए बिना शर्त केन्द्रीय सहायता की जरूरत है। गन्ना मूल्य निर्धारण में भी केन्द्र द्वारा पूरे देश के लिए एक समान मूल्य निर्धारित न करके विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाया जाता है, जिससे उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के किसान हतोत्साहित होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गत वर्ष गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी करके उसका समय से भुगतान कराया जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में लगभग 20 प्रतिशत अधिक गन्ना उत्पादित होने का अनुमान है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग को बचाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की व्यवस्था करें।

(सोलह) झारखंड के पलामू क्षेत्र में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोज कुमार (पलामू): महोदय, बिहार विभाजन के बाद झारखंड राज्य में अवस्थित अनेक सिंचाई परियोजनाएं जो निर्माणाधीन थी दोनों राज्यों के परिसंपत्तियों के बंटवारा विवाद के कारण लंबित हैं। इसमें पलामू प्रमंडल के उत्तर कोयल परियोजना, मोहम्मदगंज वराज परियोजना, बटाने सिंचाई परियोजना इत्यादि अन्य योजना भी शामिल है। जैसा कि ज्ञात है पलामू प्रमंडल पिछले पांच सालों से लगातार सुखाड़ ग्रस्त होता रहा है। इस परिस्थिति में इन परियोजनाओं को लंबित रहने से पलामू प्रमंडल के किसानों को व्यापक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

अत: जल संसाधन मंत्री से आग्रह है कि राज्य बंटवारा विवाद में लंबित परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय दिया जाये, जिससे कि निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा सके।

(सत्रह) तमिलनाडु में सुनामी पीड़ितों के लिए किए जा रहे पुनर्वास उपायों को सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर): तमिलनाडु में इस वर्ष अत्यधिक वर्षा से भारी संकट पैदा हो गया। पिछले वर्ष तक भयंकर सूखे की स्थिति होती थी। एक के बाद एक सुनामी का कहर और प्राकृतिक आपदा आई उन्होंने भारी क्षति पहुंचाई। सबसे खराब सुनामी जो तमिलनाडु के तटवर्ती जिलों में आई उसने खेती योग्य भूमि को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इस वर्ष एक के बाद एक मानसूनों से भी विनाशकारी नतीजे सामने आए। सम्पत्ति का भारी नुकसान, फसल की हानि हुई और उपजाऊ भूमि को बंजर छोड़ा जा रहा है जिसके लिए उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक प्राकृतिक आपदा के पश्चात् पूरी ईमानदारी से पुनर्वास उपाय किए जाएं परन्तु तमिलनाडु में राहत कार्य बहुत धीमी गति से कराये गए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को नए सिरे से आजीविका शुरू करने हेतु कम से कम 2000 रुपए और प्रत्येक किसान को कम से कम 5000 रुपए तत्काल दिए जाने चाहिए। जिन लोगों ने सूनामी में अपने मकान गंवा दिए हैं उन्हें अभी तक उचित आश्रय नहीं मिल पाया है। केंद्र की जिम्मेदारी मुआवजा पैकेज देकर ही समाप्त नहीं हो जाती बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जरूरतमंद को जरूरी सहायता मिले राहत कार्यों की भी समझदारी से निगरानी करनी पड़ेगी। केंद्र को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पुनर्वास उपाय सुचारू तरीके से किए जाएं। सूनामी आपदा के तुरंत बाद पूरे विश्व से धन आया था। केंद्र द्वारा दी गई राहत निधि के अतिरिक्त अनेक गैर-सरकारी संगठनों और यहां तक कि विश्व बैंक ने भी धन दिया था। इस समय मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के कष्ट कम करने के लिए इन निधियों का उचित रूप से उपयोग किया जाए।

(अठारह) महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोनार क्रेटर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना): बुलढाना निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाली आबादी का एक बड़ा वर्ग पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है। महोदय, उद्योगों की कमी के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की आर्थिक दशा बहुत खराब है। लोग दयनीय स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं।

केंद्रीय महाराष्ट्र में लोनार में एक अद्वितीय गर्त एक भव्य स्थान है और विश्व में ऐसे पांच सबसे बड़े गर्तों में से एक है। लोनर गर्त विश्व में बसाल्ट चट्टान में एकमात्र प्राकृतिक प्रभाव वाला गर्त है। गर्त के तल पर एक झील बन गई है जिसके चारों

ओर छोटी बस्तियां बस गईं हैं। यह अद्वितीय भूगर्भीय स्थल बड़ी संख्या में प्रवासी और निवासी पक्षियों, जिसमें किंगफिशर, ओरिओल्स तथा मिनिवेट्स शामिल हैं, का घर है। यद्यपि यह भारत के सबसे गर्म स्थानों में से एक है परन्तु लम्बे वृक्षों और फल के बागों के शीतल वन इस क्षेत्र को घेरे हुए हैं। यहां एक अद्वितीय मोर विहार भी है। हेमादपंती शैली में बना मंदिर गर्त के भीतर स्थित है। ढांचे जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित लोनार गर्त का समुचित बुनियादी ढांचे के अभाव में विश्वव्यापी प्रचार नहीं हो सका। महोदय, विदेशी पर्यटकों तथा राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लोनार गर्त को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि लोनार गर्त को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की कृपा करें ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें और इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर किया जा सके।

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश राज्य में उर्वरक की कमी को दूर करने के लिए उर्वरक का अतिरिक्त स्टाक जारी किए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): बहुत वर्षों में पहली बार राज्य के लगभग सभी जिलों में भरपूर वर्षा हुई है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों यथा अनंतपुर में भी अत्यधिक वर्षा हुई। परन्तु अच्छे मानसून पर किसानों की खुशी उर्वरक विशेषकर यूरिया की भारी कमी के कारण कम हो गई है। किसानों की इस वर्ष भारी उपज की संभावनाएं क्षीण हो गई है क्योंकि किसानों को खरीफ की फसल के लिए पांच लाख टन उर्वरक कम पड़ गए।

राज्य को लगभग 16 लाख टन यूरिया की आवश्यकता है जबकि बाजार में केवल 11 लाख टन उपलब्ध है। यूरिया की मुख्यतः धान, गन्ना, कपास और मक्का जैसी फसलों के लिए आवश्यकता होती है। एकल सुपर फास्फेट उर्वरक की भी कमी है। तथापि संकर उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इस बार अच्छी फसल होने की प्रबल सम्भावना है क्योंकि अभी तक अच्छी वर्षा हुई है। इस बार खरीफ फसल की बुआई के क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी होने के कारण भी उर्वरक की मांग में वृद्धि हुई है। यदि किसानों को इस समय पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं मिलेगा तो उनकी फसल नष्ट हो जाएगी।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे राज्य में उर्वरक की भारी कमी से उबारने और खड़ी फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए और अधिक स्टाक जारी करें।

(बीस) केरल के उन लगभग 500 मलयाली मुसलमानों, जिनके समक्ष पाकिस्तान निर्वासित किए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है, को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): केरल में लगभग 500 मलयाली मुसलमानों को पाकिस्तान निर्वासित किए जाने का खतरा है। यद्यपि उनका जन्म केरल में हुआ था, फिर भी वे कानून के सतत भय में जी रहे हैं क्योंकि उन्हें पुलिस के समक्ष समय-समय पर पेश होना होता है और किसी भी समय उन्हें सम्मन दे दिया जाता है।

उन्हें पाकिस्तानी नागरिक समझा जाता है क्योंकि देश-विभाजन के समय वे पाकिस्तान में आजीविका अर्जित कर रहे थे। विभाजन के बाद उन्हें पारिवारिक बंधनों के कारण केरल लौटना पड़ा जिसके लिए उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किए गए। चूंकि वे पाकिस्तानी पासपोर्ट धारक हैं, अतः भारत उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता देने को तैयार नहीं है और उन्हें वीजा सुविधा पर रूके हुए पाकिस्तानी माना गया है।

जब तक उन्हें पाकिस्तानी नागरिक माना जाता है, उन्हें कभी भी निर्वासित किया जा सकता है। अनेक अवसरों पर उनमें से अनेक को सम्मन भेजा गया और उन्हें पाकिस्तान निर्वासित कर दिया गया जिससे उन्हें और उनके परिवारों को अपमान और अत्यधिक दुःख उठाना पड़ा। सम्पूर्ण मुद्दे का दयनीय पहलू यह है कि वे सभी उम्रदराज हैं और उनमें से कुछ बीमार हैं। चूंकि उनके समस्त पारिवारिक रिश्ते केरल में हैं, पाकिस्तान में उनकी देखरेख के लिए कोई भी नहीं है।

यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के साथ पुनर्मेल की शुरूआत की है और ऐसे समय पर हमारे अपने देशवासी निर्वासन का सामना कर रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हमारे अपने लोगों के लिए इसी प्रकार की उदारता दर्शाये और उन्हें भारतीय नागरिक के समान मान्यता देने हेतु आवश्यक कदम उठाये।

[अनुवाद]

ससंदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं संक्षिप्त रूप में निवेदन करना चाहता हूं। मैं इस मामले में तमिलनाडु और सम्पूर्ण दक्षिण के माननीय सदस्यों की भावनाओं और भारत सरकार से इस मामले में उनके विस्तृत उत्तर की हृदय से सराहना करता हूं।

जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया है, हमारे लब्धप्रतिष्ठ वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री कमल नाथ को कल एक महत्वपूर्ण बैठक हेतु हांगकांग जाना होगा और दोनों सदनों में सभी नेतागण राज्य सभा के सभापति और लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस मामले को आज की कार्यसूची में रखा जाये और दोनों सदनों में इसे निपटाया जाये। अत:, मेरा निवेदन है कि माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सर्वप्रथम माननीय सदस्यों के विचार सुनें और अपने उत्तर दें।

उनके उत्तर के बाद, वह राज्य सभा में जाएंगे। तत्पश्चात्, माननीय मंत्री, श्री श्रीप्रकाश जायसवाल बाढ़ के मुद्दे पर विस्तृत उत्तर दे सकते हैं *...(व्यवधान)* कृपया पहले मेरी बात सुनें। मैं आपको यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सदन में शीघ्र ही आपदा प्रबंधन विधेयक पर पूर्ण चर्चा होने वाली है *...(व्यवधान)* इस कार्य हेतु आपका स्वागत है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, इसका पहले ही निर्णय हो चुका है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि आपको उस मुद्दे पर मंत्री जी से कोई स्पष्टीकरण मांगना है तो आपका स्वागत है *...(व्यवधान)* मैं उसका समर्थन करता हूं। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.21 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) हांगकांग में विश्व व्यापार संगठन के आगामी छठे मंत्रालयीय सम्मेलन के विशेष संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन में भारत की भूमिका

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब यह सभा हांगकांग में विश्व व्यापार संगठन के आगामी छठे मंत्रालयीय सम्मेलन के विशेष संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन में भारत की भूमिका के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के लिए मद संख्या 17 को लेगा।

श्री प्रबोध पाण्डा अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, सर्वप्रथम मैं हांगकांग में विश्व व्यापार संगठन के आगामी छठे मंत्रालयीय सम्मेलन के विशेष संदर्भ में भारत की भूमिका के संबंध में चर्चा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं *...(व्यवधान)* हमारे माननीय मंत्री महोदय अन्य मंत्रियों के साथ बातचीत करने में व्यस्त हैं। इसलिए, मैं इस विषय पर उनका ध्यान कैसे आकृष्ट कर सकता हूं? *...(व्यवधान)* यह खेद का विषय है। *...(व्यवधान)* महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ): मैं सुन रहा हूं।

श्री प्रबोध पाण्डा: यह आशा थी कि माननीय मंत्री महोदय, श्री कमलनाथ, पहले इस मामले पर श्वेत-पत्र जारी करेंगे। मैंने कई समाचारपत्रों में यह पाया कि माननीय मंत्री ने यह कहा है कि वह सहमति के आधार पर आगामी शिखर बैठक में हमारे देश के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहे हैं। हां, मैं यह मानता हूं कि सहमति है। परन्तु यह सहमति हांगकांग जाने से पहले थी, संबंधित मंत्रालय श्वेत-पत्र अथवा प्रारूप-पत्र लाए ताकि उसके आधार पर सहमति प्राप्त की जा सके। मैं यह समझता हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया बल्कि इसकी उपेक्षा की गई। अत:, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह बहुत खराब स्थिति है।

अपराह्न 2.23 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए***]**

इस मामले को आज विचारार्थ लिया है जब हांगकांग में विश्व व्यापार संगठन का छठा मंत्रालयीय सम्मेलन शुरू होने में मात्र एक सप्ताह का समय बचा है। हमने माननीय मंत्री, श्री प्रियरंजन दासमुंशी से अभी-अभी सुना है कि माननीय मंत्री जी स्वयं इस शिखर बैठक में भाग लेने के लिए कल हांगकांग जा रहे हैं *...(व्यवधान)*

यह ज्ञात हुआ था कि विश्व व्यापार संगठन ग्लोबल नार्थ के निगमित अधिपत्य को ग्लोबल साऊथ पर कायम रखने का उपकरण है, ग्लोबल सिविल सोसायटियों ने डब्ल्यूटीओ वार्ताओं का विश्वव्यापी विरोध किया और इसके साथ-साथ विश्व ने देखा कि सिएटल, दोहा और कानंकुन में समझौता चर्चाएं विफल रहे।

हमारे देश से क्या उम्मीद की जाती है? विकासशील देशों के साथ एकजुटता दिखाकर ही भारत के दीर्घावधि हित सर्वोत्तम ढंग से पूरे होते हैं।

वर्ष 2003 में कानकुन में मंत्रालयीय सम्मेलन के समय जी-20 और जी-33 का गठन एक सकारात्मक कदम था। हमारे देश जी-20 देशों का संस्थापक है। मैं इसकी सराहना करता हूं। यह उम्मीद की गई थी कि हमारा देश न केवल जी-20 देशों का अपितु, विकासशील देशों का भी नेतृत्व करेगा और विकसित देशों के द्वारा एकाधिपत्य जमाने की योजना का सामना करने के लिए एकजुट रहेंगे।

परन्तु महोदय, बाद की घटनाओं से विशेषत: भारत जबकि इसमें रुचि रखने वाले पांच देशों में से एक है। यह स्पष्ट हो जाता है कि डब्ल्यूटीओ के दो पक्ष हैं। एक पक्ष विकसति देश और दूसरा पक्ष है विकासशील देश। एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण। हमारा देश इसमें रुचि दर्शाने वाले पांच देशों में है अर्थात् अमरीका, यूरोपीय संघ, आस्ट्रेलिया, ब्राजील और हमारा अपना देश। यह समझ में नहीं आता है। जुलाई फ्रेमवर्क समझौता लाने में इसकी भूमिका को परखा जाना है। भारत संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सर्विस ग्रुप का सह-अध्यक्ष है और विकसित देशों द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में मौन धारण किए हुए हैं; परन्तु विकासशील देशों की एकजुटता के प्रति बचनबद्धताओं के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमारे देश को विश्व व्यापार संगठन मंत्रालयीय सम्मेलन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हमने जो कुछ पहले देखा है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे देश को इस पर सशक्त होना चाहिए और सम्मेलन के दौरान इस मुद्दे पर अपने मत पर कायम रहना चाहिए। मैं इस संबंध में सभी पहलुओं को शामिल करूंगा परंतु समयाभाव के कारण उनपर विस्तार से प्रकाश नहीं डालूंगा। मैं विशेष रूप से कृषि संबंधी समझौते पर ही बोलूंगा। मैं यह समझता हूं कि यह विश्व व्यापार बैठक में वार्ता का मुख्य विषय है। यह अवसर है। हमारे देश को इस अवसर का समुचित समुचित उपयोग करना चाहिए और पूंजीवादी ताकतों के एकाधिकार के विरुद्ध दबाव बनाना चाहिए विकासशील राष्ट्रों के प्रति बाजार सुलभता, निर्यात, राजसहायता और घरेलू सहायता जैसे तीन मुख्य मामलों में उनकी प्रतिबद्धता के बारे में उन्हें बताया जाये। ये तीन स्तंभ हैं। इन तीन स्तंभों पर विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जाये और इस बात पर पर्याप्त दबाव डाला जाए।

यह हमारे नागरिकों के हित में है कि हमारी सरकार कृषि को डब्ल्यूटीओ वार्ताओं से अलग कर ले। जब इसे डब्ल्यूटीओ में शामिल किया गया था, उस समय यह बताया गया था कि हमारे देश हित, कृषक समुदाय के हित के लिए कृषि को डब्ल्यूटीओ में शामिल किया गया था। परन्तु, इसका क्या परिणाम निकला? जो कुछ घटित हो रहा है वह इसके बिल्कुल विपरीत है। विकासशील देशों के लाभों के संदर्भ में किये गये वायदे की तुलना में इस समझौते के कृषि पर पड़ने वाले परिणाम की जांच किये जाने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना में मूल सिद्धांतों को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया था। मैं इनका उल्लेख कर रहा हूं:

> "इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पार्टियां यह मानते हुए कि इस क्षेत्र में उनके संबंध और आर्थिक प्रयास जीवन स्तर बढ़ाने, पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने और निरंतर बढ़ती वास्तविक आय और प्रभावी मांग के दृष्टिगत किया जाए और सतत विकास के उद्देश्य के अनुसार विश्व के संसाधनों का इष्टतम उपयोग की अनुमति प्रदान करते हुए वस्तुओं के उत्पादन और वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाना और सेवाओं का संवर्द्धन, पर्यावरण का संरक्षण करना और विकास के विभिन्न स्तरों पर उनकी संबंधित आवश्यकताओं और चिंताओं के अनुरूप ऐसा करने के साधनों को बढ़ाना।"

महोदय, वर्ष 2001 की दोहा घोषणा में पहले ही यह कहा गया है कि:

> "हम पुन: इसकी पुष्टि करते हैं कि एस डी टी का प्रावधान डब्ल्यू टी ओ समझौते का एक अभिन्न अंग है। अतएव हम इस बात से सहमत हैं कि सभी एस डी टी प्रावधानों को सुदृढ़ बनाने और उन्हें और स्पष्ट, कारगर और प्रचालनात्मक बनाने के उद्देश्य से उनकी समीक्षा की जाए।"

इसकी समीक्षा की जाए और विकासशील देशों के लिए लाभ के अर्थों में किए गए वायदे के संबंध में ए ओ ए के परिणामों की जांच करने की भी आवश्यकता है। मैं कुछ ही बिन्दुओं का उल्लेख कर रहा हूं और कुछ सुझाव दे रहा हूं। मैं समय की कमी के कारण यहां सभी बिन्दुओं की व्याख्या नहीं कर रहा हूं।

विकसित देशों द्वारा निर्यात ऋण गारंटी और निर्यात बीमा सहित सभी निर्यात राजसहायताएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। हमें उन सभी स्थानों से डब्ल्यू बाक्स को हटाने की मांग करनी चाहिए जहां इस जादुई डिब्बे का प्रयोग किया जा रहा है। विकसित देश भी इस जादुई डिब्बों नामत: ब्ल्यू बाक्सों और ग्रीन बाक्सों का

[श्री प्रबोध पाण्डा]

उपयोग कृषि में पर्याप्त राजसहायता प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। अतएव किसी भी रूप में डब्ल्यू बाक्सों का उपयोग समाप्त कर दिया जाए। मैं ऐसा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अधिकांश ग्रीन बाक्स उपाय अवश्य ही विकृतिकारी हैं। विकासशील देशों में कार्यबल के बड़े भाग को जीविका प्रदान करने में जो अति महत्वपूर्ण भूमिका कृषि अदा कर रही है उसे देखते हुए हमें इन जादुई डिब्बों को समाप्त करने की मांग करनी चाहिए।

अब यह तथ्य स्पष्ट हो गया है कि विकसित देश अभी कृषि और व्यापार में भारी राजसहायता देना जारी रखे हुए हैं। हमारे देश की भूमिका क्या होगी? इस संबंध में क्या सब सुझाव दिए जा रहे हैं मैं नहीं जानता। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमें इस मुद्दे पर भी जानकारी दें।

कौन-सी राजसहायताएं दी जा रही हैं? संयुक्त राज्य अमरीका ने तीन शर्तें पूरी किए जाने की शर्त पर व्यापार को विकृत करने वाली सहायता को 60% तक कम करने की इच्छा व्यक्त की। पहली शर्त यह कि यूरोपीय संघ को अपनी सहायता 75% तक कम करनी होगी। दूसरी ब्ल्यू बाक्स सहायता पर व्यय को कृषि उत्पादन के 2.5% तक सीमित रखा जाए। तीसरी ग्रीन बाक्स ओपनिंग पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ सदस्यता वाले देशों को राजसहायता पर अपने व्यय को सीमित करने की आवश्यकता नहीं होगी और इसे ब्ल्यू बाक्स या ग्रीन बाक्स में शामिल किया जा सकेगा। यह उनका दृटिकोण है। अत: अमरीका को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि यह न केवल पहले अपनी घरेलू सहायता के 70% की ग्रीन बाक्स में लौटाएगा, अपितु यह ब्ल्यू बाक्स सहायता के रूप में भी 5 बिलियन डालर से ज्यादा उपलब्ध करा सकेगा। हम उन पर कितना दबाव बना पाएंगे ताकि यह बाक्स प्रणाली समाप्त की जा सके और वे अपनी राजसहायता देना बंद करने पर मजबूर हों। यह बहुत चिंता की बात है और मेरा ख्याल है कि मंत्री जी यहां सभी कुछ स्पष्ट करेंगे।

यदि विकसित देशों को अपने घरेलू कृषि उत्पादन पर भारी राजसहायता देने का अधिकार है तो विकासशील देशों के भी अपने अधिकार हैं। विकासशील देशों को तीन बिलियन लोगों की जीविका की रक्षा के लिए आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। इसे कृषि संबंधी समझौते के अभिन्न अंग के रूप में रखा जाए। मात्रात्मक प्रतिबंध प्रणाली हटा दी गई है इसे पुन: लागू किया जाए। यदि विकसित राष्ट्रों को भारी राजसहायता देने का अधिकार है, तो विकासशील देशों को भी मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। इस बिन्दु पर ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी इस बात पर बल दें।

सभापति महोदय: श्री पांडा, आप कितना समय लेंगे?

श्री प्रबोध पांडा: महोदय, मैं 20 मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय: आपके पास इतना समय नहीं है। वक्ता अधिक हैं और उन्हें बोलने का समय नहीं मिल पाएगा। कृपया आप पांच मिनट में अपनी बात पूरी करें अन्यथा अधिक लोग भाग नहीं ले पाएंगे।

श्री प्रबोध पांडा: ठीक है, महोदय।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घरेलू खपत हेतु घरेलू उत्पादों पर राजसहायता प्रदान करने के लिए विकासशील देशों को सूचीबद्ध किया जाए। विकासशील देशों को कृषि मदों में विशेष संरक्षा प्रणाली (एस एस एम) का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय मेरा ख्याल है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय भी यह सब बातें यहां प्रस्तुत करना चाहते हैं।

विकासशील देशों के द्वारा रखी जा रही टी आर क्यू को विनिर्दिष्ट राष्ट्रों के लिए निर्धारित स्तरों से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और यह सभी देशों को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विकसित देश विभिन्न तरीके और रास्ते अपना रहे हैं। विकसित देशों द्वारा लगाए गए गैर-टैरिफ अवरोधों को भी समाप्त किये जाने की आवश्यकता है।

एस एंड डी प्रावधानों के तहत विकासशील देश विशेषरूप से उच्च प्रौद्योगिकी, उत्पाद और प्रक्रिया मानकों को अपनाने, साथ ही विभिन्न कमियों की प्रतिपूर्ति करने, और उत्पाद निर्यात के संबंध में वित्त पोषण, गारंटी तथा बीमा के लिए निर्यात राजसहायता प्रदान कर सकते हैं।

मैं एक और बिन्दु पर आ रहा हूं। मैंने आज माननीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में दिए गए वक्तव्य को देखा कि हमारे देश को अन्य देशों का डम्पिंग ग्राउंड बनने नहीं दिया जाएगा। पर क्या हो रहा है? आरंभिक दिनों में भारतीय कृषि पर डब्ल्यू टी ओ समझौते का प्रभाव देखें। इसका न केवल हमने अपितु अनेक विशेषज्ञों और बुद्धिवादियों ने भी अध्ययन किया है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केन्द्र के कार्यकारी निदेशक ने पाया कि डब्ल्यू टी ओ समझौते के कार्यान्वयन के प्रथम तीन वर्षों के बाद कृषि निर्यातों में भारी वृद्धि आई है। अध्ययन से अनुमान लगाया गया है कि डब्ल्यू टी ओ समझौते के पूर्व के तीन वर्षों में कृषि जिन्सों का वार्षिक आयात 1.190 मिलियन डालर था जो डब्ल्यू टी ओ समझौते के बाद के पहले

तीन वर्षों में 1.996 मिलियन डालर से बढ़कर 6.530 मिलियन डालर हो गया। परन्तु डब्ल्यू टी ओ समझौते के आरंभिक वर्षों की अनुकूल प्रवृत्ति ज्यादा दिन नहीं रही। मैं इसी बात की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदयः आपने सभी मुख्य बिन्दु कवर कर लिए हैं।

श्री प्रबोध पाण्डाः अगले तीन वर्षों में, हमने आयात में अधिक वृद्धि और निर्यात में थोड़ी सी गिरावट देखी है। इस तथ्य से क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि आयात में वृद्धि हो रही है और निर्यात घट रहा है। हम इसे पसंद करें या न करें, हमारा देश इसे चाहे अथवा न चाहे, अभी तक अपनायी गयी नीति ने हमारे देश को विकसित देशों की पाटन भूमि बनाकर रख छोड़ा है। इसलिए, भारत को ठोस शब्दों में यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह जी-5 के हितकारी समूह में शामिल है या फिर यह जी-20 के विकसित देशों का नेतृत्व करेगा। भारत को जी-20 देशों का नेतृत्व करना चाहिए। भारत को सक्रिय या अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इसे प्रमुख भूमिका निभाना चाहिए ताकि विकासशील देश इस अवसर पर पूंजीवादी देशों की नेतागिरी और दावपेंचों के विरुद्ध खड़े हो सकें।

मैं यही कहूंगा कि हमारा देश पिछली सरकार के पद्‌चिन्हों पर नहीं चलेगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने हमारे देश के कृषकों को वचन दिया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। मैं समझता हूं यह पूर्व रा.ज.ग. सरकार के पद्‌चिन्हों पर नहीं चलेगी जो अमरीकी आधिपत्य के दबाव के आगे झुक गई। बहुत-से मुद्दे उठाये जाने हैं। विश्व व्यापार संगठन शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत की भूमिका के बारे में अनेक से प्रश्न उठाये गये हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करेंगे और वह मजबूत रुख अपनायेंगे। सारा राष्ट्र देख रहा है। मैं समझता हूं वह राष्ट्र के साथ अन्याय नहीं करेंगे। वह हमारे देश के करोड़ों किसानों के साथ अन्याय नहीं करेंगे और पूंजीवादी देशों के प्रभुत्व जमाने वाले दावपेंजों का साहसपूर्वक मुकाबला करेंगे। लड़ेंगे और इस संबंध में सही रुख अपनायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अजित कुमार सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी देश की तरफ से जो वहां कल भाग लेने जा रहे हैं, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं अपने आप को रैस्ट्रिक्ट करके केवल एग्रीकल्चर पर ही, चूंकि डब्ल्यू.टी.ओ. पर चर्चा है, इसलिए उसी पर अपने आप को सीमित रखूंगा। माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो डब्ल्यू.टी.ओ. है, आज यह किसानों का देश है और इस हाउस में भी 70 प्रतिशत से ज्यादा किसानों के प्रतिनिधि हैं। अगर देखा जाए तो टैक्नीकली पांच साल से इस देश में डब्ल्यू.टी.ओ. पर चर्चाएं चल रही हैं लेकिन जब भी चर्चा होती है तो यह केवल इंटलैक्चुअल्स और एयरकंडीसंड फाइव स्टार होटलों तक ही सीमित होती हैं। आज किसानों के मन में एक डर लगा हुआ है कि यह जो ब्लू बाक्स है, यह जो ग्रीन बाक्स है, आखिर हमारा भाग इन बक्सों में क्यों बंद रखा गया है?

मैं आपके माध्यम से दो-तीन बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। अगर आप देखें, जैसे कि हमारे साथी इस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर पाए, इस देश में पल्सेज और आयल सीड्स का भारी अभाव है। देश का जो लक्ष्य है कि गेहूं, चावल को छोड़कर हमें दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाना है। लेकिन जब से डब्ल्यू.टी.ओ. आया है, हमने करीब-करीब 4000 करोड़ विगत तीन-चार सालों में बाहर से दलहन और तिलहन इम्पोर्ट किया है। एक तरफ हमारे देश में दलहन और तिलहन का अभाव है और दूसरी तरफ जो हमारा कोर्स ग्रेन है, भंडारण पड़ा हुआ है और एकतरफ हम फारेन एक्सचेंज बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा जो अपना कोर्स ग्रेन है, भंडारण है, वह पंजाब और हरियाणा में सड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वह जो टैरिफ बैरियर आपने लगाया है, तीन साल पहले जो मुझे जानकारी है, 70 प्रतिशत का आपने टैक्स लगाया है जिसको आप 150 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसके प्रैशन में कोलालामपुर से इम्पोर्ट हो रहा है, यह आप बताएं। हमारे देश में क्यों इम्पोर्ट को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ हमारे देश में खाद्यान्न सड़ रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और विशेषकर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि दलहन और तिलहन पर जिस तरह से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे खाद्यान्न अपने देश में सड़ रहे हैं। एक तरफ हमारा फारेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, दूसरी तरफ सरकारी खरीददारी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप अपराह्न 2.45 बजे जाना चाहते थे।

[हिन्दी]

श्री अजित कुमार सिंह: एक तरफ हम सरकारी खरीददारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा अपना खाद्यान्न हमारे गोदामों में पड़ा सड़ रहा है। उसे भी हम अच्छे रेट पर नहीं बेच पा रहे हैं। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस विषय पर विशेषकर आप ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप देश के हित और किसानों के हित को ध्यान में रखेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री स्वाईं बोलेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, क्या मैं इस सीट से बोल सकता हूं।

सभापति महोदय: हां, अवश्य। सामान्यत:, आपको अपनी सीट से बोलना चाहिए। लेकिन मैं सभा के समय की बचत करना चाहता हूं। आप वहां से अपनी बात कह सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: सभापति महोदय, मुझे हांगकांग में विश्व व्यापार संगठन के आगामी छठे मंत्राललीय सम्मेलन से अधिक अपेक्षा नहीं है। इसका कारण दोहा सम्मेलन के समय से व्यावहारिक रूप से किसी भी कार्य का न होना है। दोहा सम्मेलन के समय से, वस्तुत: बातचीत बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। यदि ऐसा होता रहा तो विकासशील देशों और सबसे कम विकसित देशों (एल डी सी) के बीच भारी कुंठा जन्म ले लेगी।

शनै: शनै: यही धारणा बनती जा रही है कि विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों और पश्चिम के देशों के हाथ का खिलौना बन गया है ताकि उनकी बाजार में पहुंच बनी रहे जबकि वे विकासशील देशों और सबसे कम विकसित देशों के बाजारों का पहले ही दोहन कर चुके हैं। लेकिन हम पूरी तरह से भारत सरकार के साथ हैं। सरकार के कार्यकलापों का विरोध करने वाले किसी दल का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम सभी माननीय श्री कमलनाथ जी के साथ होंगे जब वह जायेंगे और भारत के हित के लिए लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्षी दल, भी पूरी तरह से उनके साथ है।

महोदय, मैं अपने लघु भाषण में, माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा और कुछ सुझाव दूंगा। विश्व के प्रत्येक विकसित देश को यह अवश्य समझना चाहिए कि प्रत्येक देश के लिए समान अवसर होने चाहिए चाहे वे विकसित देश, विकासशील देश और सबसे कम विकसित देश ही क्यों न हों।

महोदय, इस बारे में मैं अधिक चिंतित नहीं हूं। इसका कारण यह है कि विकसित देश किसी भी तरह से हमारे देश में अपनी बाजार पहुंच नहीं बना सकते। मैं नहीं समझता कि यह संभव हो पायेगा। विश्व व्यापार संगठन संबंधी संसदीय मंच की संचालन समिति सदस्य के रूप में, मैं भी कानकन में उपस्थित था। हम जानते हैं कि अधिकांश विरोध भारत के नेतृत्व वाले विकासशील देशों की ओर से न होकर सबसे कम विकसित देशों से की ओर से हुआ। वास्तविक विरोध अफ्रीकी देशों, गरीब देशों में सबसे गरीब देशों, की ओर से हुआ जिन्होंने अमेरिका के आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने की कभी हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने अपनी आवाज उठायी। अफ्रीकी देशों, गरीब देशों ने इनके विरुद्ध संघर्ष किया। यद्यपि 21 देशों का हमारा समूह था–हम समूह-21 राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहे थे—तो भी हम किनारे पर थे और गरीब देशों को अमीर देशों से मात्र लड़ते देख रहे थे।

कृषि के संबंध में, निर्धारित मूल्य अधिक हैं और वास्तविक मूल्य कम हैं। इसलिए हम सुविधाजनक स्थिति में हैं। हमारे निर्धारित मूल्य वस्तुत: कम हैं। इसलिए, जब भी वे हमें इन्हें घटाने के लिए कहते हैं, हम सुविधाजनक स्थिति में हैं और हम इसके प्रति सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से मुझे अधिक भय नहीं है। एकमात्र विषय यह है कि घरेलू सहायता संबंधी व्यापार असमानता को कैसे दूर किया जाए।

मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि बाजार पहुंच के संबंध में आदान-प्रदान की भावना अवश्य होनी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि सभी प्रकार की निर्यात राजसहायता की समानांतर रूप से समाप्ति को कैसे सुनिश्चित किया जाए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी विकसित देशों से न केवल सभी प्रकार की राजसहायता को समाप्त करने के बारे में पता करेंगे बल्कि वह इसके समाप्त किए जाने की वास्तविक तिथि के बारे में भी पता करेंगे। दोहा घोषणा में 31 दिसम्बर, 2001 अंतिम तिथि थी। लेकिन वह 31 दिसम्बर, 2001 कहां है? आज हम दिसम्बर, 2005 में पहुंच गये हैं। इस बीच चार वर्ष पहले ही गुजर चुके हैं।

अत:, माननीय मंत्री जी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतिम तिथि निर्धारित हो और निर्यात ऋण, निर्यात ऋण गारन्टियों और बीमा कार्यक्रमों के संबंध में अनुशासन की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा विशेष उत्पादों की पहचान के बारे में है। यह मेरे प्रभुत्व मुद्दों में से एक है। इसके लिए कोई विशेष तंत्र होना चाहिए। हमारे पास कुल मिलाकर लगभग 695 कृषि उत्पाद

हैं। सरकार को यह पहचान करनी है कि यदि हम अन्य देशों के साथ कृषि संबंधी समझौते करते हैं तो हमारे पास जो 695 कृषि उत्पाद हैं उनमें से कौन से विशिष्ट उत्पाद संकटग्रस्त हो जाएंगे। सरकार को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए और उन्हें इसका अवश्य पता लगाना चाहिए।

अगला मुद्दा यह है। मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि विश्व स्तर पर कृषि के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें भारत में कृषि का आधुनिकीकरण करना चाहिए। कृषि में सरकारी और निजी दोनों तरह से पर्याप्त क्रम में निवेश किए जाएं। पचास से साठ फसलों की पहचान की जाए; उनका संरक्षण किया जाए क्योंकि वे इस देश के लोगों की रोजी-रोटी से जुड़ी हैं। इसलिए, उन 50-60 फसलों पर बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए।

इस देश के किसानों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी को वार्ता शुरू करनी चाहिए; उन्हें इस देश के विभिन्न भागों के किसानों से बात करनी ही चाहिए ताकि यह पता चल सके कि कौन से कृषि उत्पाद हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए।

उदाहरण के लिए सोयाबीन। सोयाबीन मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है। यदि सोयाबीन पर कोई समझौता होता है तो, स्वाभाविक है, किसान प्रभावित होंगे। मैं सोयाबीन का उदाहरण दे रहा हूं लेकिन माननीय मंत्री जी को यह पता लगाना चाहिए कि वे कौन सी दूसरी फसलें हैं जिन्हें बचाया जाना चाहिए।

जैसा कि कुछ देर पहले माननीय सदस्य श्री पाण्डा ने कहा हम विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीयन संघ और अमरीकियों के बीच के टकराव पर निर्भर न करें। आइए यह आशा करें कि उनके हितों में टकराव है और इसलिए हमें कुछ लाभ मिलेगा। अचानक किसी दिन हमें पता चलेगा कि वे किसी समझौते पर पहुंच गए हैं या उनमें कोई समझदारी कायम हो गई है। आइए हम उसमें न पड़ें और अपने उत्पादों का संरक्षण करने पर ध्यान दें और हमें उसका पता लगाना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जो विशेष और भेदात्मक व्यवहार से संबंधित है। वह यह लाभ था जो हम प्राप्त करना चाहते थे और दोहा घोषणा में उन विशेष और भेदात्मक व्यवहारों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। उन विशेष और भेदात्मक व्यवहारों में हमारे पास तीन स्तंभ हैं। घरेलू सहायता, निर्यात स्पर्धा और बाजार पहुंच। माननीय मंत्री जी इसको अवश्य सुनिश्चित करें।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पांच वक्ताओं को बोलना है और समय कुल मिलाकर 30 मिनट हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: 10-सदस्यीय दल के पहले वक्ता ने लगभग 25 मिनट ले लिए और आप 145-सदस्यीय दल को समय नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय: आपके दल की ओर से पांच वक्ता हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: मुझे नहीं लगता कि उन्हें मौका मिलेगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि दो घंटे में यह समाप्त होना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए क्योंकि अन्य सदस्य भी समय लेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं: कपास के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अमेरिका में केवल 25,000 कपास उत्पादक किसानों को बचाने के उद्देश्य से चार अफ्रीकी देशों को उजाड़ा जाएगा। इसलिए कुछ घरेलू सुधार किए जाएं।

उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए सुधार हेतु घरेलू प्रयास किए जाएं। इन्हें सुनिश्चित किया जाए।

सेवा संबंधी वार्ताओं के संबंध में माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि यदि एम.ओ.डी.-एक के संबंध में विकसित देश महत्वाकांक्षी आफर दें अर्थात आउटसोर्सिंग और एम.ओ.डी.-चार जैसी सेवाओं की सीमापार आपूर्ति, पेशेवरों का आवागमन केवल तभी हम अन्यों के साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत कर सकते हैं।

पर्यावरण संबंधी वार्ता एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। व्यापार में पर्यावरण का क्या काम है? व्यापार में पर्यावरण को क्यों घसीटा जाएं? इस उदाहरण को लेते हुए पश्चिमी देशों ने हमारे देश से उन्हें भेजे जा रहे उत्पादों के विरुद्ध सभी तरह की बाधाएं खड़ी की हैं। हिमनद पिघल रहे हैं, आर्कटिक पिघल रहा है। इस प्रकार की विनाशकारी स्थिति में अमेरिका क्योटो प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। वे अभी भी कह रहे हैं कि वे इन व्यापार वार्ताओं में पर्यावरणीय दृष्टिकोण शामिल करने का प्रयास करेंगे, जिस पर हमें सख्त आपत्ति है।

विश्व व्यापार संगठन सदस्यों की उप-श्रेणी बनाए बिना बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को छोटी और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? यह उन प्रश्नों में से एक है जो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। उन्हें इसका पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। विकसित देशों को प्रौद्योगिकी के प्रवाह में वृद्धि को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए? प्रौद्योगिकी का प्रवाह उन प्रमुख मुद्दों में से एक है

[श्री खारबेल स्वाईं]]

जिसे दोहा घोषणा में उठाया गया था। क्या किसी ने यह सुनिश्चित किया है कि क्या प्रौद्योगिकी का कोई प्रवाह हुआ है या नहीं या व्यापार से जुड़ी प्रौद्योगिकी सहायता में कोई वृद्धि हुई है या नहीं। वह भी उन क्षेत्रों में से एक था जिस पर विचार किया जा सकता था। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में अल्प विकसित देशों का सार्थक एकीकरण किस प्रकार किया जाए? इसको किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए। बहु-पक्षीय व्यापार प्रणाली में अल्प विकसित देशों को एकीकृत करने के लिए उन देशों में कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य होना चाहिए और व्यापार से जुड़े क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए। माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि अल्प विकसित देशों के लिए वित्तपोषण के पर्याप्त स्रोत होने चाहिए। मंत्री जी विकसित देशों द्वारा पर्याप्त वित्तपोषण के स्रोत सुनिश्चित करवाएं।

मैं एक और विशेष प्रश्न पूछूंगा। कान्कुन में पाकिस्तानी कह रहे थे कि उनका देश अल्प-विकसित देश नहीं है। वे कह रहे थे कि वे विकसित और अल्पविकसित देशों के बीच में कहीं आते हैं। क्या उनके लिए कोई उप श्रेणी बनाई गई है? वे मांग कर रहे थे कि हम नहीं चाहते कि हमें अफ्रीकी देशों के साथ अल्प विकसित देश के रूप में वर्गीकृत किया जाए। उसका क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस का उत्तर दें।

प्रतिदिन कान्कुन में हमारे होटल में जहां हम ठहरे थे, मैंने पाया कि भारत अग्रणी बना हुआ था। अन्य देशों के प्रतिनिधि हमारे होटल में आ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेन्टीना और तो और चीन के प्रतिनिधि भी हमारे होटल में आते थे और भारत ने समूह-21 देशों का नेतृत्व किया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ मुद्दे अन्य वक्ताओं के लिए भी तो छोड़ दीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं अन्तिम मुद्दे पर बोल रहा हूं। मैं कार्यमंत्रणा समिति का भी सदस्य हूं, जिसकी 1500 बजे बैठक होनी निश्चित हुई है। इसलिए, मुझे जाना होगा।

स्वर्गीय मुरासोली मारन ने दोहा में बहुत साहसिक प्रयास किए थे। उन्होंने भारत के हितों की रक्षा की थी लेकिन उस समय वे अकेले थे। कान्कुन में भारत ने नेतृत्व किया। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं मुख्य दल से पूछना चाहता हूं कि इसने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं क्योंकि यह लड़ाई लड़ने के लिए हमें इन सभी विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों के साथ भी समूह बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए अकेले भारत की ओर से लड़ना संभव नहीं होगा इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मैं हांगकांग में होने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक से संबंधित उस प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम, मैं वाणिज्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पिछली डब्ल्यू टी ओ बैठक में इस देश के लाखों किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा की। इतना ही नहीं उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर प्रमुख भूमिका भी निभाई। उन्होंने हमारी कृषि की रक्षा की। उन्होंने ऐसा कोई करार नहीं किया जिससे कृषि, लघु उद्योग और बौद्धिक संपदा अधिकारों में हमारे हितों को क्षति पहुंचती हो। उन्होंने हमारे परंपरागत ज्ञान का भी संरक्षण किया जिसमें बहुत सारे देश अनुसंधान कर रहे हैं और यह दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह उनकी मौलिक खोज है। वस्तुत: वे उस देश का नाम उजागर ही नहीं करते हैं जिससे वे उस परंपरागत ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यह शंका मेरे दायीं ओर बैठे सज्जनों के मन में सदैव रही है और उन्होंने इसे सदैव उठाया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज मुख्य विपक्षी दल ने कुछ सकारात्मक भूमिका निभाई है। उन्होने संसद की कार्यवाही में बाधा डालने में अपना समय नहीं गंवाया है। इसलिए मैं वस्तुत: बहुत प्रसन्न हूं और आशा करता हूं कि वे इस सत्र के शेष अवधि में भी यही रवैया बनाये रखेंगे।

जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें हांगकांग में होने वाली आगामी बैठक में उठाया जायेगा। उनमें कृषि और गैर-कृषि बाजार पहुंच, व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार, पर्यावरण और सेवा क्षेत्र से संबंधित मुद्दे सम्मिलित हैं। अभी तक बहुत सारी बातें कही गयी हैं किन्तु मैं उन सभी से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में श्री प्रबोध पाण्डा ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मंत्री महोदय द्वारा एक श्वेत-पत्र जारी करने का हवाला किया जाना चाहिए था। किंतु मेरे पास जो कागज पत्र हैं उनमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि मंत्री महोदय या मंत्रालय किसी श्वेत-पत्र के लिए सहमत हुए थे। मैं मंत्री महोदय को डब्ल्यू.टी.ओ. में रुचि रखने वाले विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं से व्यापक परामर्श करने के लिए भी बधाई देता हूं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो वाम दलों ने भी कोई 14 पृष्ठों से भरा प्रस्ताव मंत्रालय को सौंपा है जिनमें उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दें। यह जानकारी मुझे समाचारपत्रों से प्राप्त हुई है। मैं उन बिंदुओं पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उनमें से कुछ बिंदुओं पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। वस्तुत: हम जी-20 और अन्य जी-33 देशों पर दबाव डाल रहे हैं कि विकसित देश अपनी राजसहायता जिनमें सभी प्रकार की राजसहायता अर्थात् निर्यात, ग्रीन

बाक्स और ब्ल्यू बॉक्स पर दी जाने वाली राजसहायता कम कर दें। मैं एक और बात मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, चूंकि वे डब्ल्यूटीओ में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, कि विकसित देशों को अपनी यह राजसहायता निर्दिष्ट समय-सीमा जो पांच वर्ष में कम करनी चाहिए। यूरोपीय संघ के देश 10 से अधिक वर्षों की मांग कर रहे हैं। मेरे विचार में विकासशील देशों को इस समय-सीमा पर दृढ़ रहना चाहिए जिससे उन्हें विकसित देशों के साथ वार्ता करने में सहायता मिलेगी। मैं विपक्ष में बैठे अपने मित्रों से सहमत हूं कि जहां तक कृषि का संबंध है, उसमें कुछ विशेष मदें हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह देश कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। हमारी विकास दर भी कृषि पर निर्भर करती है क्योंकि अच्छे मानसून के साथ किसानों की क्रय क्षमता बढ़ जाती है और इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में उछाल आता है। इसलिए ऐसे किसी भी समझौते से बचना चाहिए जो हमारी कृषि व इसके विकास के लिए अहितकर हो। इसका कारण यह है कि कृषि श्रम और अन्य सभी क्षेत्र पूर्ण रूप से कृषि पर ही निर्भर हैं। आप मेरा ही उदाहरण लें।

मैं एक कारीगर समाज से संबंध रखता हूं जिसमें बढ़ई, राज मिस्त्री आदि पेशाओं के लोग सम्मिलित हैं। उनके पेशों की सफलता काफी हद तक एक दूसरे पर निर्भर है। एक श्रेणी के कारीगरों का पेशा तभी फलता-फूलता है जब अन्य श्रेणी के कारीगर उन्नति कर रहे होते हैं। एक समूह दूसरे समूह से काम हासिल करता है। उनकी सारी आजीविका अच्छे मानसून पर निर्भर करती है। एक अच्छे मानसून से, विशेष रूप से उनको और सामान्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। मुझे यकीन है कि इन समूहों का भविष्य हमारे सुयोग्य वाणिज्य मंत्री के हाथ में सुरक्षित है और वह उन लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही यथासंभव रूप से बेहतर समझौता करेंगे। मुझे कृषि क्षेत्रक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि हमें अपने उस निर्णय पर कायम रहना चाहिए जिसे सरकार ने विश्व के विकासशील देशों के साथ मिलकर लिया है।

महोदय, जहां तक गैर-कृषि बाजार तक पहुंच का संबंध है, यह उचित रूप से कहा गया है कि इसका संबंध केवल एक बाजार से ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त विकासशील देशों के बाजार से है। यह कहा गया है कि हमें आयातित वस्तुओं पर अपने शुल्कों को कम करने और नयी वस्तुओं को भी आयात-सूची में सम्मिलित करने के प्रति सहमति व्यक्त करने से पहले दस बार सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह कहने में शर्म आनी चाहिए कि 'हां, हमारे आयात शुल्क ऊंचे हैं।' ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम अपने घरेलू बाजार और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। किंतु यहां हमें एक संतुलन बनाये रखना है। एक तरफ तो हमें अपनी कृषि का संरक्षण करना है, दूसरी ओर हमें देखना है कि हमारे कृषि उत्पादों का दूसरे देशों को निर्यात हो सके। इस मुद्दे पर वार्ता करते समय अथवा अपनी प्रस्तुति देते समय एक नाजुक संतुलन बना कर रखना होगा। हमें देखना होगा कि जी-20 या दुनिया के अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर इसमें कितनी अधिक सफलता हासिल की जा सकती है। मेरे विचार में यह बेहतर होगा कि यह निर्णय वाणिज्य मंत्री पर छोड़ दिया जाये क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य देशों के मंत्रियों द्वारा दी गई अपनी-अपनी प्रस्तुति से क्या स्थिति उभर कर आती है।

महोदय, सेवा क्षेत्रक के संबंध में यह कहा गया है कि हमें विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों के अबाध प्रवाह की आवश्यकता है और यदि कोई देश उस बाजार तक अपनी पहुंच चाहते हैं तो उन्हें अपनी सीमाओं को खोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस कारणवश हम पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकासशील देशों को इस संबंध में हमारे देश में असीम संभावनाएं और अवसर दिखायी देते हैं। इसी कारण वे देश हम पर अपने देश के बाजार को खोल देने और यहां उनकी वस्तुओं व कृषि उत्पाद पर आयात शुल्कों को कम करने के लिए दबाव डालेंगे। मुझे आश्चर्य है कि यदि ऐसा होता है और यदि डेयरी उद्योग गुजरात में प्रविष्ट होता है तो उस राज्य की संपूर्ण दुग्ध सहकारिता ध्वस्त हो जायेगी। हमें अपने घोषित निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिए क्योंकि समग्र रूप से देश का हित ही सर्वोच्च है। हमें डब्ल्यू.टी.ओ. के ढांचे के भीतर रहते हुए उन साधनों को खोजना होगा जिनसे हम अपने किसानों, बुद्धिजीवियों, लघु उद्योगों, कारीगरों आदि के हितों की बेहतर रक्षा कर सकते हैं। मेरे विचार में इसी बात को ध्यान में रखकर हमें वार्ता करनी है। मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री महोदय ऐसा करने में सक्षम हैं। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जब वे वहां से वापिस आएंगे तो वे शुभ समाचार लेकर आएंगे और निश्चय ही हमें यह बताएंगे कि हांगकांग की उस कॉन्फ्रेन्स में क्या हुआ।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, हमारे विचारों को व्यक्त करने का यह संक्षिप्त अवसर है। बल्कि यह बहुत ही संक्षिप्त है। एक पायजामा क्रिकेट में भी सीमित ओवरों के क्रिकेट मैच में भी आपके पास कुछ ओवर होते हैं जिसके दौरान आप अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस डेढ़ घंटे में मैं नहीं जानता कि किस प्रकार गेंदबाजी शुरू करें और किस प्रकार बल्लेबाजी करें। बिना समय गंवाएं मैं सीधे ही मुद्दे पर आता हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): अब क्रिकेट के नियमों में परिवर्तन किये जा रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल: क्या इस डेढ़ घंटे में ही नए नियम बनाये जा रहे हैं?

यह अवसर मिलने से मुझे इस स्थिति पर कुछ टिप्पणी करने और जितना संभव हो सके संक्षिप्त रूप में कुछ सुझाव देने का भी थोड़ा सा मौका मिला है।

छठी मंत्री स्तरीय कांफ्रेंस से अवसर मिल रहे हैं और चुनौतियां भी और हमें यह देखना चाहिए कि हम किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से अवसरों का सदुपयोग कर सकते हैं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लेकिन, जैसाकि हम सभी को ज्ञात है कि इस असमानता पर आधारित विश्व में समतापूर्ण, गैर-भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली का लक्ष्य बहुत दूर है। कैन्कून से लेकर दोहा तक, जब इसे पूरी तरह से विफल होने से बचाया गया था, आशाएं बड़ी हैं। ठीक सहस्त्राब्दि विकास वार्ताओं के दौर की तरह यह आशा की गई थी कि दोहा वार्ताएं विकासशील और अल्प विकसित देशों को विकास करने और दूसरों की बराबरी करने का अवसर प्रदान करेंगी और गरीबी उन्मूलन और ऐसे सभी क्षेत्रों में विकास करने का वह अवसर व्यापार प्रदान करेगा। लेकिन जैसाकि इस पूरी अवधि में देखने को मिला है, कि इस गैर-बराबरी और भेदभाव पर आधारित इस एकपक्षीय विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हो क्या रहा है? प्रतिबद्धताओं की व्याख्या की जा रही है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है; विकसित देश सोचे-समझे ढंग से अपने वायदों से मुकर रहे हैं तथा वायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। यदि मुझे संक्षेप में यह बताना पड़े कि अंतिम प्रारूप जो सामने आया है, के संबंध में हांगकांग में क्या होने वाला है तो हमारे माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि यह निराशापूर्ण है। पास्कल लेमी दो तिहाई या इसी तरह का कोई हिसाब लगा रहे हैं। लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देश स्वयं विश्व व्यापार संगठन और विशेष रूप से हांगकांग वार्ताओं को किस प्रकार लेते हैं। चूंकि मुख्य मुद्दा कृषि का है तथा कृषि राजसहायता, घरेलू सहायता में कमी और निर्यात राजसहायता के मुद्दे जिन्हें विकसित देश ग्रीन बॉक्स से लेकर ब्ल्यू बॉक्स और ब्ल्यू बॉक्स से अन्यत्र कहीं और जैसे नए नए, संदेहास्पद और अजीबोगरीब ढंग से टालना चाहते हैं, इसके केन्द्र बिंदु हैं।

मेरा सुझाव है कि ग्रीन बॉक्स की इस अवधारणा के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे जाएं कि इसका क्या अर्थ है। मूल अर्थ है कि जब आप ब्ल्यू बॉक्स से ग्रीन बॉक्स में अन्तरित करते हैं तो आप अवसर का लाभ उठाते हैं। एक तरफ वे कृषि राजसहायता, घरेलू सहायता और निर्यात राजसहायता में कटौती करने के अनिच्छुक हैं जो कि बहुत भारी भरकम है जिसके परिणामस्वरूप यदि जुलाई पैकेज को ध्यान में रखा जाए तो विश्व के विभिन्न विकासशील देशों में कृषि नष्ट हो जायेगी। वे राजसहायता के मुद्दे पर पीछे हट रहे हैं। दूसरी तरफ वे औद्योगिक प्रशुल्क और सेवाओं के मुद्दे पर बहुत आक्रामक में हैं। अब हमें कृषि के बारे में बहुत सचेत रहना होगा और मैं कुछ सुझाव दूंगा।

मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने का काम किया गया और यह कहा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अंतर्गत हम मात्रात्मक प्रतिबंधों को पुन: शुरू नहीं कर सकते। मैं आपको वस्त्र उद्योग और कपड़ों का एक उदाहरण दूंगा। कोटा प्रणाली चल रही है और कतिपय नए स्पष्टीकरणों के साथ इसे जारी रखा जा रहा है। इसे इस तरह क्यों नहीं किया जा सकता? आप जानते हैं कि जहां तक भारत का संबंध है, कृषि वाणिज्यिक नहीं है। यह हमारी रोजी-रोटी है और यहां खेती गुजारा करने के लिए की जाती है। खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में विशेष उत्पादों के बारे में समूह-33 द्वारा मांगे गये इस प्रकार के अधिकारों से स्वायत्त चयन का अधिकार होना चाहिए और हम इसमें एक पक्षकार हैं।

जुलाई पैकेज में जो असमानता और असन्तुलन है, उन्हें हर संभव ढंग से हटाया जाए। मुझे विश्वास है कि मात्रात्मक प्रतिबंध एक ऐसा ही हथकण्डा है और उस मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाने का मुद्दा वहां उठाया जाए। यह कहा जा सकता है कि यह विश्व व्यापार संगठन के ढांचे और उन सब के अनुरूप नहीं है।

विशेष सुरक्षापायों के मुद्दे के संबंध में विशेषकर विशेष उत्पादों के मुद्दे और एन.ए.एम.ए. में हमारा सुझाव होगा कि पंक्ति-दर-पंक्ति निबंधन की बजाय औसत को मापदंड के रूप में लिया जाना चाहिए। अन्ततः विश्व व्यापार संगठन को दिया गया वचन अटल होता है।

बन्धी हुई दर के संबंध में यदि हम किसी समय पंक्ति दर पंक्ति निबंधन का वचन देते हैं तो हम उस निबंधन के इतर जाने का स्वायत्त अधिकार खो देंगे। ऐसी स्थिति में, औसत यह पहले भी वहां थी—को मापदण्ड के रूप में अपनाया जाए। हमें पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आना चाहिए। विकसित देशों का दबाव होता है जो हमेशा विकासशील देशों पर थूकने का खेल खेलते रहते हैं। ठीक ही उल्लेख किया गया है कि कभी-कभी अल्प विकसित देश तिरस्कृत महसूस करते हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही

है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? अल्प-विकसित देशों को कतिपय रियायतें देने के नाम पर विकसित देश विकासशील देशों को आपस में ही विकासशील और अल्पविकसित देशों के रूप में बांटने का गन्दा खेल खेल रहे हैं।

सेवा क्षेत्र, जैसाकि इसे जाना जाता है, के बारे में भारत एम.ओ.डी.ई.-एक अर्थात, बी.पी.ओ. सहित सीमा पार आतंकवाद और निःसंदेह, एम.ओ.डी.ई-चार नैसर्गिक व्यक्तियों का उन्मुक्त आवागमन में भी भारत बेहद रुचि रखता है। हमें यह अवश्य लगता है कि उदीयमान अर्थव्यवस्था, विशेषकर वीजा विनियमन और अन्य दूसरी बातों के रूप में नैसर्गिक व्यक्तियों के उन्मुक्त आवागमन, के अवसरों का लाभ उठाने के रास्ते में कुछ उपाय आड़े आ रहे हैं। यदि मेरे पास समय होता तो मैं उनके बारे में विस्तार से बताता। यह आप सभी को मालूम है।

ऑफर सूची के बारे में, हमने पहले ही सुझाव दिया है कि जल, स्वास्थ्य और शिक्षा को कभी भी इस सूची में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

वित्तीय सेवाओं के बारे में अक्सर हम यह पाते हैं कि अतिविशिष्ट लोग विशेषकर अमरीका और निस्संदेह यूरोपीय संघ यह कह रहे हैं कि भारत को अपना वित्तीय सेवा क्षेत्र खोलना चाहिए। बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों पर पर्याप्त दबाव है। पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ अधिसूचनाओं में कुछेक व्यवस्थाएं की थी। उदाहरण के लिए, मैं एक अथवा दो बातों का वर्णन कर सकता हूं। रुग्णता के नाम पर विदेशी बैंक निजी बैंकों में 74% इक्विटी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक खतरनाक व्यवस्था है। बीमा के संबंध में भी इसी प्रकार सीमा को बढ़ाने की बात कही गई है।

जल का निजीकरण हुआ है। दिल्ली और उसकी आस-पास की जगहों का हमारा अपना अनुभव है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से विदेशी कंपनियां पेय जल संबंधी कार्य को देखने वाले लोगों के जीवन को बरबाद कर सकती हैं। इसलिए, कभी भी इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए।-सेवा क्षेत्र में कुछ अन्य संवेदनशील क्षेत्र जैसे कि मुआवजा, ट्रेड-ऑफ्स आदि है। निस्संदेह, हमारी मोड-एक और मोड-चार के क्षेत्रों में अपनी मांगें हैं। परन्तु उसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम इस तरीके से समझौता करेंगे कि हमारे अन्य क्षेत्रों को बहुत अधिक समस्या हो और उसको इसकी मूल संस्कृति, आचार और अर्थव्यवस्था के मूल आधार को क्षति पहुंचे।

मैं सावधानीपूर्वक अपनी बात समाप्त करूंगा। समझौते में जो हुआ है वह मुख्य बात है। कई बार वायदे किये जाते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि वह कोई वायदा करने की मनःस्थिति में है। परन्तु, कुछ करणीय और अकरणीय बातें भी हैं। प्रलोभनों और दबावों के बावजूद भी कुछ अकरणीय बातें हैं। हमें, उदाहरण के लिए, कृषि, खाद्य सुरक्षा और अपनी मूल औद्योगिक आवश्यकताओं के संबंध में परित्याग नहीं करना चाहिए। इन क्षेत्रों को खोल सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के नाम पर, जो हो रहा है, मात्रात्मक प्रतिबंध, हटाने के पश्चात् हमारे उद्योग मुश्किल में हैं। घरेलू उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अतः, हमारी कृषि संसार के विकसित देशों की कृषि से पूरी तरह भिन्न है। उन्हें अत्यधिक राजसहायता का जो संरक्षण मिला हुआ है वह हम अपनी कृषि को प्रदान नहीं कर सकते हैं। हमारी कृषि पूर्ण गुणवत्ता की दृष्टि से भी भिन्न है। अतः, अपनी परिस्थितियों, प्रवृत्ति और विकास के स्तर के मद्देनजर कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए।

हमें विगत घटनाओं से सीखना चाहिए। दबाव में आकर हमने समझौते किये हैं; और अपने अधिकारों का परित्याग किया है। भारत सरकार, इसके प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली वास्तव में संदेहास्पद है परन्तु मेरे विचार से इस सरकार, इस मंत्री और इस मंत्रालय ने विगत से सबक लिया है। हमारे जो पिछले अनुभव रहे हैं और इसने जो उनसे सीख ली है, उनके कारण हम अत्यधिक सावधान और सतर्क हो जाएंगे और इस देश की किसी भी मूल आवश्यकता पर समझौता नहीं करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं हांगकांग में इनकी सफलता हेतु प्रार्थना करता हूं। माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं माननीय मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल की भारी सफलता की कामना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, हांगकांग में समृद्ध देशों के मंत्रियों की विश्व व्यापार संगठन के तहत बैठक हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री को राज्य सभा में भी जाना है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: महोदय, हम तो वैसे भी बहुत कम बोलते हैं। विश्व व्यापार संगठन में मंत्रियों की बैठक में जाने से पहले भारत के व्यापार मंत्री ने सभी दलों की कल और परसों सभा बुलाई थी और सभी दलों ने अपनी-अपनी राय दी थी। मुझे खुशी है कि संसद को भी विश्वास में लेने की मंत्री जी ने कोशिश की

[श्री मोहन सिंह]

है। मैं जानता हूं कि भारत का कोई भी व्यापार मंत्री हो, वह किसी भी विश्व व्यापार संगठन में भारत के हितों के खिलाफ काम नहीं करेगा। यह हमारी आंतरिक मान्यता है और इसीलिए हमारी अकेली पार्टी थी, जिसने श्री कमलनाथ की सार्वजनिक तौर पर व्यापार संगठन में उनकी पिछली भूमिका की प्रशंसा की थी। इसी विश्वास के साथ प्रशंसा की थी कि भविष्य में वे इसी तरह से भारत के हितों की हिफाजत करेंगे। दोहा से केनकन तक हमारा अनुभव है कि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, व्यापारिक दृष्टि से छोटे देशों को बाजार और व्यापार में लूट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसलिए यैट नैगोशिएशंस के बाद, डब्ल्यूटीओ का हिस्सा बनने के लिए भारत की दसवीं लोक सभा में प्रस्ताव आए थे, तब हम लोगों ने आशंकाएं व्यक्त की थीं कि दुनिया की गरीबी बढ़ेगी और गरीब देश लूट के शिकार होंगे। पूंजीशाही का नया औजार है-डब्ल्यूटीओ। दुनिया के पूंजीवादी देश समझ रहे हैं कि दुनिया को राजनीतिक उपनिवेशवाद के रूप में काबू करके रखना आज की तारीख में संभव नहीं है, इसलिए वित्तीय रूप से गुलाम बना कर रखेंगे और विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहमति ले कर, उनके द्वारा दिये गये खाके के अनुसार डब्ल्यूटीओ का ढांचा दुनिया ने स्वीकार किया। हमने दसवीं लोक सभा में सुझाव दिये थे कि दो चीजों पर संकट आ सकते हैं। खास तौर से स्वास्थ्य तथा दवा पर और उसके साथ-साथ कृषि भी है। यदि इन्हें हम विश्व व्यापार के हिस्से से अलग कर दें तो भारत के हितों के अनुकूल होगा।

महोदय, उस समय दी गई चेतावनी आज की तारीख में सही साबित हो रही है। इस संसद में एक बहस होनी चाहिए कि विश्व व्यापार का हिस्सा होने के बाद, डब्ल्यू.टी.ओ. का हिस्सा होने के बाद, भारत की अर्थव्यवस्था को क्या लाभ पहुंचा, क्या नुकसान हुआ और इसका एक लेखा-जोखा, एक बैलेंस-शीट, व्हाइट पेपर के रूप में सदन में प्रस्तुत किया जाए और सदन उस पर चर्चा करे, जिससे यह निश्चित कर सकें कि किन-किन क्षेत्रों को हमें विश्व व्यापार का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने अनुभव से देख सकते हैं कि विश्व बैंक ने नई अर्थव्यवस्था का जो मूल्यांकन किया है उसके अनुसार दुनिया की 6 अरब आबादी में से 2 अरब आबादी गरीब, भिखमंगी, नंगी और भूखी है और उसके अनुसार इसमें से सबसे अधिक आबादी, तकरीबन 60 करोड़, अकेले चीन और हिन्दुस्तान में बसती है।

महोदय, हमारे वित्त मंत्री कहते रहे हैं कि हमारे देश की अमीरी बढ़ रही है और अपनी पीठ ठोकते रहे हैं। हम अपनी तरफ से कहते हैं कि अगर हम अपने देश की जो आमदनी है, जो पूंजी है वह 8 अथवा 10 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाएं, तो हम इतने समय के बाद दुनिया के विकसित देशों में शामिल हो जाएंगे। हमारे वित्त मंत्री बहुत प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि अब अमरीका, जापान और जर्मनी की बजाय दुनिया में चीन और हिन्दुस्तान का जमाना आने वाला है, क्योंकि हिनदुस्तान तरक्की कर रहा है। इसमें हमें कोई एतराज नहीं हो सकता है, लेकिन गरीबी के मामले में, बीमारी के मामले में और भूमिहीनों के मामले में भी हमारा देश तरक्की कर रहा है। यह भी एक सच्चाई है। इस पर भी हमें सोचना चाहिए।

महोदय, हमारे देश में कृषि लगातार डेढ़ फीसदी से दो फीसदी के हिसाब से घटती जा रही है। महारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। उसके क्या कारण हैं? मौसम भी ठीक हो रहा है, प्रति हैक्टेयर किसान के निवेश में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन प्रति हैक्टेयर उपज में कमी आ रही है? उसका एक प्रमुख कारण है कि जो विदेशी उर्वरक, पेस्टीसाइड्स और विदेशी बीज है, वह हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। महारे देश की प्रति हैक्टेयर उपज में कमी के लिए उसका बहुत बड़ा रोल है और यही कारण है कि हमारे देश में प्रति हैक्टेयर उपज में लगातार कमी हो रही है।

महोदय, इसी सदन में, लोक सभा में, मैंने एक सवाल किया था कि अपने देश के उर्वरक के कारखाने बन्द करके बाहर से उर्वरक आयात करने का क्या औचित्य है? उस ओर से, सदन में प्रधानमंत्री महोदय की ओर से दिये गये जवाब पर मुझे आश्चर्य हुआ, जब उन्होंने कहा कि अपने देश में उत्पादित यूरिया महंगा पड़ता है और विदेश से मंगाना सस्ता। इसलिए हमारे लिए अपने उर्वरक कारखानों को चलाने से अच्छा है कि हम विदेश से यूरिया आयात करें। यही सोच हमारे देश की कृषि को मार रही है।

महोदय, दुनिया के अलग-अलग देश, अपने-अपने संगठन बनाकर अपने हितों की रक्षा में जुटे हुए हैं। किसी ने 'आसियान' के नाम पर, किसी ने 'यूरोपियन कॉमन मार्केट'' के नाम पर संगठन बना लिये हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सामूहिक तौर पर संघर्ष करते हैं। वे किसी भी कीमत पर अपने देश में दी जाने वाली कृषि की छूट और एक्सपोर्ट सब्सिडी में किसी भी तरह की कोई कटौती करने वाले नहीं हैं। इसलिए स्वयं उनके देशों में इस बात पर तनाव है। ब्रिटेन के अंदर तूफान उठ रहा है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी है, वह बेल्जियम और जर्मनी के मुकाबले कम है। यूरोपियन कॉमन मार्केट के देशों में इस बात पर संघर्ष होता रहता है कि सब्सिडी का जो रूप पोलैंड, बेल्जियम और जर्मनी में है, यदि उसे कम नहीं किया गया, तो ब्रिटेन की खेती प्रभावित होगी, लेकिन जब ये देश अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर बात

करते हैं, तो ठीक इसके विपरीत तर्क देते हैं। दूसरे देशों के अंदर सब्सिडी घटाने पर जोर देते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर सब्सिडी घटाने का विरोध करते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे देश ने, दुनियाभर के दबाव के बावजूद, अमरीका के राष्ट्रपति के भारत आगमन के बावजूद, किसी ऐसी स्वीकृति पर हस्ताक्षर नहीं किये जिससे देश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

महोदय, मैं आशा करता हूं कि हमें लोगों की पहले से जो राय है, उस पर मंत्री जी विचार करते हुए, जैसे पहले की बैठकों में उन्होंने भारत के हितों की हिफाजत के लिए संघर्ष किया है, उसी प्रकार हांगकांग में होने वाली बैठक में भी वे भारत के हितों को पेश करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। उसी मजबूती के साथ हमारे हितों की हिफाजत करेंगे। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमारे देश की कृषि के ऊपर जो विदेशी आक्रमण है, उसकी हिफाजत के लिए इस देश की संसद और सरकार क्या करे, इस बैठक के बाद उस पर यहां विचार होना चाहिए। सरकार को अपनी राय इस संसद के अंदर देकर सांसदों के सुझाव लेने चाहिए। इन्हीं चंद सुझावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों, माननीय मंत्री ने एक अनुरोध किया है। वे श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के भाषण के पश्चात् उत्तर देंगे क्योंकि वह अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। अथवा, यदि सभा सहमत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुझा): सभापति महोदय, हम सभी ने नोटिस दिये हैं और हम बोलने हेतु अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह किस प्रकार से अब वाद-विवाद का उत्तर दे सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ): सभापति महोदय, यदि सभा की यही इच्छा है तो मैं यह कर सकता हैं कि मैं राज्य सभा में जाऊंगा और वहां पर अपना वक्तव्य दूंगा तथा अपनी बात को स्पष्टीकरणों के साथ समाप्त करूंगा और फिर यहां पर उत्तर देने के लिए वापिस आऊंगा।

श्री पी.सी. थामसः ठीक है, सबसे अच्छा यही रहेगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, सभी दलों को वाद-विवाद में भाग लेना चाहिए और केवल तभी वह उत्तर दे सकते हैं।

श्री कमलनाथः मैं यही बात कह रहा हूं।

सभापति महोदयः यदि सभा सहमत हो तो वह राज्य सभा जा सकते हैं और यहां पर उत्तर देने के लिए वापिस आ सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्यः जी हां।

सभापति महोदयः यह अच्छी बात नहीं है। जब कभी भी इस सभा में किसी विषय पर चर्चा हो तो माननीय मंत्री को दूसरी सभा में उसी विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। यह उचित नहीं है। वह एक ही समय में दोनों सभाओं में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

माननीय मंत्री, आप माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों पर टिप्पणी करने की जिम्मेदारी अपने राज्य मंत्री को सौंप सकते हैं और राज्य सभा जा सकते हैं परन्तु उत्तर आपके द्वारा ही दिया जाना चाहिए। हमें अब आपके राज्य सभा में जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। सभा में व्यक्त भावनाओं की झलक हांग-कांग सम्मेलन में भी अवश्य दिखायी देनी चाहिए।

श्री कमलनाथः जी हां।

सभापति महोदयः यह कैसे हुआ? जब एक महत्वपूर्ण चर्चा इस सभा में हो रही है तथा यदि संबंधित मंत्री सभा में उपस्थित नहीं है तो यह अच्छी बात नहीं है।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): सभापति महोदय, सभा में आश्वासन दिया गया है कि तमिलनाडु मुद्दे को चार बजे लिया जायेगा। अतः, इसे चार बजे लिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः जी हां, इस पर सहमति है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, अब आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, आज हांगकांग की बैठक में जाने से पहले, सर्वोच्च सदन में डब्ल्यूटीओ पर जो चर्चा हो रही है, यह विषय केवल राष्ट्रीय महत्व का नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने राष्ट्र के व्यापक हित और दुनिया के विकासशील देशों के हितों को भी रखने की बात है।

सभापति महोदय, अभी तक जो बहस हुई है—चाहे दोहा हो या केनकन हो, उसमें खास कर कृषि मुख्य बिन्दु रहा है। केन्द्र बिन्दु, कृषि का मुद्दा हरेक वार्ताओं में केन्द्र में रहा है, चाहे दोहा हो या केनकन की वार्ता हो। इस पूरे सौदे की बजाए कोई सौदा न हो, वह ज्यादा बेहतर है। मैं यह राय इसलिए देना चाहता हूं, क्योंकि देश के व्यापक हित में ऐसा कोई समझौता न हो, जिसमें हमारे देश के हितों के साथ कोई समझौता हो जाए। डब्ल्यूटीओ के खास कर एग्रीकल्चर नेगोसिएशन में जो मुद्दे हैं, उनमें तीन

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

प्रमुख मुद्दे हैं—डोमेस्टिक सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मार्केट एक्सेस और एक्सपोर्ट कम्पीटिशन। इसमें खासकर विश्व में जो भी किसानों की संख्या होगी, लेकिन हमारे देश भारत में किसानों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में 65 करोड़ से अधिक लोग किसान हैं, गरीब लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, उनकी आजीविका कृषि पर आधारित है, भारत की अर्थव्यवस्था किसानों पर ही निर्भर है। भारत में प्रति कृषक परिवार को मुश्किल से 100-125 रुपये सब्सिडी मिलती है, जबकि अमेरिका अपने किसानों को इंडियन करेंसी में लगभग 21 हजार रुपये प्रति कृषक परिवार सब्सिडी देता है। यह सब्सिडी इनपुट्स के नाम पर, इम्प्लीमेंट्स के नाम पर तथा फूड आदि के नाम पर दी जाती है, लेकिन अमेरिका अपने देश में सब्सिडी को कम नहीं करना चाहता। ऐसी स्थिति में जो अमेरिका जैसे विकसित देश हैं, वे विकासशील देशों में अपना मार्केट बनाना चाहते हैं, हिन्दुस्तान जैसे विकासशील देशों को इंटरनेशनल मार्केट बनाना चाहते हैं, यह मूल सवाल है। मैं इसीलिए इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अमेरिका जैसे देश का अनाज जब भारत में उपलब्ध होगा तो वह सस्ती दर पर होगा। भारत के मूल्य से वह सस्ती दर पर उपलब्ध हो जायेगा, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सब्सिडी है। सब्सिडीयुक्त अमेरिका और यूरोपीय संघ का अनाज भारत में आता रहेगा तो भारतीय कृषि उत्पादन के मुकाबले में वह उत्पाद सस्ता हो जायेगा। इससे निश्चित रूप से भारत के किसानों की आजीविका पर कुप्रभाव पड़ेगा, इसीलिए भारत के दरवाजे विदेशी कृषि उत्पादन के लिए, फूड प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोलने चाहिए। भारत को विदेशी अनाज पर काउण्टर वेलिंग ड्यूटी लगानी चाहिए। मैं इसीलिए मांग करना चाहता हूं, इस पर स्ट्रैस देना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार जब दोहा में डिक्लेरेशन हुआ था और दोहा के बाद कैनकुन में क्या कहा गया।

[अनुवाद]

"भारत की कृषि क्षेत्र में मुख्य चिंता को घोषणा-पत्र में पर्याप्त रूप से ध्यान रखा गया है।"

[हिन्दी]

सेफगार्ड क्या हुआ, वह मैं बताना चाहता हूं, जो बहुत ही कौतूक है।

[अनुवाद]

"हम व्यापक समझौतों के साथ स्वयं को प्रतिबद्ध करते हैं और ट्रेड डिस्टोर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट में कमी और सभी प्रकार की निर्यात संबंधी राजसहायता को हटाने के मद्देनजर बाजार में पर्याप्त सुधार करते हैं।"

[हिन्दी]

ट्रेड डिस्टोर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट किसे कहा गया है, जो भारत मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने किसानों को देता है, जो हमारे यहां समर्थन मूल्य है, उसे ट्रेड डिस्टोर्टिंग डोमैस्टिक सपोर्ट कहा गया है। यह भाषा है, यह डैफिनीशन दोहा में हुई। कैनकुन में बहुत जोर लगाया, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मैं श्री मुरासोली मारन जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अब तो वे दिवंगत हो गये, उन्होंने कैनकुन में भारत के पक्ष को मजबूती से रखा था। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। कहीं न कहीं सांप 1991 में बिल में घुस गया, अब हमें इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम लोग लाठी पीट रहे हैं। सांप जब अन्दर घुस गया तो हम ऊपर से लाठी मार रहे हैं तो सांप को लगेगी क्या?

डब्ल्यू.टी.ओ. में हमारे देश के व्यापक हितों को कैसे संरक्षित किया जाये, कैसे सेफगार्ड किया जाये, यह बहुत जटिल सवाल है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए देश को, संसद को, करोड़ों लोगों को और विकासशील देशों को खड़ा होना होगा। सभी को अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एकजुट होने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कई तरह के दरवाजे खुल गये हैं, जैसे क्वाण्टीटेटिव रैस्ट्रिक्शंस उठा ली गई हैं, बहुत ज्यादा रास्ते पहले निकाल लिये कि हम लोगों का कैसे एक्सप्लायटेशन किया जाये, इसका इन्तजाम पहले से किया हुआ है। इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अब इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कि ट्रेड डिस्टोर्टिंग डोमैस्टिक सपोर्ट एम.एस.पी. को माना जायेगा। आज एम.एस.पी. नहीं मिलने के कारण हिन्दुस्तान के हजारों किसान आत्महत्याएं करते हैं। कैश क्राप वाले किसान, जहां कपास पैदा होती है, जहां गन्ना पैदा होता है, हम उनको लाभकारी मूल्य नहीं दे पाते। हिन्दुस्तान की स्थिति यह है कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। यह शर्मनाक बात है। आजादी के 57 साल बाद भी हिन्दुस्तान के किसानों को लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। यह कोई छिपी बात नहीं है, फिर चाहे कोई भी सरकार हो। ऐसी घटनाएं घट रही हैं, यह चिन्ता का विषय है। मैंने शुरू में ही अपने सम्बोधन में कहा कि बुरा समझौता नहीं हो तो बेहतर होगा। बुरा समझौता नहीं होने से कोई बड़ी बात नहीं होगी। बुरे समझौते के बजाय देश के व्यापक हितों को संरक्षित किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि बाहर से जो अनाज आए, उसपर काउंटर विलिंग ड्यूटी लगाने की जोरदार वकालत विश्व मंच पर होनी चाहिए।

हम कम्पीटीशन में कैसे उतरेंगे? एक सब्सीडाइज अनाज है, जो विदेशी मुल्कों द्वारा उत्पादित है, जो अमरीका द्वारा उत्पादित है,

वह हमारे देश की मार्किट में आकर हिन्दुस्तान को विदेशी अनाज का डम्पिंग ग्राउंड बनाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अपने देश को विदेशी कृषि उत्पादन का डम्पिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है। यदि ऐसा हो गया तो करोड़ों किसानों की आजीविका पर खतरा उत्पन्न हो जायेगा। उनके पेट पर खतरा उत्पन्न हो जायेगा। भारत की अर्थव्यवस्था किसान और कृषि पर निर्भर करती है, इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया।

जहां तक प्रतिस्पर्द्धा का सवाल है, जिसमें मार्किट एक्सेस आता है। यह मार्किट एक्सेस क्या है? इसका मतलब है कि आप मार्किट में विदेशी अनाज के लिए खुली छूट दे दीजिए। हम अपने कृषि उत्पादन को सीमा से अधिक सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, केवल एक सीमा तक ही सब्सिडी दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। डब्ल्यूटीओ कहता है कि आपकी जो सब्सिडी है, उसे प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाइए। विकासशील देश अपनी सब्सिडी घटाएं। उसे विकसित देशों के कम्पीटिशन में उतारें और हमें खुली छूट दें। इसका क्या अंजाम होगा, मैं इसका छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी भारत में गेहूं का समर्थन मूल्य 620 रुपये प्रति क्विंटल है। डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि इसे 60 से 70 प्रतिशत तक घटाइए। 620 रुपये में से यदि 60 प्रतिशत घट जायेगा तो कितना बचेगा? केवल ढाई या पौने तीन सौ रुपये ही प्रति क्विंटल गेहूं का दाम होगा। वे कह रहे हैं कि ढाई सौ रुपये ही एमएसपी दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि किसानों की आत्महत्या को और बढ़ावा दीजिए। आंध्र प्रदेश हो या भारत का कोई भी प्रदेश, जहां पर भी कैश क्रॉप होता है, वहां आत्महत्या को और बढ़ावा दीजिए। यह प्रस्ताव बहुत ही खतरनाक है। पांचवें मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में कहा गया था कि इसे आगे ठीक किया जायेगा। लेकिन अब छठा सम्मेलन हांगकांग में होने जा रहा है, उसमें यह कैसे ठीक होगा, क्योंकि यह प्रस्ताव ही खत्म नहीं हुआ है। देश के व्यापक हित के लिए अड़ने की जरूरत है। दृढ़ संकल्प लेकर अपने देश के पक्ष में खड़े होने की जरूरत है।

सिंगापुर में जो व्यापार समझौता हुआ था, उसमें सेवा व्यापार समझौते को लेकर सरकारी खरीद के मुद्दे का भारत ने जोरदार विरोध किया था। इस विरोध के कारण लम्बी लड़ाई के बाद उपरोक्त मुद्दे को सिंगापुर वार्ता से बाहर कराया जा सका। लेकिन अब हांगकांग वार्ता में क्या हो रहा है। हांगकांग वार्ता के प्रारूप में सरकारी खरीद, जिस पर इतनी बहस होती है, तीन-तीन, चार-चार दिन हाउस नहीं चलता, उसमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। हांगकांग वार्ता के प्रारूप में सरकारी खरीद को फिर से शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार को इस बारे में भी सतर्क और सावधान करना चाहता हूं कि समझौते के प्रारूप में जो चालाकी से, पिछले दरवाजे से उसे शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे पहले से ही सिंगापुर में एजैंडे से बाहर कर दिया गया था। इसलिए भारत को अपने स्टैंड पर अड़ना चाहिए और जो पिछले दरवाजे से सेवा व्यापार समझौते को शामिल करना चाहते हैं, उनका जोरदार विरोध करना चाहिए।

हांगकांग की बैठक में सरकार का पक्ष रखने वाणिज्य मंत्री, श्री कमलनाथ जी जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर फूड सिक्युरिटी से और देश के किसानों की बुनियादी समस्या, बुनियादी हित या एमएसपी को कम करने के सवाल पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और खासकर फूड सुरक्षा मामले में भी सरकार को प्राथमिकता रखनी चाहिए।

मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब, श्री सी. कुप्पुसामी बोलेंगे। आप कृपया केवल दो मिनट लीजिए।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): मैं हांगकांग में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के छठे मंत्री-स्तरीय सम्मेलन के संबंध में होने वाली चर्चा में अपने दल डी.एम.के. की ओर से भाग लेने जा रहा हूं।

महोदय, यह सदन हमारे प्रियनेता, हमारे वाणिज्य मंत्री, स्वर्गीय श्री मुरासोली मारन द्वारा विश्व व्यापार संगठन के दोहा दौर की वार्ता के दौरान किये गये योगदान का स्मरण कर सकता है, जिसके लिए न केवल हमारा तमिलनाडु राज्य बल्कि पूरा देश गौरवान्वित हैं; उस वार्ता में उन्होंने न केवल तीसरी दुनिया के कृषि और श्रम संबंधी हितों की सुरक्षा के लिए विकासशील देशों को बल्कि विकसित देशों को भी विश्वास में लिया तथा विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं के रुख को भारत तथा अन्य विकासशील देशों के पक्ष में किया। हमारे भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री मुरासोली मारन, जो अपनी हृदय शल्य चिकित्सा के बाद अस्वस्थता के बावजूद उस सम्मेलन में भाग लेने गए, ने हमारे देश के कृषि हितों और श्रम हितों की सुरक्षा की।

मैं वर्तमान मंत्री, श्री कमलनाथ से भी आग्रह करूंगा कि वे वार्ताओं में भारत के हितों की रक्षा करने के लिए हरसंभव प्रयास करें।

भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है तथा हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। किसानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को समाप्त करने के बजाए

[श्री सी. कुप्पुसामी]

उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, अनुदान देने तथा अधिकांश वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के कार्य को जारी रखा जाना चाहिए। भूमि सुधार और खेती करने वालों के लिए भूमि का स्वामित्व देने की व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए और इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। श्रम के क्षेत्र में श्रमिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि बेरोजगारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। सामूहिक रूप से मोल-भाव करने की शक्ति को बनाए रखा जाना चाहिए तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम गारंटी दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री महोदय ने एक अनुरोध किया है। वे अब डा. चिन्ता मोहन द्वारा पेश किये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देना चाहते हैं। यदि सभा सहमत हो तभी मैं उन्हें ध्यानाकर्षण का उत्तर देने की अनुमति दूंगा तथा तदुपरान्त नियम 193 के अधीन चर्चा जारी रखी जा सकती है। सभा का क्या मत है? सभा के सहमत होने पर मैं मंत्री महोदय को बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील (इरन्दोल): जी, नहीं। *...(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, हमें नियम 193 के अधीन चर्चा में भाग लेना है तथा हमें अपना विचार व्यक्त करना है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति के बारे में है।

...(व्यवधान)

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): सम्पूर्ण मद्रास का देश के अन्य भागों से सम्पर्क कटा हुआ है। लोगों को एक गली से दूसरी गली में नावों से यात्रा करनी पड़ती है। यह बहुत गंभीर स्थिति है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब कोई भी बोल नहीं सकता है। मंत्री महोदय ध्यानाकर्षण का उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: भाषण समाप्त हो गए हैं। यदि सभा अनुमति दे, तो मैं उन्हें ध्यानाकर्षण का उत्तर देने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, कैबिनेट मंत्री को हमारे ध्यानाकर्षण का उत्तर देना चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप सभी ध्यानाकर्षण चर्चा में बोल चुके हैं। आगे कोई और चर्चा नहीं होना चाहिए। वह उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: हम यह चाहते हैं कि कैबिनेट मंत्री इसका उत्तर दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: तमिलनाडु से करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण चर्चा में भाग लिया है। आपने तमिलनाडु की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। यदि आप सहमत हों तो माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री ए. कृष्णास्वामी: उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है। हम संतुष्ट नहीं हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है, तब आप और अधिक क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: कैबिनेट मंत्री को हमारे ध्यानाकर्षण का उत्तर देना चाहिए।

श्री के.वी. तंगबालु: हमें जिम्मेदारीपूर्ण उत्तर चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या आप चाहते हैं कि एक कैबिनेट मंत्री उत्तर दें?

श्री ए. कृष्णास्वामी: जी, हां। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं। जैसा कि मैं समझ रहा हूं। आज सुबह में आप कैबिनेट मंत्री से उत्तर सुनना चाहते हैं

राज्य मंत्री ने पहले ही उत्तर दे दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यगण उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि कैबिनेट मंत्री उत्तर दें। अब यह व्यवस्था हो गई यदि आप सहमत हों तो आपको एक और उत्तर दिया जाएगा।

श्री ए. कृष्णास्वामी: यह ठीक है।

श्री के.वी. तंगबालु: हमें कुछ स्पष्टीकरण भी चाहिए।

सभापति महोदय: यह अभी नहीं होगा।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील (इरन्दोल): महोदय, हांगकांग में डब्ल्यू.टी.ओ. का छठा-मंत्रीस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 13 से 20 दिसंबर तक होगा। जैसाकि आपको विदित ही होगा, उस समय डब्ल्यूटीओ के चौथे और पांचवें सम्मेलन में श्री मारन जैसे मंत्रियों ने प्रतिनिधित्व किया था जिनके बारे में डीएमके दल के सदस्य ने पहले ही बता दिया है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। इसी प्रकार, कैन्कुन में, श्री अरुण जेटली मौजूद थे।

महोदय, डब्ल्यू.टी.ओ. कतिपय मुद्दों के विविधीकरण, जिन पर पहले तीन सम्मेलनों में बात हो चुकी थी, के संबंध में कोई सहमति बनाने में असमर्थ रहा। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि हमारे देश को यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के आक्रमण से बचाया जाए, जो भारत को एक (डम्पिंग ग्राउण्ड) बना रहे हैं। वास्तव में, जी-20 देशों की आपसी बैठक इस विचार को लेकर हुई थी कि डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में, गरीब देशों को अमीर देशों से बचाया जाना चाहिए, अमीर देश डब्ल्यूटीओ के माध्यम से वाकई गरीब देशों पर आक्रमण करने जा रहे हैं।

इस समय, विशेषकर तीन क्षेत्रों नामत: कृषि, औद्योगिक सामान और सेवाएं आपस में जुड़े मुद्दे हैं। मुझे विशेषकर दो क्षेत्रों—सेवा क्षेत्र और व्यापार से भय नहीं है। किंतु इस देश में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसाकि आपको मालूम ही है। हमारे देश में 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग किसान समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस देश की सारी अर्थव्यवस्था किसानों की आजीविका और उनकी स्थिति पर निर्भर है। अत: मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे देश से जो व्यक्ति हांगकांग में प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस देश में 65 प्रतिशत किसान हैं, जबकि अन्य देशों, विशेषकर अमेरिका और यूरोपियन संघ में मात्र चार या पांच प्रतिशत ही किसान हैं। अत: सारा मुद्दा किसानों के गिर्द ही घूमता है। वह मुख्य बात जिस पर उसे गौर करना होगा वह यह है कि हमें क्या निर्यात करना है और क्या आयात करना होता है जैसाकि हमें विदित ही है, कि हम उन चीजों का आयात नहीं कर सकते जो हमारे देश में बहुलता में है जैसेकि गेहूं, चावल अथवा खाद्य सामग्री। लेकिन हमें अपने देश की जरूरत को, नामत: तिलहन, तेल और कुछ हद तक अच्छी क्वालिटी का कपास तथा अन्य चीजें, पूरा करने हेतु अवश्य ही आयात करना होगा। हमें डेरी उत्पाद और कुछ अन्य उत्पादों को आयात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अत: हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जब हम देशी उत्पादों का आयात करते समय हमें किसान समुदाय के उत्पादों की रक्षा की जाए। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि देश के किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु हमें क्या आयात करना चाहिए।

महोदय, यही तीन क्षेत्र हैं। विशेषकर हमें किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी। एक है कि गरीब एवं विकसित देश के लिए बनाए गए सुरक्षात्मक उपाय विशेष एवं अंतरीय व्यवहार अर्थात् विशेष एवं विभेदक व्यवहार, विशेष उत्पाद, अर्थात् स्पेशल प्रोडक्ट और विशेष सुरक्षात्मक तंत्र, अर्थात् स्पेशल सेफगार्ड मेकनिज्म प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाए। उसके बाद ही आगे वार्ताओं में अच्छी तरह से, पिछली दो में जो निर्णय लिये गये थे, उन्हें रखा जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यूरोपीय संघ और अमेरिका हमेशा तीन क्षेत्रों, नातम:, क्षेत्र—अंबर ब्ल्यू एंड ग्रीन के बीच राजसहायता को परस्पर मिला देते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करके वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि वे एक क्षेत्र से राजसहायता दूसरे क्षेत्र में अन्तरित कर सकते हैं। अत: हमें अपनी बात पर टिका रहना चाहिए और हमारा उस धरातल पर एक ठोस दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि हम अपने कृषकों का आधार बचाए रखें।

महोदय, ये तीन प्रकार के मुख्य मुद्दे हैं। विशेषकर भारत यूरोपीय संघ और अमेरिका, पर अपनी घरेलू और निर्यात राजसहायताएं समाप्त करने हेतु दबाव डाल सकता है। दूसरे, जिस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह है उन विशेष उत्पादों का बचाव करना जिन पर करोड़ों भारतीय किसानों की आजीविका निर्भर करती है और तीसरे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं वह है वर्तमान विशेष तंत्र की रक्षा करना। यही तीन बातें मुझे कहनी हैं।

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में, राष्ट्रीय हित सर्वोच्च होता है। कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित का बलिदान करने में रुचि नहीं रखता, चाहे वह विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के साथ किसी भी प्रकार का करार करे। अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ तथा अधिकांश विकसित देशों को कुछ खंड बना अथवा करार करें, तो क्या वे दूसरे देशों में रुचि लेंगे। नहीं। मात्र यही देखा जाएगा कि वे अपना बाजार तलाश करेंगे। वे अपने उत्पादों के लिए बाजार ढूंढ़ना चाहते हैं। वे इसी तरह की सभी परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं?

[श्री के.एस. राव]

जब औद्योगिक माल का प्रश्न उठता है, उनका भारत और चीन तथा अविकसित देशों के लिए सारा प्यार मात्र अपने उत्पादों हेतु बाजार ढूंढ़ना है। अमेरिका में यह कहा जाता है कि मात्र दो प्रतिशत लोग कृषि पर निर्वाह कर रहे हैं, जबकि भारत में, 60 प्रतिशत से अनधिक लोगों को कृषि पर निर्वाह करना पड़ता है। यह हमारे लिए बहुत ही गंभीर बात है। हम जल्दबाजी में बिना सोचे-समझे कोई करार करके, उनकी रियायतों से प्रलोभित होकर कि वे हमें सेवाओं और औद्योगिक उत्पादों में फायदा देंगे, इस देश में किसानों के हितों का बलिदान नहीं कर सकते।

अपराह्न 4.06 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन* हुए]

यह कहा जाता है कि अमेरिका में कृषकों को बड़े पैमाने पर राजसहायता दी जा रही है। जब वे अपने कृषकों को राजसहायता देते हैं, स्वाभाविक है कि वे अपनी वस्तुएं हमारे द्वारा उत्पादित करने में लगी कीमत से कम कीमतों पर निर्यात कर सकते हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने पहले ही यह बता चुके हैं कि चूंकि किसानों को मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभकारी नहीं है, इसलिए हम समाचार-पत्रों में यह पढ़ रहे हैं कि वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था विदेशी कृषि उत्पादों के लिए खोल दें, तो यह संख्या और भी बढ़ जाएगी। यह हजारों अथवा लाखों में जा सकती है। अत: सर्वप्रथम हमें अपने कृषक समुदाय की रक्षा करनी है और फिर किसी दूसरी बात के बारे में सोचना होगा।

वे भारतीयों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक क्यों लगाते हैं? आज, अमेरिका विदेशियों को दिये जाने वाले वीजा को सीमित कर रहा है। वह कहता है कि वे एक वर्ष में मात्र 60,000, 70,000 या 100,000 लोगों को ही आने की अनुमति देंगे। अगर वे मुक्त व्यापार चाहते हैं तो लोगों को मुक्त रूप से आंदोलन भी करने दें। हमारे देश को भारी संख्या में तकनीकी जनशक्ति मिली है। यह हमारी परिसंपत्ति है। यह हमारे संसाधन हैं। यह ऐसे स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से हमारे लोग आराम से जी सकते हैं। वे ऐसे वस्तुओं पर नियंत्रण लगा रहे हैं जो हमारे देश में बहुतायत में उपलब्ध है लेकिन वे चाहते हैं कि हम उन सभी चीजों को स्वीकार करें जो वहां से आती हैं।

हम इस देश से झींगा मछली का अमेरिका निर्यात कर रहे हैं। जब उन्होंने पाया कि यह उनके हित में नहीं है तो उन्होंने एक नये शब्द 'पालम रोहती शुल्क ईजाद किया और अचानक उन्होंने हमारी झींगा मछली पर पन्द्रह प्रतिशत का शुल्क लगा दिया जो सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विरुद्ध है। इसलिए हमारे कृषक समुदायों के लिए झींगा मछली पालन अलाभकारी हो गया।

हाल ही में, मैंने अखबार में पढ़ा कि अमेरिका के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत हमारे एक अप्रवासी भारतीय सुश्री नीलिमा का नियमित रूप से उत्पीड़न किया जा रहा था और इस आधार पर उन्हें अपने गोरे सहकर्मियों द्वारा परेशान किया गया कि उनके अपने देश से बाहर के लोगों को दी जाने वाली नौकरियों में बड़े पैमाने पर भारतीयों को प्राप्त हो रही थी और साथ ही साथ भारतीयों को अमेरिका में भी नौकरी मिल रही थी जबकि स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी। वे उनका नियमित रूप से उत्पीड़न कर रहे थे। चूंकि प्रबंधन ने यह बात स्वीकार कर ली थी कि वे उसका उत्पीड़न कर रहे थे इसलिए प्रबंधन तो उसका हित साधन नहीं कर सकता। वह केवल स्थानीय नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। यह आम धारणा है कि राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। अपने देश में भी हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे कृषक समुदाय का हित सर्वोच्च है। यदि हम कल शुल्क घटाकर प्रतिबंध समाप्त करके इस देश में विदेशी कृषक उत्पाद के मुक्त आवागमन की अनुमति प्रदान करें तो हमारा कृषक समुदाय बेरोजगार हो जाएगा। जब वे बेरोजगार हो जाएंगे तो वे वैकल्पिक रोजगार कहां पाएंगे। उन्हें फसलों को उगाने के लिए पीढ़ियों से प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें रातोंरात औद्योगिक क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र में नहीं धकेला जा सकता। इस स्थिति में सोचिए कि इस देश की क्या स्थिति होगी। यह भयावह है। इसलिए मंत्री महोदय को इस देश में विशेष चीज को उपलब्ध रखने हेतु इन समझौतों को अंतिम रूप देते समय अत्यंत ही सतर्क रहना चाहिए।

महोदया, यह कहा जाता है कि हजार वर्ष पहले भारत विश्व व्यापार का एक तिहाई व्यवसाय कर रहा था। आज यह घटकर लगभग छह प्रतिशत अथवा इससे भी कम हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ होगा कि अन्य देश अत्यधिक भौतिकवादी हो गए और हम ज्यादा आध्यात्मिक हैं और उन्होंने इसका फायदा उठाया है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम प्रतिभा अथवा योग्यता में कम हैं।

महोदया, कृषि उत्पादों के संबंध में कई बार पेटेंट कराना चकित कर देता है। जब हम अपने कुछ पौराणिक शास्त्रों की बात करते हैं या पढ़ते हैं तो यह पाते हैं कि नीम ने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह औषधियों और अनेक चीजों में उपयोगी हो गया है। अब आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि कुछ पश्चिमी देश नीम को भी पेटेन्ट कराने का प्रयास कर

रहे हैं जो वास्तव में हजारों वर्षों से हमारा शक्ति स्रोत है। इसलिए इसी तरह जब कृषि उत्पादों का प्रश्न आये तो इसे अत्यधिक सतर्क करना है और अपने देश और विकासशील देशों के मामले में कृषि के संदर्भ में विशेष रूप से अनुकूल परिस्थितियों की मांग करनी है।

जब हम अपने देश में ऐसी स्थिति में हों जब लोग मात्र दो प्रतिशत अथवा चार प्रतिशत कृषि पर निर्भर हों तो सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। ऐसे में प्रतिस्पर्धा और परस्पर सहयोग हो सकता है। लेकिन स्थितियां अलग-अलग देश में अलग-अलग हो सकती हैं। हम यह नहीं स्वीकार कर सकते। इसलिए मैं माननीय मंत्री से इस पहलू पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। मैं आश्वस्त हूं कि वे एक वक्तव्य भी देंगे कि वे किसानों के हितों का बलिदान नहीं देंगे और उन्हें बेरोजगार नहीं करेंगे। जैसाकि अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि वे चर्चा शीघ्र बंद करना चाहते हैं इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। एक बार पुनः मैं माननीय मंत्री से इस देश में विशेषकर कृषि उत्पादों के आयात के बारे में अत्यधिक सतर्क रहने का अनुरोध करता हूं जो इस देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी क्योंकि 600 मिलियन किसान कृषि उत्पादों पर निर्भर हैं।

अपराह्न 4.12 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ से हुई हानि से उत्पन्न स्थिति—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि सभा इस बात से सहमत हो, तो हम गृह मंत्री का उत्तर ले सकते हैं। वह डा. चिन्ता मोहन द्वारा उठाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देंगे। तत्पश्चात हम पुनः यह चर्चा जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): सभापति जी, हमने लगभग सारे पाइंट्स पर रिप्लाई दे दिया है। एक-दो पाइंट्स रह गये थे जिन पर माननीय अनंत कुमार जी स्पष्टीकरण चाहते थे। उनका कहना था कि सीआरएफ, एनसीसीएफ की जो एड आती है, उसका फिर से रिवीजन होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि होम-मिनिस्ट्री में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस संबंध में बना दिया गया है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि और संबंधित सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के विभागों के प्रतिनिधि रखे गये हैं। इस बात पर विचार चल रहा है कि उनकी जो भी रिकमेंडेशन्स आयेंगी, उनके अनुसार रेट को रिवाइज्ड कर दिया जाएगा। तमिलनाडु के हमारे माननीय सदस्यों की यह मांग थी कि जो फंड या रिलीफ जाती है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए। केन्द्रीय स्तर पर इस तरह की कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का प्रावधान नहीं है लेकिन हम उनकी भावनाओं से पूरी तरह से सहमत हैं और हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी जो भावनाएं व्यक्त की हैं, हम संबंधित राज्यों को इस बात की सूचना देंगे कि लोक सभा के माननीय सदस्यों की इस तरह की भावनाएं हैं कि कोई मॉनिटरिंग कमेटी बने जिसमें मैम्बर्स पार्लियामेंट, असेम्बली मैम्बर्स, लोकल बॉडी के चेयरपर्सन हों, जिससे रिलीफ की मॉनिटरिंग अच्छी तरह से हो सके। यह काम राज्यों के हित में होगा। राज्य सरकार जो मानिटरिंग आफीसर्स से कराती है या अपने मंत्रियों के माध्यम से कराती है, मैं समझता हूं कि यदि एमपीज और एमएलएज की एक एडीशनल कमेटी बना दी जाए, तो मानिटरिंग का काम ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। इस तरह की संबंधित रिकमेंडेशंस संबंधित राज्यों को भेज दी जाएंगी। मैं समझता हूं कि सारे इश्यूज क्लियर हो चुके हैं और सारे क्लेरिफिकेशंस आ चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर)**:** महोदया, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मैंने चौथी बार वर्षा होने के बारे में मुद्दा उठाया था। माननीय मंत्री द्वारा इसका उत्तर नहीं दिया गया था। इस चौथी बार की वर्षा से काफी नुकसान हुआ है। जिससे संपूर्ण कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य जिलों में भी सब कुछ तहस-नहस हो गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने कितनी निधि आवंटित की है और सरकार कितनी राशि राज्य को आबंटित करने जा रही है। इसकी जानकारी दी जानी चाहिए।

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री एक प्रेस वक्तव्य में परसों कह रहे थे कि केन्द्रीय सरकार ने कोई निधियां नहीं दी हैं। केन्द्र सरकार का कहना है कि राज्य में निधियों का दुरुपयोग हुआ है। हमारा पहले सुनामी के मामले में खराब अनुभव रहा है। उन्होंने पहले ही संसद सदस्यों और विधायकों की एक निगरानी समिति का गठन कर लिया था। इस समिति के माध्यम से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक भी बैठक नहीं बुलाई गई थी। इसलिए, हमने

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

माननीय मंत्री से पूछा कि क्या निगरानी और सतर्कता समिति जो वहां पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पहले से ही है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु राहत निधि की निगरानी करेगी। मैं यह जानना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: पुनः, यदि सभी व्यक्ति प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे तो समस्या हो जायेगी।

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम): महोदया, कृपया एक मिनट रुकिए।

सभापति महोदया, हमें प्रसन्नता है कि माननीय गृह मंत्री यहां पर हैं और हम माननीय गृह मंत्री के भी आभारी हैं कि उन्होंने तमिलनाडु में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जिस क्षण यहां पर यह समाचार आया हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री से बात करने की बजाए तत्काल 500 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए। ऐसा मुख्यमंत्री के अनुरोध पर नहीं किया बल्कि स्वयं अपनी ओर से किया। माननीय मुख्यमंत्री राहत लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और केन्द्रीय सरकार के पास जाया करते थे। परन्तु, इसके विपरीत इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से स्वयं बात की।

जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने गत परसों कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री केन्द्रीय सरकार पर राज्य की मदद न करने का आरोप लगा रहे हैं।

सभापति महोदया: यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया पूछिए।

श्री के.वी. तंगबालु: महोदया, मैं उस बात पर आ रहा हूं। हम, तमिलनाडु से संसद सदस्य यह महसूस करते हैं कि राज्य को भेजी गई निधियों की समुचित ढंग से निगरानी की जानी चाहिए और उसे उचित ढंग से खर्च किया जाना चाहिए और निधियों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस पर निगरानी रखने के लिए ही हमने मांग की थी कि संसद सदस्यों और निर्वाचित लोगों की एक निगरानी समिति का होना आवश्यक है। एक प्रणाली है जो पहले से ही विद्यमान है। अभी-अभी माननीय गृह राज्य मंत्री ने सभा को सूचित किया कि यहां पर ऐसी, कोई भी प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा हम एक समिति का गठन कर सकें। परन्तु, महोदया, केन्द्रीय सरकार ने पहले ही एक गिनरानी समिति का गठन कर दिया है और सभी केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों की निगरानी संसद सदस्यों, विधायकों और जिलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। यह समिति वहां पर पहले से ही है। माननीय संसद सदस्य चेयरमैन हैं।

केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु के विकास और उक्त परिस्थिति से निपटने हेतु काफी बड़ी राशि भेजने जा रही है। अब, हम राज्य सरकार को सूचित करने हेतु माननीय गृह मंत्री से यह अनुरोध करते हैं कि इस राशि का उपयोग समिति के माध्यम से किया जाये और संसद सदस्यों और विधायकों को कार्यान्वयन संबंधी कार्य पर निगरानी रखने का अवसर भी दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदया: ठीक है, आपका धन्यवाद। हम पुनः उसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी इस संबंध में पहले ही बोल चुके हैं। कृपया सहयोग करें।

श्री के.वी. तंगबालु: महोदया, हमें माननीय गृह मंत्री से मदद और संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु की दुःखद स्थिति का अवलोकन किया है। एक अन्य बात जिसका हम अनुरोध करते हैं वह अब 500 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त है जिसे दिया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री की सलाह और माननीय गृह मंत्री की सिफारिश पर एक केन्द्रीय दल ने वहां का दौरा किया, सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब हम सरकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यह आगे आए और अधिकतम राहत मुहैया कराए।

राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ रुपये मांगे हैं। माननीय गृह राज्य मंत्री ने सभा में यह कहा है कि राज्य सरकार द्वारा जितनी भी निधियों की मांग की गई है, उतनी निधियां उसे दी जायेंगी। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि कुल कितनी राशि हम राज्य को देने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु को उदारतापूर्वक पर्याप्त राशि दे ताकि हम राज्य का पुनर्निर्माण कर सकें। प्रथम चरण में कम से कम 5,000 करोड़ रुपये की न्यूनतम राशि दी जाये और तत्पश्चात् तथ्यों के सत्यापन और रिपोर्टों को देखने के पश्चात् वे और अधिक निधियां दे सकते हैं। हमारी यही आवश्यकता है।

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): धन्यवाद, सभापति महोदय। प्रारम्भ में, मैं अपने माननीय गृह मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जैसे ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बारे में सुना उन्होंने तमिलनाडु में हवाई सर्वेक्षण किया।

महोदया, मैं केवल दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। पहले, बाढ़ पीड़ितों संबंधी लाभार्थी सूची प्रत्येक तालुक कार्यालय मुख्यालय तथा संबंधित ग्राम प्रशासनिक कार्यालयों में भी लगाई जानी चाहिए।

दूसरे, लोक निर्माण विभाग में एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए जिसमें किये गये व्यय और राहत कार्य का उल्लेख मातृ भाषा में

दर्शाया जाए। ये दो बातें हैं जिनका मैं इस समय उल्लेख करना चाहता हूं।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): धन्यवाद, सभापति महोदया। मेरे विचार से माननीय मंत्रीजी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। अब, मेरा एकमात्र प्रश्न सी.आर.एफ. जारी करने हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन करने के संबंध में है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि सी.आर.एफ. दिशानिर्देश केवल सूखाग्रस्त परिस्थितियों के लिए है। हाल ही में, माननीय प्रधानंत्री ने एक सुनामी पैकेज की घोषणा की थी और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री और माननीय कृषि मंत्री द्वारा भी आश्वासन दिये गये थे कि वे सी.आर.एफ. दिशानिर्देशों के संशोधन संबंधी मुद्दे पर गौर करेंगे।

इस मुद्दे पर अगस्त में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक मंत्रीमंडलीय समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया गया था, और तब से तीन महीने का समय बीत चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं? क्या इस मामले पर विचार किया गया था या नहीं? किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस मुद्दे पर यदि विचार किया गया था तो केन्द्र सरकार द्वारा कौन से संशोधनों पर विचार किया गया था?

दूसरे, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के जलाशयों विशेषकर कोयना बांध से जल का भारी रिसाव होने के संबंध में माननीय प्रधानमंत्रीजी को दिनांक 12.8.2005 को एक पत्र लिखा था। ऐसा दिनांक 1 अगस्त और 3 अगस्त को रिक्टर स्केल पर 2 और 3 की तीव्रता के भूकम्प के झटके आने से हुआ। यह मात्रा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अनुसार था।

माननीय गृह मंत्री जी ने मेरे पहले वाले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए बताया था कि 'भूकम्प तो हमेशा आते ही रहेंगे, और इस मुद्दे के संबंध में लोगों के मन में कोई भय नहीं होना चाहिए।'' मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन, साथ ही यह कर्नाटक के लोगों विशेषकर कर्नाटक के पांच अपतटीय जिलों, अर्थात, बीजापुर, बागलकोट, बेलगांव, रायचूर और गुलबर्गा में रहने वालों के सिर पर लटकती तलवार के समान है।

केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ताकि यह हस्तक्षेप कर सके और बांधों विशेषकर कोयना और अन्य बांधों से पानी छोड़ने के बारे में समन्वय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अनुदेश दे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके कारण कर्नाटक में सुनामी जैसी कृत्रिम बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदया, मेरे साथी ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय मंत्री वक्तव्य देते हैं। तत्पश्चात, कुछ स्पष्टात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिये जाते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि उन्होंने बहुत से मुद्दे जो यहां उठाये गये हैं, का उत्तर दे दिया है। मुझे दूसरी बार उत्तर देने के लिए कहा गया है। मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा हूं।

तमिलनाडु में भारी वर्षा से बहुत सा नुकसान हुआ है। वहां चौथी बार वर्षा हुई है। हमें बहुत खेद है कि तमिलनाडु के लोगों को इस वर्षा के कारण कठिनाइयां आ रही हैं। हमने तदर्थ अनुदान के रूप में 500 करोड़ रुपये और आपदा राहत कोष से 86 करोड़ रुपये दिये हैं। लेकिन एक बात माननीय सदस्यों को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि यह धनराशि पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयोजन से राज्यों को दी जाने वाली धनराशि नहीं है। यह राहत प्रदान करने हेतु सरकार को दी गई धनराशि है। राहत का अर्थ है पहला कदम। जब वर्षा होती है तो कुछ लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। उनके पास भोजन नहीं होता। उनके पास कपड़े नहीं होते। उनके पास बर्तन नहीं होते। उन्हें तत्काल शरण की आवश्यकता होती है। यह धनराशि इस प्रयोजन हेतु तमिलनाडु सरकार को दी गई है।

तमिलनाडु सरकार ने 13,000 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है। वह पुनर्निर्माण के लिए है। पुनर्निर्माण और राहत में अन्तर करना होगा। यह धनराशि राहत कार्यों के लिए है। माननीय सदस्य इस बात को समझ लें। मैं इस बात को दोहराता हूं कि यह धनराशि राहत कार्यों के लिए है न कि पुनर्निर्माण के लिए। यदि केन्द्र सरकार द्वारा 3,000 करोड़ रुपये दिये जायेंगे तो वह कार्य एक वर्ष नहीं अपितु दो वर्षों या तीन वर्षों तक भी चलता रहेगा। इसमें बहुत समय लगेगा।

यहां से हम क्या करते हैं कि जब इस प्रकार की आपदाएं आती हैं तो हम तदर्थ अनुदान देते हैं। गुजरात को 500 करोड़ रुपये दिये गये। 500 करोड़ रुपये तमिलनाडु को दिये गये। 500 करोड़ रुपये जम्मू और कश्मीर को दिये गये। ये राहत कार्य के लिए हैं। यह हम समझ लें, ये पुनर्वास के लिए नहीं हैं। जब तक हम राहत और पुनर्वास में अन्तर नहीं समझेंगे, हम से गलती होने की संभावना रहेगी।

श्री ए. कृष्णास्वामी: हम उसको समझते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या 500 करोड़ रुपये राज्य सरकार के पास पहुंचे हैं या नहीं ...*(व्यवधान)* परसों ही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता को बताया कि 500 करोड़ रुपये तमिलनाडु को नहीं मिले हैं।

सभापति महोदयाः कृपया बैठ जाइए। व्यवधान डालने का यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे नहीं पता कि उन्हें कहां से यह सूचना मिल जाती है। वित्त मंत्री जी तमिलनाडु से हैं। अगले ही दिन मुझे बताया गया कि धनराशि जारी कर दी गई। मैं वित्त मंत्री जी से पता करूंगा। इस प्रकार की चर्चा से हमें कोई लाभ नहीं होता।

हम यह कह रहे हैं कि 13000 करोड़ रुपये बहुत बड़ी राशि है। यदि यह देनी ही पड़ेगी तो दी जाएगी। लेकिन यह किसी पत्र अथवा किसी ज्ञापन के आधार पर नहीं दी जा सकती। उसके लिए कोई योजना तैयार की जानी चाहिए। यदि सड़कों को नुकसान पहुंचा है, यदि बांधों को नुकसान हुआ है, यदि बहुत से घरों का निर्माण करना है, यदि कृषि भूमि को पुनः उर्वर बनाना है तो योजनाएं बनानी होगी। हमने राज्य सरकार से कहा है, "कृपया चिन्ता न करें। योजनाएं बना कर भेज दें। हम उनकी जांच करेंगे और हम आपको उतनी धनराशि उपलब्ध करवा देंगे जितनी उपलब्ध करवाई जा सकती है और करवाए जाने की जरूरत है।"

इसे समझ लें। राहत को पुनर्वास से न मिलाएं। एक बार जब आप राहत को पुनर्वास से मिला देते हैं तो आपके हृदय में शंका उत्पन्न हो जाती है कि इस प्रकार की आपदा का 500 करोड़ रुपये का किस प्रकार प्रबंधन करेंगे। हम राज्य सरकार से इस प्रकार की आपदा का प्रबंधन 500 करोड़ रुपये में ही करने के लिए नहीं कर रहे हैं। यदि आपको और अधिक धन की आवश्यकता होती है तो एक नियमित योजना बना कर लाएं जिसकी जांच की जाए और उसे हम देखेंगे।

आज ही मैं, वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी साथ बैठे थे। हमने बिना किसी देरी किये योजनाएं भेजने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखने, उनकी जांच करने और अविलम्ब और अधिक धनराशि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। आइए इस बात को समझें। स्थिति यह है।

कर्नाटक के संबंध में राज्य के मुख्य मंत्री, श्री अनंत कुमार जी और अन्य लोग मुझसे मिले। उन्होंने मुझे जनता को पेश आ रही कठिनाइयों के बारे में बताया। हमने इसे महसूस किया। वहां की जनता किसी प्रकार की मांग को इसकी प्रतीक्षा किये बिना ही प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री भी वहां गये। उन्होंने 350 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की। कुछ अतिरिक्त धन 80 या 90 करोड़ रुपये भी दिया गया है। वह भी राहत के लिए है न कि पुनर्वास के लिए। उस दिन माननीय अनंत कुमार जी और राज्य के मुख्य मंत्री से हमारी लंबी बातचीत हुई। मैंने उन्हें बताया कि भारत सरकार पूर्णतया सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायेगी।

किंतु आप यह आशा न करें कि एक ज्ञापन के आधार पर ही राज्यों को 3000 या 4000 करोड़ रुपये दे दिये जायेंगे। यह कार्य किसी योजना अथवा मांग के रूप में हो सकता है। हम उसकी जांच करेंगे और धनराशि देंगे। यह बात कर्नाटक पर भी लागू होती है।

तीसरी बात यह है कि बहुत सारे राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और कुछ हद तक केरल प्रभावित हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों में भी बाढ़ आयी थी। कुल मांग राशि 35000 करोड़ रुपये है। अब यदि 35000 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकारों को दी जाती है तो यह एक नियमित और योजनाबद्ध रीति से ही दी जानी चाहिए। हम उन्हें ऐसा करने के लिए कह रहे हैं।

चौथे, मैं सी.आर.एफ. पर आता हूं। माननीय सदस्यों में और कुछ सीमा तक मेरे मंत्रालय में भी मुश्किल यह है कि वे समझते हैं कि राज्य सरकार को दी जाने वाली प्रत्येक सहायता सी.आर.एफ. के माध्यम से ही दी जायेगी। किंतु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस योजना के माध्यम से राज्य सरकार को दी जाने वाली धनराशि बहुत सीमित होती है। कृपया देखें कि सी.आर.एफ. के माध्यम से अतीत में कितनी राशि दी गई थी। यह 10 या 15 या 20 या 30 करोड़ रुपये मात्र ही थे, इससे अधिक नहीं। किंतु इस वर्ष हम इन राज्यों में से प्रत्येक को 500 करोड़ रुपये दे चुके हैं। यह धन सीआरएफ से नहीं आ रहा है। हम यह धन सीआरएफ के माध्यम से नहीं दे सकते। यह सरकार द्वारा दिया गया एक तदर्थ अनुदान होता है। इसकी अनुमति कैबिनेट देती है और तभी यह राशि दी जाती है। हमने कैबिनेट की अनुमति की प्रतीक्षा भी नहीं की है। यदि प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या अन्य कोई कहता है तो कार्योत्तर मंजूरी देनी होती है। अतः, और हमने यह धनराशि जारी कर दी है कृपया यह न समझें कि ऐसे मामलों सीआरएफ से सहायता मिल सकती है। सीआरएफ के अधीन दी जा सकने वाली राशि बहुत सीमित है। इससे आप एक जिले का काम भी नहीं कर सकेंगे। आप यदि इसके मानदंडों में परिवर्तन चाहते हैं-हम सीआरएफ और अन्य योजनाओं के मानदंडों में भी बदलाव कर चुके हैं—तो हमें अधिकारियों के समूह से यह कहना होगा कि वे देखें कि इसे कैसे बदला जा सकता है किंतु इन योजनाओं के मानदंडों में परिवर्तन के बाद भी दी जाने वाली राशियों से राज्य सरकारों की मांगों की पूर्ति नहीं होगी। वे कहेंगे कि वे आपसे कैसे काम चलायेंगे। इसीलिए हमें इस मामले को केबिनेट के

समक्ष उठाना होगा और उन्हें अतिरिक्त राशि जारी करनी पड़ेगी। हमने उन मानदंडों को देखा है जिनका पालन किया जाता है। वे काफी बेहतर और कठोर मानदंड हैं जो आपकी एक सप्ताह या एक माह के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं। इससे आप टूटे घरों, पुलों व भवनों का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं। अतः यह धन सीआरएफ से नहीं मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट एक प्रस्ताव पास करेगी और सीआरएफ के मानदंडों से विनिर्मुक्त एक बड़ी धनराशि राज्य सरकारों को दी जायेगी। हम इसके लिए भिन्न मानदंड रखते हैं। किंतु यदि माननीय सदस्यगण चाहते हैं कि इसकी जांच की जाये तो हम इसकी जांच करेंगे। हमने एक बार इसकी जांच की है ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: विशेषकर कर्नाटक में शुष्क और आर्द्र भूमि क्षेत्रों में फसल ऋणों के लिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि हम सीआरएफ से धन देंगे तो आप लोग किसानों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पायेंगे। मानदंडों में हम कितना भी परिवर्तन कर लें, उससे किसी को संतोष नहीं होगा। इसीलिए हम इस बड़ी आपदा को भिन्न दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम सीआरएफ के मानदंडों से बंधे हुए नहीं हैं। हम सहायता करने के लिए विभिन्न मानदंडों को अपना रहे हैं और वे मानदंड पूर्णतया उदार हैं और योजना आयोग व गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को इसी की जांच करनी है और उसके पश्चात् हम इसे करने जा रहे हैं। हम मानदंडों के अंतर्गत जो कुछ दिया जा सकता है उससे ज्यादा नहीं देंगे।

जहां तक माननीय संसद सदस्यों आदि की बैठक का संबंध है माननीय संसद सदस्य इस मुद्दे को उठाने में बहुत सतर्क हैं। उन्होंने स्वयं मुझसे बात की है। उन्होंने इस मुद्दे को सभा में उठाया है। उन्होंने इस मुद्दे को दूसरी सभा में उठाया है। माननीय सदस्यों के अनुरोध पर भारत सरकार भी बहुत उदारता से राज्य सरकारों की मदद कर रही है। प्रथम चरण में, किसी भी समय विगत में तदर्थ अनुदान के रूप में 500 करोड़ रुपये नहीं दिये गये थे। इसलिए, हम राज्य सरकारों तथा मुख्यमंत्रियों से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि उन्हें प्रभावित जिलों से माननीय संसद सदस्यों और माननीय विधायकों को विश्वास में लेना चाहिए। उनके लिये यह अच्छा होगा कि वे एक बैठक आयोजित करें जिसमें माननीय संसद सदस्यों और माननीय विधायकों से परामर्श करें कि किस प्रकार से लोगों की सहायता की जा सकती है। मैंने सभा में यह कहा है कि यदि यह आवश्यक हुआ तो हम यह संदेश माननीय मुख्यमंत्रियों को भी देंगे। परन्तु अन्ततः, यह माननीय मुख्यमंत्रियों पर निर्भर करता है कि वे कार्यवाही करें। संघीय ढांचे में मेरे लिये माननीय मुख्यमंत्रियों को यह दिशानिर्देश जारी करना उचित नहीं होगा कि उन्हें अमुक-अमुक कार्य करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जो कुछ इस सभा में कहा जा रहा है वे उसे सुनकर विधानमंडलों और संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विचारों को ध्यान में रखेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं जो कुछ यहां चर्चा हुई है उसका जिक्र करते हुए माननीय मुख्यमंत्रियों को लिखूंगा। कृपया उनसे परामर्श कीजिए और कृपया उन्हें विश्वास में लीजिए ताकि वे अपना कुछ परामर्श दे सकें और इस योजना की निगरानी कर सकें। इसे उचित ढंग से किया जा सकता है क्योंकि वे संबंधित क्षेत्र में रहते हैं। विधायक अपने-अपने जिलों से जुड़े होते हैं और संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों से किसी अन्य की अपेक्षा, यदि आवश्यक हुआ तो वे, जो कुछ किया जा रहा है, उसका निरीक्षण करने की स्थिति में होंगे।

जैसाकि सुनामी के लिये हमने बहुत सारा धन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने यह दिशानिर्देश दिया है कि किस प्रकार से निधियों को खर्च किया जायेगा। इसे माननीय योजना मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय गृह मंत्री द्वारा देखा जाना चाहिए। हम भी जो कुछ किया जा रहा है, उस पर भी निगरानी रखेंगे जिसके हेतु ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: तमिलनाडु में कोई कार्य नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपको इस तरह से बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: ग्रामीण विकास के अंतर्गत कोई कार्य नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: यह कोई तरीका नहीं है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील: माननीय सदस्य दो मुद्दों को एक साथ मिला रहे हैं। ग्रामीण विकास इससे भिन्न है।

सभापति महोदया: आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कोई भी अंश शामिल नहीं किया जायेगा। यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील: माननीय सदस्य ने समुचित ढंग से मुद्दे को नहीं समझा है। वह बातों को उलझा रहे हैं। मैं उन्हें सभा के बाहर इस मुद्दे को स्पष्ट कर दूंगा।

जहां तक कोयना मामले का संबंध है कृपया भयभीत मत होइए। पिछली बार भी माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया था। जहां तक मेरी सूचना है कोयना बांध को निर्माण किया गया था और इसे सुदृढ़ किया गया था तथा यह अच्छी स्थिति में है। यदि आप चाहते हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछूंगा अथवा आप माननीय मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। मैं उनसे इसके बारे में आपको सूचना देने हेतु कहूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: कोई भी व्यक्ति डर नहीं फैला रहा है। वह बहुत ही वरिष्ठ नेता और माननीय मंत्री हैं। वास्तव में, जब श्री जायसवाल बोल रहे थे तो मैंने कोयना मामले के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री को लिखे गये कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री के पत्र को पढ़ा। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से यह लिखा है:

"महाराष्ट्र मे जलाशयों से अत्यधिक जल निकलने के परिणामस्वरूप कर्नाटक के पांच उत्तरी जिलों अर्थात् बेलगाम, बीजापुर, बागलकोट, गुलबर्ग और रायचूर में अत्यधिक बाढ़ आई है।"

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं भूकंप के बारे में बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: आगे यह लिखा गया है:

"पिछले दो दशक से कोयना बांध बार-बार आने वाले भूकंपों का सामना कर रहा है जिसका अधिकेन्द या तो बांध के नीचे है अथवा बांध के अत्यंत निकट है। इस प्रकार के दो भूकंप 1 और 3 अगस्त, 2005 को आये थे।"

यह माननीय प्रधानमंत्री को लिखा गया माननीय मुख्यमंत्री का पत्र है ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: उन्हें उनसे टेलीफोन पर बात करनी चाहिए थी ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कमार: यह वर्णन किया गया है:

"इन तिथियों में कोयना बांध पूरी तरह से भरा हुआ था और इसमें 97 टी.एम.सी. जल था। इन भूकंपों के कारण बांध में कुछ दरारें आ गई हैं... इसके अतिरिक्त, भूकंपों से भयभीत होकर और बांध में दरारों के कारण महाराष्ट्र ने कोयना बांध से अत्यधिक जल छोड़ा जिसके परिणामस्वरूप भारी बाढ़ आई जिसने महाराष्ट्र और कर्नाटक के निचले स्थलों के अनेक गांवों के अतिरिक्त संगली और कोल्हापुर शहरों को जलमग्न कर दिया।"

सभापति महोदया: यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती पी. राधिका सेलवी (तिरूचेन्दूर): आपको सभी सदस्यों को अनुमति देनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप उसके बाद उन्हें पत्र दें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: उन्होंने कहा है:

"दुर्भाग्य से अपने जलाशयों से पानी की निकासी को विनियंत्रित करने की महाराष्ट्र सरकार की असफलता के कारण हम कर्नाटक में अचानक आई भारी बाढ़ का सामना कर रहे हैं।"

यही मुख्य मंत्री जी ने कहा है ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं सभी असंगत सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि लोग भयभीत हैं। उन्होंने कहा है कि कोयना बांध भूकंप के कारण ध्वस्त होने वाला है।

सभापति महोदया: वह ऐसा नहीं कह रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदया, पिछली बार उन्होंने कहा था। मेरी उनसे अनबन हो गयी थी।

श्री अनंत कुमार: मैंने यह अभी नहीं कहा कि यह ध्वस्त होने वाला है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर केन्द्रीय जल आयोग के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को कोयना बांध की सुरक्षा करने का निदेश देगी।

सभापति महोदया: फिलहाल, यह संबंधित मुद्दा नहीं है।

श्री अनंत कुमार: यह कर्नाटक के उत्तरी भागों में बाढ़ें आने का प्रत्यक्ष कारण है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शिवराज वि. पाटील: इसके अलावा, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा एक बहुत बड़ा देश है। हम ऐसा व्यवहार न करें जिससे बंटवारे हों। मुझे वह पत्र मिला है। जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक पानी न छोड़े, इससे तमिलनाडु में बाढ़ आ जाएगी। और अब, कोई कहता है कि महाराष्ट्र पानी न छोड़े, इससे तमिलनाडु और कर्नाटक में बाढ़ आ जाएगी।

अब, तथ्यों की जांच किये बिना, अगर वे ऐसा वक्तव्य देते हैं, तो इससे मनमुटाव पैदा होता है। बेहतर होगा कि इससे बचा जाए।

सभापति महोदया: आप ठीक कह रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 4.41 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) हांगकांग में विश्व व्यापार संगठन के आगामी छठे मंत्रालयी सम्मेलन के विशेष संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन में भारत की भूमिका—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब हम नियम 193 के अंतर्गत हो रही चर्चा को जारी रखेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदया, हम हांग-कांग में डब्ल्यूटीओ के आगामी छठे मंत्रालयी सम्मेलन के विशेष संदर्भ में डब्ल्यूटीओ में भारत की भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अक्सर, हम सुनते हैं, कि 'डब्ल्यूटीओ एक आवश्यक बुराई है। भारत को डब्ल्यूटीओ में रहना चाहिए।' इस प्रकार के वक्तव्य काफी अवांछित होते हैं। अगर भारत इस नियमाधारित प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो भारत को मुद्दों पर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा 'योग्यतम की उत्तरजीविता' कही जाने वाली स्थिति में काम करना होगा।

वास्तव में, विश्व व्यापार में एक प्रतिशत हिस्सेदारी से, अगर भारत के हितों का उल्लंघन किया जाए तो भारत डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी शक्ति को भी ललकार सकता है। ऐसा हुआ है क्योंकि भारत ने यूरोपीय संघ और अमरीका सरीखे डब्ल्यूटीओ के राष्ट्रों में कई विवादों में विजय हासिल की है। इसलिए, ऐसा किसी भी डब्ल्यूटीओ सदस्य के साथ हो सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चीन इस निकाय में शामिल होने के लिए इतना उतावला क्यों था और रूस जैसे बड़े देशों के इस निकाय में जल्दी शामिल होने की आशा है।

हमने डंकल करार तथा उरूवे दौर से लेकर काफी लंबा सफर तय किया है। अब, वाणिज्य मंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं का अकेले सामना करने के लिए और अधिक सशक्त हैं। हम सेवा क्षेत्र को ले सकते हैं किन्तु हमें सेवा क्षेत्र को खोलना होगा।

साथ ही, मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन कभी नहीं होते। राजनीति का साथ अजीबोगरीब है। जब भारत डब्ल्यूटीओ में अपनी स्थिति रखते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। 1950 के उस पुराने दौर के तीसरे-विश्व की स्थिति से 1980 तक के विश्व में पर्याप्त परिवर्तन आया है। भारत ने डब्ल्यूटीओ पर यह सबक लिया है। हमने हमने गठबंधन किए हैं। लेकिन ऐसे गठबंधनों को मुद्दा-आधारित होने चाहिए, जैसाकि आज कृषि के मामले में हमारा जी-20 गठबन्धन है। हमें विशिष्ट मुद्दों पर भारत के समर्थन उसके विरोध में जाने वाले सभी पहलुओं का पूर्ण विश्लेषण करने के बाद ही ऐसे गठबन्धन करने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी स्थिति इस प्रकार बनानी है ताकि डब्ल्यूटीओ वार्ता का दोहा दौर मात्र एक बाजार पहुंच का दौर बनकर न रह जाए अपितु विकास का दौर बने।

नब्बेवें दशक के आरंभ से ही जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, आर्थिक प्रबन्धन के प्रति ताकत के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। अब अर्थव्यवस्था में बाजारानुकूल प्रक्रियाओं को अधिक महत्व मिला है। तथापि, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उत्तरदायी नहीं रही। हांग-कांग में विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय आगामी सम्मेलन में, ऐसी आशा है कि चीन विस्तृत दोहा वार्ता दौर, जिसे आमतौर पर दोहा विकास कार्यसूची (डीडीए) भी कहा जाता है, के सफलतापूर्वक पूरा होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। डीडीए की शुरूआत 2001 में दोहा में हुए डब्ल्यूटीओ के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हुई थी। दोहा दौर जिसके उद्देश्य विकासशील देशों में करोड़ों लोगों के जीवनयापन में सुधार करना बताया गया है—यह अधिक विशिष्ट है—एक महत्वपूर्ण स्तर पर है और इसी कारण, यह अमीर और गरीब दोनों देशों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2003 में डब्ल्यूटीओ का कैन्कून में हुआ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अमीर और गरीब देशों के हितों में टकराव होने के कारण एकाएक समाप्त हो गया। एक ओर जहां विकासशील देश उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करने वाले अधिकांशतः कृषि संबंधी लंबित मुद्दों को समाप्त करना चाहते थे, वहीं धनी देश उन्हें सबसे

[श्री भर्तृहरि महताब]
अधिक लाभ पहुंचाने वाले नये मुद्दों के बारे में बातचीत करना चाहते थे।

कैन्कून सम्मेलन के पश्चात्, डब्ल्यूटीओ के सदस्यों द्वारा बातचीत को जेनेवा में पुनः शुरू करने हेतु पहल की गई। अंततः इस बात पर सहमति हुई कि जुलाई 2004 के अंत तक 'जुलाई पैकेज' के नाम से एक 'पैकेज्ड फ्रेमवर्क' बनाया जाए। इससे वार्ता के मुख्य क्षेत्रों के संबंध में आगे और वार्ता हेतु विस्तृत दिशानिर्देश हैं। भारत ने इस फ्रेमवर्क के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। मौजूदा वार्ताओं का दौर जुलाई 2004 में डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा निर्णीत कार्यविधियों के अनुसार चल रहा है।

यह उम्मीद की जा रही है कि हांगकांग में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले, उसके दौरान और उसके पश्चात् होने वाली बातचीत डब्ल्यू टी ओ के अंतर्गत वैश्विक व्यापार प्रणाली के भविष्य को तय करेगी और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि विशेष रूप से गरीब देशों के दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम पर गंभीर प्रभाव डालेगी।

अब मैं वर्तमान परिदृश्य पर आता हूं।

सभापति महोदया: अब आप समाप्त करें। प्रत्येक माननीय सदस्य को केवल पांच मिनट ही दिये जा सकते हैं क्योंकि यहां दस से अधिक माननीय सदस्य हैं जो इस पर बात करना चाहते हैं। इसलिए कृपया संक्षेप में बात करें।

श्री भर्तृहरि महताब: किंतु वे दस माननीय सदस्य मेरी पार्टी से नहीं हैं।

सभापति महोदया: किंतु हमें केवल अपनी पार्टी से संबंधित सदस्यों का ही नहीं वरन सभी माननीय सदस्यों का ध्यान रखना है। अब आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं अपना भाषण संक्षिप्त करने का प्रयास करूंगा।

ऐसे तीन पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला कृषि है, जिस पर चर्चा हो चुकी है। अन्य दो पहलुओं पर मैं बाद में ध्यान दूंगा। पहला पहलू बढ़ा हुआ व्यापार है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय किसान वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करते हैं। व्यापार और कृषि भिन्न-भिन्न कार्य हैं। किंतु पाश्चात्यधारण के कारण विश्व के धनाढ्य देशों में यही माना जाता है कि कृषि व्यापार है। यह वह मूलभूत समस्या है जिसका कहीं न कहीं हमें सामना करना पड़ता है।

कृषि वार्ता के तीन आधारबिंदु हैं—शुल्कों में कमी के माध्यम से व्यापार को बढ़ाना अर्थात् अधिक बाजार पहुंच, और घरेलू और निर्यात राजसहायता में कमी करना। दोहा कार्यसूची में तीन कार्य करने का उल्लेख हैं: पहला, निर्यात राजसहायता में कमी करना और अंततः उसे समाप्त करना; दूसरा, व्यापार की स्थिति खराब करने वाली घरेलू राजसहायता में भारी कमी करना; और तीसरा है, बाजार पहुंच में भारी सुधार करना।

पहले दोनों भारत पर लागू नहीं होते हैं किन्तु तीसरा लागू होता है और यहीं विशेष उत्पादों का महत्व है। हमें उन उत्पादों पर, जो लाखों किसानों की आजीविका से संबंध रखने के कारण 'विशेष' हैं, अधिक शुल्क बनाये रखने पर बल देते रहना चाहिए।

एक वक्ता ने सोयाबीन का वर्णन किया था। मैं तिलहनों और उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के सेबों और केरल की इलायची का वर्णन करूंगा। यह राज्य-विशिष्ट उत्पाद हैं। तिलहन एक ऐसी वस्तु है जिसमें भारत विशेष दर्जे की मांग कर सकता है। समृद्ध देश अभी भी अपनी निगमित कृषि की भारी राजसहायता और संरक्षण दे रहे हैं। उन मुद्दों पर अभी कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है।

कृषि समझौता वार्ताओं में गतिरोध बना हुआ है। हमने उचित निर्णय लिया है कि जब तक यूरोपीय संघ और अमरीका घरेलू व निर्यात राजसहायता बंद नहीं कर देते और भारतीय निर्यातकों को रियायत नहीं देते तब तक हम प्रशुल्क-कटौती संबंधी कोई भी सूत्र स्वीकार नहीं करेंगे। हमें प्रशुल्क कटौती बिल्कुल न करने अथवा कम-से-कम करने पर निरंतर बल देते रहना चाहिए। खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए जोत प्रारूप के आधार पर अभिज्ञात की गई विशेष वस्तुओं के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र का भी निर्माण करना चाहिए।

दूसरा पहलू है औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन। विश्व व्यापार संगठन की भाषा में औद्योगिक वस्तुओं संबंधी समझौता-वार्ताएं गैर-कृषि बाजार पहुंच अथवा एन ए एम ए के रूप में जानी जाती हैं। दोहा कार्यसूची का लक्ष्य प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करना है। वर्तमान में समझौता-वार्ताएं काफी धीमी गति से प्रगति कर रही हैं क्योंकि प्रशुल्क-कटौती संबंधी सूत्र के मुद्दे पर कोई अधिक प्रगति नहीं हुई है। भारत ने अर्जन्टीना और ब्राजील के साथ मिलकर ऐसे प्रशुल्क-कटौती सूत्र का प्रस्ताव रखा है जिससे विकासशील देशों के उद्योगों को विश्व-स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी। इस पर हम तभी चर्चा कर सकते हैं जब प्रशुल्क-कटौती संबंधी सूत्र पर स्वैच्छिक आधार पर सहमति हो जाये। हम शून्य के बदले शून्य प्रशुल्क-कटौती प्रस्ताव स्वीकार

नहीं कर सकते हैं अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि यदि यूरोपीय संघ किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रशुल्कों को शून्य कर दे तो भारत भी उस वस्तु पर शून्य प्रशुल्क करे। हम समृद्ध देशों के विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

अब मैं, अंतिम पहलू अर्थात् सेवाओं पर आता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेवा संबंधी समझौता-वार्त्ताएं दिपक्षीय ''अनुरोध और प्रस्ताव'' पर आधारित हैं। किंतु अभी तक इस तरीके से कोई संतुलित और सारभूत नतीजा नहीं निकला है। यूरोपीय संघ और अमरीका जैसे समृद्ध देशों ने डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों, विशेषकर विकासशील देशों को अधिक पहुंच प्रदान नहीं की है। निस्संदेह हम लाभ की स्थिति में हैं किन्तु समृद्ध देश हमारी सेवाओं से लाभ नहीं उठाते हैं। साथ ही वे ऐसे क्षेत्रों के संबंध में प्रस्ताव नहीं रखते हैं जो देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। समृद्ध देश चाहते हैं कि विकासशील देश संचार, खुदरा बिक्री आदि क्षेत्रों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खोल दें और इसी से समस्या होती है। एफ डी आई के माध्यम से अधिक पहुंच गरीब देशों में नीति-निर्माण की गुंजाइश को कम कर देगी।

सेवा समझौता-वार्त्ता बहुत जटिल हो गयी है क्योंकि यह ऐसे चरण में पहुंच गयी है जहां विभिन्न देश अंतरक्षेत्रीय सौदेबाजी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा वार्त्ताओं में हम अधिक सशक्त व सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। हमारा प्रमुख हित साधन सीमा-पार व्यापार, अर्थात् व्यवसाय, ज्ञान प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग और कुशल व अकुशल, दोनों प्रकार के व्यावसायियों के अस्थायी आवागमन में है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं कि भारत को अन्य विकासशील देशों में अधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्रों का उदारीकरण करना चाहिए। सरकार जिस दिशा में चल रही है, उसमें हमें मित्र मिल सकते हैं किंतु अन्य दो क्षेत्रों में हमें सतर्क रहना होगा। हमें कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सावधान रहना होगा क्योंकि हमारी 70% जनता कृषि पर निर्भर है।

सभापति महोदया: मेरा अनुरोध है कि सभी सदस्य संक्षेप में बात करें।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): सभापति, महोदया, मुझे कितना समय मिला है?

सभापति महोदया: आप को केवल पांच मिनट बोलना है।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): सभापति जी, आज जो मोशन पाण्डा जी लाये हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण मोशन है। हांगकांग में जो इण्टर मिनिस्टीरियल डब्ल्यूटीओ कांफ्रेंस होने जा रही है, वह हमारे देश के किसानों की किस्मत का फैसला करने जा रही है। आज मैंने सभी तरफ से सुना है, सभी सदस्यों ने कृषि पर जोर दिया है। मैं यह महसूस करता हूं कि यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है। दोहा में मुरासोली मारन जी गए थे, उन्होंने भारत का केस बहुत अच्छी तरह से रखा था, लेकिन उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका। कानकून में अरुण जेटली जी गए थे और उन्होंने जी-20 बनाकर, उनका नेतृत्व किया, लेकिन वहां पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका। अब सिंगापुर में जो कांफ्रेंस होने जा रही है, इसमें कैसे होगा? लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी स्टेटमेन्ट में कहा है कि वह किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे।

मैं पंजाब से आता हूं, जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। वैसे तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही कृषि पर आधारित है, लेकिन जब से गैट का एग्रीमेन्ट हुआ है हमारी पार्टी शिरोमणि अकाली दल और मैं इसका विरोध करते आ रहे हैं। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों का बहुत नुकसान होगा। यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, तो हिन्दुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। पंजाब ने कृषि में कई रिकार्ड बनाए हैं, जिनमें पर-हैक्टेयर कृषि उत्पादन में लुधियाना संसार में प्रथम स्थान पर आया है। पंजाब में डेढ़ प्रतिशत जमीन है और डेढ़ प्रतिशत ही आबादी है, लेकिन पंजाब 60 से 70 प्रतिशत तक फूड गेन्स भारत के सैन्ट्रल पूल में देता है। हमें इस पर गर्व है।

यूरोपियन देश, अमरीका, आस्ट्रेलिया या अन्य विकसित देश अपने किसानों को इतनी सब्सिडी देते हैं, जितनी विकासशील देश नहीं दे सकते हैं। भारतीय सांसदों का एक डेलिगेशन राज्य सभा के डिप्टी-चैयरमैन की अध्यक्षता में यूरोपियन पार्लियामेंट में गया था। वहां हमने जब सब्सिडी के मुद्दे को उठाया और कहा कि आप क्यों नहीं सब्सिडी को लेवल प्लेयिंग फील्ड तक देते हैं, आपके किसानों को तो 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है, उसे खत्म कर देना चाहिए, उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग में हम इस पर बात करेंगे क्योंकि हमारी कृषि संबंधी कमेटी के चैयरमैन फ्रांस से हैं, जब वह आएंगे तब हम इस पर बात करेंगे। अगली मीटिंग में हमने यह सवाल उठाया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अपनी सब्सिडी को खत्म नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों को उतनी ही सब्सिडी देंगे, उसे कम नहीं करेंगे। फिर आप इस एग्रीमेन्ट से क्या हासिल कर लेंगे, मुझे यह समझ में नहीं आता है। यदि हमारे किसानों को भी उतनी सुविधा नहीं मिलेगी, तो कैसे होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई तरीका बनाया जाए, जिसमें लेवल प्लेयिंग फील्ड हो। जैसा हमारे मंत्री जी

[श्री सुखदेव सिंह ढींडसा]

ने कहा है कि यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट हो गया तो हमारा मुल्क तबाह होता चला जाएगा। जिससे वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो वे कह रहे हैं, उसी पर तवज्जो दें। कोई ऐसा एग्रीमेंट न होने पाए जिससे किसानों का अहित हो। वैसे तो सभी के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं ज्यादा जोर कृषि पर ही देना चाहता हूं और सभी माननीय सदस्यों ने वैसे तो कृषि पर ही जोर दिया है। हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है।

अपराह्न 5.00 बजे

सब माननीय सदस्यों ने एग्रीकल्चर पर ही ज्यादा जोर दिया है क्योंकि यहां के 60 प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर पर ही बसर करते हैं।

मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई एग्रीमैंट नहीं हो जिससे हमारा देश तबाह हो जाए, एग्रीकल्चर तबाह हो जाए और देश की इकोनामी पर असर पड़े।

सभापति महोदया: धन्यवाद, आपने समय का बहुत ध्यान रखा।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): आदरणीय सभापति महोदया, हांग-कांग में आयोजित होने वाली मंत्रियों का आगामी सम्मेलन भारत समेत विकसित देशों के विकास हेतु महत्वपूर्ण है। हमें खुशी है कि भारत और विकासशील देशों की अत्यधिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर बात करने हेतु इस सम्मेलन में एक योग्य और दक्ष मंत्री जा रहे हैं। वे कुछ स्वदेशी सम्मेलनों में अपना लोहा पहले ही मनवा चुके हैं तथा भारत के लिए कुछेक फायदे किये हैं। किंतु, साथ ही, उनके हांग-कांग जाने के समय मैं न केवल इस सम्मानीय सदन बल्कि देश के विभिन्न भागों में फैल रही भावना से अवगत कराना चाहता हूं।

आम राय यह है कि गैट और डब्ल्यूटीओ करार हमेशा ही भारत समेत विकासशील देशों के अहित में रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुभवजन्य प्रमाण यह दर्शाते हैं चाहे, कृषि हो, उद्योग हो अथवा सेवाएं क्षेत्र हो कि हमें इतना फायदा नहीं मिल रहा है जितना हम दूसरे देशों को दे रहे हैं। विशेषकर कृषि में हमने देखा है कि उसमें कृषि का पूर्व सीमान्तकरण हुआ है जहां छोटे और भूमिविहीन किसान तकलीफ उठा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि यह केवल डब्ल्यूटीओ करार की देन है, परन्तु मैं मात्र यही कहना चाहता हूं कि इससे केवल किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं। यह इस कारण है कि हमारे द्वारा किया गया करार एक असमान करार है। यह असमान लोगों के बीच हुआ करार है। यह भारत और अमरीका के बीच हुआ करार है। यह विकसित और विकासशील देशों के बीच का करार है। इन दो श्रेणियों के देशों की बीच विकास की स्थिति क्या है और कौन सी बातों और कौन से क्षेत्रों पर वार्ता हो सकती है और क्या हम अधिक लाभ ले सकते हैं? अत:, करार में ही यह अंत:निर्मित तंत्र होना चाहिए था कि आप असमान लोगों हेतु असमान व्यवहार के सिद्धांत का अनुसरण करने में सक्षम है अथवा नहीं। दुर्भाग्यवश, हमने असमान लोगों के लिए समान व्यवहार के सिद्धांत का अनुसरण किया है और यही कारण है कि भारत जैसे देश डब्ल्यूटीओ करार होने की स्थिति में पीड़ित हैं। अत:, यह डब्ल्यूटीओ सम्मेलन में हमारे मंत्री जी के लिए यही राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए।

हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। उनके कुशल वार्ताकार होने का भारत को बहुत फायदा मिलना चाहिए। मंत्री जी को उनकी शीघ्र सफलता की कामना करते हुए मैं साथ ही उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हांग-कांग की डगर इतनी सुगम नहीं अपितु बाधाओं में परिपूरित है। विकसित देश अब तक जितने उग्र थे, उससे भी और अधिक उग्र हो रहे हैं। वे विकासशील देशों के बीच स्थापित हुई एकता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें विकासशील देशों के बीच एक प्रकार की सहमति लाने के लिए कड़ा प्रयत्न करना होगा। किंतु दुर्भाग्यवश, विकसित देश आज फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं और इसीलिए, विकासशील देश ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं। अत: सवाल यह है कि क्या विकासशील देश विकसित देशों के दबाव का मुकाबला करने और अपने उद्देश्य में सफलता पाने में सफल हो पाएंगे अथवा मित्र के दबाव में आकर इन समझौता वार्ताओं के भुक्तभोगी बन जाएंगे।

अब, प्रेस द्वारा हमें बताया गया है कि सरकार कृषि, सेवाओं, औद्योगिक सामान, टीआरआईपीएस तथा व्यापार सरलीकरण के क्षेत्रों में बातचीत करेगी।

महोदया अब, जहां तक कृषि का संबंध है, वार्ता तीन देशों के इर्द-गिर्द घूमेगी। पहला, ग्रीन बाक्स राजसहायताओं व डब्ल्यू बाक्स राजसहायताओं, टैरिफ और निर्यात राजसहायताओं के रूप में घरेलू सहायता है। जहां तक टैरिफ का संबंध है, भारत ने डब्ल्यूटीओ में इसके फायदे को गंवा दिया है क्योंकि पहली बैठक में जिस क्षण यह निर्णय लिया गया कि टैरिफ में कमी होनी चाहिए, भारत

ने कुछ उत्पादों में टैरिफ को, 300 की उच्च दर से घटाकर शून्य तक लाने की तत्परता दिखाई। किंतु कुछ विकसित देसों में आज तक भी उस स्तर तक उसे नहीं घटाया है। मैं नहीं जानता कि पिछली सरकार ने टैरिफ में इस प्रकार भी कटौती करने की तत्परता क्यों दिखाई जिसके कारण विकसित और विकासशील देशों में एक असमान स्थिति पैदा हो गयी है। किंतु जो हो चुका है उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं है। अत:, हमें अब टैरिफ, घरेलू सहायता और निर्यात राज-सहायताओं संबंधी लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें कि इन सभी तीन क्षेत्रों में, डम्पिंग कम करके हम भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम हो सकें। यदि हम ऐसा करने में सफल न हुए तो फिर विदेशों में वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें अपने निर्यातों की स्थिति में सुधार करने में समर्थ होना चाहिए ताकि, वार्ताओं के अन्त में हम व्यापार में जहां देश में आयातों से निर्यात अधिक हैं, सन्तुलन ला सकें। अब, इन दोनों उद्देश्यों के लिए, राजसहायताओं को समाप्त करना अथवा उनमें पर्याप्त कटौती करना भारत के हित में हैं और हमें प्रशुल्क कटौती के अन्य सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा राजसहायता कटौती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जी-20 भागीदारों को अभिप्रेरित करना चाहिए। हो सकता है हम प्रशुल्कों में कमी करने में सफल न हों लेकिन हम राजसहायता में कटौती करने में सफल हो जाएंगे जिससे प्रशुल्क कटौती का राग अलापने की अपेक्षा भारत को बेहतर लाभ मिलेगा। यदि दोनों हो जाते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन वार्ता मेज पर दोनों प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। अत: यदि वरीयता की बात हो तो सभी जी-20 देशों तथा जी-33 देशों को चाहिए फिर वे प्रशुल्कों का राग अलापने अथवा उन पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा एक होकर राजसहायताओं, जो विदेशों द्वारा दी जाती हैं, में पर्याप्त कटौती अथवा समाप्ति की मांग करें।

अपराह्न 5.06 बजे

[**श्री अजय माकन** *पीठासीन* हुए]

विशेष उत्पादों के लिए उपयोगी एवं प्रभावी उपबन्धों की व्यवस्था करवाने और विकासशील देशों द्वारा दी जा रही अल्प सहायता में कटौती से छूट पाने के लिए जी-33 देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग करना भी महत्वपूर्ण है।

यद्यपि औद्योगिक प्रशुल्कों में भारत ने पंक्ति-दर-पंक्ति प्रशुल्क कटौती और पूर्ण सीमक कवरेज (फुल बाउडिंग कवरेज) के क्षेत्र में पदार्पण कर लिया है, फिर भी विकसित देशों के उच्चतम प्रशुल्क और प्रशुल्क की उच्च दरों को विशेष रूप से लक्षित करने की गुंजाइश हो सकती है। उदाहरण के लिए यह वर्तमान औसत प्रशुल्क के तीन गुणा की अधिकतम सीमा के पहले वाले प्रस्ताव को पुनर्जीवित कर सकता है। यह अपने हित में उत्पादों के अपने प्रशुल्कों में कटौती का प्रस्ताव करके विशिष्ट विकसित देशों में प्रशुल्क की उच्च दरों और उच्चतम दरों में लक्षित कटौती की संभावना खोज सकता है। अब, सेवाओं में वार्ताओं पर अनुरोध की वर्तमान प्रणाली भारत में उपयुक्त है। वार्ताओं के इस रूप में यह अपनी प्रतिबद्धता के बदले विकसित देशों में उपयोगी उदारीकरण के लिए दबाव बना सकता है। हो सकता है कि एक समान न्यूनतम वचनबद्धता जो विकसित देशों द्वारा प्रस्तावित की गई है भारत के हित में न हो।

महत्व का एक और क्षेत्र नियमों से संबंधित है। भारत को उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए और उद्देश्यपरकता में सुधार लाने और समझौतों के अधीन कार्यवाही करने के लिए काम करने चाहिए। हमें यह बात भी समझनी होगी कि यह एक सौदेबाजी है। हमें कुछ देना होगा और कुछ लेना होगा। अब, हम कहां दें? औद्योगिक प्रशुल्कों के मामले में, हम दे सकते हैं। लेकिन कृषि के मामले में हमें लेना होगा। हमें क्या देना है और क्या लेना है, इसका समग्र सन्तुलन सकारात्मक होना चाहिए और वही सकारात्मक भारत के विकास भारत की कृषि और 8% की विकास दर प्राप्ति के हमारे लक्ष्य में सहायक होनी चाहिए, और विश्व के देशों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए। हमारे मंत्री जी को इस प्रकार से वार्ता करनी चाहिए कि हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं मंत्री जी के लिए सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं भारत को उनके वार्ता कौशल से बेहतर सफलता मिलेगी।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी 5.30 बजे उत्तर देंगे। छह या सात सदस्यों को अभी बोलना है। प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दिया जाएगा। तभी जाकर मंत्री जी 5.30 बजे तक उत्तर दे पाएंगे।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): महोदय, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न हमारे देश द्वारा किए जा रहे आयातों के संबंध में है। विगत कई वर्षों से आयातों में बढ़ोत्तरी बहुत अधिक रही है। वे उत्पादन की लागत से कम हैं। वह बिल्कुल खतरनाक है। कपास, चीनी और तेल के मामले में आयात कई गुणा अधिक था। मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं उनको उद्धृत नहीं करना चाहता। मैं एक या दो आंकड़े देना चाहता हूं। मसालों के मामले में आयात जो वर्ष 1995-96

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

में 24.28 हजार टन था बढ़कर वर्ष 2003-04 में 147.69 हजार टन हो गया। चीनी के मामले में यह वर्ष 1996-97 के 29 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 932.3 हजार टन हो गया। खाद्य तेल के मामले में यह 1995-96 के 1061.99 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 5290.2 हजार टन हो गया और कपास के मामले में यह वर्ष 1996-97 के 2.92 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2001-02 में बढ़कर 387 हजार टन हो गया।

इसी समय अमरीका के वर्ष 2003 के आंकड़े दर्शाते हैं कि अमरीका से इसके कृषि व्यापार निगमों द्वारा किए गए कृषि निर्यात उत्पादन लागत से भी कम पर किए गए। गेहूं का निर्यात उत्पादन की लागत से 28% कम औसत मूल्य पर किया गया। सोयाबीन का निर्यात इसकी उत्पादन लागत से 10% कम के औसत मूल्य पर किया गया। मक्का का निर्यात इसकी उत्पादन लागत से 10% कम के औसत मूल्य पर किया गया। कपास का निर्यात इसकी उत्पादन लागत के 47% कम के औसत मूल्य पर किया गया। चावल इसकी उत्पादन लागत के 26% से कम के औसत मूल्य पर किया गया। हमारी कृषि कैसे बचेगी? मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। हम कहते हैं कि हम अब और मात्रात्मक प्रतिबन्ध नहीं रख सकते। लेकिन विकसित देशों में उसके लिए एक तंत्र है। विकसित देशों ने टी.आर.क्यू. के रूप में एक वैकल्पिक मात्रात्मक प्रतिबन्ध तन्त्र विकसित किया है जिसमें एक निश्चित सीमा तक आयातों की अनुमति दी जाती है और वह स्तर पार करने के बाद आयातों को बहुत अधिक ऊंची प्रशुल्क दरों पर अनुमति दी जाती है। उन्होंने आयातों को सीमित रखने के लिए गैर-प्रशुल्क बाधाएं और स्वच्छता एवं स्वच्छता मूलक (फाइटोसैनिटरी) उपाय भी कर रखे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने स्वच्छता एवं स्वच्छतामूलक तथा अन्य तकनीकी कारणों से मई 2005 में 251, जून में 216 और जुलाई में 78 और अगस्त 2005 में 256 खाद्य निर्यात खेप रद्द कर दी थी जबकि यूरोपीय संघ ने मई 2005 में 16, जून में 12 और जुलाई 2005 में 6 भारतीय खाद्य खेपों को रद्द कर दिया था।

बाजार तक पहुंच बनाने के मकड़-जाल में उलझे हुए समूह-20 देशों का मानना है कि प्रशुल्कों में कमी करने से उन्हें विकसित देशों के बाजारों तक पहुंचने में सहायता मिलेगी जोकि एक दिवास्वप्न है। इस प्रकार, विकसित देशों के पास कुछ आयात प्रतिबन्ध और अन्य तंत्र हैं।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। मार्च 2005 में अमेरिका ने सितम्बर 2005 तक कपास उत्पादकों को दी गई राजसहायता वापिस लेने संबंधी विश्व व्यापार संगठन विवाद समाधान निकाय (डी.एस.बी.) के आदेश की अवमानना की। डी.एस.बी. ने इस बात की भी पुष्टि की कि वर्ष 199 और 2002 के बीच कपास उत्पादों को 12.5 बिलियन अमरीकी डालर की राजसहायता प्रदान की गई जिससे अमरीकी कपास निर्यातों को प्रोत्साहन मिला और ब्राजील तथा अन्य देशों के उत्पादकों की वजह से मूल्यों में मंदी आ गई। विश्व व्यापार संगठन ने यूरोपीय संघ द्वारा चीनी को दी जा रही निर्यात राजसहायता को अवैध घोषित करते हुए इसके विरुद्ध निर्णय दिया है और इसे वापिस लेने का निर्देश दिया है। यह विडम्बना ही है कि विकसित देशों की इन गड़बड़ियों के बावजूद विश्व व्यापार संगठन ऐसी गड़बड़ियों के विरुद्ध कारगर कार्यवाही करने में विफल रहा है।

मैं बहुत अधिक आंकड़े नहीं देना चाहता। लेकिन हो यह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों के हाथ में विकासशील देशों को उनका डंपिंग यार्ड बनाने का एक माध्यम बन कर रह गया है।

एन.ए.एम.ए. अर्थात्, गैर कृषि बाजार पहुंच के नाम पर वे स्विस फार्मूला और जुलाई कार्ययोजना इत्यादि की बात कर रहे हैं। समरूपता और भिन्नता अधिक है। इस रास्ते पर चलना बहुत खतरनाक है क्योंकि अन्ततः यह होगा कि विकसित और विकासशील देशों के लिए दो तरह के मानक होंगे। यदि आप हमारे सेवा क्षेत्र को इस ढंग से खोलते हैं जैसा कि सुझाव दिया गया है-मेरे पास व्याख्या करने के लिए अधिक समय नहीं है-अन्ततोगत्वा मंत्री जी इस सदन में आकार कहेंगे कि यह अनिवार्य हो गया है। वार्ताओं के विगत चार दौर के दौरान उन्होंने स्विस माडल की बात की। अन्ततः तो कोई भी बातचीत अनिवार्य हो जाती है। यूरोपीय संघ और अमरीका से जो भी सुझाव आएंगे वे अन्ततोगत्वा हमारे लिए बाध्यकारी हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन और अन्य संगठन सरकारों का स्थानापन्न नहीं हो सकते। हमारे पास अपनी संप्रभुता है। हमें अपने लोगों को बचाना है। वैश्वीकरण की ओट में जो रहा है वह निगमितीकरण है।

हम भूमंडलीकरण चाहते हैं जहां संसाधनों का वितरण समान रूप से किया जाएगा, जहां हर व्यक्ति को हिस्सा मिलेगा। हो यह रहा है कि विकासशील देश गरीब-दर-गरीब होते जा रहे हैं, कम विकसित देश और गरीब से गरीब होते जा रहे हैं जबकि विकसित देश सभी संसाधनों को हड़प रहे हैं। उनके द्वारा धन और हर चीज छीनी जाती है। क्या यही भूमंडलीकरण है यह नहीं हो सकता।

एक बार फिर, महोदय, संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के पहले इस संसद के समक्ष आना चाहिए। नौकरशाह जाते हैं और समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमारः मैं ज्यादा बारीकी से बता रहा हूं। उदाहरणार्थ नौकरशाह जाते हैं और एफ टी ए समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। होता यह है कि पूरा राष्ट्र चला जाता है। उदाहरण के तौर पर........ को लें। वे 'क्षदेस' ले जाते हैं और गैर-क्षदेस देशों के साथ हमारा समझौता है। हो यह रहा है कि दक्षेस देशों से आयात पर कोई शुल्क नहीं है। इसलिए इससे बाजार और कृषि बरबाद हो रहा है। अब वे 'नामा' संबंधी सेवा खोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। हमारे पास समय की कमी है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमारः अन्यथा इससे हमारी अपनी संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। भूमंडलीकरण अंतर्देशीय निगमीकरण के लिए नहीं है, भूमंडलीकरण से निगमीकरण नहीं हो सकता। मैं मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वे सभी लोग जो हांगकांग में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं वे इस बात का ध्यान रखें कि हमारे हितों की रक्षा हो। यह अमेरिका अपने हितों की रक्षा कर सकता है तो हमारे हितों की भी रक्षा होनी चाहिए।

सभापति महोदयः अब मंत्रीजी को उत्तर देना है।

मंत्री जी कुछ देर के लिए रुकिए। बोलने के लिए पांच वक्ता शेष हैं। प्रत्येक सदस्य को मात्र 2 मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी जाएगी। दो मिनट बोलने के बाद मुझे आपको रोकना न पड़े। आप अपना संभाषण तैयार कर ले ताकि आप अपनी बात 2 मिनट के अंदर समाप्त कर लें।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि राज्य सभा में भी एक चर्चा हो रही है इसलिए मुझे वापस जाने की आवश्यकता है और राज्य सभा में भी उत्तर देना है।

सभापति महोदयः इसलिए प्रत्येक सदस्य को 2 मिनट बोलने की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, विश्व व्यापार संगठन को स्थापित हुए आज दस साल हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो आगामी बैठक होने जा रही है, वह काफी महत्वपूर्ण है। इस चर्चा का जवाब मंत्री जी अच्छी तैयारी के साथ देने की कोशिश करेंगे, ऐसी हम सभी को उम्मीद है। आज विश्व में विश्व व्यापार और आर्थिक संगठन तथा गैट के अनुसार उरुग्वे वार्ता के दौर से जो परिणाम आए, उस पर सारी चर्चाएं आकर रुक जाती हैं। जहां तक अपने देश का सवाल है, उसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हम अपनी सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियों का परिणाम पिछले 50 सालों से देख रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान की बात की जाती है।

सभापति महोदयः आप सीधे पाइंट पर आएं, क्योंकि कुछ और सदस्यों ने भी बोलना है। इसलिए जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

सभापति महोदयः दो मिनट तो हो गए हैं और आप अभी रोटी, कपड़ा और मकान की ही बात कर रहे हैं।

श्री हरिभाऊ राठौड़: रोटी, कपड़ा और मकान ही तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं और यही चीज नहीं देखी गई हैं। इसीलिए हमारे देश में काश्तकार आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि एक तरफ हम कहते हैं कि गरीबों को कम दाम पर अनाज मिलना चाहिए और दूसरी तरफ हम खेती के उत्पादों के बारे में कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। इस तरह से हमारी दो तरफा नीति है। इस पर हमें गौर करना चाहिए। मंत्री जी वार्ता के लिए हांगकांग जाने वाले हैं, वह अपने देश की बात वहां रखेंगे। वहां हमसे भी कहा जाएगा कि अपनी सब्सिडी कम करो, लेकिन हम घरेलू व्यापार में क्या कर रहे हैं, यह देखना चाहिए।

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): महोदय, मुझे मात्र दो मिनट का समय दिया गया है। इसलिए मैं मात्र दो मुद्दों का उल्लेख करूंगा। माननीय मंत्री महोदय, हांगकांग जाने की जल्दबाजी में है।

श्री कमलनाथः नहीं, मुझे राज्य सभा जाना है। ...*(व्यवधान)* मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे राज्य सभा जाना होता है। ...*(व्यवधान)*

डा. चिन्ता मोहनः हांगकांग जाने के पहले वे राज्य सभा जाना चाहते हैं।

इस मुद्दे पर आने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि वे हांगकांग में अमीर देशों से मिलने जा रहे हैं। अमीर देशों से मिलने से पहले, मैं चाहता हूं कि वे इस देश के गरीब लोगों और किसानों के हितों की रक्षा करने में स्वतंत्र भूमिका अदा करें। उन्हें

[डा. चिन्ता मोहन]

यह क्रियात्मक रुख अपनाना चाहिए यह एक ऐसा मामला है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें यह किसी भी समय नहीं भूलना चाहिए।

दूसरा मुद्दा राजसहायता और आयात शुल्क के बारे में है। हमें आयात शुल्क कम नहीं करना चाहिए। इससे हमें मदद नहीं होने जा रही है। हम जब बाजार जाते हैं तो हम दूसरे देश के सेब देखते हैं, हम दूसरे देश के अंगूर देखते हैं, हम दूसरे देश की मकई देखते हैं। इन सभी चीजों का उत्पादन भारत में होता है। एक ओर कपास किसान आंध्र प्रदेश में भूखों मर रहे हैं। दूसरी ओर हमें इसे बाहर से आयात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसी बातें हैं जहां मैं चाहता हूं कि उन्हें इस देश के किसानों के हितों की रक्षा हेतु एक अत्यंत ही नाजुक, संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहूंगा कि राजसहायता आवश्यक है। जब अमेरिका और अमीर देश ग्रीन बाक्स, ब्लू बाक्स और अम्बर बाक्स के रूप में राजसहायता दे रहे हैं तो वे हमारे किसानों को राजसहायता क्यों नहीं देते। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। अत: मैं माननीय मंत्री जी से इन तीनों बातों को ध्यान में रखने का अनुरोध करूंगा और हांगकांग में इसके अनुरूप करें।

सभापति महोदय: डा. चिन्ता मोहन आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्री हितेन बर्मन बोलें।

श्री हितेन बर्मन (कूचबिहार): महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश का कृषि क्षेत्र नई आर्थिक नीति के नाम पर उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण नीतियों के कारण पहले ही बर्बाद हो रहा है। हम जानते हैं कि नई आर्थिक नीति, जिसे विश्व बैंक, आई एम एफ के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है, का एकमात्र उद्देश्य भारतीय कृषि को बर्बाद करना है।

इन परिस्थितियों में, आगामी हांगकांग सम्मेलन 13 दिसम्बर को होना है। प्रारूप कार्यसूची में चार पहलुओं पर विचार किया जायेगा पहला कृषि संबंधी समझौता, दूसरा गैर-कृषि विपणन उपागम, तीसरा व्यापार संबंधी सामान्य समझौता और चौथा, व्यापार संबंधी बौधिक संपदा अधिकार। कार्य सूची में जुड़े सभी मुद्दे हमारे देश के कृषि क्षेत्र हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर हैं।

हम अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिकी सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि इसकी राजसहायता वर्ष 2012 तक जारी रहेगी। यूरोपीय समुदाय के देश पहले ही सहमत हो गए हैं और घोषणा की है कि उनकी राजसहायता वर्ष 2013 तक जारी रहेगी। लेकिन हांगकांग के मंत्रालयी सम्मेलन के प्रारूप ढांचे में कृषि के संबंध में किसी विशेष बात का अभाव है और कृषि संबंधी राजसहायता से संबंधित कोई प्रतिबद्धता नहीं है यह केवल विकसित देशों के हितों की रक्षा करता है जो बाजार में और भागीदारी करने का प्रयास कर रहा है और इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह अनुचित राजसहायता वास्तव में विधिवत हो जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बर्मन, कृपया अपनी बात समाप्त करें। यदि आपके पास एक लिखित पाठ है, आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री हितेन बर्मन: मैं केवल अपनी बात तक ही सीमित रहूंगा। मेरा सुझाव है माननीय मंत्री जी को हमारे किसानों, कृषि क्षेत्र के हित में और उनकी तथा देश की सुरक्षा का मुद्दा तटस्थ भाव से उठाना चाहिए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि इलायची की कीमत 800 रु. प्रति कि.ग्रा. से घटकर 150 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गई है। वनीला की कीमत 3000 रु. प्रति कि.ग्रा. से घटकर 150 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गई है। काली मिर्च की कीमत 250 रु. प्रति कि.ग्रा. से घटकर 50 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गई है। यही स्थिति चाय, काफी, सेब तथा अनार की तथा भारत के कई अन्य उत्पादों की भी है।

भारत एक ऐसा देश है जहां कृषि जन्य उत्पादों का उत्पादन करने वाले लोगों की संख्या अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। अत: हमें साहसपूर्ण प्रयास करना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि नीचे बताए गए कुछ तर्कों को हम निश्चित और व्यवस्थित रूप दें।

सर्वप्रथम, मैं यह सोचता हूं कि हम यह कह सकते हैं कि यदि विकसित देश अपने किसानों को और अधिक राजसहायता प्रदान करने जा रहे हैं तब हमें यह तर्क देना ही होगा कि इसे पूर्ण रूप से बंद किया जाए। हमें इस बारे में तर्क-वितर्क करना ही होगा कि ब्लू बाक्सेज और अन्य मैजिक बाक्सेज को समाप्त करना चाहिए। परन्तु, हमारे द्वारा तर्क किए जाने के बाद भी इन सभी चीजों में समय लगेगा। अत:, इस बीच हमें कुछ अन्तरिम राहत चाहिए। अत: भारत को राहत के पक्ष में तर्क देना चाहिए। हमें ऐसा ही विचार अथवा मत रखने वाले देशों का नेतृत्व करना चाहिए। हमें आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के पक्ष में तर्क देना चाहिए। विशेष उत्पाद मुद्दे के पक्ष में तर्क देना चाहिए जो कि भारत के कृषि उत्पादकों एवं अन्य प्रकार के उत्पादकों के हित में है तथा हमें खासतौर पर यह कहना चाहिए कि भारत उन देशों में एक है जहां कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा आत्महत्या की

जाती है। अतः यहां एक समान अवसर प्रदान करने वाली स्थिति नहीं है। ए ओ ए तथा उससे संबंधित मामलों में पूर्णरूप से सुधार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएं। देश के हितों की रक्षा के लिए भारत के लोगों ने और भारत सरकार ने हमेशा कटिबद्धता के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। हांगकांग की मीटिंग में आप जाएंगे, वहां आपकी जो प्रतिबद्धता है, यूपीए सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि आप किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ेंगे और खास तौर से संसद में आज जो चर्चा हुई, सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, उसके अनुरूप किसानों के हितों को आप देखने का काम करेंगे और किसी भी स्तर पर कटौती का जो प्रस्ताव है, जो विकासशील देशों के हितों के विरुद्ध है, उसे नहीं मानने का काम करेंगे, यही मेरा निवेदन है।

महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। हमारे यहां 75 प्रतिशत किसान हैं और कृषि पर ही किसानों को निर्भर रहना पड़ता है। सब्सिडी में 60 प्रतिशत कटौती का जो प्रस्ताव है, वह बहुत ही अन्यायपूर्ण है। आज जितनी सब्सिडी मिल रही है, उससे भी भारत के कृषक अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं और लोगों की कृषि में रुचि घट रही है। जब 60 प्रतिशत सब्सिडी आप काट देंगे, तो भारत की कृषि की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, इसलिए किसी भी कीमत पर आप इसे नहीं मानेंगे, ऐसा मेरा सुझाव और निवेदन है। यह एक साजिश है। अमरीका जैसे विकसित देश अपनी मार्केट को विकासशील देशों पर इम्पोज करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे जितना भी आपको लड़ना पड़े, आप लड़ें। पहले भी दो बैठकें दोहा और कानकुन में हुयीं। वहां हमने अपने हितों के साथ समझौता नहीं किया। मुझे विश्वास है कि आप भी देश के हितों के खिलाफ समझौता नहीं करेंगे।

मानव के जीने के लिए अनाज एवं जीवन रक्षक दवाएं अनिवार्य हैं। पहले भारत के पेटेंट एक्ट के अधीन औषधियों पर केवल प्रक्रिया पेटेंट लेने की जरूरत होती थी। लेकिन अब उत्पाद पेटेंट लागू होने से औषधियों का उत्पादन वही कंपनियां कर पाएंगी, जिन्हें उनका उत्पाद पेटेंट अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्राप्त है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास असीमित वित्तीय स्रोत हैं। ऐसी दशा में विदेशी कंपनियां ही दवाओं का सर्वाधिक मात्रा में उत्पाद कर सकेंगी। इससे भारतीय औषधि उत्पादक इकाइयों को गहरा धक्का लगेगा और औषधियों की कीमत इतनी बढ़ेगी कि वे गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। एड्स बीमारी की दवा की कीमत इसका जीता जागता उदाहरण है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दवा उत्पादन के पेटेंट का जो प्रस्ताव आएगा, देश के गरीबों के हितों के लिए, कृषकों के हितों के लिए, उससे आप समझौता नहीं करेंगे और पूरी दृढ़ता के साथ अपनी मनोधार और मनोविचार के अनुरूप काम करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अंतिम वक्ता श्री के. येरननायडु हैं। कृपया अपना भाषण दो मिनट के भीतर समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति, महोदय, हमारे माननीय मंत्री इस देश के 103 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा देश कृषि पर आधारित है। यद्यपि, राज्य सरकारें तथा भारत सरकार कृषक समुदाय के लिए काफी प्रयास कर रही है, फिर भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं—चाहे वे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक अथवा महाराष्ट्र के हों। पिछले तीन वर्षों के दौरान मिर्च उत्पादक और तम्बाकू उत्पादक किसानों और अन्य किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं दिया गया है। हमने इसी मुद्दे पर इसी सदन में विस्तृत चर्चा की है। हमने किसी भी कीमत पर कृषक समुदाय के हितों की रक्षा करनी है। इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें जी-20 अथवा जी-33 के देशों का समर्थन हासिल करना होगा। यदि कोई समस्या हो, तब हमें या तो विरोध करना होगा अथवा सांसदों की सहमति-राजनीतिक सहमति हासिल करनी होगी। इसके साथ-साथ, हमें वार्ता करनी होगी। आप और मैं सिएटल में शिष्टमंडल के अंग थे। श्री मारन ने इस शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। इसी कारण से, हमें आप पर पूरा विश्वास है। हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें कृषक समुदाय के हितों की विशेष तौर पर रक्षा करनी होगी।

श्री कमलनाथ: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को उनके सुझावों तथा उनके द्वारा कही गई विशेष बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि लगभग प्रत्येक वक्ता ने अपने राजनीतिक सुझाव से हटकर विचार व्यक्त किया है। आज, स्वाभाविक रूप से कृषि के मुद्दे पर अधिक चर्चा हुई है। न केवल भारत,

[श्री कमल नाथ]

बल्कि अन्य विकासशील देश भी कृषि के मुद्दे से गहराई से जुड़े हैं। हमारी जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है। माननीय सदस्यों ने उन चिन्ताओं को उजागर किया है जो चिन्ता भारत को कृषि के क्षेत्र में है तथा उन्होंने अपने विचार और सुझाव दिए हैं।

महोदय, निःसंदेह ही कृषि विश्व व्यापार संगठन के वैश्विक व्यापार का ढांचागत रूप से सबसे त्रुटिपूर्ण भाग है। कृषि एक ऐसा मामला है जिस पर पिछले कई महीनों के दौरान वार्ताओं में चर्चा हुई है। जैसा कि मैंने अन्य मंचों पर अलग-अलग ऐसा कहा है कि ऐसी आशा है कि हम हांगकांग में जुलाई फ्रेमवर्क के बाद पूरी कार्यविधियों के बारे में निश्चित करेंगे कि किस प्रकार एक बिन्दु पर केन्द्रित किया जाए। यह मिलन बिन्दु क्यों हैं? ऐसा इसलिए है कि भारत और अन्य विकासशील देश विश्व के वर्तमान कृषि व्यापार व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को दी गई राजसहायता प्रतिदिन एक अरब डालर है तथा इससे कृत्रिम मूल्य की स्थिति पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय किसान अमरीका के किसान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। परन्तु, भारतीय किसान को अमरीका सरकार से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। उसको प्रतिस्पर्धा अमरीका किसान से नहीं हो रही है। इस प्रकार कृषि विश्व व्यापार संगठन में संगठनात्मक रूप से सर्वाधिक त्रुटिपूर्ण भाग है। इसी मुद्दे पर सर्वाधिक बार चर्चा हुई है।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत ने दृढ़ता से अपना पक्ष रखा है। इससे न केवल बाजार पहुंच प्रदान की जा रही है, बल्कि कृत्रिम मूल्य भी सृजित किए जा रहे हैं। राजसहायता के कारण इस प्रकार के कृत्रिम मूल्य सृजित होते हैं। इसे समाप्त करना होगा। यह न केवल मुक्त व्यापार का प्रश्न है, बल्कि यह उचित व्यापार का प्रश्न है। यही असल मुद्दा है। 'उचित व्यापार' का अर्थ है 'सबको समान अवसर प्रदान किया जाना' तथा 'सबको समान अवसर का प्रदान किया जाना' का अर्थ है कि 'कोई राजसहायता नहीं' निर्यात पर राजसहायता प्रदान करने का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर उन्होंने जुलाई फ्रेमवर्क, में वचन दिया था कि उसे धीरे-धीरे समाप्त किया जाएगा तथा जब तक हमें वचनबद्धताएं-विशिष्ट वचनबद्धताएं नहीं मिलती हैं जब वे अपनी राजसहायता को समाप्त नहीं करते हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पायेगा। इस प्रकार प्रमुख प्रश्न यही है कि निर्यात राजसहायता को कब पूर्णतः समाप्त किया जाएगा? निश्चित रूप से, कोई समझौता नहीं हो सकता है।

इसी प्रकार घरेलू सहायता के मामले में सरकार द्वारा अपने किसानों को दी गई सहायता में पर्याप्त कटौती करनी होगी। महोदय, सदस्यों ने बहुत से प्रश्न उठाए हैं। उनमें से कुछ ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन हमारे हितों के विरुद्ध है। हमें एक तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि आज भारत विश्व व्यापार संगठन का एक हिस्सा है और यही हमारी शुरूआत है। अब वार्ताओं के मद्देनजर हमें एक आकलन करना होगा। 10 वर्ष का पहला वार्ताओं का दौर उरूग्वे दौर कहलाता है। अब हम अगले दस वर्ष के लिए बातचीत कर रहे हैं अर्थात यह दोहा दौर है। विगत 10 वर्षों में क्या हुआ? ये तथ्य और आंकड़े हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। क्या विश्व व्यापार वार्ताएं व्यापार के लिहाज से भारत के लिए अच्छी थी या बुरी? मेरे पास यहां आंकड़े हैं।

महोदय, वर्ष 1995 में हमरा औद्योगिक माल का निर्यात क्या था? सेवाओं के क्षेत्र में हमारा निर्यात कितना था और कृषि क्षेत्र का हमारा निर्यात कितना था? वर्ष 1995 में हमारा वाणिज्यिक निर्यात 30 बिलियन अमेरिकी डालर का था। वर्ष 2004 में यह 75 बिलियन अमेरिकी डालर था। इस वर्ष औद्योगिक उछाल के कारण हमारा लक्ष्य 92 बिलियन अमेरिकी डालर का आंकड़ा छूने का है।

वर्ष 1995 में कृषि क्षेत्र का हमारा निर्यात 6.3 बिलियन अमेरिकी डालर था और 2004 में हमारा निर्यात 7.3 बिलियन अमेरिकी डालर था। इसलिए, जिस चीज की हमें भी जरूरत है वह है भारत के लिए बेहतर बाजार पहुंच। हमारे उद्योग में वृद्धि हो रही है। हमें लगता है कि हमारा लघु उद्योग भी निर्यातोन्मुखी बन रहा है। इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए। हमारे लघु उद्योग बाजार का भी विकास हो रहा है।

महोदय, मेरे मित्र श्री थामस ने इलायची, वनिल्ला और काली मिर्च इत्यादि जैसे मसालों का उल्लेख किया। वे ठीक कह रहे हैं कि इन उत्पादों के दाम बहुत गिर गए हैं लेकिन ये ऐसी वस्तुएं हैं जो विकासशील देशों द्वारा उपजाई जाती हैं। मसाले संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ द्वारा नहीं उपजाए जाते हैं। इलायची की उपज संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ में नहीं होती लेकिन यह ग्वाटेमाला और वियतनाम में उगाई जाती है।

इसलिए, पूरे विश्व की आर्थिक संरचना बदल रही है और हमें यह देखना है कि वह आर्थिक संरचना क्या होगी जिसकी हमें हमारे कृषि और सेवा क्षेत्रों के लिए जरूरत है। सेवाओं के क्षेत्र में हमारे यहां विकास हुआ है। वर्ष 1995 में हम 6.7 बिलियन अमेरिकी डालर पर थे और वर्ष 2004 में हम लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच गए। इसलिए अब हमें क्या प्राप्त करना चाहिए। एक तरफ तो बेशक हमें अपने कृषि क्षेत्र को बचाना है और इस सदन के माध्यम से मैं अपने किसानों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: कृपया हमें बताएं कि विश्व व्यापार के संबंध में अपने निर्यात में हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई है।

श्री कमलनाथ: यह तो आसान सा गणित है।

श्री बृजकिशोर त्रिपाठी: इन सभी क्षेत्रों में हमने कितने प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है? वह और भी अधिक महत्वपूर्ण है।

श्री कमलनाथ: सेवाओं के क्षेत्र में, वर्ष 1995 में विश्व निर्यात में हमारा हिस्सा 0.6 प्रतिशत था और अब हमारा हिस्सा 1.9 प्रतिशत। व्यापार के क्षेत्र में वर्ष 1995 में हमारा हिस्सा 0.62 प्रतिशत था और अब यह 0.92 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार विश्व व्यापार के सन्दर्भ में हमारा निर्यात बढ़ा है।

जो बाद मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है। एक तरफ तो हमें विकसित देशों की राजसहायता से अपनी कृषि को बचाना है। विकसित देशों की राजसहायता प्राप्त उत्पादों की तुलना में हमें अपने किसानों की रक्षा करनी है। कपास के मूल्य को ले लीजिए। कपास के अमेरिकी मूल्य में 47% भाग राजसहायता का शामिल है। भारत 300 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य की कपास खरीदता है। हम अमेरिका से कपास खरीदने के लिए मजबूर हैं क्योंकि यह सस्ती है। पश्चिमी अफ्रीका के किसान इस मूल्य पर आपूर्ति नहीं कर सकते। निःसन्देह हम उन से भी कुछ मात्रा में कपास अवश्य खरीदते हैं।

इसलिए, हमें सचेत रहना होगा। हमें इन राजसहायताओं जो वे अपने किसानों को देते हैं, का विरोध करना होगा। हर सरकार ऐसा करना चाहेगी। भारत में चाहे कोई भी सरकार हो वह ऐसा ही करना चाहेगी। लेकिन हमारी बजटीय सीमाएं हैं। इसलिए समझौता करने और अपने देश में राजसहायताप्राप्त आयातों जिनसे हमारे किसान प्रभावित होते हों के लिए अपने द्वार खोलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इस सदन के माध्यम से अपने देश के प्रत्येक किसान को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने वाले राजसहायताप्राप्त सस्ते आयातों से किसानों की रक्षा करने के प्रति वचनबद्ध है।

मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम बाजार तलाश रहे हैं। हम अपने बासमती चावल के लिए बाजार ढूंढ रहे हैं। हम एक अधिशेष की तलाश में हैं जो हमें गेहूं में मिलेगा। हम कहां जाएंगे? यदि कीमतें गिर जाती हैं तो हमारे किसान कहां जाएंगे? हमें दूसरे बाजारों की ओर देखना होगा। इस समय हम भारी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र से भी निर्यात कर रहे हैं। इसलिए, हम बाजार तलाश करने में भी रुचि रखते हैं। इसलिए हम यह न सोचें कि हम बाजार हासिल करना नहीं चाहते।

भारत में अपने दामों को स्थिर रखने के लिए निर्यात करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। वही हो रहा है। विगत पांच वर्षों के आंकड़े अभी वही दर्शाते हैं। इसलिए हम इस बाजार पहुंच को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यदि कीमतें कृत्रिम हैं तो हम किसके साथ स्पर्धा कर रहे हैं। यही समस्या है। इसलिए चाहे हमें कुछ भी मिले; माल अथवा सेवाओं में हमें जो भी रियायत मिले, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इस देश के 65 करोड़ किसानों के लिए कोई समझौता नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सबसे बड़ा क्षेत्र है और हम इसी पर अटल रहना चाहते हैं।

विशेष और अलग बर्ताव किए जाने के विषय में मुद्दे उठाए गए हैं। निःसन्देह भारत एक विकासशील देश है। विकसित देशों ने हर तरह का खेल खेला है। वे भारत को अलग-थलग करना चाहते हैं और मैं आपको वह सब बताना चाहता हूं जो पिछले एक वर्ष के दौरान हुआ, हमने न केवल मुख्य रूप से समन्वय किया बल्कि मैंने व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक गरीब देशों के जी-90 की बैठकों में भाग लिया। भारत केवल अपने लिए ही नहीं बोल रहा है। भारत की आवाज अल्प विकसित देशों के लिए भी बुलन्द होती है। हम अफ्रीकी देशों के विषय में भी अपनी आवाज बुलन्द करते हैं। हम कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के हित में अपनी आवाज बुलन्द करते हैं और वही भारत की शक्ति है और वही भारत का मानस है कि हम कभी अपने लिए नहीं बोलते। हम सभी के लिए, गरीब देशों के लिए बोलते हैं। इससे हमारा स्वर सबसे अधिक मुखर हुआ जिसके कारण ही भारत नेतृत्व करने की स्थिति में पहुंचा।

पिछले एक वर्ष के दौरान मैंने अफ्रीकी कैरेबियाई प्रशान्त क्षेत्र के देशों में जी-90 की बैठकों में भाग लिया। हमने यहां जी-20 देशों की बैठक आयोजित की। मैंने अल्प-विकसित देशों के समन्वयक को यहां आमंत्रित किया। हमने दिल्ली में जी-20 की बैठक आयोजित की। भारत ने दो महीने पहले इसका आयोजन किया ताकि हम गठबन्धन को जारी रख सकें, जिसे विकसित देशों द्वारा दबाया न जा सके और हमने अपना सामान पा लिया है, हम सभी के साथ समन्वय कर रहे हैं। लड़खड़ाने और टूटने का कोई प्रश्न नहीं है। हम अपनी बात पर अटल रहेंगे।

इस दौर के पूरा होने की कोई खास बात नहीं है। इस दौर की विषयवस्तु क्या थी उसका महत्व है। यह विकास का दौर है। इस दौर को विकास दौर का नाम संयोगवश नहीं दिया गया अथवा

[श्री कमलनाथ]

इसलिए नहीं दिया गया कि इससे बेहतर शब्द ही नहीं था, बल्कि यह नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब तक 120-125 देश भी अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर नहीं होते, तब तक विश्व अर्थव्यवस्था अग्रसर नहीं हो सकती। अतः, इस विकास के दौर को इसकी विषय-वस्तु की कसौटी पर परखा जाएगा। हम गैर-टैरिफ बाधाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं। हम डंपिंग-विरोधी कानूनों के दुरूपयोग के मुद्दों को आगे ला रहे हैं क्योंकि वस्तुस्थिति विश्व के सामने स्पष्ट हो गयी है। आज बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक रूप से उतनी अधिक प्रतिस्पर्धात्मक नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि जनरल मोटर्स 30,000 लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली सबसे बड़ी कंपनियां आटोमोबाइल उद्योग हुआ करती थीं।

आज, वे कामगारों को निकाल रहे हैं और हम रोजगार पैदा कर रहे हैं। यही असली सच है। आईटी-समर्पित सेवाओं को लीजिए। इसी कारण हम सेवा क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। आपने कहा, ''क्या हम भी उदार हैं?'' मैं तो यह कहूंगा कि जब हम इतने अधिक की मांग कर रहे हैं, तो हमें देना भी पड़ेगा। आप मात्र यह नहीं कह सकते कि मुझे हर चीज चाहिए। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। किंतु, मैं वह देना चाहता हूं जो रोजगार पैदा करने के लिए उपयुक्त है। हम वह देना चाहते हैं जो हमारी आर्थिक गतिविधि बढ़ाने में हमारे लिए उपयुक्त हो। हम वह देना चाहते हैं जिससे हमारी अर्थव्यवथा में अभिवृद्धि होगी। यही हमारी चर्चा की सारी रणनीति है। आज, अगर कोई करार नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं—यह भारत है—कि वहां ऐसा अभिसरण (कन्वरजंन्स) है। हम आखिरी महीनों में सहमत नहीं हुए क्योंकि भारत अडिग रहा, विकासशील देश अडिग रहे, अल्प विकसित देश अडिग रहे और अफ्रीकी देश भी अडिग रहे। मैं उनसे टेलीफोन के माध्यम से, कई बैठकों के माध्यम से लगातार उनके संपर्क में रहता हूं। जैसाकि आपने मुझे अक्सर इस सदन से अनुपस्थित ही पाया है। ऐसा केवल इसलिए था कि मैं एक दिन यहां, अथवा दो दिन के लिए वहां जाता रहा हूं ताकि उन देशों को भी यह महसूस हो सके कि भारत जैसे बड़े देश में यह एक समानता है जिससे हमारा भी एक स्टेक बनता है। हमारा भावी 'स्टेक' एक सांझा 'स्टेक' होगा।

मैं अपने साथी द्वारा यहां उठाए गए मात्र एक अथवा दो मुद्दों पर ही आना चाहता हूं। श्री खारबेल स्वाईं ने कहा कि दोहा बैठक के बाद कुछ भी नहीं हुआ है। यह सच है कि कुछ भी नहीं हुआ है। दोहा बैठक के बाद कार्य गति धीमी रही है और धीमी गति ही जारी है। कार्य गति धीमी क्यों है? ऐसा मात्र इस कारण है कि हम सहमत नहीं हो रहे हैं। अगर हम हर बात पर सहमत हो जाएं तो कार्यगति बहुत अधिक हो जाएगी। अतः, अपने मुद्दे पर अडिग ही हैं। हम इसे होने नहीं दे रहे हैं। हम अडिग ही रहेंगे क्योंकि हम अपने देश के लोगों की आजीविका की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपने विशेष उत्पादों का उल्लेख किया। आपकी बात ठीक है। मैं आपको यह अवश्य बताऊंगा कि जब हम फ्रेमवर्क संबंधी करार पर बातचीत कर रहे थे, तो हम विशेष उत्पादों की धारणा को ले आए। हमने इसे उस ढंग से तैयार किया और हमने संबंधित मानदंड निर्धारित किए। निस्संदेह, हमारे पास पर्याप्त संख्या में विशेष उत्पाद होंगे ताकि हमारे किसान सुरक्षित रहें और उनके पास आयातों का किसी भी तेजी के विरुद्ध विशिष्ट सुरक्षात्मक तंत्र मौजूद हो। यही दो सुरक्षोपाय हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: क्या आपने उन विशिष्ट उत्पादों की पहचान कर ली है?

श्री कमलनाथ: हां, हमने उनकी पहचान कर ली है। हम इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आपने कहा कि 50 या 60 हैं। मैंने इस पर ध्यान दिया था। निस्संदेह हम इसकी ओर ध्यान देते हैं। हमारे डेरी उत्पाद भेद्य उत्पाद हैं, हमारे मसाले भेद्य उत्पाद हैं, हमारी गेहूं, चावल और चीनी भेद्य उत्पाद हैं। ये सभी भेद्य उत्पाद हैं। निस्संदेह हम प्रत्येक तंत्र का उपयोग करेंगे। हम यह समझकर ऐसा कोई समझौता नहीं कर रहे हैं कि बाजार में इसकी भरमार हो जाएगी। इसके बारे में कोई सवाल नहीं है।

आपने विशेष और विभेदक व्यवहार का प्रश्न उठाया था विशेष और विभेदक व्यवहार ही पुनः इस दौर का आधार है। विशेष और विभेदक व्यवहार होना ही चाहिए और इसका अपना एक आधार है। एस एंड डी वार्ता के प्रत्येक पहलू में व्याप्त है। हमने यही रवैया अपनाया है। इसमें अन्योन्यता पूर्व से कम है। यह हर जगह व्याप्त है। आप इतना करें और मैं उससे कम करूंगा— हम वही कर रहे हैं। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे।

पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संबंध में, मैं अवश्य यह कहूंगा कि इस तरह के आने वाले पर्यावरण संबंधी ऐसे मुद्दे नहीं हैं। हम यह नहीं देखेंगे कि कोई पर्यावरण संबंधी स्थितियां गैर-टैरिफ बाधाओं के रूप में सामने आए। इसमें हम एक साथ रह रहे हैं। आपने पाकिस्तान का उल्लेख किया। आज पाकिस्तान विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। हम भी पाकिस्तान के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। पाकिस्तान जी-20 का सदस्य है। जब मैंने जी-20 बैठक में शिरकत की, तो उनके मंत्री महोदय यहां थे। मैंने पुनः मंत्री जी से टेलीफोन पर बातचीत की। हम सभी विकासशील

देशों के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। यदि इसमें पाकिस्तान भी हो, तो इससे कोई फर्क नहीं करता क्योंकि हमें यह देखना होगा कि विकासशील देश संगठित रहें।

दूसरे मुद्दे भी हैं। आपने बाउंड दरों का उल्लेख किया। हां, हमारी बाउंड दरें ऊंची हैं, अतः हमारे पास लचीलापन है। किंतु, हमें यह भी अवश्य ही समझना होगा कि भारत किसी निर्वात में नहीं रह रहा है। हम एशिया में रह रहे हैं। थाइलैंड, मलेशिया और फिलीपीन्स में टैरिफ दरें कितनी हैं? हमारा देश बड़ा है। लोगों की निगाहें हम पर हैं।

अतः, हमारी चिंताएं बड़ी हैं क्योंकि हमारा देश ऐसा है जो औद्योगिक उत्पादों में सशक्त है। हमें इस वर्ष 92 बिलियन डालर औद्योगिक माल निर्यात करने की आशा है। हमें अपने कृषि निर्यातों में भारी वृद्धि की आशा है। हम सेवाओं की तलाश में हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में हमारा अंश 300 बिलियन डालर है। यही वह बात है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा।

तब, हम विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं? हम और अधिक निर्यात कैसे करें? जो हम निर्यात करते हैं, वह तो आर्थिक कार्यकलाप में एक वृद्धि स्वरूप है। यह वह हिस्सा है जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं मिलाया जाता है। मैंने एक अध्ययन किया था। मैंने आरआईएस से इस बारे में एक अध्ययन कराया कि रोजगार की दृष्टि से प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि क्या होती है। उस अध्ययन ने बताया कि 10 लाख नौकरियों का सृजन होगा। 2004 और 2005 के बीच, हमारा निर्यात 22 प्रतिशत बढ़ा। आरआईएस अध्ययन एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन है। इसने बताया कि इससे अतिरिक्त नौकरियों का सृजन हुआ। अतः, यह वृद्धिपरक आर्थिक कार्यकलाप है। वे वस्तुएं जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं खपाया जा रहा है वे बाहर जा रही हैं। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जो कुछ भी समर्पित कर रहे हैं, उससे हमारी आर्थक कार्यकलापों में वृद्धि हो रही है और इस प्रकार यह हमारे लिए वृद्धिपरक ही होगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, कृपा करके मुझे स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री कमलनाथ: हमारे करार भी तो हैं।

निष्कर्षतः मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि इन परिस्थितियों में भी भारत की मंशा नहीं बदली है। इतने सारे समय में कम से कम हमें इतना तो करना ही होगा। हमें यह देखने को मिलेगा कि यह न केवल भारतीय होने के नाते हमारे हित में है अपितु यह विश्व अर्थव्यवस्था के हित में भी है। इस सभा के माध्यम से मैं विश्व को यह संदेश देना चाहता हूं कि विश्व अर्थव्यवस्था भी आज भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। विश्व की अर्थव्यवस्था भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: यह भारतीय बाजार पर निर्भर है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री महताब जी, मैं उनका उत्तर पूरा करने के बाद आपको स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दूंगा।

श्री कमलनाथ: यह केवल बाजार पर ही निर्भर नहीं है अपितु यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर है। यह भारतीय लोगों की क्रयशक्ति पर भी निर्भर है। यह केवल बाजार पर निर्भर रहने की बात तो है नहीं क्योंकि आखिर में जाकर बात भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की ही आती है। भारतीय बाजार निर्यात से संचालित नहीं होता है। चीन की तरह हमारा निवेश, आपकी सूचना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घरेलू बाजार से संचालित होते हैं। और यह केवल निर्यात बाजार से संचालित नहीं होता है। जब तक आर्थिक वृद्धि संबंधी कार्य नहीं होगा तब तक रोजगार सृजन का कार्य भी नहीं होगा। हम यह देखेंगे कि हमारी युवा जनसंख्या है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है—रोजगार और कृषि क्षेत्र। ये भारत की दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।

हमने जो भी समझौते किये हैं मुझे यकीन नहीं है—फिर भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि हम उनको सहमत कर सकते हैं। यदि हम उन्हें सहमत नहीं करा पाये तो मानकर चलिये कि हम भी सहमत नहीं होंगे। यदि हांगकांग के साथ भी सहमति नहीं हुई तो बला से यह न हो। भारत खुद इतना मजबूत है कि वह हांगकांग के बाद भी चलता रह सकता है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा। मुख्यतः मंत्री जी हम आपके सुखद भविष्य की शुभकामना करते हैं। प्रश्न यह है कि भारत ने कोई शुल्क कम नहीं करने का दबाव डाला है। यह कृषि क्षेत्र और विशेष उत्पादों हेतु विशेष सुरक्षापायों से संबंधित है जिसका आपने जिक्र किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु भूमि धारिता प्रणाली के आधार पर इसकी पहचान करने जा रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है लेकिन मैं मात्र दो प्रश्न पूछूंगा।

माननीय मंत्रीजी को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण विकसित देशों से विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों के लिए करने पर जोर देना होगा।

अल्प विकसित देशों को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने के मामले पर भारत को अवश्य जोर देना चाहिए क्योंकि भारत अल्प विकसित देशों में बढ़ता विकास और क्षमता सृजन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करा रहा है। ये मेरे दो सुझाव हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव था जिसके कारण भारत पांच इच्छुक पक्षों का हिस्सा बन गया है।

श्री कमलनाथ: यह बहुत ही अच्छी बात है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी, एक सदस्य और हैं जो स्पष्टीकरण चाहते हैं। श्री वनलाल जावमा।

श्री वनलाल जावमा (मिजोरम): भारत के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते समय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मिजोरम की सीमा पर म्यामांर और बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मिजोरम की सीमा पर म्यांमार और बांग्लादेश के साथ व्यापार संबंधों को मौजूदा स्थिति क्या है?

श्री कमलनाथ: पहला प्रश्न 'फिपथ' के बारे में है जिसके बारे में श्री पाण्डा ने पूछा है। हम जी-20 का प्रतिनिधित्व करने वाले "फिपथ" में है। हम जी-20 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम "फिपथ" के एक भाग हैं। हमने "फिपथ" में जी-20 का प्रतिनिधित्व किया है। "फिपथ" में जी-20 का प्रतिनिधित्व करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है। मैं समझता हूं कि इससे हमें ताकत मिलती है। इससे गलत संकेत नहीं जाता है कि हम इन देशों से संबद्ध हैं। जी-33 की बैठक हुई थी। जब इंडोनेशिया ने इसका समन्वय किया, मैंने स्वयं जी-33 की बैठक की अध्यक्षता की थी। इसलिए जब मैं "फिपथ" की बैठक में जाता हूं तो मैं मात्र जी-20 की बात नहीं करता हूं बल्कि मैं जी-33, जी-90 और सभी अल्प विकसित देशों की बात करता हूं।

पिछले सप्ताह जेनेवा में जी-4 की बैठक हुई थी।

श्री प्रबोध पाण्डा: ब्राजील भी जी-20 का एक सदस्य है।

श्री कमलनाथ: लेकिन ब्राजील विश्व के अन्य भाग हैं दक्षिण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है हम विश्व के अन्य भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वजह है। आस्ट्रेलिया भी वहां है। इसलिए हम वहां सदस्य के रूप में नहीं है। हम वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिस किसी भी परिस्थिति में वहां चर्चा होती है मैं कहूंगा कि हम जी-20 में वापस जा सकते हैं। मुझे इस जी-33 में वापस जाना है और इन देशों के साथ चर्चा करनी है। मैं निर्णय नहीं ले सकता हूं लेकिन प्रक्रिया में शामिल रहने में हमें मदद मिलती है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: आप लौटकर संसद भी आएं और हमें बताएं कि आप किन-किन चीजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।

श्री कमलनाथ: मैं समझौता संबंधी रूपरेखा रेखा तय करने के बाद निश्चित रूप से संसद वापस आ रहा हूं। श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार, मैं इस बात पर बहुत खुश हूं कि इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है। यह दर्शाता है कि हम राष्ट्र की प्रगति संबंधी हमारी अवधारणा में हम कितने एकजुट हैं। लेकिन यह पहली बार है जब बैठक होने के पहले चर्चा हो रही है। इसका उल्लेख राज्य सभा में किया गया कि दोहा और कानकुन के पूर्व अवसरों पर बैठक के बाद चर्चा की गई। लेकिन इस बार हमने पहले चर्चा की। मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात है। अत: एक बार बैठक खत्म होने के बाद मैं निश्चित रूप से आपके साथ रहूंगा।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: धन्यवाद।

श्री कमलनाथ: मैं वापिस आऊंगा। और वहां पर हुई चर्चा और प्रगति के बारे में आपको बताऊंगा।

श्री रूपचंद पाल वहां पर किसी और हैसियत से होंगे। मुझे विश्वास है कि वहां पर भी मुझे उनकी जानकारी का लाभ मिलेगा परन्तु मात्रात्मक प्रतिबंधों से संबंधित आंकड़ों का नहीं क्योंकि यह विषय है तथा मुझे शक है कि डब्ल्यू.टी.ओ. की कानून-संबंधी पुस्तिका के अनुसार हम मात्रात्मक प्रतिबंधों का विरोध नहीं कर सकते। क्यू.आर. भुगतान संतुलन से जुड़े हुए हैं। आज, हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति खराब नहीं है। मैं किसी चीज की मांग कैसे कर सकता हूं? वे यह प्रश्न पूछते हैं। क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते? परन्तु यदि श्री रूपचंद पाल अभी भी जोर देते हैं तो उनके लिये मैं इसका वर्णन कहीं पर कर दूंगा।

अपराह्न 5.57 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) **29.10.2005 को दिल्ली में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट;**
(दो) **जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा;**
(तीन) **13.11.2005 को जहानाबाद, बिहार में हुई नक्सलवादी हमले; और**
(चार) **11.11.2005 को होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर, गिरिडीह, झारखंड में हुआ नक्सलवादी हमला**—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, हम मद संख्या 16 ले रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ—उपस्थित नहीं।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): धन्यवाद, महोदय। 6 बजने में 2 मिनट हैं। क्या हम सभा की कार्यवाही स्थगित करने जा रहे हैं?

सभापति महोदय: आप कल अपनी बात जारी रख सकते हैं। आप कल बोलेंगे। आप कल अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री निखिल कुमार: ठीक है।

हम श्रीनगर में आतंकवादी हिंसा, दिल्ली में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट और जहानाबाद, गिरिडीह में नक्सली हिंसा की घटनाओं के संबंध में हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री द्वारा सभापटल पर रखे गये चार वक्तव्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

आरंभ में, मैं श्रृखंलाबद्ध बम विस्फोट मामलों के तीव्र गति से और कुशलतापूर्वक समाधान के लिये दिल्ली पुलिस की सराहना करता हूं। दिल्ली पुलिस का विगत लगभग एक दशक में आतंकवादी अपराधों की जांच करने का बहुत अच्छा रिकार्ड है। हाल ही में घटित यह मामला एक और घटना है जहां इसने बहुत अच्छा कार्य किया है।

बम विस्फोट और आतंकवाद पर चर्चा करते समय मैं विपक्ष के अपने मित्रों द्वारा उठाये गये प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे पास विशेष कानून होने चाहिये। मेरे विचार से प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने इसका वर्णन किया था। यह मुद्दा पहले भी आया था जब मैंने यह स्पष्ट किया था कि विशेष कानून बहुत अच्छे हैं परन्तु जब हम आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए मौजूदा आम कानून अपने आप में पर्याप्त है इसके समर्थन हेतु मैं केवल एक घटना का वर्णन करता हूं।

यह विशेष कानून पुलिस दल और पुलिस जांच एजेंसी को जांच करने हेतु पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने संबंधी सुविधा देने के लिये लाया गया था। पुलिस को दी गयी एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा थी—अपराध स्वीकारोक्ति ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: निखिल कुमार जी, आप कल अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री निखिल कुमार: ठीक है, धन्यवाद।

सभापति महोदय: श्री निखिल कुमार बोल रहे हैं। अब सभा 8 दिसम्बर, 2005 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा बृहस्पतिवार, 8 दिसम्बर, 2005/ 17 अग्रहायण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री सुनिल कुमार महतो श्री वी.के. ठुम्मर	202
2.	श्रीमती मेनका गांधी	203
3.	श्री गुरूदास दासगुप्त	204
4.	श्री राकेश सिंह	205
5.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	206
6.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी कुंवर मानवेन्द्र सिंह	207
7.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	208
8.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	209
9.	श्री एन.एस.वी. चित्तन श्री असादुद्दीन ओवेसी	210
10.	श्री गिरिधारी यादव श्री रवि प्रकाश वर्मा	211
11.	श्री सुरेश चन्देल	212
12.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री रामजीलाल सुमन	213
13.	श्री सुब्रत बोस	214
14.	श्री बालासाहिब विखे पाटील	215
15.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	216
16.	श्री कैलाश बैठा श्री अजीत जोगी	217
17.	श्री राजेन गोहेन श्री हेमलाल मुर्मू	218
18.	श्री प्रबोध पाण्डा श्री ई. पोन्नुस्वामी	219
19.	श्री भर्तृहरि महताब श्री मोहन सिंह	220
20.	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई श्री एम. शिवन्ना	221

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	2122, 2186, 2207, 2269
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2149
3.	आदित्यनाथ, योगी	2096, 2192
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2186, 2262, 2160,
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2176, 2248
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2097, 2199, 2220, 2228
7.	अनंत कुमार, श्री	2153
8.	अप्पादुरई. श्री एम.	2259, 2126
9.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	2072
10.	आठवले, श्री रामदास	2257, 2126, 2148
11.	बंसल, श्री पवन कुमार	2113
12.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2214, 2273, 2279, 2165
13.	बर्मन, श्री हितेन	2073, 2118, 2200
14.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	2095
15.	बखला, श्री जोवाकिम	2186, 2236, 2140
16.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	2162
17.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2156
18.	भगोरा, श्री महावीर	2242
19.	भक्त, श्री मनोरंजन	2119
20.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2087
21.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2075
22.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2249
23.	चक्रवर्ती, डा. सुजान	2251

1	2	3
24.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2187, 2125
25.	चौरे, श्री बापू हरी	2240, 2132,
26.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2244
27.	चिन्ता मोहन, डा.	2123, 2181,
28.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2179, 2220
29.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	2114
30.	धनराजु, डा. के.	2196, 2270, 2136
31.	धोत्रे, श्री संजय	2132
32.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2186,
33.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2258, 2137
34.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2100, 2104,
35.	गांधी, श्रीमती मेनका	2172, 2215, 2234
36.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2081
37.	हसन, श्री मुनव्वर	2128
38.	जगन्नाथ, डा. एम.	2108, 2174, 2216, 2237, 2280
39.	जालप्पा, श्री आर.एल.	2180,
40.	जयाप्रदा, श्रीमती	2157
41.	झा, श्री रघुनाथ	2115
42.	जिन्दल, श्री नवीन	2149,
43.	जोगी, श्री अजीत	2171, 2224
44.	जोशी, श्री प्रहलाद	2088
45.	करूणाकरन, श्री पी.	2091
46.	कस्वां, श्री राम सिंह	2096, 2146
47.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2129
48.	कैरे, श्री चंद्रकांत	2142, 2163
49.	खां, श्री सुनिल	2086, 2095, 2186, 2193, 2226

1	2	3
50.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	2092
51.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2124, 2253
52.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2077, 2222, 2241, 2278, 2164
53.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2109,
54.	कोया, डा. पी.पी.	2154
55.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2120, 2184, 2268
56.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	2134
57.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2204, 2133, 2143, 2159, 2160
58.	लाहिरी, श्री समिक	2084
59.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2181
60.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	2116
61.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2212, 2233, 2152
62.	महाजन, श्री वाई.जी.	2183, 2249, 2146,
63.	महतो, श्री बीर सिंह	2080
64.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2173, 2176, 2218
65.	महताब, श्री भर्तृहरि	2188
66.	मंडल, श्री सनत कुमार	2070, 2085, 2186
67.	माने, श्रीमती निवेदिता	2100, 2104
68.	मनोज, डा. के.एस.	2099
69.	मरन्डी, श्री सुदाम	2243
70.	मसूद, श्री रशीद	2198, 2138
71.	मेघवाल, श्री कैलाश	2109, 2256
72.	मोहले. श्री पुन्नूलाल	2110, 2117, 2264
73.	मुकीम, मो.	2128
74.	मो. ताहिर, श्री	2204, 2262, 2159, 2160

1	2	3
75.	मोहिते, श्री सुबोध	2167
76.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2098, 2261
77.	मुंशी राम, श्री	2204, 2247, 2133, 2159, 2160
78.	मुर्मु, श्री हेमलाल	2190
79.	नायक, श्री अनन्त	2159, 2161
80.	ओराम, श्री जुएल	2090, 2254
81.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2082, 2195
82.	पलनिसामी, श्री के.सी.	2074, 2177, 2266, 2170
83.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2175, 2223
84.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2166
85.	पासवान, श्री वीरचंद्र	2118, 2211
86.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2178, 2235, 2238, 2260
87.	पाठक, श्री ब्रजेश	2093, 2197, 2227, 2239, 2243, 2281
88.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2252
89.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	2139
90.	पटले, श्री शिशुपाल	2246, 2159, 2160
91.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	2202, 2141
92.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	2103, 2201, 2271
93.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	2194, 2135
94.	राणा, श्री काशीराम	2079
95.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2101, 2206, 2267, 2276, 2283
96.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2096, 2183
97.	रावत, श्री अशोक कुमार	2204, 2229, 2246, 2133, 2143
98.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2107, 2263

1	2	3
99.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2186, 2191, 2265, 2130
100.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2094, 2192,
101.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2217, 2275, 2169
102.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2187
103.	साई प्रताप, श्री ए.	2250
104.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2111, 2196, 2210, 2144
105.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2105
106.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2208, 2151
107.	सत्पथी, श्री तथागत	2076, 2180
108.	सेठी, श्री अर्जुन	2121, 2185
109.	शाहिद, मोहम्मद	2133, 2143, 2159, 2160
110.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2245
111.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2186, 2203, 2231, 2160
112.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2204, 2229, 2246, 2133, 2143
113.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2070
114.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2071
115.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2282
116.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2102
117.	सिंह, श्री गणेश	2089, 2255, 2272
118.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2100, 2104
119.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	2182, 2221
120.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2106, 2189, 2225, 2277
121.	सिंह, श्री राकेश	2177

1	2	3
122.	सिंह, श्री रेवती रमन	2126, 2127
123.	सिंह, श्री सुग्रीव	2178, 2219, 2235, 2238
124.	सिंह, श्री चन्द्र प्रताप	2112
125.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	2083
126.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2070, 2213, 2274, 2168
127.	सुमन, श्री रामजीलाल	2123
128.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2186
129.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2078, 2166
130.	थामस, श्री पी.सी.	2147
131.	दुम्मर, श्री वी.के.	2079, 2218

1	2	3
132.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2205, 2230, 2145
133.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2177
134.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2150
135.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2186, 2232, 2262, 2160
136.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	2161
137.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2182, 2209, 2221 2131
138.	यादव, श्री गिरिधारी	2173
139.	यादव, श्री सीता राम	2158
140.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2155

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	214
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	202, 205, 206, 209, 211, 213
संस्कृति	:	
विदेश	:	210, 219, 221
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	204, 207, 208, 212, 215, 216, 218
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	203, 220
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
शहरी विकास	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	217

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2148, 2186, 2197, 2238, 2276, 2280, 2282
कोयला	:	2085, 2110, 2115, 2149, 2164, 2176, 2178, 2193, 2199, 2224, 2226, 2229, 2230, 2233, 2246, 2258
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2070, 2084, 2091, 2122, 2131, 2132, 2135, 2137, 2144, 2154, 2156, 2161, 2163, 2169, 2177, 2179, 2181, 2183, 2187, 2196, 2202, 2203, 2207, 2208, 2227, 2240, 2242, 2244, 2250, 2254, 2260, 2264, 2265, 2268, 2269, 2270, 2273
संस्कृति	:	2071, 2094, 2095, 2096, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2109, 2142, 2152, 2155, 2170, 2172, 2210, 2214, 2215, 2256
विदेश	:	2080, 2081, 2082, 2090, 2126, 2127, 2134, 2138, 2140, 2145, 2146, 2151, 2160, 2162, 2166, 2185, 2192, 2195, 2206, 2223, 2228, 2236

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2074, 2076, 2077, 2083, 2088, 2089, 2098, 2120, 2124, 2125, 2128, 2129, 2130, 2143, 2150, 2153, 2158, 2159, 2165, 2167, 2168, 2174, 2175, 2180, 2190, 2191, 2194, 2198, 2200, 2201, 2204, 2205, 2211, 2213, 2217, 2221, 2225, 2231, 2232, 2237, 2239, 2247, 2249, 2251, 2261, 2262, 2271, 2274
अप्रवासी भारतीय कार्य	:	2147, 2212
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2093, 2116, 2121, 2123, 2157, 2209, 2216, 2220, 2272
योजना	:	2072, 2108, 2112, 2267, 2173, 2234, 2259, 2281
अंतरिक्ष	:	2252, 2255, 2275
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	2114, 2117, 2218
शहरी विकास	:	2073, 2075, 2079, 2111, 2113, 2118, 2133, 2182, 2188, 2219, 2222, 2235, 2241, 2243, 2245, 2248, 2257, 2263, 2266, 2277, 2278, 2279, 2283
युवक कार्यक्रम और खेल	:	2078, 2086, 2087, 2092, 2097, 2099, 2119, 2136, 2139, 2141, 2171, 2184, 2189, 2253.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.—48/15/11/2006 (एन०)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।